आय-कर अधिनियम, 1961

धाराओं का क्रम

धाराएं

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

2. परिभाषाएं ।

3. "पूर्ववर्ष" की परिभाषा ।

अध्याय 2

प्रभार का आधार

4. आय-कर का प्रभार ।

5. कुल आय की परिधि ।

5क. पुर्तगाली सिविल कोड द्वारा शासित पति या पत्नी के बीच आय का प्रभाजन ।

6. भारत में निवास ।

7. प्राप्त हुई समझी गई आय ।

8. लाभांश आय ।

9. भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई आय ।

9क. कतिपय क्रियाकलापों से भारत में कारबारी संपर्क गठित न होना ।

अध्याय 3

आय जो कुल आय का भाग नहीं है

10. आय जो कुल आय के अन्तर्गत नहीं आती है ।

10क. मुक्त व्यापार क्षेत्र आदि में स्थापित नए उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध ।

10कक. विशेष आर्थिक जोनों में स्थापित नई यूनिटों की बाबत विशेष उपबंध ।

10ख .नवस्थापित शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध ।

10खक. कतिपय चीजों या वस्तुओं के निर्यात से संबंधित विशेष उपबंध ।

10खख. कतिपय मामलों में कंप्यूटर कार्यक्रमों का अर्थ ।

10ग. पूर्वोत्तर क्षेत्र में कतिपय औद्योगिक उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध ।

11. पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित सम्पत्ति से आय ।

12 .अभिदायों से होने वाली न्यासों या संस्थाओं की आय ।

12क. धारा 11 और धारा 12 के लागू होने के लिए शर्तें ।

12कक. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया ।

13. कतिपय दशाओं में धारा 11 का लागू न होना ।

13क. राजनैतिक दलों की आय के सम्बन्ध में विशेष उपबंध ।

13ख. निर्वाचन न्यास द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक अभिदायों से संबंधित विशेष उपबंध ।

धाराएं

अध्याय 4

कुल आय की संगणना

आय के शीर्ष

14. आय के शीर्ष ।

14क. कुल आय में सम्मिलित न किए जाने योग्य आय के संबंध में उपगत व्यय ।

(क) वेतन

15. वेतन ।

16. वेतन कटौतियां ।

17. "वेतन", "परिलब्धि" और "वेतन के बदले में लाभ" की परिभाषा ।

18-21. [निरसित ।]

(ग) गृह सम्पत्ति से आय

22. गृह संपत्ति से आय ।

23. वार्षिक मूल्य कैसे अवधारित किया जाता है ।

24. गृह संपत्ति से आय में से कटौतियां ।

25. गृह संपत्ति से आय में से कटौती न किए जाने योग्य रकमें ।

25क. किराए के बकाया और वसूल न किए गए किराए के पश्चात्वर्ती प्राप्त होने के संबंध में विशेष उपबंध ।

25कक. [निरसित ।]

25ख. [निरसित ।]

26. सह-स्वामियों के स्वामित्वाधीन संपत्ति ।

27. "गृह संपत्ति का स्वामी", "वार्षिक प्रभार" आदि की परिभाषा ।

घ—कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ

28. कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ ।

29. कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय की संगणना कैसे की जाएगी ।

30. भवनों के लिए किराया, रेट, कर, मरम्मत और बीमा ।

31. मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर की मरम्मत और बीमा ।

32. अवक्षयण ।

32क. विनिधान मोक ।

32कख. विनिधान निक्षेप लेखा ।

32कग. नए संयंत्र या मशीनरी में विनिधान ।

32कघ. कतिपय राज्यों में अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में नए संयंत्र या मशीनरी में विनिधान ।

33. विकास रिबेट ।

33क. विकास मोक ।

33कख. चाय विकास खाता काफी विकास खाता और रबड़ विकास खाता ।

33कखक. स्थल पुन:स्थापन निधि ।

33कग. पोत परिवहन कारबार के लिए आरक्षितियां ।

धाराएं

33ख. पुनर्वास मोक।

34. अवक्षयण, मोक और विकास रिबेट के लिए शर्तें।

34क. कतिपय देशी कंपनियों की दशा में सीमित अवधि के लिए शेष अवक्षयण और शेष विनिधान मोक पर निर्बन्धन।

35. वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय।

35क. पेटेन्ट अधिकारों या प्रतिलिप्यधिकारों के अर्जन पर व्यय।

35कख. व्यवहार ज्ञान पर व्यय।

35कखक. दूर-संचार सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम के उपयोग का अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए व्यय।

35कखख. दूर संचार सेवाओं के प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए व्यय।

35कग. पात्र परियोजनाओं और स्कीमों पर व्यय।

35कघ. विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती।

35ख-35गग—[निरसित।]

35गगक. ग्राम विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए संगमों और संस्थाओं को संदाय के रूप में व्यय।

35गगख. प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के कार्यक्रम को चलाने के लिए संगमों या संस्थाओं को संदाय के रूप में व्यय।

35गगग. कृषि विस्तार परियोजना पर व्यय।

35गगघ. कौशल विकास परियोजना पर व्यय।

35घ. कतिपय प्रारम्भिक व्ययों पर अपाकरण।

35घघ. समामेलन या निर्विलयन की दशा में व्यय का क्रमिक अपाकरण।

35घघक. स्वेच्छया सेनानिवृत्ति स्कीम के अधीन उपगत व्यय का क्रमिक अपाकरण।

35ङ. कतिपय खनिजों के लिए पूर्वेक्षण आदि पर व्यय के लिए कटौती।

36. अन्य कटौतियां।

37. [साधारण ।]

38. भवन आदि जिनका कारबार आदि के लिए भागत: प्रयोग किया जाता है या ऐसा प्रयोग अनन्यत: नहीं किया जाता।

39. [निरसित।]

40. कटौती न करने योग्य रकमें।

40क. व्यय का संदाय जो कतिपय दशाओं में कटौती योग्य नहीं है।

41. कर से प्रभार्य लाभ।

42. खनिज तेल के पूर्वेक्षण आदि के लिए कारबार की दशा में कटौतियों के लिए विशेष उपबंध।

43. कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से होने वाली आय से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा।

43क. करेंसी की विनिमय की दर में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप विशेष उपबंध।

43ख. वास्तविक संदाय पर ही की जाने वाली कुछ कटौतियां।

43ग. कुछ आस्तियों के अर्जन की लागत की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध।

43गक. कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों से भिन्न आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध।

43घ. लोक वित्तीय संस्थाओं, पब्लिक कंपनियों, आदि की आय की दशा में विशेष उपबंध।

44. बीमा का कारबार।

44क. व्यापारिक वृत्तिक या समरूप संगम की दशा में कटौती के लिए विशेष उपबंध।

धाराएं

44कक. वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों द्वारा लेखाओं का रखा जाना ।

44कख. वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा ।

44कग. [निरसित ।]

44कघ. उपधारणा के आधार पर कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध ।

44कघक. लाभ और अभिलाभों का उपधारणात्मक आधार पर संगणित करने के लिए विशेष उपबंध ।

44कङ. माल वाहन चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध ।

44कच. फुटकर कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध ।

44ख. अनिवासी की दशा में पोत परिवहन के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध ।

44खख. खनिज तेलों की खोज, आदि के कारबार के संबंध में लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध ।

44खखक. अनिवासी की दशा में वायुयान के प्रचालन के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध ।

44खखख. कुछ टर्न-की विद्युत परियोजनाओं में सिविल सन्निर्माण के कारबार, आदि में लगी हुई विदेशी कम्पनियों के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध ।

44ग. अनिवासियों की दशा में मुख्यालय व्यय की कटौती ।

44घ. विदेशी कंपनियों की दशा में स्वामिस्व आदि के रूप में आय की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध ।

44घक. अनिवासियों की दशा में स्वामिस्व आदि के रूप में आय की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध ।

44घख. सहकारी बैंकों के कारबार के पुनर्गठन की दशा में कटौतियों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध ।

ङ—पूंजी अभिलाभ

45. पूंजी अभिलाभ ।

46. समापनाधीन कंपनियों द्वारा आस्तियों के वितरण पर पूंजी अभिलाभ ।

46क. कंपनी द्वारा अपने ही शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के क्रय पर पूंजी अभिलाभ ।

47. अन्तरण न समझे जाने वाले संव्यवहार ।

47क. कुछ दशाओं में छूट का वापस किया जाना ।

48. संगणना करने का ढंग ।

49. अर्जन के कतिपय ढंगों के प्रति निर्देश से लागत ।

50. अपक्षीय आस्तियों की दशा में पूंजी अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध ।

50क. अवक्षयी आस्ति की दशा में अर्जन की लागत के लिए विशेष उपबंध ।

50ख. मंदी विक्रय की दशा में पूंजी अभिलाभों की संगणना के लिए विशेष उपबंध ।

50ग. कतिपय दशाओं में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध ।

50गक. कोट किए गए शेयर से भिन्न शेयर के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य हेतु विशेष उपबंध ।

50घ. उचित बाजार मूल्य को कतिपय मामलों में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाना ।

51. प्राप्त अग्रिम धन ।

52-53—[निरसित ।]

54. निवास के लिए उपयोग में लाई गई संपत्ति के विक्रय पर लाभ ।

54क. [निरसित ।]

54ख. कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के अंतरण से होने वाले पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभारित न किया जाना ।

धाराएं

54ग. [निरसित ।]

54घ. भूमि और भवनों के अनिवार्य अर्जन पर पूंजी अभिलाभ कुछ दशाओं में प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

54ङ. पूंजी आस्तियों के अंतरण से होने वाले पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभारित न किया जाना ।

54ङक. विनिर्दिष्ट बंधपत्रों या डिबेंचरों में विनिधान की दशा में दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों के अन्तरण पर पूंजी अभिलाभ का प्रभारित न किया जाना ।

54ङख. दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों के अंतरण से होने वाले पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभारित न किया जाना ।

54ङग. पूंजी अभिलाभ का कतिपय बंधपत्रों में विनिधान पर प्रभारित न किया जाना ।

54ङघ. कतिपय सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या यूनिट के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभारित न किया जाना ।

54ङङ. पूंजी अभिलाभ, किसी विनिर्दिष्ट निधि की यूनिटों में विनिधान पर प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

54च. निवास गृह में विनिधान की दशा में कुछ पूंजी आस्तियों के अंतरण पर पूंजी लाभ का प्रभारित न किया जाना ।

54छ. नगरीय क्षेत्र से औद्योगिक उपक्रम के स्थानांतरण की दशा में आस्तियों के अंतरण पर पूंजी अभिलाभों को छूट ।

54छक. औद्योगिक उपक्रम के शहरी क्षेत्र से किसी विशेष आर्थिक जोन में स्थानान्तरण की दशा में आस्तियों के अंतरण पर पूंजी अभिलाभों की छूट ।

54छख. आवासिक संपत्ति के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभारित न किया जाना ।

54ज. नई आस्ति अर्जित करने या पूंजी अभिलाभ की रकम का निक्षेप या विनिधान करने के लिए समय का विस्तार ।

55. "समायोजित", "सुधार की लागत" और "अर्जन की लागत" के अर्थ ।

55क. मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश ।

च—अन्य स्रोतों से आय

56. अन्य स्रोतों से आय ।

57. कटौतियां । ।

58. कटौती न करने योग्य रकमें ।

59. कर से प्रभार्य लाभ ।

अध्याय 5

अन्य व्यक्तियों की आय जो निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित है

60. जहां आस्तियों के अंतरण न हों वहां आय का अंतरण ।

61. आस्तियों का प्रतिसंहरणीय अंतरण ।

62. विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए अप्रतिसंहरणीय अंतरण ।

63. "अंतरण" और "प्रतिसंहरणीय अंतरण" की परिभाषा ।

64. व्यष्टि की आय में पति या पत्नी, अवयस्क संतान आदि की आय का भी सम्मिलित होना ।

65. व्यक्ति का ऐसी आय की बाबत दायित्व जो अन्य व्यक्ति की आय में सम्मिलित है ।

अध्याय 6

आय का संकलन और हानि का मुजरा करना या उसे अग्रनी करना

आय का संकलन

66. कुल आय ।

67. [निरसित ।]

धाराएं

67क. व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय की आय में सदस्य के अंश की संगणना करने की पद्धति ।

68. रोकड़ जमा ।

69. अस्पष्टीकृत विनिधान ।

69क. अस्पष्टीकृत विनिधान आदि ।

69ख. विनिधानों आदि की रकम जो लेखा-पुस्तकों में पूरी तरह से प्रकट न की गई हो ।

69ग. अस्पष्टीकृत व्यय आदि ।

69घ. हुंडी पर उधार ली गई या लौटाई गई रकम ।

मुजरा किया जाना या अग्रनीत किया जाना और मुजरा किया जाना

70. आय के एक ही शीर्ष के अधीन एक स्रोत से होने वाली हानि का दूसरे स्रोत से होने वाली आय के प्रति मुजरा किया जाना ।

71. एक शीर्ष से होने वाली हानि का अन्य शीर्ष से होने वाली आय के प्रति मुजरा किया जाना ।

71क. "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन हानियों का अग्रनीत किया जाना ।

71ख. गृह संपत्ति से हानि को अग्रनीत करना और मुजरा करना ।

72. कारबार की हानियों का अग्रनीत किया जाना और मुजरा किया जाना ।

72क. समामेलन या निर्विलयन, आदि में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक के अग्रनीत या मुजरा करने के संबंध में उपबंध ।

72कक. कुछ दशाओं में बैंककारी कंपनी के समामेलन की स्कीम में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक के अग्रनीत किए जाने और मुजरा के संबंध में उपबंध ।

72कख. सहकारी बैंकों के कारबार पुनर्गठन में संचयित हानि या अनुपयोजित अवक्षयण मोक के अग्रनयन और मुजरा से संबंधित उपबंध ।

73. सट्टे के कारबार में हानियां ।

73क. विर्निष्ट कारबार द्वारा हानियों का अग्रनयन और मुजरा ।

74. "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन हानियां ।

74क. "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आने वाले कतिपय विनिर्दिष्ट स्रोतों से हानियां ।

75. फर्म की हानियां ।

76. [निरसित ।]

77. [निरसित ।]

78. फर्म के गठन के तब्दीली की दशा में या उत्तराधिकार पर हानियों का अग्रनीत किया जाना और उनका मुजरा किया जाना ।

79. कतिपय कंपनियों की दशा में हानियों का अग्रनीत किया जाना और उनका मुजरा किया जाना ।

80. हानियों के लिए विवरणी का प्रस्तुत किया जाना ।

अध्याय 6क

कुल आय संगणित करने में की जाने वाली कटौतियां

क—साधारण

80क. कुल आय संगणित करने में की जाने वाली कटौतियां ।

80कक. [निरसित ।]

80कख. सकल कुल आय में सम्मिलित आय के प्रति निर्देश से कटौतियों का किया जाना ।

80कग. विवरणी दिए जाने तक कटौती का अनुज्ञात न किया जाना ।

80ख. परिभाषाएं ।

धाराएं

ख—कतिपय संदायों की बाबत कटौतियां

80ग. जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अभिदाय, कतिपय साधारण शेयरों या डिबेंचरों आदि में अभिदान के संबंध में कटौती ।

80गग. [निरसित ।]

80गगक. राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन निक्षेप या आस्थगित वार्षिकी योजना में संदाय की बाबत कटौती ।

80गगख. साधारण शेयर बचत स्कीम के अधीन किए गए विनिधान की बाबत कटौती ।

80गगग. कतिपय पेंशन निधियों में अभिदाय की बाबत कटौती ।

80गगघ. केन्द्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में अभिदाय की बाबत कटौती ।

80गगङ. धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा ।

80गगच. दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के अभिदाय की बाबत कटौती ।

80गगछ. किसी साधारण बचत स्कीम के अधीन किए गए विनिधान की बाबत कटौती ।

80घ. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती ।

80घघ. किसी आश्रित के जो नि:शक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार सहित भरण-पोषण की बाबत कटौती ।

80घघख. चिकित्सीय उपचार आदि की बाबत कटौती ।

80ङ. उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती ।

80ङङ. आवासीय गृह संपत्ति के लिए, लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती ।

80च. [निरसित ।]

80चच. [निरसित ।]

80छ. कतिपय निधियों, पूर्व संस्थाओं आदि को दान की बाबत कटौती ।

80छछ. संदत्त किराए की बाबत कटौती ।

80छछक. वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्राम विकास के लिए कतिपय संदायों की बाबत कटौती ।

80छछख. कंपनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दिए गए अभिदायों के संबंध में कटौती ।

80छछग. किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों को दिए गए अभिदायों के संबंध में कटौती ।

ग—कतिपय आयों की कटौतियां

80ज. [निरसित ।]

80जज. पिछड़े क्षेत्रों में नए स्थापित औद्योगिक उपक्रमों या होटल या कारबार से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती ।

80जजक. कुछ क्षेत्रों में लगाए गए नए लघु उद्योग उपक्रमों के लाभ और अभिलाभ के बारे में कटौती ।

80जजख. भारत से बाहर परियोजनाओं से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती ।

80 जजखक. कतिपय मामलों में आवास परियोजनाओं से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती ।

80जजग. निर्यात कारबार के लिए प्रतिधारित लाभ की बाबत कटौती ।

80जजघ. संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में उपार्जनों की बाबत कटौती ।

80जजङ. कंप्यूटर प्रक्रिया सामग्री, आदि के निर्यात से लाभ की बाबत कटौती ।

80जजच. फिल्म साफ्टवेयर आदि के निर्यात या अंतरण से लाभ और अधिलाभ की बाबत कटौती ।

80झ. निश्चित तारीख के पश्चात् औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभों की बाबत कटौती ।

धाराएं

80झक. अवसंरचना विकास, आदि में लगे हुए औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती ।

80झकख. विशेष आर्थिक जोन के विकास में लगे उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौतियां ।

80झकग. विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में विशेष उपबंध ।

80झख. अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की बाबात कटौती ।

80झखक. गृह निर्माण परियोजनाओं से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती ।

80झग. कतिपय विशेष प्रवर्ग के राज्यों में कतिपय उपक्रमों या उद्यमों की बाबत विशेष उपबंध ।

80झघ. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में होटलों और कन्वेंशन केन्द्रों के कारबार से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती ।

80झङ. पूर्वोत्तर राज्यों में कतिपय उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध ।

80ञ. [निरसित ।]

80ञञ. [निरसित ।]

80ञञक. जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण के कारबार के लिए लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती ।

80ञञकक. नए कर्मचारियों के नियोजन के संबंध में कटौती ।

80ट. [निरसित ।]

80ठ. [निरसित ।]

80ठक. अपतट बैंककारी यूनिटों और अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती ।

80ड. [निरसित ।]

80डड. [निरसित ।]

80ढ. [निरसित ।]

80ण. कतिपय विदेशी उद्यमों से स्वामिस्व इत्यादि की बाबत कटौती ।

80त. सहकारी सोसाइटियों की आय की बाबत कटैती ।

80थ. पुस्तकों के प्रकाशन के कारबार से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती ।

80थथ. [निरसित ।]

80थथक. भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के लेखकों की वृत्तिक आय की बाबत कटौतियां ।

80थथख. पाठ्य पुस्तकों से भिन्न कतिपय पुस्तकों के लेखकों की स्वामिस्व आय, आदि की बाबत कटौती ।

80द. प्राचार्यों, शिक्षकों आदि की दशा में कतिपय विदेशी स्रोतों से पारिश्रमिक की बाबत कटौती ।

80दद. कतिपय दशाओं में विदेशी स्रोतों से वृत्तिक आय की बाबत कटौती ।

80ददक. भारत से बाहर की गई सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक की बाबत कटौती ।

80ददख. पेटेंटों पर स्वामिस्व की बाबत कटौती ।

80ध. [निरसित ।]

80न. [निरसित ।]

80नन. [निरसित ।]

गक—अन्य आय की बाबत कटौतियां

80ननक. बचत खाते में निक्षेपों पर ब्याज की बाबत कटौती ।

धाराएं

घ—अन्य कटौतियां

80प. किसी निःशक्त व्यक्ति की दशा में कटौती ।

80फ. [निरसित ।]

80फफ. [निरसित ।]

अध्याय 6ख

कंपनियों की दशा में कुछ कटौतियों पर निर्बंधन

80फफक .[निरसित ।]

अध्याय 7

कुल आय की भागरूप आय जिन पर कोई आय-कर संदत्त नहीं है

81-85ग. [निरसित ।]

86 .व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की आय में ऐसे संगम या निकाय के सदस्य का अंश ।

86क. [निरसित ।]

अध्याय 8

रिबेट और राहतें

क—आय कर का रिबेट

87 .आय-कर की संगणना करने में अनुज्ञात किया जाने वाला रिबेट ।

87क .कतिपय व्यष्टियों की दशा में आय-कर का रिबेट ।

88 .जीवन-बीमा प्रीमियम ,भविष्य निधि में अभिदाय ,आदि पर रिबेट ।

88क. [निरसित ।]

88ख. [निरसित ।]

88ग. [निरसित ।]

88घ. [निरसित ।]

88ङ प्रतिभूति संव्यहार कर की बाबत रिबेट ।

ख. आय-कर के लिए राहत

89 .उस दशा में राहत ,जिसमें वेतन ,आदि का संदाय बकाया या अग्रिम के रूप में किया जाता है ।

अध्याय 9

दोहरे कराधान से राहत

90 .विदेशों या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से करार ।

90क .केन्द्रीय सरकार द्वारा दोहरी कराधान राहत के लिए विनिर्दिष्ट संगमों के बीच करारों का अंगीकृत किया जाना ।

91 .देश जिनके साथ कोई करार नहीं है ।

धाराएं

अध्याय 10

कर के परिवर्जन के संबंध में विशेष उपबंध

92 .असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से आय की संगणना ।

92क .सहयुक्त उद्यम का अर्थ ।

92ख .अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का अर्थ ।

92खक .विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार का अर्थ ।

92ग .असन्निकट कीमत की संगणना ।

92गक .अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश ।

92गख .सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने की बोर्ड की शक्ति ।

92गग .अग्रिम मूल्यांकन करार ।

92गघ .अग्रमि मूल्यांकन करार का प्रभावी रूप देना ।

92गङ. कतिपय मामलों में द्वितीय समायोजन ।

92घ .अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा जानकारी और दस्तावेज का रखा जाना और बनाए रखना ।

92ङ अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली लेखापाल की रिपोर्ट

92च .असन्निकट कीमत आदि की संगणना से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषाएं ।

93. अनिवासियों को आय के अन्तरण में परिणामित होने वाले संव्यवहारों द्वारा आय-कर का परिवर्जन ।

94. प्रतिभूतियों में कतिपय संव्यवहारों द्वारा कर का परिवर्जन ।

94क .अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित व्यक्तियों से संव्यवहारों के संबंध में विशेष उपाय ।

94ख. कतिपय मामलों में ब्याज कटौती को सीमित करना ।

अध्याय 10क

सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम

95. सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम का लागू होना ।

96. अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव ।

97. ठहराव में वाणिज्यिक सारतत्व का न होना ।

98. अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के परिणाम ।

99. संबद्ध व्यक्ति और अनुकूलक पक्षकार का निरूपण ।

100. इस अध्याय का लागू होना ।

101.मार्गदर्शक सिद्धांतों का विरचित किया जाना ।

102. परिभाषाएं ।

अध्याय 11

अवितरित लाभों पर अतिरिक्त आय-कर

103-109. [निरसित ।]

अध्याय 12

कतिपय विशेष दशाओं में कर का अवधारण

110. जहां कुल आय के अंतर्गत ऐसी आय है जिस पर कोई कर संदेय नहीं है वहां कर का अवधारण ।

धाराएं

111. मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के संचित अतिशेष पर कर ।

111क .कतिपय मामलों में अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर ।

112. दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर ।

112क. [निरसित ।]

113. तलाशी संबंधी मामलों में ब्लाक निर्धारण की दशा में कर ।

114. [निरसित ।]

115. [निरसित ।]

115क .विदेशी कंपनियों की दशा में लाभांश, स्वामिस्व और तकनीक सेवाओं के लिए फीस पर कर ।

115कख .विदेशी मुद्रा के क्रय किए गए यूनिटों या उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर ।

115कग .विदेशी करेंसी में क्रय किए गए बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर ।

115कगक. विदेशी मुद्रा में क्रय की गई सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों या उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर ।

115कघ .विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की प्रतिभूतियों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर ।

115ख .जीवन-बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ पर कर ।

115खक .कतिपय देशी कंपनियों की आय पर कर ।

115खख .लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़ जिसके अंतर्गत घुड़दौड़ भी है, ताश के खेल, अन्य सभी प्रकार के खेल या हर प्रकार या प्रकृति का जुआ या दाव से जीत पर कर ।

115खखक .अनिवासी खिलाड़ियों या खेल-कूद संगमों पर कर ।

115खखख .भारतीय यूनिट ट्रस्ट की खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधि या पारस्परिक निधि के यूनिटों से आय पर कर ।

115खखग .कतिपय मामलों में अनाम संदानों पर कर लगाया जाना ।

115खखघ .विदेशी कंपनियों से प्राप्त कतिपय लाभांशों पर कर ।

115खखघक .देशी कंपनियों से प्राप्त कतिपय लाभांशों पर कर ।

115खखङ .धारा 68 या धारा 69 या धारा 69क या धारा 69ख या धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट आय पर कर ।

115खखच .पेटेंट से आय पर कर

115खखछ. कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय पर कर

अध्याय 12क

अनिवासियों की कुछ आय के संबंध में विशेष उपबंध

115ग. परिभाषाएं ।

115घ. अनिवासियों की कुल आय की संगणना के लिए विशेष उपबंध ।

115ङ. विनिधान आय और दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर कर ।

115च. विदेशी मुद्रा आस्तियों के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का कुछ दशाओं में प्रभारित न होना ।

115छ. कुछ मामलों में आय की विवरणी का फाइल न किया जाना ।

115ज. निर्धारिती के निवासी हो जाने के बाद भी कुछ दशाओं में इस अध्याय के अधीन फायदों का उपलभ्य होना ।

115झ. यदि निर्धारिती चाहे तो अध्याय का लागू न होना ।

धाराएं

अध्याय 12ख

कुछ कंपनियों के संबंध में विशेष उपबंध

115ञ. कुछ कंपनियों के संबंध में विशेष उपबंध।

115ञक. कतिपय कंपनियों से संबंधित समझी गई आय।

115ञकक. कतिपय कंपनियों से संबंधित समझी गई आय पर संदत्त कर की बाबत कर संबंधी मुजरा।

115ञख. कतिपय कंपनियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध।

अध्याय 12खक

कंपनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों के संबंध में विशेष उपबंध

115ञग. कंपनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों द्वारा कर का संदाय करने के लिए विशेष उपबंध।

115ञघ. अनुकल्पी न्यूनतम कर के लिए कर प्रत्यय।

115ञङ. इस अधिनियम के अन्य उपबंधों का लागू होना।

115ञङङ. इस अध्याय का कतिपय व्यक्तियों को लागू होना।

115ञच. इस अध्याय का निर्वचन।

अध्याय 12खख

किसी विदेशी बैंक की भारतीय शाखा का समनुषंगी कंपनी में संपरिवर्तन किए जाने से संबंधित विशेष उपबंध

115ञछ. किसी विदेशी कंपनी की भारतीय शाखा का समनुषंगी भारतीय कंपनी में संपरिवर्तन।

अध्याय 12खग

भारत में निवासी के रूप में कथित विदेशी कंपनी से संबंधित विशेष उपबंध

115ञज. भारत में निवासी के रूप में कथित विदेशी कंपनी।

115ट-115ढ. [निरसित।]

अध्याय 12घ

देशी कंपनियों के वितरित लाभों पर कर से संबंधित विशेष उपबंध

115ण. देशी कंपनियों के वितरित लाभों पर कर।

115त. देशी कंपनियों द्वारा कर का संदाय न किए जाने के लिए संदेय ब्याज।

115थ. कंपनियां व्यतिक्रम करने वाली कब समझी जाती हैं।

अध्याय 12घक

शेयरों को क्रय द्वारा वापस लिए जाने के लिए देशी कंपनी की वितरित आय पर कर से संबंधित विशेष उपबंध

115थक. शेयर धारकों को वितरित आय पर कर।

115थख. कंपनी द्वारा कर का संदाय न किए जाने पर संदेय ब्याज।

115थग. कंपनी को कब व्यतिक्रमी निर्धारिती माना जाएगा।

अध्याय 12ङ

वितरित आय पर कर से संबंधित विशेष उपबंध

115द. यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर।

धाराएं

115ध. कर के असंदाय के लिए संदेय ब्याज ।

115न. भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि का व्यतिक्रमी निर्धारिती होना ।

अध्याय 12ङक

प्रतिभूतिकरण न्यासों द्वारा वितरित आय पर कर से संबंधित विशेष उपबंध

115नक. विनिधानकर्ताओं को वितरित आय पर कर ।

115नख. कर का संदाय न करने के लिए संदेय ब्याज ।

115नग. प्रतिभूतिकरण न्यास का व्यतिक्रमी निर्धारिती होना ।

115नगक. प्रतिभूतिकरण न्यासों से आय पर कर ।

अध्याय 12ङख

कतिपय न्यासों और संस्थाओं की अनुवर्धित आय पर कर से संबंधित विशेष उपबंध

115नघ. अनुवर्धित आय पर कर ।

115नङ. न्यास या संस्था द्वारा कर के असंदाय के लिए संदेय ब्याज ।

115नच. न्यास या संस्था को कब व्यतिक्रमी निर्धारिती माना जाएगा ।

अध्याय 12च

जोखिम पूंजी कंपनियों और जोखिम पूंजी निधियों से प्राप्त आय पर कर से संबंधित विशेष उपबंध

115प. कतिपय मामलों में आय पर कर ।

अध्याय 12चक

कारबार न्यास से संबंधित विशेष उपबंध

115पक. यूनिट धारक और कारबार न्यास की आय पर कर ।

अध्याय 12चख

विनिधान निधियों की आय और ऐसी निधियों से प्राप्त आय पर कर से संबंधित विशेष उपबन्ध

115पख. विनिधान निधि और उसके यूनिट धारकों की आय पर कर ।

अध्याय 12छ

पोत परिवहन कंपनियों की आय से संबंधित विशेष उपबंध

क—प्रयुक्त कतिपय पदों के अर्थ

115फ. परिभाषाएं ।

ख—अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार से टनभार आय की संगणना

115फक. अर्हक पोत प्रचालन के कारबार से लाभों और अभिलाभों की संगणना ।

115फख. पोत प्रचालन ।

115फग. अर्हक कंपनी ।

115फघ. अर्हक पोत ।

115फङ. टनभार कर स्कीम के अधीन आय की संगणना की रीति ।

115फच. टनभार आय ।

115फछ. टनभार आय की संगणना ।

115फज. संयुक्त प्रचालन, आदि की दशा में परिकलन ।

धाराएं

115फझ. सुसंगत पोत परिवहन आय।

115फञ. सामान्य खर्चों का दिया जाना।

115फट. अवक्षयण।

115फठ. कटौती और मुजरा, आदि का साधारण अपवर्जन।

115फड. हानि का अपवर्जन।

115फढ. टनभार कर आस्तियों के अंतरण से प्रभार्य अभिलाभ।

115फण. धारा 115ञख के उपबंधों से अपवर्जन।

ग—टनभार कर स्कीम के विकल्प के लिए प्रक्रिया

115फत. टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प देने की पद्धति और समय।

115फथ. वह अवधि, जिसके लिए टनभार कर विकल्प प्रवृत्त रहेगा।

115फद. टनभार कर स्कीम का नवीकरण।

115फध. कतिपय मामलों में टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का प्रतिषेध।

घ—टनभार कर स्कीम के लागू होने की शर्तें

115फन. टनभार कर आरक्षिति खाते में लाभों का अंतरण।

115फप. टनभार कर कंपनी के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा।

115फफ. टनभार भाड़े पर लेने के लिए परिसीमा।

115फब. लेखाओं का रखा जाना और लेखापरीक्षा।

115फभ. टनभार का अवधारण।

ङ—पोत परिवहन कंपनियों का समामेलन और निर्विलयन

115फम. समामेलन।

115फय. निर्विलयन।

च—प्रकीर्ण

115फयक. अर्हक पोतों के अस्थायी तौर पर प्रचालन में न रहने का प्रभाव।

छ—कतिपय मामलों में इस अध्याय के उपबंधों का लागू न होना

115फयख. कर का परिवर्जन।

115फयग. टनभार कर स्कीम से अपवर्जन।

अध्याय 12ज

सीमांत फायदों पर आय-कर

अ—कतिपय पदों का अर्थ

115ब. परिभाषाएं।

आ—प्रभार का आधार

115बक. सीमांत फायदों कर का प्रभारण।

115बख. सीमांत फायदे।

115बग. सीमांत फायदों का मूल्य।

इ—सीमांत फायदों के संबंध में विवरणी देने के लिए प्रक्रिया और उसके संबंध में कर का निर्धारण तथा संदाय

115बघ. सीमांत फायदों की विवरणी।

धाराएं

115बङ. निर्धारण।

115बच. सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण।

115बछ. निर्धारण से छूट गए सीमांत फायदे।

115बज. जहां सीमांत फायदा निर्धारण से छूट गया है वहां सूचना का जारी किया जाना।

115बझ. सीमांत फायदा कर का संदाय।

115बञ. सीमांत फायदों के संबंध में अग्रिम कर।

115बट. सीमांत फायदों की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज।

115बटक. नियोजक द्वारा कर्मचारी से अनुषंगी फायदा कर की वसूली।

115बटख. कर्मचारी द्वारा कर का समझा गया संदाय।

115बठ. इस अधिनियम के अन्य उपबंधों का लागू होना।

115बड. अध्याय 12ज का कतिपय तारीख के पश्चात् लागू न होना।

अध्याय 13

आय-कर प्राधिकारी

क—नियुक्ति और नियंत्रण

116. आय-कर प्राधिकारी।

117. आय-कर प्राधिकारियों की नियुक्ति।

118. आय-कर प्राधिकारियों का नियंत्रण।

119. अधीनस्थ प्राधिकारियों को अनुदेश।

ख—अधिकारिता

120. आय-कर प्राधिकारियों की अधिकारिता।

121-123. [निरसित।]

124. निर्धारण अधिकारियों की अधिकारिता।

125-126. [निरसित।]

127. मामले अंतरित करने की शक्ति।

128. [निरसित।]

129. किसी पद के धारक की तब्दीली।

130-130क. [निरसित।]

131. प्रकटीकरण, साक्ष्य पेश करने आदि के बारे में शक्ति।

132. तलाशी और अधिग्रहण।

132क. लेखा पुस्तकों आदि की अपेक्षा करने की शक्ति।

132ख. अभिगृहीत या अपेक्षित आस्तियों का उपयोजन।

133. जानकारी मांगने की शक्ति।

133क. सर्वेक्षण की शक्ति।

133ख. कतिपय सूचना एकत्र करने की शक्ति।

133ग. विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा जानकारी मंगाने की शक्ति।

134. कंपनियों के रजिस्टर का निरीक्षण करने की शक्ति।

धाराएं

135. महानिदेशक या निदेशक, मुख्य आयुक्त या आयुक्त तथा उपायुक्त की शक्ति ।

136. आय-कर प्राधिकारियों के समक्ष कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना ।

घ—जानकारी का प्रकटीकरण

137. [निरसित ।]

138. निर्धारिती के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण ।

अध्याय 14

निर्धारण के लिए प्रक्रिया

139. आय की विवरणी ।

139. क स्थायी लेखा संख्यांक ।

139कक. आधार संख्या का उत्कथित किया जाना ।

139ख. कर विवरणी तैयारकर्ता के माध्यम से विवरणियों को प्रस्तुत करने के लिए स्कीम ।

139ग. विवरणी के साथ दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने से अभिमुक्ति देने की बोर्ड की शक्ति ।

139घ. इलैक्ट्रानिक रूप में विवरणी का फाइल किया जाना ।

140. विवरणी किसके द्वारा सत्यापित हो ।

140क. स्वतः निर्धारण ।

141-141क. [निरसित ।]

142. निर्धारण के पूर्व जांच ।

142क. मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा आस्तियों के मूल्य का प्राक्कलन ।

143. निर्धारण ।

144. सर्वोत्तम विवेकवृद्धि के अनुसार निर्धारण करेगा ।

144क. उपायुक्त की कुछ मामलों में निदेश देने की शक्ति ।

144ख. [निरसित ।]

144खक. कतिपय मामलों में आयुक्त को निर्देश ।

144ग. विवाद समाधान पैनल को निर्देश ।

145. लेखा पद्धति ।

145क. कतिपय मामलों में लेखा पद्धति ।

146. [निरसित ।]

147. निर्धारण से छूटी आय ।

148. जहां आय निर्धारण से छूट गई है वहां सूचना का जारी किया जाना ।

149. सूचना के लिए समय की परिसीमा ।

150. ऐसे मामलों के लिए उपबंध जिनमें निर्धारण अपील आदि पर आदेश के अनुसरण में किया गया है ।

151. सूचना जारी किए जाने के लिए मंजूरी ।

152. अन्य उपबंध ।

153. निर्धारण, पुन:निर्धारण और पुन:संगणना को पूरा करने के लिए समय-सीमा ।

153क .तलाशी या अध्यपेक्षा की दशा में निर्धारण ।

153ख .धारा 153क के अधीन निर्धारण पूरा करने के लिए समय-सीमा ।

धाराएं

153ग .किसी अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण ।

153घ. तलाशी या अध्यपेक्षा के मामलों में निर्धारण के लिए पूर्व अनुमोदन का आवश्यक होना ।

154. मूल सुधार ।

155. अन्य संशोधन ।

156. मांग की सूचना ।

157. हानि की प्रज्ञापना ।

158. फर्म के निर्धारण की प्रज्ञापना ।

अध्याय 14क

पुनरावृत्ति अपीलों से बचने के लिए विशेष उपबन्ध

158क. प्रक्रिया जब निर्धारती दावा करेता है कि विधि का समरूप प्रश्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है ।

158कक. प्रक्रिया, जब राजस्व द्वारा की गई किसी अपील में विधि का समरूप प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हो ।

अध्याय 14ख

तलाशी संबंधी मामलों के निर्धारण के लिए विशेष प्रक्रिया

158ख. परिभाषाएं ।

158खक. तलाशी के परिणामस्वरूप अप्रकटित आय का निर्धारण ।

158खख. ब्लाक अवधि की अप्रकटित आय की संगणना ।

158खग. ब्लाक निर्धारण के लिए प्रक्रिया ।

158खघ. किसी अन्य व्यक्ति की अप्रकटित आय ।

158खङ. ब्लाक निर्धारण को पूरा करने की समय सीमा ।

158खच. कतिपय ब्याज और शास्तियों का उद्गृहीत या अधिरोपित न किया जाना ।

158खचक. कतिपय मामलों में ब्याज और शास्ति का उद्ग्रहण ।

158खछ. ब्लाक निर्धारण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ।

158खज. इस अधिनियम के अन्य उपबंधों का लागू होना ।

158खझ. अध्याय का कतिपय तारीख के पश्चात् लागू होना ।

अध्याय 15

विशेष दशाओं में दायित्व

क—विधिक प्रतिनिधि

159. विधिक प्रतिनिधि ।

ख—प्रतिनिधि निर्धारिती-साधारण उपबन्ध

160. प्रतिनिधि निर्धारिती ।

161. प्रतिनिधि निर्धारिती का दायित्व ।

162. संदत्त कर को वसूल करने का प्रतिनिधि निर्धारिती का अधिकार ।

ग—प्रतिनिधि निर्धारिती-विशेष मामले

163. अभिकर्ता के रूप में कौन समझे जाएं ।

164. जहां हिताधिकारियों का अंश अज्ञात हो वहां कर का प्रभारण ।

धाराएं

164क. मौखिक न्यास की दशा में कर का प्रभारण ।

165. मामले जिनमें न्यास की आय का भाग प्रभार्य हो ।

घ—प्रतिनिर्धारिती-प्रकीर्ण उपबन्ध

166. प्रत्यक्ष निर्धारण या वसूली का वर्जित न होना ।

167. प्रतिनिधि निर्धारितियों की दशा में संपत्ति के विरुद्ध उपाय ।

घघ—फर्म, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि-निकाय]

167क. फर्म की दशा में कर का प्रभारण ।

167ख. जहां व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय के सदस्यों के अंश अज्ञात हैं वहां कर का प्रभारण, आदि ।

167ग. समापनाधीन सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों का दायित्व ।

ङ—निष्पादक

168. निष्पादक ।

169. निष्पादक का संदत्त कर को वसूल करने का अधिकार ।

च—कारबार या वृत्ति का उत्तराधिकार

170. मृत्यु पर से अन्यथा कारबार का उत्तराधिकार ।

छ—विभाजन

171. हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का विभाजन के पश्चात् निर्धारण ।

ज—यदाकदा किए जाने वाले पोत परिवहन कारबार से अनिवासियों के लाभ

172. अनिवासियों का पोत परिवहन कारबार ।

झ—अनिवासियों की बाबत कर की वसूली

173. अनिवासी की बाबत कर की उसकी आस्तियों में से वसूली ।

ञ—भारत छोड़ने वाला व्यक्ति

174. भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण ।

ञक—किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए बनाया गया व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति

174क. किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए बनाए गए व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति का निर्धारण ।

ट—अपनी आस्तियों को अन्यसंक्रांत करने की चेष्टा करने वाले व्यक्ति

175. ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण जिनके द्वारा कर से बचने के लिए संपत्ति का अंतरित किया जाना संभाव्य है ।

ठ—कारबार का बन्द कर दिया जाना या विघटन

176. बन्द कर दिया गया कारबार ।

177. विघटित संगम या बन्द कर दिया गया कारबार ।

178. समापनाधीन कंपनी ।

ड—प्राइवेट कंपनियां

179. समापनाधीन प्राइवेट कंपनी के निदेशकों का दायित्व ।

ढ—कुछ प्रकारों की आय के लिए विशेष उपबन्ध

180. साहित्यिक या कलात्मक कृति के लिए स्वामिस्व या प्रतिलिप्याधिकार फीसें ।

धाराएं

180क. व्यवहार ज्ञान के लिए प्रतिफल ।

181. [निरसित ।]

अध्याय 16

फर्मों को लागू विशेष उपबंध

क—फर्मों का निर्धारण

182-183. [निरसित ।]

ख—फर्मों का रजिस्ट्रीकरण

184. फर्मों के रूप में निर्धारण ।

185. जब धारा 184 का अनुपालन नहीं किया जाता है तब निर्धारण ।

ग—गठन में तब्दीलियां, उत्तराधिकार और विघटन

187. फर्म के गठन में तब्दीली ।

188. एक फर्म का दूसरी फर्म द्वारा उत्तराधिकार ।

188क .फर्म द्वारा संदेय कर के लिए भागीदारों का संयुक्त और पृथक् दायित्व ।

189. विघटित फर्म या बन्द किया गया कारबार ।

189क. फर्मों के पूर्व निर्धारणों को लागू उपबंध ।

अध्याय 17

कर का संग्रहण और वूसली

क—साधारण

190. स्रोत पर कटौती और अग्रिम संदाय ।

191. प्रत्यक्ष संदाय ।

ख—स्रोत पर कटौती

192. वेतन ।

192क. किसी कर्मचारी को शोध्य संचयित अतिशेष का संदाय ।

193. प्रतिभूतियों पर ब्याज ।

194. लाभांश ।

194क. "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज ।

194ख. लाटरी या वर्ग पहेली से जीत ।

194खख. घुड़दौड़ से जीत ।

194ग. ठेकेदारों को संदाय ।

194घ. बीमा कमीशन ।

194घक. जीवन बीमा पालिसी के संबंध में संदाय ।

194ङ. अनिवासी खिलाड़ियों का खेलकूद संगमों को संदाय ।

194ङङ. राष्ट्रीय बचत स्कीम, आदि के अधीन निक्षेपों की बाबत संदाय ।

194च. पारस्परिक निधि या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों के पुन:क्रय मद्धे संदाय ।

194छ. लाटरी टिकटों के विक्रय पर कमीशन आदि ।

धाराएं

194ज .कमीशन या दलाली ।

194झ .किराया ।

194झक .कृषि भूमि से भिन्न कतिपय स्थावर संपत्ति के अंतरण पर संदाय ।

194झख. कतिपय व्यष्टियों या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा किराए का संदाय ।

194झग. विनिर्दिष्ट करार के अधीन संदाय ।

194ञ. वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ।

194ट. [निरसित ।]

194ठ. [निरसित ।]

194ठक. कतिपय स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय ।

194ठख. अवसंरचना ऋण निधि से ब्याज के रूप में आय ।

194ठखक. किसी कारबार न्यास की यूनिटों से कतिपय आय ।

194ठखख. विनिधान निधि की यूनिटों के संबंध में आय ।

194ठखग. प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान के संबंध में आय ।

194ठग. भारतीय कंपनी से ब्याज के रूप में आय ।

194ठघ. कतिपय बंधपत्रों और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय ।

195. अन्य राशियां ।

195क. "करहीन" संदेय आय ।

196. सरकार, रिजर्व बैंक या कुछ निगमों को संदेय ब्याज या लाभांश या अन्य राशियां ।

196क. अनिवासियों के यूनिटों की बाबत आय ।

196ख. यूनिटों से आय ।

196ग. भारतीय कंपनी के विदेशी करेंसी बंधपत्रों या शेयरों से आय ।

196घ. प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की आय ।

197. निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र ।

197क. कुछ दशाओं में कटौती का न किया जाना ।

198. कटौती किया गया कर प्राप्त हुई आय है ।

199. कटौती किए गए कर के लिए मुजरा ।

200. कर की कटौती करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य ।

200क. स्रोत पर कर की कटौती के विवरण की प्रक्रिया ।

201. कटौती करने की या संदाय करने की असफलता के परिणाम ।

202. वसूल करने के ढंगों में कटौती का केवल एक ढंग होना ।

203. कटौती किए गए कर के लिए प्रमाणपत्र ।

203क. कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक ।

203कक. कटौती किए गए कर आदि का विवरण दिया जाना ।

204. "संदाय करने के लिए उत्तरदायी" व्यक्ति का अर्थ ।

205. निर्धारिती पर प्रत्यक्ष मांग का वर्जन ।

206. कर की कटौती करने वाले व्यक्तियों द्वारा विहित विवरणी का दिया जाना ।

धाराएं

206क. कर की कटौती के बिना निवासियों को ब्याज के संदाय के संबंध में तिमाही विवरणी का दिया जाना ।

206कक. स्थायी लेखा संख्यांक देने की अपेक्षा ।

206ख. [निरसित ।]

खख—स्रोत पर संग्रहण

206ग. एलकोहाली लिकर, वनोत्पाद आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ ।

206गक. कर-संग्रहण खाता संख्यांक ।

206गख. स्रोत पर संगृहीत कर के विवरणों पर प्रक्रिया ।

206गग. उस व्यक्ति द्वारा, जिससे संग्रह किया गया है, स्थायी खाता संख्यांक दिए जाने की अपेक्षा ।

ग—कर का अग्रिम संदाय

207. अग्रिम कर के संदाय का दायित्व ।

208. अग्रिम कर का संदाय करने के दायित्व की शर्तें ।

209. अग्रिम कर की संगणना ।

209क. [निरसित ।]

210. निर्धारिती द्वारा स्वप्रेरणा से या समुचित निर्धारण अधिकारी के आदेश के अनुसरण में अग्रिम-कर का संदाय ।

211. अग्रिम कर की किस्तें और निश्चित तारीखें ।

212-213. [निरसित ।]

214. सरकार द्वारा संदेय ब्याज ।

215. निर्धारिती द्वारा संदेय ब्याज ।

216. अव-प्राक्कलन आदि की दशा में निर्धारिती द्वारा संदेय ब्याज ।

217. निर्धारिती द्वारा उस दशा में संदेय ब्याज जिसमें कोई प्राक्कलन नहीं किया गया है ।

218. निर्धारिती कब व्यतिक्रमी समझा जाएगा ।

219. अग्रिम कर के लिए मुजरा ।

घ—संग्रहण और वसूली

220. कर कब संदेय होगा और निर्धारिती कब व्यतिक्रमी समझा जाएगा ।

221. कर में व्यतिक्रम होने पर संदेय शास्ति ।

222. कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र ।

223. कर वसूली अधिकारी जिसके द्वारा वसूली की जानी है ।

224. प्रमाणपत्र की विधिमान्यता और उसका रद्द किया जाना या संशोधन ।

225. प्रमाणपत्र के अनुसरण में कार्यवाहियों का रोका जाना और उसका संशोधन या रद्द किया जाना ।

226. वसूली के अन्य ढंग ।

227. राज्य सरकार की मार्फत वसूली ।

228. [निरसित ।]

228क. विदेशों से करार के अनुसरण में कर की वसूली ।

229. शास्तियों, जुर्माने, ब्याज तथा अन्य राशियों की वसूली ।

230. कर समाशोधन प्रमाणपत्र ।

230क. [निरसित ।]

धाराएं

231. [निरसित ।]

232. वाद के द्वारा या अन्य विधि के अधीन वसूली का प्रभावित न होना ।

ङ—अनन्तिम निर्धारण के अधीन संदेय कर

233. [निरसित ।]

234. [निरसित ।]

च—कुछ दशाओं में प्रभार्य ब्याज

234क. आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज ।

234ख. अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज ।

234ग. अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज ।

234घ. अधिक प्रतिदाय पर ब्याज ।

छ—कतिपय दशाओं में फीस का उद्ग्रहण

234ङ. विवरण प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस ।

234च. आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए फीस ।

अध्याय 18

कतिपय दशा में लाभांशों पर कर विषयक राहत

235. [निरसित ।]

236. पहले कर लगे लाभों में से संदत्त लाभांश की बाबत कम्पनी को राहत ।

236क. कतिपय लाभांशों की बाबत कतिपय पूर्व संस्थाओं या निधियों को राहत ।

अध्याय 19

प्रतिदाय

237. प्रतिदाय ।

238. कतिपय विशेष दशाओं में प्रतिदाय का दावा करने के लिए हकदार व्यक्ति ।

239. प्रतिदाय के लिए दावे का प्ररूप और परिसीमा ।

240. अपील आदि पर प्रतिदाय ।

241. [निरसित ।]

241क. कतिपय मामलों में प्रतिदाय को रोके रखना ।

242. निर्धारण के सही होने का प्रश्नगत न किया जाना ।

243. विलम्बित प्रतिदायों पर ब्याज ।

244. जहां किसी दावे का किया जाना आवश्यक नहीं है वहां प्रतिदाय पर ब्याज ।

244क. प्रतिदायों पर ब्याज ।

245. ऐसे कर के प्रति जो संदेय होना बाकी है प्रतिदायों का मुजरा ।

अध्याय 19क

मामलों का समझौता

245क. परिभाषाएं ।

245ख. आय-कर समझौता आयोग ।

245खक. समझौता आयोग की अधिकारिता और शक्तियां ।

धाराएं

245खख. कुछ परिस्थितियों में उपाध्यक्ष का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना।

245खग. एक न्यायपीठ से दूसरे न्यायपीठ को मामले अन्तरित करने की अध्यक्ष की शक्ति।

245खघ. बहुमत द्वारा विनिश्चय का किया जाना।

245ग. मामलों के समझौते के लिए आवेदन।

245घ. धारा 245ग के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया।

245घघ. राजस्व संरक्षण के लिए अनन्तिम कुर्की का आदेश करने की समझौता आयोग की शक्ति।

245ङ. पूरी की गई कार्यवाहियों को पुन :आरम्भ करने की समझौता आयोग की शक्ति।

245च. समझौता आयोग की शक्तियां और प्रकिया।

245छ. रिपोर्टों का निरीक्षण आदि।

245ज. अभियोजन और शास्ति से उन्मुक्ति देने की समझौता आयोग की शक्ति।

245जक. समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का उपशमन।

245जकक .कार्यवाहियों के उपशमन की दशा में संदत्त कर के लिए प्रत्यय।

245झ. समझौता आदेश का निश्चायक होना।

245ञ. समझौता आदेश के अधीन शोध्य राशि की वसूली।

245ट. समझौते के लिए पश्चात्वर्ती आवेदन का वर्जन।

245ठ. समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना।

245ड. [निरसित।]

अध्याय 19ख

अग्रिम विनिर्णय

245ढ. परिभाषाएं।

245ण. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण।

245णक. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें।

245त. रिक्तियों, आदि से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

245थ. अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन।

245द. आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया।

245दद. कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही न किया जाना।

245ध. अग्रिम विनिर्णय का लागू होना।

245न. कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना।

245प. प्राधिकरण की शक्तियां।

245फ. प्राधिकरण की प्रक्रिया।

अध्याय 20

अपीलें और पुनरीक्षण

क—उपायुक्त (अपील) और आयुक्त (अपील) को अपीलें ***

246. अपीलीय आदेश।

246क. आयुक्त अपील के समक्ष अपीलीय आदेश।

धाराएं

247. [निरसित ।]

248. कतिपय मामलों में कर की कटौती करने के दायित्व से इंकार करने वाले व्यक्ति द्वारा अपील ।

249. अपील का प्ररूप और परिसीमा ।

250. अपील में प्रक्रिया ।

251. यथास्थिति उपायुक्त (अपील) और आयुक्त (अपील) की शक्तियां ।

ख—अपील अधिकरण को अपीलें

252. अपील अधिकरण ।

252क. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें ।

253. अपील अधिकरण को अपीलें ।

254. अपील अधिकरण के आदेश ।

255. अपील अधिकरण की प्रक्रिया ।

256. [निरसित ।]

257. कतिपय दशाओं में उच्चतम न्यायालय को मामलों का कथन ।

258. [निरसित ।]

259. [निरसित ।]

260. उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय कर अधिकरण के विनिश्चयों का प्रभाव ।

गग—उच्च न्यायालय को अपील

260क. उच्च न्यायालय को अपील ।

260ख. उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की सुनवाई का कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा किया जाना ।

घ—उच्चतम न्यायालय को अपीलें

261. उच्चतम न्यायालय को अपील ।

262. उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई ।

ङ—आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण

263. राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आदेशों का पुनरीक्षण ।

264. अन्य आदेशों का पुनरीक्षण ।

च—साधारण

265. निर्देश आदि के होते हुए भी कर का संदाय किया जाना ।

266. उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत खर्चों के लिए निष्पादन ।

267. अपील पर निर्धारण का संशोधन ।

268. प्रति के लिए लगे समय का अपवर्जन ।

268क. आय-कर प्राधिकारी द्वारा अपील या निर्देश के लिए आवेदन का फाइल किया जाना ।

269. "उच्च न्यायालय" की परिभाषा ।

अध्याय 20क

कर अपवंचन को रोकने के लिए कुछ अंतरणों की दशाओं में स्थावर सम्पत्ति का अर्जन

269क. परिभाषाएं ।

धाराएं

269कख. कुछ संव्यवहारों का रजिस्ट्रीकरण।

269ख. सक्षम प्राधिकारी।

269ग. स्थावर सम्पत्ति जिसकी बाबत अर्जन की कार्यवाहियां की जा सकती हैं।

269घ. प्रारम्भिक सूचना।

269ङ. आक्षेप।

269च. आक्षेपों की सुनवाई।

269छ. अर्जन के आदेश के विरुद्ध अपील।

269ज. उच्च न्यायालय में अपील।

269झ. केन्द्रीय सरकार में संम्पत्ति का निहित होना।

269ञ. प्रतिकर।

269ट. प्रतिकर का संदाय या निक्षेप।

269ठ. मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा सहायता।

269ड. सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां ।

269ढ. भूल सुधार।

269ण. प्राधिकृत प्रतिनिधि या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा हाजिरी।

269त. स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण की बाबत विवरण का दिया जाना।

269थ. अध्याय का नातेदारों को दिए जाने वाले अन्तरणों को लागू न होना।

269द. उस अध्याय के अधीन अर्जन के लिए दायी संपत्तियों का अन्य विधि के अधीन अर्जन नहीं किया जाना।

269दद. किसी निश्चित तारीख के पश्चात् किए गए स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण को इस अध्याय का लागू न होना।

269ध. अध्याय का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य पर न होना।

अध्याय 20ख

कर अपवंचन को रोकने के लिए कुछ दशाओं में प्रतिग्रहण, संदाय या प्रतिसंदाय के ढंग के बारे में अपेक्षा

269धध. कुछ उधार, निक्षेप और विनिर्दिष्ट राशि लेने या प्रतिग्रहण करने का ढंग।

269धन. संव्यवहार करने का ढंग।

269न. कतिपय उधारों या निक्षेपों के प्रतिसंदाय का ढंग।

269नन. विशेष वाहक बधपत्र, 1991 के प्रतिसंदाय का ढंग।

अध्याय 20ग

अंतरण के कुछ मामलों में स्थावर संपत्ति का केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रय

269प. अध्याय का प्रारंभ।

269पक. परिभाषाएं ।

269पख. समुचित प्राधिकरण।

269पग. स्थावर संपत्ति के अंतरण पर निर्बन्धन।

269पघ. केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थावर संपत्ति के क्रय किए जाने के लिए समुचित प्राधिकरण द्वारा आदेश।

269पङ. केन्द्रीय सरकार में संपत्ति का निहित होना।

269पच. केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थावर संपत्ति के क्रय के लिए प्रतिफल।

धाराएं

269पछ. प्रतिफल का संदाय या निक्षेप ।

269पज. प्रतिफल के संदाय या निक्षेप की असफलता पर संपत्ति का अंतरण में पुन: निहित होना ।

269पझ. समुचित प्राधिकरण की शक्तियां ।

269पञ. भूल सुधार ।

269पट. स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर निर्बन्धन ।

269पठ. स्थावर संपत्ति के अंतरण की बाबत दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण, आदि पर निर्बन्धन ।

269पड. अंतरिती के अंतरण के लिए दावे के विरुद्ध अन्तरक को उन्मुक्ति ।

269पढ. समुचित प्राधिकरण के आदेश का अंतिम और निश्चायक होना ।

269पण. कुछ अंतरणों को अध्याय का लागू न होना ।

269पत. अध्याय का वहां लागू न होना जहां स्थावर संपत्ति का अंतरण निश्चित तारीख के पश्चात् होता है ।

अध्याय 21

अधिरोपणीय शास्तियां

270. [निरसित ।]

270क. आय की कम रिपोर्ट करने और मिथ्या रिपोर्ट करने के लिए शास्ति ।

270कक. शास्ति आदि के अधिरोपण से उन्मुक्ति ।

271. विवरणियां न देना, सूचनाओं का अनुपालन न करना, आय का छिपाना, आदि ।

271क. लेखा पुस्तकें, दस्तावेज, आदि रखने, बनाए रखने या रखे रहने में असफलता ।

271कक. कतिपय संव्यवहारों की बाबत जानकारी और दस्तावेज रखने और बनाए रखने में असफल रहने के लिए शास्ति ।

271ककक. जहां तलाशी आरंभ की गई है, वहां शास्ति ।

271ककख. जहां तलाशी आरंभ की गई है, वहां शास्ति ।

271ककग. कतिपय आय के संबंध में शास्ति ।

271ख. लेखाओं की लेखा परीक्षा कराने में असफलता ।

271खक. धारा 92ङ के अधीन रिपोर्ट देने में असफलता के लिए शास्ति ।

271खख. उपयुक्त पूंजी पुरोधरण में प्रतिश्रुति करने में असफलता ।

271ग. स्रोत पर कर की कटौती करने में असफलता के लिए शास्ति ।

271गक. स्रोत पर कर का संग्रहण करने में असफलता के लिए शास्ति ।

271घ. धारा 269घघ के उपबन्धों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति ।

271घक. धारा 269धन के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति ।

271ङ. धारा 269न के उपबन्धों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति ।

271च. आय-कर की विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति ।

271चक. वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने में असफलता के लिए शास्ति ।

271चकक. वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का गलत विवरण देने के लिए शास्ति ।

271चकख. किसी पात्र विनिधान निधि द्वारा विवरण या जानकारी या दस्तावेज देने में असफल रहने के लिए शास्ति ।

271चख. सीमांत फायदों की विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति ।

271छ. धारा 92घ के अधीन जानकारी या दस्तावेज देने में असफलता के लिए शास्ति ।

धाराएं

271छक. धारा 285क के अधीन जानकारी या दस्तावेज देने में असफलता के लिए शास्ति ।

271छख. धारा 286 के अधीन रिपोर्ट देने में असफलता या गलत रिपोर्ट देने के लिए शास्ति ।

271ज. विवरण आदि प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए शास्ति ।

271झ. धारा 195 के अधीन जानकारी देने में असफलता के लिए या गलत जानकारी देने के लिए शास्ति ।

271ञ. रिपोर्टों या प्रमाणपत्रों में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए शास्ति ।

272. [निरसित ।]

272क. प्रश्नों का उत्तर देने, कथन पर हस्ताक्षर करने, जानकारी, विवरणियां या कथन देने, निरीक्षण अनुज्ञात करने आदि में असफलता के लिए शास्ति ।

272कक. धारा 133ख के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति ।

272ख. धारा 139क के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति ।

272खख. धारा 203क के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति ।

272खखख. धारा 206गक के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति ।

273. अग्रिम कर का मिथ्या प्राक्कलन या उसके संदाय में असफलता ।

273क. कुछ दशाओं में शास्ति आदि के घटाने या अधित्यजन करने की शक्ति ।

273कक. शास्ति से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति ।

273ख. कुछ दशाओं में शास्ति का अधिरोपित न किया जाना ।

274. प्रक्रिया ।

275. शास्ति अधिरोपित करने के लिए परिसीमा का वर्जन ।

अध्याय 22

अपराध और अभियोजन

275क. धारा 132 की उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेश का उल्लंघन ।

275ख. धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iiख) के उपबंधों के अनुपालन में असफलता ।

276. कर की वसूली को विफल करने के लिए सम्पत्ति को हटाना, छिपाना या उसका अंतरण या परिदान करना ।

276क. धारा 178 की उपधारा (1) और (3) के उपबन्धों के अनुपालन में असफलता ।

276कक. [निरसित ।]

276कख. धारा 276पग, धारा 276पङ और धारा 276पठ के उपबन्धों के अनुपालन में असफलता ।

276ख. अध्याय 12घ या अध्याय 17ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के जमाखाते में कर का संदाय करने में असफलता ।

276खख. स्रोत पर संगृहीत कर का संदाय करने में असफलता ।

276ग. जानबूझकर, कर आदि के अपवंचन करने का प्रयास ।

276गग. आय की विवरणी देने में असफल रहना ।

276गगग. तलाशी के मामलों में आय की विवरणी देने में असफल रहना ।

276घ. लेखे और दस्तावेज पेश करने में असफल रहना ।

276घघ. [निरसित ।]

276ङ. [निरसित ।]

277. सत्यापन आदि में मिथ्या कथन ।

277क. लेखा बहियों या दस्तावेज आदि का मिथ्याकरण ।

धाराएं

278. मिथ्या विवरणी आदि का दुष्प्रेरण ।

278क. द्वितीय और पश्चात्वर्ती अपराधों के लिए दण्ड ।

278कक. कुछ दशाओं में दंड अधिरोपित नहीं किया जाना ।

278कख. अभियोजन से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति ।

278ख. कंपनियों का अपराध ।

278ग. हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा अपराध ।

278घ. कुछ मामलों में आस्तियों, लेखा पुस्तकों, आदि के बारे में उपधारणा ।

278ङ. सदोष मनःस्थिति के बारे में उपधारणा ।

279. अभियोजन का मुख्य आयुक्त या आयुक्त की प्रेरणा से होना ।

279क. कुछ अपराधों का असंज्ञेय होना ।

279ख. अभिलेखों या दस्तावेजों में प्रविष्टियों का सबूत ।

280. लोक सेवकों द्वारा विशिष्टियों का प्रकटीकरण ।

280क. विशेष न्यायालय ।

280ख. विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध ।

280ग. अपराधों का समन मामले के रूप में विचारण ।

280घ. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का विशेष न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू होना ।

अध्याय 22क-22ख [निरसित ।]

अध्याय 23

प्रकीर्ण

281. राजस्व के विषय में कपट वंचित करने के लिए अन्तरणों का शून्य होना ।

281क. [निरसित ।]

281ख. कुछ दशाओं में राजस्व के संरक्षण के लिए अन्तिम कुर्की ।

282. साधारणतया सूचना की तामील ।

282क. सूचनाओं और अन्य दस्तावेजों का अधिप्रमाणन ।

282ख. [निरसित ।]

283. सूचना की तामील जब कुटुम्ब विभाजित हो गया है या फर्म आदि विघटित हो गई है ।

284. बन्द कर दिए गए कारबार की दशा में सूचना की तामील ।

285. ऐसे अनिवासी द्वारा, जिसका संपर्क कार्यालय है, विवरण प्रस्तुत किया जाना ।

285क. कतिपय मामलों में भारतीय समुत्थान द्वारा सूचना या दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना ।

285ख. चलचित्र फिल्मों के निर्माताओं द्वारा विवरणियों का दिया जाना ।

285खक. वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने की बाध्यता ।

286. अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

287. कुछ दशाओं में निर्धारितियों संबंधी जानकारी का प्रकाशन ।

287क. कुछ मामलों में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा हाजिरी ।

288. प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिरी ।

धाराएं

288क. आय का पूर्णांकन।

288ख. संदेय रकम और शोध्य प्रतिदाय को पूर्णांकित किया जाना।

289. रसीद दिया जाना।

290. परित्राण।

291. अभियोजन से उन्मुक्ति निविदत्त करने की शक्ति।

292. अपराधों का संज्ञान।

292क. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 का और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लागू न होना।

292ख. कुछ आधारों पर आय की विवरणी, आदि का अविधिमान्य न होना।

292खख. सूचना का कतिपय मामलों में विधिमान्य समझा जाना।

292ग. आस्तियों, लेखाबहियों आदि के बारे में उपधारणा।

292गग. तलाशी या अध्यपेक्षा की दशा में प्राधिकार और निर्धारण।

293. सिविल न्यायालयों में वादों का वर्जन।

293क. खनिज तेलों के पूर्वेक्षण, निष्कर्षण आदि के कारबार में भाग लेने के संबंध में छूट आदि देने की शक्ति।

293ख. अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब के लिए माफी देने की केन्द्रीय सरकार या बोर्ड की शक्ति।

293ग. अनुमोदन वापस लेने की शक्ति।

294. कर के प्रभार के लिए विधायी उपबन्ध के लम्बित रहने तक अधिनियम का प्रभावी रहना।

294क. कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में छूट आदि देने की शक्ति।

295. नियम बनाने की शक्ति।

296. नियमों और कुछ अधिसूचनाओं का संसद् के समक्ष रखा जाना।

297. निरसन और व्यावृत्तियां।

298. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति।

प्रथम अनुसूची

द्वितीय अनुसूची

तृतीय अनुसूची

चतुर्थ अनुसूची

पंचम अनुसूची

षष्ठम् अनुसूची—[निरसित।]

सप्तम अनुसूची

अष्टम अनुसूची

नवम् अनुसूची—[निरसित।]

दशम् अनुसूची—[निरसित।]

ग्यारहवीं अनुसूची

बारहवीं अनुसूची

तेरहवीं अनुसूची

चौदहवीं अनुसूची

आय-कर अधिनियम, 1961

[1][(1961 का अधिनियम संख्यांक 43)]

[13 सितम्बर, 1961]

आय-कर और अधिकर से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम आय-कर अधिनियम, 1961 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, यह 1962 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

[2][(1) "अग्रिम कर" से अध्याय 17ग के उपबन्धों के अनुसार संदेय अग्रिम कर अभिप्रेत है;]

[2][(1क) "कृषि आय" से अभिप्रेत है—

[3][(क) ऐसी भूमि से व्युत्पन्न कोई लगान या आमदनी, जो भारत में स्थित है और कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाती है;]

(ख) कोई ऐसी आय जो ऐसी भूमि से—

(i) कृषि द्वारा, या

(ii) खेतिहर द्वारा या वस्तु रूप में लगान के प्राप्तिकर्ता द्वारा ऐसी प्रक्रिया के करने से जो किसी खेतिहर या वस्तु रूप में लगान के प्राप्तिकर्ता द्वारा उगाई या प्राप्त की गई उपज को बाजार ले जाने योग्य बनाने में उसके द्वारा आमतौर से प्रयोग में लाई जाती है, या

(iii) खेतिहर या वस्तु रूप में लगान के प्राप्तिकर्ता द्वारा उगाई या प्राप्त की गई किसी ऐसी उपज के विक्रय से जिसकी बाबत इस उपखण्ड के पैरा (ii) में वर्णित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया नहीं की गई है, व्युत्पन्न हुई है;

(ग) कोई ऐसी आय जो किसी भूमि के लगान या आमदनी के प्राप्तिकर्ता के स्वामित्व तथा उसके अधिभोग के अथवा किसी भूमि के जिसकी या जिसकी उपज की बाबत उपखंड (ख) के पैरा (ii) और (iii) में वर्णित कोई प्रक्रिया की जाती है, खेतिहर या वस्तु रूप में लगान के प्राप्तिकर्ता के अधिभोग के किसी भवन से व्युत्पन्न हुई है :

[3][परन्तु यह तब जब कि—

(i) वह भवन उस भूमि पर है, या उसके ठीक निकट स्थित है और ऐसा भवन है, जिसकी आवश्यकता लगान या आमदनी के प्राप्तिकर्ता को, या खेतिहर को, या वस्तु रूप में लगान के प्राप्तिकर्ता को उस भूमि से अपने संबंध के कारण निवास-गृह के रूप में अथवा भण्डारगृह या अन्य बाह्य भवन के रूप में है; तथा

(ii) उस भूमि पर या तो भारत में भू-राजस्व निर्धारित है या वह ऐसे स्थानीय रेट के अधीन है जो सरकार के अधिकारियों द्वारा उस रूप में निर्धारित और संगृहीत किया जाता है या जहां भूमि पर ऐसा भू-राजस्व निर्धारित नहीं है या जहां वह ऐसे स्थानीय रेट के अधीन नहीं है वहां वह—

---

[1] इस अधिनियम का विस्तार कराधान विधि (संघ राज्यक्षेत्रों का विस्तार) विनियम, 1963 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-4-1963 से) तथा वि. अ. 1989 की धारा 26 द्वारा (1-4-1990 से) किया गया है ।

[2] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा खण्ड (1) अंत:स्थापित और पहले खण्ड (1) तथा (1क) को खंड (1क) और खण्ड (1ख) के रूप में (1-4-1989 से) पुन: संख्यांकित किया गया है ।

[3] 1970 के कराधान विधि अधिनियम सं० 42 की धारा 2 द्वारा (1-4-1962 से) प्रतिस्थापित ।

(क) किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित नहीं है, जो किसी नगरपालिका (चाहे वह नगरपालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहर क्षेत्र समिति, शहर समिति या अन्य किसी भी नाम से ज्ञात हो) या छावनी बोर्ड की अधिकारिता में समाविष्ट है और जिसकी जनसंख्या [1]*** दस हजार से कम नहीं है; या

[2][(ख) एरियल रूप से मापित ऐसी दूरी के भीतर किसी क्षेत्र में,—

(I) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से दो किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस हजार से अधिक किन्तु एक लाख से अधिक नहीं है; या

(II) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से छह किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु दस लाख से अधिक नहीं है; या

(III) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से आठ किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है ।

[3][**स्पष्टीकरण**—[4][(1)] शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के खंड (14) के उपखंड (iii) की मद (क) या मद (ख) में निर्दिष्ट किसी भूमि के अंतरण से उदभूत होने वाली कोई आय, ऐसी भूमि से व्युत्पन्न आमदनी में सम्मिलित नहीं होगी और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह कभी भी उसमें सम्मिलित नहीं थी ।]

[5][**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उपखंड (क) या उपखंड (ख) के अंतर्गत आने वाले कृषि से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए (जिसके अंतर्गत आवासीय प्रयोजन के लिए या किसी कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए किराए पर देना भी है) किसी भवन या भूमि के उपयोग से उद्भूत उपखंड (ग) में निर्दिष्ट ऐसे किसी भवन या भूमि से व्युत्पन्न आय कृषि-आय नहीं होगी ।]

[6][**स्पष्टीकरण 3**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, नर्सरी में उगाए गए पौधों या पौध से व्युत्पन्न कोई आय कृषि आय समझी जाएगी ।]

[7][**स्पष्टीकरण 4**—उपखंड (ग) के परंतुक के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, "जनसंख्या" से उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार, जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्ववर्ष के प्रथम दिन के पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं, जनसंख्या अभिप्रेत है;]

[8][[9][(1ख)] कम्पनियों के सम्बन्ध में "समामेलन" से अभिप्रेत है एक या अधिक कम्पनियों का किसी अन्य कम्पनी के साथ ऐसी रीति से विलयन, अथवा एक कम्पनी बनाने के लिए दो या अधिक कंपनियों का ऐसी रीति से विलयन (ऐसी कम्पनी या कम्पनियों को जिसका या जिनका ऐसे विलयन किया जाता है उस या उन्हें समामेलक कम्पनी या कम्पनियों के रूप में, और उस कम्पनी को जिसके साथ उसका या उनका विलयन किया जाता है या जो विलयन के फलस्वरूप बनाई जाती है समामेलित कम्पनी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) कि—

(i) समामेलक कम्पनी या कम्पनियों की ऐसी सभी सम्पत्ति जो समामेलन के ठीक पहले उसकी या उनकी थी समामेलन के फलस्वरूप समामेलित कम्पनी की सम्पत्ति हो जाती है;

(ii) समामेलक कम्पनी या कम्पनियों के ऐसे सभी दायित्व जो समामेलन के ठीक पहले उसके या उनके थे समामेलन के फलस्वरूप समामेलित कम्पनी के दायित्व हो जाते हैं;

(iii) ऐसे शेयरधारक जो समामेलक कम्पनी या कम्पनियों में [10][तीन बटा चार] से अन्यून मूल्य के शेयरों को (जो समामेलन के ठीक पहले समामेलित कम्पनी या उसकी समनुषंगी कम्पनी द्वारा या उसके लिए किसी

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 3 द्वारा लोप किया गया ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 3 द्वारा (1-4-1970 से) स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित ।
[4] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 द्वारा (1-4-2001 से) संख्यांकित ।
[5] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 द्वारा (1-4-2001 से) अंत:स्थापित ।
[6] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (1-4-1967 से) अन्त:स्थापित ।
[9] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अ. स. 4 की धारा 3 द्वारा पहले खण्ड (1क) को खण्ड (1ख) के रूप में (1-4-1989 से) पुन:संख्यांकित किया गया है ।
[10] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 3 द्वारा (1-4-2000 से) प्रतिस्थापित ।

नामनिर्देशिती द्वारा उनमें पहले ही धारित शेयरों में भिन्न है) धारण करते हैं समामेलन के फलस्वरूप समामेलित कम्पनी के शेयरधारक हो जाते हैं :

किन्तु यह तब नहीं जबकि ऐसा, एक कम्पनी की सम्पत्ति दूसरी कम्पनी द्वारा ऐसी सम्पत्ति का क्रय करके उस दूसरी कम्पनी द्वारा अर्जित कर लेने के परिणामस्वरूप होता है अथवा प्रथम वर्णित कम्पनी के परिसमापन के पश्चात् उस दूसरी कम्पनी को ऐसी सम्पत्ति के वितरण के परिणामस्वरूप होता है;]

[1][(1ग) "अपर आयुक्त" से धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर अपर आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(1घ) "अपर निदेशक" से धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर अपर निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;]

(2) किसी भी सम्पत्ति के सम्बन्ध में "वार्षिक मूल्य" से उसका ऐसा वार्षिक मूल्य अभिप्रेत है जैसा धारा 23 के अधीन अवधारित किया गया है;

[2]* * * * *

(4) "अपील अधिकरण" से धारा 252 के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(5) "अनुमोदित उपदान निधि" से ऐसी उपदान निधि अभिप्रेत है जो चतुर्थ अनुसूची के भाग ग में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार [@][मुख्य आयुक्त या आयुक्त] द्वारा अनुमोदित की गई है और उसका अनुमोदन कायम है;

(6) "अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि" से किसी अधिवार्षिकी निधि या अधिवार्षिकी निधि का ऐसा कोई भाग अभिप्रेत है जो चतुर्थ अनुसूची के भाग ख में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार [@][मुख्य आयुक्त या आयुक्त] द्वारा अनुमोदित किया गया है और उसका अनुमोदन कायम है;

(7) "निर्धारिती" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा [3][कोई कर] या कोई अन्य धन की राशि इस अधिनियम के अधीन संदेय है और इसके अन्तर्गत—

(क) ऐसा हर व्यक्ति है जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही [4][उसकी आय या उसके सीमांत फायदों] की या किसी अन्य व्यक्ति की ऐसी आय की बाबत जिसके बारे में वह व्यक्ति निर्धारणीय है या ऐसी हानि के जो उसके द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति के द्वारा उठाई गई है या प्रतिदाय की ऐसी रकम की बाबत जो उसकी या ऐसे अन्य व्यक्ति को देय है, निर्धारण के लिए की गई है;

(ख) ऐसा हर व्यक्ति है जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन निर्धारिती समझा जाता है;

(ग) ऐसा हर व्यक्ति है जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती समझा जाता है;

[5][(7क) "निर्धारण अधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा [6][सहायक आयुक्त, या उपायुक्त या सहायक निदेशक या उपनिदेशक] या आय-कर अधिकारी जिसमें धारा 120 की उपधारा (1) या उपधारा (2) अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन जारी किए गए निदेशों या आदेशों के आधार पर सुसंगत अधिकारिता निहित है और ऐसा [7][अपर आयुक्त या] [7][अपर निदेशक या] [6][संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक] जिसे उस धारा की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन इस अधिनियम के अधीन निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए निदिष्ट किया जाता है;]

(8) "निर्धारण" के अन्तर्गत पुनर्निर्धारण भी है;

(9) "निर्धारण वर्ष" से बारह मास की वह कालावधि अभिप्रेत है जो हर वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन प्रारम्भ होती है;

[5][(9क) "सहायक आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन सहायक आय-कर आयुक्त [8][या आय-कर उपायुक्त] नियुक्त किया जाता है;]

[7][(9ख) "सहायक निदेशक" से धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;]

---

[1] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 3 द्वारा (1-6-1994 से) अंत:स्थापित।
[2] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अ. स. 4 की धारा 3 द्वारा (1-4-1988 से) लोप किया गया।
[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए।
[3] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 द्वारा (1-4-1965 से) "आय-कर और अतिकर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[4] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा (1-4-2006 से) प्रतिस्थापित।
[5] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अ. स. 4 की धारा 3 द्वारा (1-4-1988 से) अंत:स्थापित।
[6] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
[7] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित।
[8] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित।

(10) "आय-कर की औसत दर" से ऐसी दर अभिप्रेत है जो कुल आय पर परिकलित आय-कर की रकम को ऐसी कुल आय से विभाजित करके निकाली गई है;

[1][(11) "आस्ति समूह" से, आस्तियों का ऐसा समुच्चय अभिप्रेत है जो आस्तियों के ऐसे वर्ग के अंतर्गत आता है जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं—

(क) मूर्त आस्तियां, जो भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर हैं;

(ख) अमूर्त आस्तियां, जो व्यवहार ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्तियां, विशेषाधिकार या कोई अन्य कारबार या उसी प्रकार के वाणिज्यिक अधिकार हैं,

जिनकी बाबत अवक्षयण की एक-सी प्रतिशतता विहित की गई है;]

(12) "बोर्ड" से [2][केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड] अभिप्रेत है;

[3][(12क) "बही या लेखा पुस्तक" के अंतर्गत खाता, दैनिक बही, रोकड़ बही, लेखा बही और अन्य बही हैं, चाहे वे लिखित रूप में या किसी फ्लापी, डिस्क, टेप में संगृहीत डाटा के प्रिन्ट आउट के रूप में या इलैक्ट्रो-चुम्बकीय डाटा भंडारण युक्ति के किसी अन्य प्ररूप में रखी जाएं;]

(13) "कारबार" के अन्तर्गत कोई व्यापार; वाणिज्य या विनिर्माण अथवा कोई ऐसा प्रोद्यम या समुत्थान भी है जो व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण की प्रकृति का है;

[4][(13क) "कारबार न्यास" से निम्नलिखित के रूप में रजिस्ट्रीकृत न्यास अभिप्रेत है,—

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन कोई अवसंरचना विनिधान न्यास; या

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भू-सम्पदा विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन कोई भू-संपदा विनिधान न्यास; और

जिसकी इकाइयों का पूर्वोक्त विनियमों के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना अपेक्षित है;]

(14) [5][""पूंजी आस्ति" से—

(क) किसी प्रकार की ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है, जो निर्धारिती द्वारा धारित है, चाहे वह उसके कारबार या वृत्ति से संबंधित हो या न हो;

(ख) ऐसी प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं, जो ऐसे किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा धारित हैं और जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधान किया है,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :—

(i) उसके कारबार या वृति के प्रयोजनों के लिए धारित [उपखंड (ख) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न] कोई व्यापार स्टाक;]

[6][(ii) वैयक्तिक चीजबस्त, अर्थात् ऐसी जंगम संपत्ति (जिसके अंतर्गत पहनने के कपड़े और फर्नीचर हैं), जो निर्धारिती या उस पर आश्रित उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा वैयक्तिक उपयोग के लिए धारित है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(क) आभूषण;

(ख) पुरातत्त्वीय संकलन;

(ग) रेखाचित्र;

---

[1] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1963 के केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अ. स. 54 की धारा 5 द्वारा (1-1-1964 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 2007 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) रंगचित्र;

(ङ) मूर्तियां; या

(च) कोई अन्य कलाकृति ।

[1][**स्पष्टीकरण 1**—] इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "आभूषण" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

(क) सोना, चांदी, प्लेटिनम या किसी अन्य बहुमूल्य धातु या ऐसी एक या अधिक बहुमूल्य धातुओं को अंतर्विष्ट करने वाली मिश्रातु से बने आभूषण, चाहे उनमें रत्न या उपरत्न हों या नहीं और चाहे किसी पहनने के कपड़ों में लगाए गए हों या सिले गए हों या नहीं;

(ख) रत्न या उपरत्न, चाहे किसी फर्नीचर, बर्तन या अन्य वस्तु में जड़े गए हों या नहीं या किसी पहनने के कपड़ों में लगाए गए हों या सिले गए हों या नहीं ।]

[2][**स्पष्टीकरण 2**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए—

(क) "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 115कघ के स्पष्टीकरण के खंड (क) में उसका है;

(ख) "प्रतिभूतियां" पद का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है;]

[3][(iii) भारत में कृषि भूमि, जो निम्नलिखित में स्थित भूमि नहीं हैं :—

(क) कोई क्षेत्र जो किसी नगरपालिका (चाहे वह नगरपालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, नगर समिति या किसी भी अन्य नाम से ज्ञात हो) या छावनी बोर्ड की अधिकारिता में समाविष्ट हो और जिसकी जनसंख्या [4]*** दस हजार से कम न हो, अथवा

[5][(ख) एरियल रूप से मापित ऐसी दूरी के भीतर किसी क्षेत्र में,—

(I) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से दो किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस हजार से अधिक किन्तु एक लाख से अधिक नहीं है; या

(II) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से छह किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु दस लाख से अधिक नहीं है; या

(III) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से आठ किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "जनसंख्या" से उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार, जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्ववर्ष के प्रथम दिन के पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं, जनसंख्या अभिप्रेत है;]

[6][(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए $6^1/_2$ प्रतिशत वाले स्वर्ण बांड, 1977 [7][या 7 प्रतिशत वाले स्वर्ण बांड, 1980] [8][या राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980];

[9][(v) विशेष वाहक बन्धपत्र, 1981 जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए हैं;]

[10][(vi) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण निक्षेप स्कीम, 1999 [11][या स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम, 2015 के अधीन जारी विशेष प्रमाणपत्र] के अधीन जारी किए गए स्वर्ण निक्षेप बंधपत्र ।]

---

[1] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 3 द्वारा पुन:संख्यांकित ।
[2] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 3 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[3] 1970 के अधिनियम सं० 19 की धारा 3 द्वारा (1-4-1970 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 3 द्वारा लोप किया गया ।
[5] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 1962 के कराधान विधि (संशोधन) अ. सं० 4 की धारा 2 द्वारा (13-12-1962 से) अंत:स्थापित ।
[7] 1965 के अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा (1-4-1965 से) अंत:स्थापित ।
[8] 1965 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 41 की धारा 2 द्वारा (4-12-1965 से) अंत:स्थापित ।
[9] 1981 के विशेष वाहक बंधपत्र अ. सं० 7 की धारा 5 द्वारा (12-1-1981 से) अंत:स्थापित ।
[10] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 3 द्वारा (1-4-2000 से) अंत:स्थापित ।
[11] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "संपत्ति" के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी में या उसके संबंध में कोई अधिकार, जिनके अंतर्गत प्रबंध या नियंत्रण के अधिकार या किसी भी प्रकार के कोई अन्य अधिकार सम्मिलित हैं और सदैव से सम्मिलित किए गए समझे जाएंगे;]

[2][(15) "पूर्त प्रयोजन" के अंतर्गत गरीबों की सहायता, शिक्षा, [3][योग], चिकित्सा सहायता, [4][पर्यावरण संरक्षण (जिसके अंतर्गत जलाशय, वन और वन्यजीव भी हैं) और कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्मारक या स्थान का संरक्षण] और किसी सामान्य लोक उपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना भी है :

[5][परन्तु किसी ऐसे अन्य सामान्य लोक उपयोगी उद्देश्य को अग्रसर किया जाना, यदि उसमें किसी उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप किया जाना अंतर्वलित है, भले ही ऐसे क्रियाकलाप से आय के उपयोग या उपयोजन या प्रतिधारण की प्रकृति कुछ भी हो, तब तक पूर्त प्रयोजन नहीं होगा जब तक कि—

(i) ऐसे क्रियाकलाप को किसी अन्य सामान्य लोक उपयोगी उद्देश्य के ऐसे अग्रसरण के वस्तुत: किए जाने के अनुक्रम में हाथ में नहीं लिया गया है; और

(ii) ऐसे क्रियाकलाप या क्रियाकलापों से सकल प्राप्तियां, पूर्ववर्ष के दौरान, उस न्यास या संस्था की, जो ऐसा क्रियाकलाप या ऐसे क्रियाकलापों को हाथ में ले रही है, उस पूर्ववर्ष की कुल प्राप्तियों के बीस प्रतिशत से अनधिक नहीं है;]

[6][(15क) "मुख्य आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर मुख्य आयुक्त या आय-कर प्रधान मुख्य आयुक्त नियुक्त किया जाता है;]

[7][[8][(15ख)] किसी व्यष्टि के संबंध में "सन्तान" के अन्तर्गत उस व्यष्टि की सौतेली संतान और दत्तक संतान भी है;]

[9][(16) "आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक या आय-कर प्रधान आयुक्त या आय-कर प्रधान निदेशक नियुक्त किया जाता है;]

[10][(16क) "आयुक्त (अपील)" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर आयुक्त (अपील) नियुक्त किया गया है;]

[11][(17) "कम्पनी" से अभिप्रेत है—

(i) कोई भारतीय कम्पनी, या

(ii) कोई निगमित निकाय, जो भारत के बाहर किसी देश की विधि के द्वारा या अधीन निगमित है, या

(iii) कोई संस्था, संगम या निकाय जो भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए कम्पनी के रूप में निर्धारणीय है या था या निर्धारित किया गया था या जो 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को या उससे पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन कम्पनी के रूप में निर्धारणीय है या था निर्धारित किया गया था, या

(iv) कोई संस्था, संगम या निकाय चाहे निगमित हो या न हो और चाहे भारतीय हो या अभारतीय हो, जो बोर्ड के साधारण या विशेष आदेश द्वारा कम्पनी घोषित किया गया है :

परन्तु ऐसी संस्था, संगम या निकाय उसी निर्धारण वर्ष या उन्हीं निर्धारण वर्षों के लिए हो (चाहे 1977 के अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके पूर्व या पश्चात् प्रारम्भ हो) कम्पनी समझा जाएगा जो घोषणा में विनिर्दिष्ट किए जाएं;]

(18) "कम्पनी जिसमें जनता प्रर्याप्त रूप से हितबद्ध है" किसी कम्पनी को "कम्पनी जिसमें जनता प्रर्याप्त रूप से हितबद्ध है" तब कहा जाता है जबकि—

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 1975 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 2 द्वारा (1-4-1976 से) अंत:स्थापित ।
[8] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा खण्ड (15क) को खण्ड (15ख) के रूप में (1-4-1988 से) पुन:संख्यांकित ।
[9] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[10] 1977 के अधिनियम सं० (सं० 2) 29 और पांचवी अनुसूची व धारा 39 द्वारा (10-7-1978 से) अंत:स्थापित ।
[11] 1971 के अधिनियम सं० (सं० 2) 32 की धारा 3 द्वारा (1-4-1971 से) प्रतिस्थापित ।

[1][(क) वह ऐसी कम्पनी है जो सरकार के या भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व में है या जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्यून शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या उस बैंक के स्वामित्व के किसी निगम द्वारा (चाहे अकेले या साथ मिलकर) धारित है, या]

[2][(कक) वह ऐसी कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, या]

(कख) वह ऐसी कम्पनी है जिसकी कोई शेयर पूंजी नहीं है, और यदि, उसके उद्देश्य, उसकी सदस्यता की प्रकृति तथा गठन और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड के आदेश द्वारा वह ऐसी कम्पनी घोषित की जाती है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है :

परन्तु ऐसी कम्पनी उसी निर्धारण वर्ष या उन्हीं निर्धारण वर्षों के लिए ही (चाहे 1971 के अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके पूर्व या पश्चात् प्रारम्भ हो) ऐसी कम्पनी समझी जाएगी जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, जो घोषणा में विनिर्दिष्ट किए जाएं; या

[3][(कग) वह पारस्परिक फायदा वित्त कम्पनी है; अर्थात् वह ऐसी कम्पनी है जो अपने प्रधान कारबार के रूप में अपने सदस्यों से निक्षेप स्वीकार करती है और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620क के अधीन निधि या पारस्परिक फायदा सोसाइटी घोषित की गई है; या]

[4][(कघ) वह ऐसी कम्पनी है जिसमें ऐसे शेयर जो (लाभांश की नियत दर के हकदार शेयर न होते हुए, चाहे वे लाभों में भाग लेने के अतिरिक्त अधिकार के सहित हों या उससे रहित) पचास प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति रखने वाले हैं, एक या अधिक सहकारी सोसाइटियों को, बिना शर्त आबंटित किए गए हैं, अथवा उनके द्वारा बिना शर्त अर्जित किए गए हैं तथा सुसंगत पूर्ववर्ष भर उनके द्वारा फायदाप्रद रूप से धारित थे;]

[5][(ख) वह ऐसी कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित प्राइवेट कम्पनी नहीं है, और या तो मद (क) में या मद (ख) में विनिर्दिष्ट शर्त पूरी हो जाती है, अर्थात्—

(अ) उस कम्पनी के ऐसे शेयर जो (लाभांश की नियत दर के हकदार शेयर न होते हुए, चाहे वे लाभों में भाग लेने के अतिरिक्त अधिकार के सहित या उससे रहित हो) सुसंगत पूर्व वर्ष के अन्तिम दिन भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टाक-एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) तथा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीगत थे;

(आ) उस कम्पनी के ऐसे शेयर जो (लाभांश की नियत दर के हकदार शेयर न होते हुए, चाहे वे लाभों में भाग लेने के अतिरिक्त अधिकार के सहित या उससे रहित हो) पचास प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति रखने वाले हैं—

(क) सरकार को, या

(ख) ऐसे निगम को, जो किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, या

(ग) किसी ऐसी कम्पनी को, जिसको यह खण्ड लागू होता है, या ऐसी कम्पनी की किसी ऐसी समनुषंगी कम्पनी को [6][यदि ऐसी समनुषंगी कम्पनी की सम्पूर्ण शेयर पूंजी पूर्व वर्ष भर मूल कम्पनी या उसके नामनिर्देशितियों द्वारा धारित रही है],

बिना शर्त आबंटित किए गए हैं अथवा उसके द्वारा बिना शर्त अर्जित किए गए हैं तथा सुसंगत पूर्व वर्ष भर उसके द्वारा फायदाप्रद रूप से धारित थे ।

स्पष्टीकरण—किसी ऐसी भारतीय कम्पनी को जिसका कारबार मुख्यत: पोत सन्निर्माण अथवा माल का विनिर्माण या प्रसंस्करण अथवा खनन अथवा विद्युत या किसी अन्य प्रकार की शक्ति का उत्पादन या वितरण है, लागू होने में मद (आ) ऐसे प्रभावी होगी मानो "पचास प्रतिशत से अन्यून" शब्दों के स्थान पर "चालीस प्रतिशत से अन्यून" शब्द रखे गए हों;]

---

[1] 1964 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा (1-4-1964 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 1971 के अधिनियम सं० 32 की धारा 3 द्वारा (1-4-1971 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 3 द्वारा (1-4-1984 से) अंत:स्थापित ।
[4] 1992 के वित्त अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा (1-4-1993 से) अंत:स्थापित ।
[5] 1969 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा (1-4-1970 से) प्रतिस्थापित ।
[6] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 74 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(19) "सहकारी सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के अधीन या सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;

[1][(19क) "उपायुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर उपायुक्त [2]*** नियुक्त किया जाता है;

[3][(19कक) कंपनियों के संबंध में, "निर्विलयन" से अभिप्रेत है, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391 से धारा 394 के अधीन किसी ठहराव की स्कीम के अनुसरण में किसी निर्विलीन कंपनी द्वारा अपने एक या अधिक उपक्रमों का किसी परिणामी कंपनी को ऐसी रीति से अंतरण कि—

(i) उपक्रम की सभी संपत्ति जो निर्विलयन से ठीक पहले निर्विलीन कंपनी द्वारा अंतरित की जा रही है, निर्विलयन के फलस्वरूप परिणामी कंपनी की संपत्ति हो जाए;

(ii) उपक्रम से संबंधित सभी दायित्व जो निर्विलयन से ठीक पहले निर्विलीन कंपनी द्वारा अंतरित किए जा रहे हैं, निर्विलयन के फलस्वरूप परिणामी कंपनी के दायित्व हो जाएं;

(iii) उपक्रम और उपक्रमों की संपत्ति और दायित्व जो निर्विलीन कंपनी द्वारा अंतरित किए जा रहे हैं, निर्विलयन के ठीक पहले उसकी बहियों में दिए गए मूल्य पर अंतरित किए जाएं;

(iv) निर्विलयन के फलस्वरूप परिणामी कंपनी अपने शेयर निर्विलीन कंपनी के शेयरधारकों को [4][उस दशा के सिवाय, जहां परिणामी कंपनी स्वयं निर्विलीन कंपनी की एक शेयर धारक है, आनुपातिक आधार पर] पुरोधृत करे;

(v) ऐसे शेयरधारक जो निर्विलीन कंपनी में तीन बटा चार से अन्यून मूल्य के शेयरों को (जो निर्विलयन के ठीक पहले परिणामी कंपनी या उसकी समनुषंगी कंपनी या उसके लिए नामनिर्देशिती द्वारा उनमें पहले ही धारित शेयरों से भिन्न हैं) धारित करते हैं, निर्विलयन के फलस्वरूप परिणामी कंपनी या कंपनियों के शेयरधारक बन जाएं,

किन्तु यह तब नहीं जब कि ऐसा, निर्विलीन कंपनी या उसके किसी उपक्रम की संपत्ति या आस्ति या परिणामी कंपनी द्वारा अर्जित कर लेने के परिणामस्वरूप होता है;

(vi) उपक्रम का अंतरण अस्थायी आधार पर है;

(vii) निर्विलयन, केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 72क की उपधारा (5) के अधीन इस निमित्त अधिसूचित की गई शर्तों, यदि कोई हों, के अनुसार किया गया है।

स्पष्टीकरण 1—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, "उपक्रम" के अंतर्गत, किसी उपक्रम का भाग या उपक्रम का कोई एकक या प्रभाग या किसी समग्र कारबार का क्रियाकलाप होगा किंतु इसके अंतर्गत उसकी व्यष्टिक आस्तियां या दायित्व या उसका कोई समुच्चय नहीं होगा जिनसे कारबार के क्रियाकलाप का गठन नहीं होता है।

स्पष्टीकरण 2—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट दायित्व के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे :—

(क) उपक्रम के क्रियाकलापों या संक्रियाओं से उद्भूत दायित्व;

(ख) उपक्रम के क्रियाकलापों या संक्रियाओं के लिए एकमात्र रूप से लिए गए, उपगत किए गए और उपयोग में लाए गए विनिर्दिष्ट ऋण या उधार (जिसके अंतर्गत डिबेंचर भी है);

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न दशाओं में, निर्विलीन कंपनी के ऐसे साधारण या बहुउद्देशीय उधार यदि कोई हो,

की उतनी रकम, जो उसी अनुपात में है, जो किसी निर्विलयन में अंतरित आस्तियों के मूल्य का निर्विलयन के ठीक पहले ऐसी निर्विलीन कंपनी की आस्तियों से संबंधित है।

स्पष्टीकरण 3—खंड (iii) में निर्दिष्ट संपत्ति के मूल्य के अवधारण के लिए, उनके पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप आस्तियों के मूल्य में किए गए किसी परिवर्तन की अनदेखी की जाएगी।

स्पष्टीकरण 4—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित किसी प्राधिकरण या निकाय, अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या पब्लिक सेक्टर कंपनी का, यथास्थिति, पृथक्

---

[1] 1988 के अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित।
[2] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया।
[3] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित।
[4] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्राधिकरणों, निकायों, या स्थानीय प्राधिकारियों में विभाजन या पुनर्संरचना को निर्विलयन समझा जाएगा यदि ऐसा विभाजन या पुनर्संरचना [1][ऐसी शर्तों को पूरा करती है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित की जाएं];

[2]**[स्पष्टीकरण 5**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसी कंपनी की, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसके शयरों का पृथक् कंपनियों में अंतरण के परिमाणस्वरूप पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही है, पुनर्संरचना या विभाजन को निर्विलयन समझा जाएगा, यदि ऐसी पुनर्संरचना या विभाजन शेयरों के उक्त अंतरण से संलग्न किसी शर्त को प्रभावी करने के लिए किया गया है और वह ऐसी अन्य शर्तों को भी पूरा करता है जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएं ।]

(19कक) "निर्विलीन कंपनी" से ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है जिसका उपक्रम किसी निर्विलयन के अनुसरण में किसी पारिणामिक कंपनी को अंतरित कर दिया जाता है;]

(19ख) "उपायुक्त (अपील)" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर उपायुक्त (अपील) [3][या आय-कर अपर आयुक्त (अपील)] नियुक्त किया जाता है;

[2][(19ग) "उपनिदेशक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर उपनिदेशक [4]*** नियुक्त किया गया है;]

(20) कम्पनी के सम्बन्ध में "निदेशक", "प्रबन्धक" और "प्रबन्ध अभिकर्ता" के वे अर्थ हैं जो उन्हें कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में क्रमश: दिए गए हैं;

[5][(21) "महानिदेशक या निदेशक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, आय-कर महानिदेशक या आय-कर प्रधान महानिदेशक या आय-कर निदेशक या आय-कर प्रधान निदेशक नियुक्त किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जो उस उपधारा के अधीन आय-कर अपर निदेशक या आय-कर संयुक्त निदेशक या आय-कर सहायक निदेशक या आय-कर उप निदेशक नियुक्त किया जाता है;]

(22) "लाभांश" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है—

(क) किसी कम्पनी द्वारा संचित लाभों का, चाहे वे पंजीकृत हों या न हों, कोई वितरण, यदि कम्पनी द्वारा किए गए वितरण का फल उसके शेयर धारकों के लिए कम्पनी की सभी आस्तियों या उनके किसी भाग का विमोचन होता है;

(ख) किसी कम्पनी द्वारा अपने शेयर धारकों को डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक अथवा किसी भी रूप में निक्षेप-प्रमाणपत्रों का, चाहे ब्याज के सहित या उससे रहित कोई वितरण और अपने अधिमान शेयर धारकों को बोनस के रूप में शेयरों का वितरण उस परिणाम तक जिस तक की कम्पनी के पास संचित लाभ है, चाहे वे पंजीकृत हों या न हों;

(ग) किसी कम्पनी ने अपने समापन पर अपने शेयर धारकों को कोई वितरण उस परिणाम तक जिस तक कि वह वितरण कम्पनी के अपने समापन के ठीक पहले उसके संचित लाभों के फलस्वरूप होता है, चाहे वे पंजीकृत हों या न हों;

(घ) किसी कम्पनी द्वारा अपनी पूंजी घटाने पर अपने शेयर धारकों को कोई वितरण उस परिणाम तक जिस तक की कम्पनी के पास ऐसे संचित लाभ हैं, जो ऐसे पूर्व वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् जो 1933 के अप्रैल के प्रथम दिन के ठीक पूर्व समाप्त होता है, उद्भूत हुए हैं, चाहे ऐसे संचित लाभ पूंजीकृत हों या न हों;

(ङ) किसी कम्पनी द्वारा, जो ऐसी कम्पनी नहीं है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, [6][किसी ऐसे शेयर धारक को, जो ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे शेयरों का (जो लाभों में भाग लेने के अधिकार सहित या उससे रहित लाभांश की नियत दर के हकदार शेयर नहीं हैं हिताधिकारी स्वामी है जो दस प्रतिशत से अन्यून मतदान की शक्ति धारण करने वाला है अथवा किसी समुत्थान को जिसमें ऐसा शेयर धारक सदस्य या भागीदार है और जिसमें वह पर्याप्त रूप से हितबद्ध है (जिसे इस खंड में इसके पश्चात्, उक्त समुत्थान कहा गया है) अग्रिम या उधार के तौर पर किसी राशि का (चाहे वह कम्पनी की आस्तियों के किसी भाग के रूप में है अन्यथा नहीं) उस परिणाम तक 31 मई, 1987 के पश्चात् किया गया कोई संदाय] अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा किसी ऐसे शेयर धारक की ओर से या इसके व्यक्तिगत फायदे के लिए दोनों में से किसी भी दशा में उस परिणाम तक कोई संदाय जिस तक कि कम्पनी के पास संचित लाभ है :

किन्तु लाभांश के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है—

(i) पूरे नकद प्रतिफल के लिए जारी किए गए किसी शेयर की बाबत उपखण्ड (ग) या उपखण्ड (घ) के अनुसार किया गया वितरण, जहां उस शेयर का धारक समापन की दशा में अधिशेष आस्तियों में भाग लेने का हकदार नहीं है;

---

[1] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 द्वारा (1-4-2001 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 47 की धारा 2 द्वारा (1-4-2017 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 3 द्वारा (1-6-1994 से) अंत:स्थापित ।
[4] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा (1-10-1998 से) लोप किया गया ।
[5] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा (1-4-1988 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][(iक) उपखण्ड (ग) या उपखण्ड (घ) के अनुसार किया गया वितरण जहां तक ऐसा वितरण कम्पनी के ऐसे पूंजीकृत लाभों से हुआ माना जा सकता है जो 1964 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् [2][और 1965 की अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व] उसके साधारण शेयर धारकों को आबंटित बोनस शेयरों के रूप में है;]

(ii) अपने कारबार के साधारण अनुक्रम में कम्पनी द्वारा किसी शेयर धारक [3][या उक्त समुत्थान] को दिया गया कोई अग्रिम या उधार, जहां धन उधार देना उस कम्पनी के कारबार का पर्याप्त भाग है;

(iii) कम्पनी द्वारा संदत्त कोई ऐसा लाभांश जिसको उसके द्वारा पहले ही संदत्त किसी सम्पूर्ण राशि या उसके भाग के प्रति कम्पनी द्वारा मुजरा किया गया है और जो उपखण्ड (ङ) के अर्थ में लाभांश के रूप में उस परिणाम तक माना गया है जिस तक उसको इस प्रकार मुजरा किया गया है;

[4][(iv) किसी कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77क के उपबंधों के अनुसार किसी शेयर धारक से अपने ही शेयरों के क्रय पर किया गया कोई संदाय;

(v) परिणामी कंपनी द्वारा निर्विलीन कंपनी के शेयर धारकों को किसी निर्विलीन के अनुसरण में शेयरों का कोई वितरण (चाहे निर्विलीन कंपनी में पूंजी की कमी हो अथवा नहीं)।]

स्पष्टीकरण 1—इस खण्ड में जहां कहीं भी "संचित लाभ" पद आता है वहां उसके अन्तर्गत ऐसे पूंजी अभिलाभ नहीं होंगे जो 1946 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व या 1948 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् और 1956 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व उद्भूत हो।

स्पष्टीकरण 2—उपखण्ड (क), (ख), (घ) और (ङ) में आए "संचित लाभ" पद के अन्तर्गत उन उपखण्डों में निर्दिष्ट वितरण या संदाय की तारीख तक के कम्पनी के सभी लाभ होंगे और उपखण्ड (ग) में आए "संचित लाभ" पद के अन्तर्गत समापन की तारीख तक के कम्पनी के सभी लाभ होंगे [5][किन्तु जहां समापन सरकार द्वारा या सरकार के स्वामित्व के या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसके उपक्रम के अनिवार्य अर्जन के परिणामस्वरूप हुआ है, वहां इसके अन्तर्गत कम्पनी के ऐसे लाभ नहीं होंगे जो ऐसे पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसा अर्जन हुआ था, ठीक पहले के तीन क्रमवर्ती पूर्ववर्षों के पहले हुए हों।]

[6][**स्पष्टीकरण 3**—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए—

(क) "समुत्थान" से अभिप्रेत है कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय या कम्पनी;

(ख) किसी व्यक्ति को, किसी समुत्थान में, जो किसी कम्पनी से भिन्न है, पर्याप्त रूप से हितबद्ध तब समझा जाएगा जब वह, पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय ऐसे समुत्थान की आय के बीस प्रतिशत से अन्यून का फायदा पाने का हकदार है;]

[7][(22क) "देशी कम्पनी" से कोई ऐसी भारतीय कम्पनी या कोई अन्य ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है जिसने, इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसे विहित इंतजाम कर लिए हैं कि ऐसी आय में से संदेय लाभांशों की (जिनके अन्तर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश है) घोषणा और उनका संदाय भारत में किया जाए;

[8][(22कक) "दस्तावेज" के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में यथापरिभाषित इलैक्ट्रानिक अभिलेख है;]

[9][(22ककक) "निर्वाचन न्यास" से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई स्कीम के अनुसार बोर्ड द्वारा उस रूप में अनुमोदित न्यास अभिप्रेत है;]

[10][[11][(22ख)] पूंजी आस्ति के सम्बन्ध में, "उचित बाजार मूल्य" से अभिप्रेत है—

(i) ऐसी कीमत जो खुले बाजार में सुसंगत तारीख को पूंजी आस्ति के विक्रय करने पर मामूली तौर पर प्राप्त हो; और

---

[1] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 द्वारा (1-4-1965 से) अंत:स्थापित।
[2] 1966 के अधिनियम सं० 13 की धारा 4 द्वारा (1-4-1966 से) अंत:स्थापित।
[3] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा (1-4-1988 से) अंत:स्थापित।
[4] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 3 द्वारा (1-4-2000 से) अंत:स्थापित।
[5] 1964 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंत:स्थापित।
[6] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा (1-4-1988 से) अंत:स्थापित।
[7] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित।
[8] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा (1-6-2001 से) अंत:स्थापित।
[9] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित।
[10] 1964 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा (1-4-1964 से) अंत:स्थापित।
[11] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा (1-4-1989 से) पुन:संख्यांकित।

(ii) जहां उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट कीमत अभिनिश्चेय न हो, वहां ऐसी कीमत जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित की जाए;]

[1][(23) (i) "फर्म" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में है और इसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) में यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी भी होगी;

(ii) "भागीदार" का वही अर्थ होगा जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में है और इसके अंतर्गत,—

(क) ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे अवयस्क होते हुए भागीदारी के फायदों के लिए सम्मिलित किया गया है; और

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) में यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार भी होगा;

(iii) "भागीदारी" का वही अर्थ होगा जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में है और इसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) में यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी भी होगी;]

[2][(23क) "विदेशी कम्पनी" से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है जो देशी कम्पनी नहीं है;]

[3][(23ख) "सीमान्त फायदों" से धारा 115बख में निर्दिष्ट सीमांत फायदे अभिप्रेत हैं;]

[4][(23ग) "सुनवाई" में इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से आंकड़ों और दस्तावेजों की संसूचना सम्मिलित है;]

(24) "आय" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :

(i) लाभ और अभिलाभ,

(ii) लाभांश,

[5][(iiक) पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए पूर्णत: या भागत: सर्जित किसी न्यास द्वारा या ऐसे प्रयोजनों के लिए पूर्णत: या भागत: स्थापित किसी संस्था [6][या धारा 10 के खण्ड (21) या खण्ड (23) में निर्दिष्ट संगम या संस्था द्वारा या खण्ड (23ग) के उपखण्ड (iv) या उपखण्ड (v) में निर्दिष्ट किसी निधि या [न्यास या संस्था द्वारा [7][या उपखंड (iiiकघ) या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था द्वारा या उपखंड (iiiकङ) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य संस्था द्वारा [8][या किसी निर्वाचन न्यास द्वारा] प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय ।]

स्पष्टीकरण—इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए "न्यास" के अन्तर्गत कोई अन्य विधिक बाध्यता भी है;]

(iii) धारा 17 के खण्ड (2) और (3) के अधीन कराधेय किसी परिलब्धि अथवा वेतन के बदले में लाभ का मूल्य;

[9][(iiiक) उपखण्ड (iii) के अधीन सम्मिलित परिलब्धि से भिन्न कोई ऐसा विशेष भत्ता या फायदा जो किसी लाभ के पद या नियोजन के कर्तव्यों के पालन के लिए व्ययों की पूर्णत:, आवश्यकत: और अनन्यत: पूर्ति के लिए निर्धारिती को विनिर्दिष्ट रूप से अनुदत्त किया गया है;

(iiiख) कोई भत्ता, जो निर्धारिती को उस स्थान पर, जहां लाभ के उसके पद या नियोजन के कर्तव्यों का उस द्वारा साधारणत: पालन किया जाता है या उस स्थान पर, जहां वह साधारणत: निवास करता है, उसके व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए या जीवन निर्वाह के बढ़े हुए खर्चों को प्रतिकर के रूप में उसे अनुदत्त किया गया है;]

(iv) किन्हीं ऐसे फायदों या परिलब्धियों का मूल्य जो, चाहे उनका संपरिवर्तन धन में किया जा सके या नहीं, कम्पनी से या तो किसी निदेशक ने या ऐसे व्यक्ति ने जो कम्पनी में पर्याप्त रूप से हितबद्ध है या निदेशक के

---

[1] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।
[3] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा (1-4-2006 से) अंत:स्थापित ।
[4] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 3 द्वारा (1-4-1973 से) अंत:स्थापित ।
[6] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 2 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित ।
[7] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 3 द्वारा (1-4-1999 से) अंत:स्थापित ।
[8] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 2 द्वारा (1-4-1962 से) अंत:स्थापित ।

या व्यक्ति के किसी नातेदार ने अभिप्राप्त किए हों और कोई ऐसी राशि जो किसी ऐसी कम्पनी द्वारा किसी बाध्यता की बाबत संदत्त की गई हो जो, यदि ऐसा संदाय न किया जाता तो, उस निदेशक या पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय होती;

[1][(iv) किसी ऐसे फायदे, या परिलब्धि का मूल्य जो, चाहे उसका संपरिवर्तन धन में किया जा सके या नहीं, धारा 160 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) या खण्ड (iv) में उल्लिखित किसी प्रतिनिधि निर्धारिती ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसकी ओर से या जिसके फायदे के लिए कोई आय प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा प्राप्त है (ऐसे व्यक्ति को इस उपखण्ड में इसके आगे "हिताधिकारी" कहा गया है) अभिप्राप्त किए हों और कोई ऐसी राशि जो प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा किसी ऐसी बाध्यता की बाबत संदत्त की गई हो जो यदि ऐसा संदाय न किया जाता तो हिताधिकारी द्वारा संदेय होती;]

(v) कोई ऐसी राशि, जो धारा 28 के खण्ड (ii) और (iii) या धारा 41 या धारा 59 के अधीन आय-कर से प्रभार्य है;

[2][(vक) कोई ऐसी राशि, जो धारा 28 के खण्ड (iiiक) के अधीन आय-कर से प्रभार्य है;]

[3][(vख) कोई ऐसी राशि, जो धारा 28 के खण्ड (iiiख) के अधीन आय-कर से प्रभार्य है;]

[4][(vग) कोई ऐसी राशि, जो धारा 28 के खण्ड (iiiग) के अधीन आय-कर से प्रभार्य है;]

[5][(vघ) धारा 28 के खण्ड (iv) के अधीन कराधेय किसी फायदे या परिलब्धि का मूल्य;]

[6][(vङ) कोई ऐसी राशि, जो धारा 28 के खण्ड (v) के अधीन आय-कर से प्रभार्य है;]

(vi) धारा 45 के अधीन प्रभार्य कोई पूंजी अभिलाभ;

(vii) बीमा के किसी कारबार के, जो किसी पारस्परिक बीमा कम्पनी द्वारा या किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है, लाभ और अभिलाभ जो धारा 44 के अनुसार संगणित किए गए हैं या ऐसा कोई अधिशेष जिसे प्रथम अनुसूची के उपबन्धों के आधार पर ऐसे लाभ और अभिलाभ माना गया है;

[7][(viiक) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों के साथ चलाए जाने वाले किसी बैंककारी कारबार के, (जिसके अंतर्गत उधार सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है) लाभ और अभिलाभ;]

[8]* * * * * *

[9][(ix) लाटरी से, वर्ग पहेली से, दौड़ से जिसके अन्तर्गत घुड़दौड़ भी है, ताश के खेल से और अन्य सभी प्रकार के खेलों से या अन्य किसी भी प्रकार या प्रकृति के जुए से या दांव से हुई जीत ।]

[10][**स्पष्टीकरण**—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए—

(i) "लाटरी" के अंतर्गत किसी स्कीम या व्यवस्था के अधीन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लाट निकाल कर या संयोग से या किसी भी अन्य रीति से, किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए इनामों से जीत है;

(ii) "ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल" के अंतर्गत टेलीविजन या इलैक्ट्रानिक माध्यम पर ऐसा कोई खेल प्रदर्शन, कोई मनोरंजन कार्यक्रम, जिसमें लोग इनाम जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, या कोई अन्य समरूप खेल है;]

[11][(x) किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबन्धों के अधीन बनाई गई किसी निधि या ऐसे कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि;]

---

[1] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 3 द्वारा (1-4-1980 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 3 द्वारा (1-4-1962 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 3 द्वारा (1-4-1967 से) अंत:स्थापित ।
[4] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 3 द्वारा (1-4-1972 से) अंत:स्थापित
[5] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 3 द्वारा उपखण्ड (vक) को उपखण्ड (vघ) के रूप में (1-4-1962 से) पुन:संख्यांकित ।
[6] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा (1-4-1993 से) अंत:स्थापित ।
[7] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 54 द्वारा (1-4-1988 से) उपखण्ड (viii) का लोप किया गया ।
[9] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 3 द्वारा (1-4-1972 से) अंत:स्थापित
[10] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा (1-4-2002 से) अंत:स्थापित ।
[11] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(xi) प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त कोई राशि जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित कोई राशि है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी" अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो धारा 10 के खंड (10घ) के स्पष्टीकरण में है;]

[2][(xii) धारा 28 के [3][खंड (vक)] में निर्दिष्ट कोई राशि;]

[4][(xiii) धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (फ) में निर्दिष्ट कोई राशि;]

[5][(xiv) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vi) में निर्दिष्ट कोई राशि;]

[6][(xv) कोई धनराशि या धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vii) [7][या खंड (viiक)] में निर्दिष्ट संपत्ति का मूल्य;]

[8][(xvi) शेयरों के निर्गमन के लिए प्राप्त कोई ऐसा प्रतिफल, जो धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viiख) में निर्दिष्ट शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक है;]

[9][(xvii) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ix) में निर्दिष्ट कोई धनराशि;]

[10][xviiक) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (x) में निर्दिष्ट कोई भी धनराशि या संपत्ति का मूल्य;]

[11][(xviii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्राधिकरण या निकाय या अभिकरण द्वारा, सहायकी या अनुदान या नकद प्रोत्साहन या शुल्क वापसी या अधित्यजन या रियायत या प्रतिपूर्ति (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के रूप में निर्धारिती को, [12][ऐसी सहायिकी या अनुदान,—

(क) या प्रतिपूर्ति से भिन्न जिसे धारा 43 के खंड (1) के स्पष्टीकरण 10 के उपबंधों के अनुसार आस्ति की वास्तविक लागत के अवधारण के लिए हिसाब में लिया जाता है; या

(ख) से भिन्न, जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी न्यास या संस्था के निकाय के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाती है,

नकद या वस्तु रूप में सहायता;]

(25) "आय-कर अधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 [13]*** के अधीन आय-कर अधिकारी नियुक्त किया जाता है;]

[14][(25क) "भारत" से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथानिर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्न-तट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) में यथानिर्दिष्ट इसके राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, ऐसे सागर-खंडों के नीचे के समुद्र तल और अवमृदा, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या कोई अन्य सामुद्रिक क्षेत्र तथा उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है;]

(26) "भारतीय कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कम्पनी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है;—

(i) ऐसी कम्पनी जो कम्पनियों से सम्बन्धित किसी ऐसी विधि के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत है जो [15][जम्मू और कश्मीर राज्य और इस खण्ड के उपखण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्रों को छोड़कर)] भारत के किसी भाग में पहले प्रवृत्त रही हो;

[16][(iक) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम;

---

[1] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[10] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[11] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[12] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[13] 1989 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया ।
[14] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[15] कराधान विधि (संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार) विनियम, 1963 की धारा 3 द्वारा (1-4-1963 से) "(जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[16] 1971 के अधिनियम सं० 32 की धारा 3 द्वारा (1-4-1971 से) अंत:स्थापित ।

(iख) कोई संस्था, संगम या निकाय जो बोर्ड द्वारा खण्ड (17) के अधीन कम्पनी घोषित किया गया है;]

(ii) जम्मू-कश्मीर राज्य की दशा में, उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी;

[1][(iii) दादरा और नागर हवेली, गोवा, दमण और दीव तथा पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्रों की दशा में, उस संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी:]

परन्तु यह तब जब कि सभी दशाओं में [2][कम्पनी, निगम, संस्था, संगम या निकाय का, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत, या मुख्य कार्यालय] भारत में हो;

[3][(26क) "अवसंरचना पूंजी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जो धारा 80झक की उपधारा (4) या धारा 80झकख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार में पूर्णतया लगे हुए किसी उद्यम या उपक्रम या धारा 80झख की उपधारा (10) में निर्दिष्ट किसी आवास परियोजना या केंद्रीय सरकार द्वारा यथावर्गीकृत तीन सितारा प्रवर्ग से अन्यून होटल का सन्निर्माण करने की किसी परियोजना या रोगियों के लिए कम से कम एक सौ बिस्तर वाले किसी अस्पताल का सन्निर्माण करने की किसी परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले किसी उपक्रम में उसके शेयर अर्जित करने या उसे दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के रूप में विनिधान करती है;

(26ख) "अवसंरचना पूंजी निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख के अधीन प्रवर्तनशील है, जिसे धारा 80झक की उपधारा (4) या धारा 80झकख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार में पूर्णतया लगे हुए किसी उद्यम या उपक्रम या धारा 80झख की उपधारा (10) में निर्दिष्ट किसी आवास परियोजना या केंद्रीय सरकार द्वारा यथावर्गीकृत तीन सितारा प्रवर्ग से अन्यून होटल का सन्निर्माण करने की किसी परियोजना या रोगियों के लिए कम से कम एक सौ बिस्तर वाले किसी अस्पताल का सन्निर्माण करने की किसी परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले किसी उपक्रम में उसके शेयर अर्जित करने या दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के रूप में विनिधान के लिए न्यासियों द्वारा धन इकट्ठा करने के लिए स्थापित किया गया है;]

[4]* * * * *

(28) "आय-कर निरीक्षक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की [5][उपधारा (1)] के अधीन आय-कर निरीक्षक नियुक्त किया गया है;

[6][(28क) "ब्याज" से अभिप्रेत है उधार ली गई धनराशियों या उपगत ऋण (जिसके अन्तर्गत निक्षेप, दावा या इसी प्रकार का अन्य अधिकार या बाध्यता भी है) की बाबत किसी भी रीति में संदेय ब्याज और इसके अन्तर्गत उधार ली गई धनराशियों या उपगत ऋण या अनुपयोजित प्रत्यय सुविधा की बाबत सेवा फीस या अन्य प्रभार भी है;]

[7][(28ख) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से अभिप्रेत है—

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी प्रतिभूति पर ब्याज,

(ii) किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी कम्पनी या केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम द्वारा या उसकी ओर से निर्गमित धन के लिए डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज;]

[8][(28खख) "बीमाकर्ता" से ऐसा बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (7क) के अधीन परिभाषित कोई ऐसी भारतीय बीमा कंपनी है, जिसे उस अधिनियम की धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है;]

[9][(28ग) "संयुक्त आयुक्त" से धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर संयुक्त आयुक्त या आय-कर अपर आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(28घ) "संयुक्त निदेशक" से धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर संयुक्त निदेशक या आय-कर अपर निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;]

---

[1] कराधान विधि (संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार) विनियम, 1963 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-4-1963 से) अंत:स्थापित।
[2] 1971 के अधिनियम सं० 32 की धारा 3 द्वारा (1-4-1971 से) "कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित।
[4] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा (1-4-1988 से) लोप किया गया।
[5] 1988 के अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित।
[6] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 3 द्वारा (1-6-1976 से) अंत:स्थापित।
[7] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित।
[8] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा (1-4-2002 से) अंत:स्थापित।
[9] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा (1-10-1998 से) अंत:स्थापित।

(29) "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 2 के खण्ड (11) में उसे दिया गया है;

[1][(29क) "दीर्घकालिक पूंजी आस्ति" से ऐसी पूंजी आस्ति अभिप्रेत है जो अल्पकालिक पूंजी आस्ति नहीं है;

(29ख) "दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ" से किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से प्रोद्भूत होने वाला पूंजी अभिलाभ अभिप्रेत है;]

[2][(29खक) "विनिर्माण" से उसके व्याकरणीय रूपभेदों सहित किसी निर्जीव भौतिक पदार्थ या वस्तु या चीज में ऐसा परिवर्तन अभिप्रेत है,—

(क) जिसके परिणास्वरूप उस पदार्थ या वस्तु या चीज का ऐसे नए और सुभिन्न पदार्थ या वस्तु या चीज में रूपांतरण होता है, जिसका भिन्न नाम, प्रकृति और उपयोग होता है; या

(ख) जो किसी भिन्न रासायनिक सम्मिश्रण या एकीकृत संरचना के साथ एक नया और सुभिन्न पदार्थ या वस्तु या चीज अस्तित्व में लाता है;]

[3][(29ग) "अधिकतम मार्जिन दर" से अभिप्रेत है—सुसंगत वर्ष के वित्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट [4][यथास्थिति, किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय की दशा में] आय के उच्चतम स्लैब के सम्बन्ध में लागू होने वाली आय-कर की दर (जिसके अन्तर्गत आय-कर पर अधिभार है, यदि कोई हो);]

[5][(29घ) "राष्ट्रीय कर अधिकरण" से राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कर अधिकरण अभिप्रेत है;]

(30) "अनिवासी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो "निवासी" नहीं है [6]*** [7][तथा धारा 92, धारा 93 और धारा 168 के प्रयोजनों के लिए उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो धारा 6 की उपधारा (6) के अर्थ में मामूली तौर पर निवासी नहीं है;]

(31) "व्यक्ति" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है—

(i) कोई व्यष्टि,

(ii) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब,

(iii) कोई कम्पनी,

(iv) कोई फर्म,

(v) व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो,

(vi) कोई स्थानीय प्राधिकारी, तथा

(vii) हर ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपखण्डों में से किसी के अन्तर्गत नहीं है ।

[8][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय या कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति, एक व्यक्ति समझा जाएगा, चाहे ऐसा व्यक्ति या निकाय या प्राधिकारी या विधिक व्यक्ति, आय, लाभ या अभिलाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया या स्थापित या निगमित किया गया हो या न किया गया हो;]

(32) किसी कम्पनी के सम्बन्ध में "व्यक्ति जो कम्पनी में पर्याप्त रूप से हितबद्ध है" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे शेयरों का हिताधिकारी स्वामी है जो बीस प्रतिशत से अन्यून मतदान की शक्ति रखने वाले हैं और जो लाभों में भाग लेने के अधिकार सहित या उससे रहित लाभांश की नियत दर के हकदार शेयर नहीं हैं;

(33) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(34) "पूर्ववर्ष" से धारा 3 में यथा परिभाषित पूर्ववर्ष अभिप्रेत है;

---

[1] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा (1-4-1988 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।
[4] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 3 द्वारा (1-4-1991 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 2005 के अधिनियम सं० 49 की धारा 30 और अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा (1-4-1999 से) लोप किया गया ।
[7] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 3 द्वारा (1-4-1999 से) अंत:स्थापित ।
[8] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(34क) "आय-कर प्रधान मुख्य आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर प्रधान मुख्य आयुक्त नियुक्त किया जाता है;

(34ख) "आय-कर प्रधान आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर प्रधान आयुक्त नियुक्त किया जाता है;

(34ग) "आय-कर प्रधान निदेशक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर प्रधान निदेशक नियुक्त किया जाता है;

(34घ) "आय-कर प्रधान महानिदेशक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया जाता है;]

(35) "प्रधान अधिकारी" से जब कि उसका प्रयोग किसी स्थानीय प्राधिकारी या कम्पनी या अन्य लोक निकाय या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय के प्रति निर्देश करते हुए किया गया हो, अभिप्रेत है—

(क) उस प्राधिकारी, कम्पनी, संगम या निकाय का सचिव, कोषपाल, प्रबन्धक या अभिकर्ता, अथवा

(ख) उस स्थानीय प्राधिकारी, कंपनी, संगम या निकाय के प्रबंध या प्रशासन से संबद्ध कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर [@][निर्धारण अधिकारी] ने उसे उसका प्रधान अधिकारी मानने के अपने आशय की सूचना तामील की है;

(36) "वृत्ति" के अंतर्गत व्यवसाय भी है;

[2][(36क) "पब्लिक सेक्टर कंपनी" से अभिप्रेत है किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कंपनी;]

(37) "लोक सेवक" की वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 में है;

[3][(37क) किसी निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के संबंध में "प्रवृत्त दर या दरें" या "प्रवृत्त दरें" से अभिप्रेत है—

(i) धारा 132 की उपधारा (5) के प्रथम परन्तुक के अधीन आय-कर का परिकलन करने या धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभार्य आय-कर की संगणना करने या धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से [4]*** आय-कर की कटौती करने या [5][धारा 115क] [6][या धारा 115ख [7][या धारा 115खख या धारा 115खखख या धारा 115ङ] या धारा 164 या धारा 164क [4]*** [8][या धारा 167ख] के अन्तर्गत न आने वाली दशा में] अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना के प्रयोजनों के लिए, आय-कर की ऐसी दर या दरें जो सुसंगत वर्ष के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट हों, और [5][धारा 115क [6][या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा 115ङ या धारा 164 या धारा 164क [4]*** या धारा 167क] [8][या धारा 167ख] के अंतर्गत आने वाली दशा में अध्याय 17ग के अधीन संदेय अग्रिम कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए, [9][यथास्थिति, धारा 115क या धारा 115ख [10][या धारा 115खख या धारा 115खखख या धारा 115ङ] या धारा 164 या धारा 164क [4]*** या धारा 167क] [11][या धारा 167ख] में विनिर्दिष्ट दर या दरें] या आय-कर की ऐसी दर या दरें जो सुसंगत वर्ष के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट हों, जो भी लागू हो];

(ii) धारा 193, 194, [12][194क, [13][194ख, 194खख,]] [14][[15][194घ और 195] के अधीन कर की कटौती करने के प्रयोजनों के लिए आय-कर की ऐसी दर या दरें जो सुसंगत वर्ष के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट हो];

---

[1] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[2] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा (1-4-1987 से) अंत:स्थापित ।

[3] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (1-4-1967 से) अंत:स्थापित ।

[4] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा (1-4-1989 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[5] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 3 द्वारा (1-6-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा "या धारा 115ख या धारा 164" के स्थान पर (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित ।

[7] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा (1-4-2003 से) प्रतिस्थापित ।

[8] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।

[9] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा (1-4-1988 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[10] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा (1-4-2003 से) प्रतिस्थापित ।

[11] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।

[12] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 3 द्वारा (1-4-1972 से) "194क" अंकों और अक्षर के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[13] 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 32 द्वारा (1-4-1978 से) प्रतिस्थापित ।

[14] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित ।

[15] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 3 द्वारा (1-10-1991 से) प्रतिस्थापित ।

[1][(iii) [2][धारा 194ठखक] या [3][धारा 194ठखख या धारा 194ठखग या] धारा 195 के अधीन कर की कटौती करने के प्रयोजनों के लिए, आय-कर की ऐसी दर या दरें जो सुसंगत वर्ष के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं अथवा आय-कर की ऐसी दर या दरें [4][जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 90 के अधीन किए गए किसी करार में या केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 90क के अधीन अधिसूचित किए गए किसी करार में विनिर्दिष्ट की जाएं, जो भी, यथास्थिति, धारा 90 या धारा 90क के उपबंधों के आधार पर लागू हों;]

(38) "मान्यताप्राप्त भविष्य निधि" से वह भविष्य निधि अभिप्रेत है जिसे चतुर्थ अनुसूची के भाग क में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार [@][मुख्य आयुक्त या आयुक्त] द्वारा मान्यता दी गई है और जिसकी मान्यता कायम है और इसके अन्तर्गत ऐसी भविष्य निधि भी है जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन विरचित स्कीम के अधीन स्थापित की गई हो;

[5]* * * * * *

(40) "नियमित निर्धारण" से ऐसा निर्धारण अभिप्रेत है जो [6][धारा 143 की उपधारा (3)] या धारा 144 के अधीन किया गया है;

(41) किसी व्यष्टि के संबंध में "नातेदार" से, उस व्यष्टि का पति, पत्नी, भाई या बहिन अथवा कोई पारंपरिक पूर्वपुरुष या वंशज अभिप्रेत है;

[7][(41क) "परिणामी कंपनी" से अभिप्रेत है ऐसी एक या अधिक कंपनियों (जिनके अंतर्गत उनकी पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी है) जिनको किसी निर्विलयन में निर्विलीन कंपनी का उपक्रम अंतरित कर दिया जाता है और ऐसे उपक्रम के अंतरण के प्रतिफलस्वरूप परिणामी कंपनी निर्विलीन कंपनी के शेयरधारकों को शेयर पुरोधृत करती है और इसके अंतर्गत कोई प्राधिकरण या निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या पब्लिक सैक्टर कंपनी या निर्विलयन के परिणामस्वरूप स्थापित, गठित या बनाई गई कोई कंपनी भी है;]

(42) "निवासी" से वह व्यक्ति है अभिप्रेत जो धारा 6 के अर्थ में भारत में निवासी है;

[8][(42क) [9]["अल्पकालीन पूंजी आस्ति"] से उसके अन्तरण की तारीख से ठीक पहले [10][छत्तीस मास] से अनधिक के लिए निर्धारिती द्वारा धारित पूंजी आस्ति अभिप्रेत है:]

[11][परन्तु [12][भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (किसी यूनिट से भिन्न) किसी प्रतिभूति] या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के किसी यूनिट या [12][किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि की किसी यूनिट] [13][या जीरो कूपन बन्धपत्र] की दशा में, इस खंड के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "छत्तीस मास" शब्दों के स्थान पर "बारह मास" शब्द रखें गए हों];

[12][परन्तु यह और कि कंपनी के शेयर (जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर नहीं है) या धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि की किसी यूनिट की दशा में, जो 1 अप्रैल, 2014 को आरंभ होने वाली और 10 जुलाई, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान अंतरित किए गए हैं, इस खंड के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "छत्तीस मास" शब्दों के स्थान पर "बारह मास" शब्द रखे गए हों :]

[14][परंतु यह भी कि किसी कंपनी के किसी शेयर के मामले में, (जो भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर नहीं है) [15][या कोई स्थावर संपत्ति जो भूमि या भवन या दोनों हों] इस खंड के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "छत्तीस मास" शब्दों के स्थान पर, "चौबीस मास" शब्द रख दिए गए हों।]

---

[1] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा (1-6-1992 से) प्रतिस्थापित।
[2] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
[4] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए।
[5] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा (1-4-1993 से) लोप किया गया।
[6] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 3 द्वारा (1-4-1989 से) "धारा 143" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[7] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 3 द्वारा (1-4-2000 से) अन्त:स्थापित।
[8] 1962 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा (1-4-1962 से) अन्त:स्थापित।
[9] 1973 के अधिनियम सं० 21 की धारा 3 द्वारा (1-4-1974 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[10] 1977 के अधिनियम सं० 29 की धारा 3 द्वारा (1-4-1978 से) प्रतिस्थापित।
[11] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा (1-4-1988 से) अन्त:स्थापित।
[12] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
[13] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा (1-4-2006 से) अन्त:स्थापित।
[14] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित।
[15] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 3 द्वारा (1-4-2018 से) अंत:स्थापित।

[1][**स्पष्टीकरण 1**]—(i) ऐसी कालावधि का जिसके लिए पूंजी आस्ति निर्धारिती द्वारा धारित रही है, अवधारण करने में—

(क) जहां शेयर समापनाधीन कंपनी में धारित हो वहां वह कालावधि जो ऐसी तारीख की पश्चात्वर्ती हो जिसको वह कंपनी समापनाधीन होती है अपवर्जित कर दी जाएगी;

(ख) जहां पूंजी आस्ति धारा 49 की [2][उपधारा (1)] में वर्णित परिस्थितियों में निर्धारिती की संपत्ति हो जाती है, वहां ऐसी कालावधि जिसके लिए उक्त धारा में विनिर्दिष्ट पूर्वतन स्वामी द्वारा वह आस्ति धारित थी, सम्मिलित कर ली जाएगी;

[3][(ग) जहां भारतीय कंपनी के शेयर या शेयरों के रूप में पूंजी आस्ति धारा 47 के खंड (vii) में निर्दिष्ट अन्तरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो जाती है वहां ऐसी कालावधि जिसके लिए समामेलक कम्पनी का या शेयर या उसके शेयर निर्धारिती द्वारा धारित थे, सम्मिलित कर ली जाएगी;]

[4][(घ) किसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो शेयर या कोई अन्य प्रतिभूति है (जिसे इस खण्ड में इसके पश्चात् वित्तीय आस्ति कहा गया है) जिसके लिए निर्धारिती द्वारा ऐसी वित्तीय आस्ति में अभिदाय करने के अपने अधिकार के आधार पर अभिदाय किया जाता है या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अभिदाय किया जाता है जिसके पक्ष में निर्धारिती ने ऐसी वित्तीय आस्ति में अभिदाय करने के अपने अधिकार का त्याग किया है, अवधि की गणना ऐसी वित्तीय आस्ति के आबंटन की तारीख से की जाएगी;

(ङ) किसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो किसी वित्तीय आस्ति में अभिदाय करने का ऐसा अधिकार है जिसका किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग किया जाता है, अवधि की गणना, यथास्थिति, प्रस्थापना करने वाली कंपनी या संस्था द्वारा ऐसे अधिकार की प्रस्थापना की तारीख से की जाएगी;]

[5][(च) किसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो वित्तीय आस्ति है और जिसका किसी संदाय के बिना और किसी अन्य वित्तीय आस्ति के धारण करने के आधार पर आबंटन किया जाता है, अवधि की गणना ऐसी वित्तीय आस्ति के आबंटन की तारीख से की जाएगी;]

[6][(छ) किसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो किसी भारतीय कंपनी में शेयर है या हैं जो किसी निर्विलयन के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो जाते हैं, वह कालावधि सम्मिलित होगी जिसके लिए निर्विलीन कंपनी में धारित शेयर निर्धारिती द्वारा धारित किए गए थे;]

[7][(ज) किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो धारा 47 के खंड (xiii) में निर्दिष्ट भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के अनपरस्परीकरण या निगमीकरण के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित भारत में किसी स्टाक एक्सचेंज का व्यापार या समाशोधन अधिकार है, वहां वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति, ऐसे अनपरस्परीकरण या निगमीकरण के ठीक पूर्व भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज का कोई सदस्य था;

(जक) किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो धारा 47 के खंड (xiii) में निर्दिष्ट भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज के अनपरस्परीकरण या निगमीकरण के अनुसरण में किसी कंपनी में आबंटित साधारण शेयर है या शेयर हैं, वहां वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति, ऐसे अनपरस्परीकरण या निगमीकरण के ठीक पूर्व भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज का कोई सदस्य था;]

[8][(जख) किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को (जिनमें पूर्ववर्ती कर्मचारी भी सम्मिलित है/हैं) मुफ्त या रियायती दर पर, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: आबंटित या अंतरित कोई विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर हैं, अवधि की संगणना ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयरों के आबंटन या अंतरण की तारीख से की जाएगी;]

[9][(जग) किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो किसी कारबार न्यास की यूनिट है, जो धारा 47 के खंड (xvii) में यथानिर्दिष्ट शेयर या शेयरों के अंतरण के अनुसरण में आबंटित की गई है, वह अवधि सम्मिलित की जाएगी जिसके लिए निर्धारिती द्वारा ऐसा शेयर धारित किया गया था या ऐसे शेयर धारित किए गए थे;]

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 3 द्वारा (1-4-1995 से) विद्यमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया।
[2] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (1-4-1967 से) "खण्ड (i) से (iii)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (1-4-1967 से) अंत:स्थापित।
[4] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 3 द्वारा (1-4-1995 से) अंत:स्थापित।
[5] 1995 के अधिनियम सं० 32 की धारा 3 द्वारा (1-4-1996 से) अंत:स्थापित।
[6] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 3 द्वारा (1-4-2000 से) अंत:स्थापित।
[7] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 3 द्वारा (1-4-2004 से) अंत:स्थापित।
[8] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 3 द्वारा (1-4-2008 से) अंत:स्थापित।
[9] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित।

[1][(जघ) किसी ऐसी पूंजी आस्ति, जो कोई यूनिट या यूनिटें हैं, की दशा में, जो धारा 47 के खंड (xviii) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो जाती है, वह कालावधि, जिसके लिए पारस्परिक निधि की समेकन स्कीम में यूनिट या यूनिटें निर्धारिती द्वारा धारित की गई थीं, सम्मिलित कर ली जाएगी;

(जङ) किसी ऐसी पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी का शेयर है या के शेयर हैं, की दशा में, जिसका किसी अनिवासी निर्धारिती द्वारा धारित धारा 115कग की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों के मोचन पर अर्जन किया जाता है, उस कालावधि की संगणना उस तारीख से की जाएगी जिसको ऐसे मोचन के लिए कोई अनुरोध किया गया था;]

[2][(जच) किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो किसी कंपनी का साधारण शेयर है, धारा 47 के खंड (xख) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो जाती है, वहां वह कालावधि, जिसके लिए निर्धारिती द्वारा अधिमानी शेयर धारित किए गए थे, सम्मिलित कर ली जाएगी ;]

[2][(जछ) किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो कोई यूनिट या यूनिटें हैं, जो धारा 47 के खंड (xix) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो जाती है, वह कालावधि, जिसके लिए पारस्परिक निधि स्कीम की समेकित योजना में यूनिट या यूनिटें निर्धारिती द्वारा धारित की गई थीं, सम्मिलित कर ली जाएगी;]

(ii) खंड (i) में वर्णित पूंजी आस्तियों से भिन्न पूंजी आस्तियों की बाबत ऐसी कालावधि जिसके लिए कोई पूंजी आस्ति निर्धारिती द्वारा धारित रही है, किन्हीं ऐसे नियमों के जिन्हें बोर्ड इस निमित्त बनाए, अधीन रहते हुए अवधारित की जाएगी ।

[3][**स्पष्टीकरण 2**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रतिभूति" अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में है ।]

[4][**स्पष्टीकरण 3**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट प्रतिभूति" और "श्रमसाध्य साधारण शेयर" पदों के वही अर्थ होंगे, जो धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (घ) के स्पष्टीकरण में हैं ।]

[5][**स्पष्टीकरण 4**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "साधारण शेयरोन्मुख निधि" का वही अर्थ होगा, जो धारा 10 के खंड (38) के स्पष्टीकरण में उसका है;]

[6][(42ख) "अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ" से किसी अल्पकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से प्रोद्भूत होने वाला पूंजी अभिलाभ अभिप्रेत है;]

[7][(42ग) "मंदी विक्रय" से एक या अधिक उपक्रमों के ऐसे विक्रयों में व्यष्टिक आस्तियों और दायित्वों का मूल्य समनुदेशित किए बिना एकमुश्त प्रतिफल के लिए विक्रय के परिणामस्वरूप अंतरण अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "उपक्रम" का वही अर्थ होगा जो खंड (19कक) के स्पष्टीकरण 1 में है ।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि, स्टांप शुल्क, रजिस्ट्रीकरण फीस या वैसे ही अन्य करों या फीस के संदाय के एकमात्र प्रयोजन के लिए आस्ति या दायित्व के मूल्य के अवधारण को व्यष्टिक आस्तियों या दायित्वों के मूल्य का समनुदेशन नहीं माना जाएगा;]

[8][(43) "कर" से 1965 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष और किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में ऐसा आय-कर अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य हो तथा किसी अन्य निर्धारण वर्ष के संबंध में ऐसा आय-कर और अधिकर अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पूर्वोक्त तारीख से पूर्व [9][और 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तथा किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में, इसके अंतर्गत धारा 115बक के अधीन संदेय सीमांत फायदा कर है,] प्रभार्य हो;

[10][(43क) "प्रतिदेय-कर प्रमाणपत्र" से वह प्रतिदेय-कर प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जो अध्याय 22ख के उपबंधों तथा तद्धीन बनाई गई किसी स्कीम के अनुसार किसी व्यक्ति को दिया गया हो;]

[11]* * * * * *

[12][(44) "कर वसूली अधिकारी" से ऐसा आय-कर अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, [13][और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए भी, जो इस अधिनियम के अधीन

---

[1] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 3 द्वारा (1-4-2018 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 3 द्वारा (1-4-1995 से) अंत:स्थापित ।
[4] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 3 द्वारा (1-4-2008 से) अंत:स्थापित ।
[5] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा (1-4-1988 से) अन्त:स्थापित ।
[7] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 3 द्वारा (1-4-2000 से) अंत:स्थापित ।
[8] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 द्वारा (1-4-1965 से) प्रतिस्थापित ।
[9] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा (1-4-2006 से) अंत:स्थापित ।
[10] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 द्वारा (1-4-1965 से) अन्त:स्थापित ।
[11] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा (1-4-1989 से) खण्ड का (43ख) से लोप किया गया ।
[12] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित ।
[13] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त या सौंपे गए हैं तथा जो विहित किए जाएं,] मुख्य आयुक्त या आयुक्त लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत करे;]

(45) "कुल आय" से धारा 5 में निर्दिष्ट आय की ऐसी कुल रकम अभिप्रेत है जो इस अधिनियम में अधिकथित रीति से संगठित की गई हो;

[1]* * * * * *

[2][(47) पूंजी आस्ति के संबंध में, "अंतरण" के अंतर्गत है—

(i) आस्ति का विक्रय, विनिमय या त्याग; या

(ii) उसमें के किन्हीं अधिकारों का निर्वापन; या

(iii) किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन; या

(iv) किसी ऐसी दशा में जहां आस्ति उसके स्वामी द्वारा अपने द्वारा चलाए जाने वाले किसी कारबार के व्यापार स्टाक में संपरिवर्तित की जाती है या उसके द्वारा उस रूप में मानी जाती है वहां ऐसा संपरिवर्तन या माना जाना; [3][या]

[4][(ivक) किसी जीरो कूपन बंधपत्र की परिपक्वता का मोचन; या]

[3][(v) कोई संव्यवहार जिसमें संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 53क में निर्दिष्ट प्रकृति की संविदा के भागिक पालन में किसी स्थावर संपत्ति का कब्जा लेने या रखे रहने के लिए अनुज्ञात किया जाता है; या

(vi) कोई संव्यवहार (चाहे वह किसी सहकारी सोसाइटी, कंपनी या अन्य व्यक्ति-संगम का सदस्य बनने के रूप में हो या उसमें शेयरों के अर्जन के रूप में हो अथवा किसी अन्य रीति से हो) जिसका प्रभाव किसी स्थावर संपत्ति का अंतरण है या उसके उपभोग के लिए समर्थ बनाया जाना है ।

स्पष्टीकरण [5]**[(1)]**—उपखंड (v) और उपखंड (vi) के प्रयोजनों के लिए, "स्थावर संपत्ति" का वही अर्थ है जो धारा 269पक के खंड (घ) में है ।]

[6][**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "अंतरण" के अंतर्गत किसी करार द्वारा (चाहे वह भारत में किया गया हो या भारत के बाहर) या अन्यथा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: आत्यंतिक रूप से या सशर्त, स्वैच्छिक रूप से या अस्वैच्छिक रूप से, किसी आस्ति या उसमें के किसी हित का व्ययन या प्रभाजन या किसी आस्ति में, चाहे किसी भी रीति में, किसी हित का सृजन, इस बात के होते हुए भी सम्मिलित है और सदैव से सम्मिलित समझा जाएगा कि अधिकारों के ऐसे अंतरण को इस रूप में वर्णित किया गया है जैसे कि वह भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी के शेयर या शेयरों का अंतरण करके किया जा रहा है या उस पर आधारित है या उसके परिणामस्वरूप उद्भूत हुआ है;]

[4][(48) "जीरो कूपन बंधपत्र" से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है जो,—

(क) 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी [7][या अनुसूचित बैंक] द्वारा जारी किया गया है;

(ख) जिसके संबंध में, अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी [7][या अनुसूचित बैंक] से परिपक्वता या मोचन से पूर्व कोई संदाय और फायदा प्राप्त नहीं किया जाता है या प्राप्य नहीं है; और

(ग) जिसे केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

[8][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अनुसूचित बैंक" पद का वही अर्थ होगा जो धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के उपखंड (ग) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में है ।]

[9]* * * * *

---

[1] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 द्वारा (1-4-1965 से) खंड (46) का लोप किया गया ।
[2] 1984 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 67 की धारा 2 द्वारा (1-4-1985 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा (1-4-1988 से) अन्त:स्थापित ।
[4] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा (1-4-2006 से) अंत:स्थापित ।
[5] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 3 द्वारा पुन:संख्यांकित ।
[6] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 3 द्वारा लोप किया गया ।

[1][**3. "पूर्ववर्ष" की परिभाषा**—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "पूर्ववर्ष" से निर्धारण वर्ष से ठीक पहले का वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है :

परंतु ऐसे कारबार या वृत्ति की दशा में, जो उक्त वित्तीय वर्ष में नया-नया चलाया गया है या आय के किसी ऐसे स्रोत की दशा में, जो उक्त वित्तीय वर्ष में नया-नया अस्तित्व में आया है, पूर्ववर्ष वह कालावधि होगी, जो, यथास्थिति, कारबार या वृत्ति के चलाए जाने की तारीख से, या उस तारीख से जिसको आय का स्रोत नया-नया अस्तित्व में आया है, आरंभ हो और उक्त वित्तीय वर्ष के साथ समाप्त हो ।]

अध्याय 2

प्रभार का आधार

4. आय-कर का प्रभार—(1) जहां कोई केन्द्रीय अधिनियम यह अधिनियमित करता है कि आय-कर किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी दर या किन्हीं दरों पर प्रभारित किया जाएगा वहां आय-कर, हर व्यक्ति की, [2][पूर्ववर्ष] की कुल आय की बाबत [2][इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए (जिनके अंतर्गत अतिरिक्त आय-कर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध है)] उस वर्ष के लिए उस दर या उन दरों पर प्रभारित किया जाएगा :

परन्तु जहां इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के आधार पर किसी ऐसी कालावधि की जो पूर्ववर्ष से भिन्न हो, आय की बाबत आय-कर प्रभारित किया जाना है, जहां आय-कर तद्नुसार प्रभारित किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रभार्य आय की बाबत आय-कर की कटौती स्रोत पर की जाएगी या उसका अग्रिम संदाय किया जाएगा जहां वह इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन वैसे कटौती के योग्य संदेय हो ।

5. कुल आय की परिधि—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति की जो निवासी है किसी पूर्ववर्ष की कुल आय के अंतर्गत किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न वह सब आय है जो—

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से ऐसे वर्ष में भारत में प्राप्त की गई है या प्राप्त की गई समझी जाती है, अथवा

(ख) ऐसे वर्ष के दौरान उसे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होती है या प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाती है; अथवा

(ग) ऐसे वर्ष के दौरान उसे भारत के बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत होती है :

परन्तु ऐसे व्यक्ति की दशा में जो धारा 6 की उपधारा (6) के अर्थ में भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, ऐसी आय जो उसे भारत के बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत होती है इस प्रकार तब तक सम्मिलित नहीं की जाएगी जब तक वह भारत में नियंत्रित किसी कारबार से या भारत में चलाई गई किसी वृत्ति से व्युत्पन्न न हो ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति की, जो अनिवासी है किसी पूर्ववर्ष की कुल आय के अंतर्गत किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न वह सब आय है जो—

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से ऐसे वर्ष में भारत में प्राप्त की गई है या प्राप्त की गई समझी जाती है; अथवा

(ख) ऐसे वर्ष के दौरान उसे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होती है या प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाती है ।

स्पष्टीकरण 1—ऐसी आय के बारे में जो भारत के बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत हो, केवल इसी तथ्य के कारण कि वह भारत में तैयार किए गए तुलनपत्र में लेख में ली जाती है; यह न समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थ में भारत में प्राप्त हुई है ।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं का निराकरण करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि ऐसी आय, जो किसी व्यक्ति की कुल आय में इस आधार पर सम्मिलित की गई है कि वह उसे प्रोद्भूत या उद्भूत हुई है या प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई है इस आधार पर कि वह उसके द्वारा भारत में प्राप्त की गई है या प्राप्त की गई समझी जाती है इस प्रकार पुन: सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

[3][**5क. पुर्तगाली सिविल कोड द्वारा शासित पति या पत्नी के बीच आय का प्रभाजन**—(1) जहां पति और पत्नी गोवा राज्य में और दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त सामुदायिक संपत्ति की पद्धति से (जो 1860 के पुर्तगाली सिविल कोड के अधीन "कम्युनिओ डास बैन्स" के रूप में ज्ञात है) शासित होते हैं वहां आय के किसी शीर्ष के अधीन पति और पत्नी की आय ऐसी सामुदायिक संपत्ति की (चाहे उसे व्यक्तियों का संगम माना गया हो या व्यष्टियों का निकाय) आय के रूप में निर्धारित नहीं की जाएगी, किन्तु आय के ("वेतन" शीर्ष से भिन्न) प्रत्येक शीर्ष के अधीन पति और पत्नी की ऐसी आय को पति और पत्नी के बीच समान रूप से प्रभाजित किया जाएगा और इस प्रकार प्रभाजित की गई आय क्रमश: पति और पत्नी की कुल आय में अलग-अलग सम्मिलित की जाएगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

---

[1] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 4 द्वारा (1-4-2000 से) प्रतिस्थापित ।

[2] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 4 द्वारा (1-4-1989 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 4 द्वारा (1-4-1963 से) अंत:स्थापित ।

(2) जहां पूर्वोक्त सामुदायिक संपत्ति की पद्धति से शासित, यथास्थिति, पति या पत्नी की "वेतन" शीर्ष के अधीन कोई आय है वहां ऐसी आय उस पति या पत्नी की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी जिसने वास्तव में उसे अर्जित किया है ।]

6. भारत में निवास—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए—

(1) कोई व्यष्टि किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी तब कहा जाता है जब कि वह—

(क) उस वर्ष में कुल मिलाकर एक सौ बयासी या अधिक दिनों की कालावधि या कालावधियों तक भारत में रहा है; या

[1]* * * * * *

(ग) उस वर्ष के पूर्ववर्ती चार वर्षों के अन्दर कुल मिलाकर तीन सौ पैंसठ या अधिक दिनों की कालावधि या कालावधियों तक भारत में होते हुए, उस वर्ष कुल मिलाकर साठ या अधिक दिनों की कालावधि या कालावधियों तक भारत में रहा है ।

[2][**स्पष्टीकरण**—[3][(1)] ऐसे व्यष्टि की दशा में,—

(क) जो भारत का नागरिक है, [4][जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 3 के खंड (18) में यथापरिभाषित भारतीय पोत के कर्मीदल के सदस्य के रूप में या भारत से बाहर] नियोजन के प्रयोजनों के लिए किसी पूर्ववर्ष में भारत छोड़ देता है, उपखंड (ग) के उपबंध उस वर्ष के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले "साठ दिन" शब्दों के स्थान पर "एक सौ बयासी दिन" शब्द रखे गए हों;

(ख) जो भारत का नागरिक है, या धारा 115ग के खंड (ङ) के स्पष्टीकरण के अर्थ में भारतीय उद्भव का व्यक्ति है, जो भारत के बाहर रहते हुए किसी पूर्ववर्ष में भारत में आता है, उपखंड (ग) के उपबंध उस वर्ष के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले, "साठ दिन" शब्दों के स्थान पर [5][एक सौ बयासी दिन] शब्द रखे गए हों ।

[6][**स्पष्टीकरण 2**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत का नागरिक और भारत से विदेश को जाने वाले पोत के कर्मीदल का सदस्य है, ऐसी समुद्र यात्रा के संबंध में, भारत में रहने की कालावधि या कालावधियां ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अवधारित की जाएगी या की जाएंगी, जो विहित की जाएं ।]

(2) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, फर्म या अन्य व्यक्तियों का संगम हर दशा में किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी कहा जाता है सिवाय उस दशा में जिसमें उस वर्ष के दौरान उसके काम-काज का नियंत्रण और प्रबंध सम्पूर्णत: भारत के बाहर स्थित रहा है ।

[7][(3) कोई कंपनी किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी कही जाती है, यदि,—

(i) वह कोई भारतीय कंपनी है; या

(ii) उसके प्रभावी प्रबंध का स्थान उस वर्ष में भारत में है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए, "प्रभावी प्रबंध का स्थान" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां किसी अस्तित्व के संपूर्ण कारबार के संचालन के लिए आवश्यक प्रमुख प्रबंधन और वाणिज्यिक विनिश्चय, सारवान् रूप से किए जाते हैं ।]

(4) हर अन्य व्यक्ति प्रत्येक दशा में किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी कहा जाता है सिवाय उस दशा के जिसमें उस वर्ष के दौरान उसके कामकाज का नियंत्रण और प्रबंध सम्पूर्णत: भारत के बाहर स्थित रहा है ।

(5) यदि कोई व्यक्ति आय के किसी स्रोत की बाबत निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में भारत में निवासी है तो वह अपनी आय के स्रोतों में से हर एक की बाबत निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में भारत में निवासी समझा जाएगा ।

[8][(6) किसी व्यक्ति के बारे में यह बात कि वह किसी पूर्ववर्ष में भारत में "मामूली तौर पर निवासी नहीं है" तब कहा जाता है जब वह व्यक्ति,—

---

[1] 1982 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा (1-4-1983 से) उपखंड (ख) का लोप किया गया ।
[2] 1989 के अधिनियम सं० 36 की धारा 3 द्वारा (1-4-1990 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा संख्यांकित ।
[4] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 4 द्वारा (1-4-1990 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) ऐसा व्यष्टि है, जो उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से नौ वर्षों में भारत में निवासी न रहा हो या उस वर्ष के पूर्ववर्ती सात पूर्ववर्षों के दौरान ऐसी कालावधि या ऐसी कालावधियों तक, जो कुल मिलाकर सात सौ उनतीस दिन या उससे कम की हो, भारत में न रहा हो;

(ख) ऐसा हिन्दू अविभक्त कुटुंब है जिसका कर्ता उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से नौ पूर्ववर्षों में भारत में निवासी न रहा हो या उस वर्ष के सात पूर्ववर्षों के दौरान ऐसी कालावधि तक या ऐसी कालावधियों तक, जो कुल मिलाकर सात सौ उनतीस दिन या उससे कम हो, भारत में न रहा हो ।]

7. प्राप्त हुई समझी गई आय—निम्नलिखित आय पूर्ववर्ष में प्राप्त हुई समझी जाएगी :—

(i) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य-निधि में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी के जमा अतिशेष में पूर्ववर्ष में हुई वार्षिक अनुवृद्धि उस परिमाण तक जिस तक कि चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 6 में उपबन्धित है;

(ii) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य-निधि में अंतरित अतिशेष उस परिमाण तक जिस तक कि चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 11 के उपनियम (4) में उपबन्धित है;

[1][(iii) पूर्ववर्ष में [2][केंद्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक] द्वारा, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट किसी पेंशन स्कीम के अधीन किसी कर्मचारी के खाते में किया गया अभिदाय ।]

8. लाभांश आय—[3][किसी निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिए—

(क) किसी ऐसे लाभांश के बारे में] जो धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या उपखंड (ङ) के अर्थ में किसी कंपनी द्वारा घोषित किया गया हो या उसके द्वारा वितरित या संदत्त किया गया हो यह समझा जाएगा कि वह उस पूर्ववर्ष की आय है जिसमें वह, यथास्थिति, इस प्रकार घोषित, वितरित या संदत्त किया गया हो;

[4][(ख) किसी अन्तरिम लाभांश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस पूर्वपर्ष की आय है जिसमें ऐसे लाभांश की रकम कंपनी द्वारा उस सदस्य को, जो उसका हकदार है, बिना शर्त उपलब्ध की गई हो ।]

9. भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई आय—(1) निम्नलिखित आय भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाएगी—

(i) भारत में किसी कारबारी सम्पर्क के द्वारा या उससे, भारत में किसी सम्पत्ति के द्वारा या उससे या भारत में किसी आस्ति या आय के स्रोत के द्वारा या उससे [5]*** किसी धन के द्वारा या उससे या भारत में स्थित पूंजी आस्ति के अंतरण के द्वारा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सब आय ।

स्पष्टीकरण—[6][(1)] इस खंड के प्रयोजनों के लिए—

(क) ऐसे कारबार की दशा में जिसकी सब संक्रियाएं भारत में नहीं की जाती हैं, कारबार की ऐसी आय, जिसके बारे में इस खंड के अधीन यह समझा जाता है कि वह भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई है, उस कारबार की आय का केवल उतना भाग होगी जितना कि भारत में की गई संक्रियाओं से हुआ युक्तियुक्त रूप में माना जा सकता है;

(ख) अनिवासी की दशा में, उसे ऐसी संक्रियाओं के द्वारा या उनसे, जो निर्यात के प्रयोजन के लिए भारत में माल के क्रय तक सीमित है, कोई आय भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई नहीं समझी जाएगी;

[7]* * * * *

[8][(ग) अनिवासी की दशा में, जो ऐसा व्यक्ति है जो समाचार एजेंसी चलाने के या समाचार-पत्र, मैगजीन या पत्रिकाओं के प्रकाशन के कारबार में लगा हुआ है, उसे ऐसे क्रियाकलापों के द्वारा या उनसे, जो भारत से बाहर पारेषण के लिए भारत में समाचार और विचार एकत्र करने तक सीमित है कोई आय भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई नहीं समझी जाएगी;]

[9][(घ) अनिवासी की दशा में जो—

(1) ऐसा व्यष्टि है जो भारत का नागरिक नहीं है; या

---

[1] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 4 द्वारा (1-4-2004 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 4 द्वारा (1-4-2004 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 5 द्वारा (1-4-1965 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 5 द्वारा (1-4-1965 से) अंत:स्थापित ।
[5] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 4 द्वारा (1-6-1976 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
[6] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 5 द्वारा (1-4-2003 से) पुन:संख्यांकित ।
[7] 1964 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा (1-4-1964 से) परन्तुक का लोप किया गया ।
[8] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 4 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अन्त:स्थापित ।
[9] 1984 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 67 की धारा 3 द्वारा (1-4-1982 से) अन्त:स्थापित ।

(2) ऐसी फर्म है जिसका कोई ऐसा भागीदार नहीं है जो भारत का नागरिक है या जो भारत में निवासी है; या

(3) ऐसी कम्पनी है जिसका कोई ऐसा शेयर धारक नहीं है जो भारत का नागरिक है या जो भारत में निवासी है,

ऐसे व्यष्टि, फर्म या कंपनी को ऐसी संक्रियाओं के द्वारा उनसे, जो भारत में किसी चलचित्र फिल्म की शूटिंग तक सीमित है, कोई आय भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई नहीं समझी जाएगी;]

[1][(ङ) हीरों के खनन के कारबार में लगी किसी विदेशी कंपनी की दशा में कोई आय ऐसे क्रियाकलापों के माध्यम से या क्रियाकलापों से जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किसी विशेष जोन में बिना कटे और बिना छंटे हीरे के प्रदर्शन तक सीमित हैं, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई नहीं समझी जाएगी ।]

[2][**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि "कारबारी सम्पर्क" में कोई कारबार क्रियाकलाप सम्मिलित होंगे जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं जिसे अनिवासी की ओर से,—

(क) संविदाओं को अंतिम रूप देने का प्राधिकार है और वह अभ्यासत: भारत में अनिवासी की ओर से उसका प्रयोग करता है परंतु यह तब जबकि उसके क्रियाकलाप अनिवासी के लिए माल या वाणिज्या के क्रय तक सीमित नहीं हैं; या

(ख) ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है, किन्तु भारत में अनिवासी की ओर से माल या वाणिज्या का अभ्यासत: स्टाक रखता है जिससे वह अनिवासी की ओर से माल या वाणिज्या का नियमित रूप से परिदान करता है; या

(ग) अभ्यासत: भारत में अनिवासी के लिए या उस अनिवासी और अन्य अनिवासियों की ओर से, जो नियंत्रण करते हैं या उनके द्वारा नियंत्रित हैं या उसी सम्मिलित नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जो अनिवासी का है, मुख्य रूप से या पूर्ण रूप से आर्डर प्राप्त करता है :

परंतु यह कि ऐसे कारबारी संपर्क में किसी दलाल, साधारण कमीशन अभिकर्ता या किसी अन्य अभिकर्ता के द्वारा, जिसकी कोई स्वतंत्र प्रास्थिति है, किया जाने वाला कोई कारबारी क्रियाकलाप सम्मिलित नहीं होगा यदि ऐसा दलाल, साधारण कमीशन अभिकर्ता या कोई अन्य अभिकर्ता, जिसकी कोई स्वतंत्र प्रास्थिति है, अपने कारबार के साधारण अनुक्रम में कार्य कर रहा है :

परन्तु यह और कि जहां ऐसा दलाल, साधारण कमीशन अभिकर्ता या कोई अन्य अभिकर्ता प्रधानत: या पूर्णत: किसी अनिवासी की ओर से (जिसे इस परन्तुक में इसके पश्चात् प्रधान अनिवासी कहा गया है) या ऐसे अनिवासी और अन्य अनिवासियों की ओर से, जो प्रधान अनिवासी द्वारा नियंत्रित है या प्रधान अनिवासी में नियंत्रक हित रखते हैं या प्रधान अनिवासी के रूप में है, एक ही समान नियंत्रण के अध्यधीन है, कार्य करता है तो वह दलाल, साधारण कमीशन अभिकर्ता या स्वतंत्र हैसियत का अभिकर्ता नहीं समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 3—जहां कारबार भारत में स्पष्टीकरण 2 के खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति के माध्यम से किया जाता है, वहां केवल ऐसी आय जो भारत में की गई संक्रियाओं से संबंधित है, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत आय समझी जाएगी ।

[3][**स्पष्टीकरण 4**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "के द्वारा" पद से, "के साधनों द्वारा", "के परिणामस्वरूप" या "के कारण" अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि यह सदैव से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत सम्मिलित है ।

स्पष्टीकरण 5—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी किसी आस्ति या पूंजी आस्ति के बारे में, जो भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या सत्ता में किसी शेयर या हित के रूप में है, यह समझा जाएगा और सदैव से यह समझा जाएगा कि वह भारत में स्थित है, यदि उस शेयर या हित का अपना मूल्य प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: सारवान् रूप से भारत में अवस्थित आस्तियों से व्युत्पन्न होता है :]

[4][परन्तु इस स्पष्टीकरण में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसी आस्ति या पूंजी आस्ति को लागू नहीं होगी, जो किसी अनिवासी द्वारा 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2015 से पहले प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 115कघ के स्पष्टीकरण के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: विनिधान के रूप में धारित की गई है :]

[5][परन्तु यह और कि इस स्पष्टीकरण में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसी आस्ति या पूंजी आस्ति को लागू नहीं होगी, जो किसी अनिवासी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1922 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2014 के अधीन प्रवर्ग-I या प्रवर्ग-II विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: विनिधान के रूप में धारित की गई है ।]

[6][**स्पष्टीकरण 6**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि,—

(क) स्पष्टीकरण 5 में निर्दिष्ट शेयर या हित का, भारत में अवस्थित आस्तियों से (चाहे वे मूर्त हों या अमूर्त हों) उसका मूल्य सारवान रूप में व्युत्पन्न हुआ समझा जाएगा यदि विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसी आस्तियों का मूल्य,—

(i) दस करोड़ रुपए की रकम से अधिक हो जाता है; और

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 5 द्वारा (1-4-2003 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2017 के अधिनियम सं० 3 की धारा 4 द्वारा (1-4-2012 से) अंत:स्थापित ।
[5] 2017 के अधिनियम सं० 3 की धारा 4 द्वारा (1-4-2015 से) अंत:स्थापित ।
[6] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ii) यथास्थिति, कंपनी या सत्ता के स्वामित्वाधीन सभी आस्तियों के मूल्य का कम से कम पचास प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है;

(ख) किसी आस्ति का मूल्य आस्ति के संबंध में दायित्वों को, यदि कोई हों, घटाए बिना ऐसी आस्ति का, विनिर्दिष्ट तारीख को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित उचित बाजार मूल्य होगा;

(ग) "लेखा अवधि" से मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाली बारह मास की प्रत्येक अवधि अभिप्रेत है :

परन्तु जहां स्पष्टीकरण 5 में निर्दिष्ट कोई कंपनी या सत्ता—

(i) कर प्रयोजनों के लिए उस राज्यक्षेत्र की, जिसकी वह निवासी है, कर विधियों के उपबंधों का अनुपालन करने; या

(ii) शेयर या हित धारण करने वाले व्यक्तियों को रिपोर्ट करने,

के प्रयोजन के लिए मार्च के इकतीसवें दिन से भिन्न किसी दिन को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि को नियमित रूप से अंगीकार करती है तो ऐसे भिन्न दिन को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि, यथास्थिति, कंपनी या सत्ता की लेखा अवधि होगी :

परन्तु यह और कि, यथास्थिति, कंपनी या सत्ता की प्रथम लेखा अवधि उसके रजिस्ट्रीकरण या निगमन की तारीख से प्रारंभ होगी और ऐसे रजिस्ट्रीकरण या निगमन की तारीख के पश्चात्, यथास्थिति, मार्च के इकतीसवें दिन को या किसी अन्य दिन को समाप्त होगी और पश्चात्वर्ती लेखा अवधि बारह मास की क्रमवर्ती अवधियां होंगी :

परन्तु यह भी कि यदि कंपनी या सत्ता यथा पूर्वोक्त लेखा अवधि के समाप्त होने के पूर्व अस्तित्व में रहती है तो लेखा अवधि यथास्थिति, कंपनी या सत्ता के अस्तित्व में न रहने के ठीक पूर्व समाप्त हो जाएगी;

(घ) "विनिर्दिष्ट तारीख" से,—

(i) ऐसी तारीख अभिप्रेत है, जिसको, यथास्थिति, कंपनी या सत्ता की लेखा अवधि किसी शेयर या हित के अंतरण की तारीख के पूर्व समाप्त होती है; या

(ii) अंतरण की तारीख अभिप्रेत है, यदि, अंतरण की तारीख को, यथास्थिति, कंपनी या सत्ता की आस्तियों का बही मूल्य उपखंड (i) में निर्दिष्ट तारीख को यथाविद्यमान आस्तियों के बही मूल्य से पन्द्रह प्रतिशत अधिक हो जाता है ।

स्पष्टीकरण 7—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) कोई आय, स्पष्टीकरण 5 में निर्दिष्ट ऐसी किसी कंपनी या सत्ता के जो भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित हो, किसी शेयर या उसमें के किसी हित का भारत के बाहर अंतरण से किसी अनिवासी को उस दशा में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई नहीं समझी जाएगी,—

(i) यदि भारत में स्थित आस्तियां प्रत्यक्षत: ऐसी कंपनी या सत्ता के स्वामित्वाधीन हैं और अंतरक (चाहे व्यष्टिक रूप से या अपने सहयुक्त उद्यमों के साथ), अंतरण की तारीख के पूर्व बारह मास में किसी भी समय, यथास्थिति, ऐसी कंपनी या सत्ता के संबंध में, न तो प्रबंध या नियंत्रण का अधिकार धारण करता है और न ही ऐसी कंपनी या सत्ता की कुल मतदान शक्ति या कुल शेयर पूंजी या कुल हित के पांच प्रतिशत से अधिक मतदान शक्ति या शेयर पूंजी या हित धारण करता है; या

(ii) यदि भारत में स्थित आस्तियां अप्रत्यक्षत: ऐसी कंपनी या अस्तित्व के स्वामित्वाधीन हैं और अंतरक (चाहे व्यष्टिक रूप से या अपने सहयुक्त उद्यमों के साथ), अंतरण की तारीख के पूर्व बारह मास में किसी भी समय, यथास्थिति, ऐसी कंपनी या सत्ता के संबंध में न तो प्रबंध या नियंत्रण का अधिकार धारण करता है और न ही ऐसी कंपनी या सत्ता में या उसके संबंध में कोई ऐसा अधिकार धारण करता है जो उसे ऐसी कंपनी या सत्ता में, जो भारत में स्थित आस्तियों की प्रत्यक्षत: स्वामी है, प्रबंध या नियंत्रण के अधिकार का हकदार बनाता हो और न ही ऐसी कंपनी या सत्ता में ऐसी मतदान शक्ति या शेयर पूंजी या हित की ऐसी प्रतिशतता धारित करता हो जिसकी परिणति, यथास्थिति, उस कंपनी या सत्ता की, जो भारत में स्थित आस्तियों की प्रत्यक्षत: स्वामी हो, कुल मतदान शक्ति या कुल शेयर पूंजी या कुल हित के पांच प्रतिशत से अधिक मतदान शक्ति या शेयर पूंजी या हित धारण करने में (चाहे व्यष्टिक रूप से या सहयुक्त उद्यमों के साथ) होती है;

(ख) ऐसी किसी दशा में, जहां कि स्पष्टीकरण 5 में निर्दिष्ट, यथास्थिति, किसी कंपनी या सत्ता के प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: स्वामित्वाधीन सभी आस्तियां भारत में अवस्थित नहीं हैं; अनिवास अंतरक की, ऐसी कंपनी या सत्ता के किसी शेयर या उसमें के हित के भारत के अंतरण से, इस खंड के अधीन भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई आय का केवल ऐसा भाग होगी जो भारत में अवस्थित आस्तियों के कारण युक्तियुक्त रूप से हुई मानी जा सकती है और वह ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जो विहित की जाए;

(ग) "सहयुक्त उद्यम" का वही अर्थ होगा जो धारा 92क में उसका है;]

(ii) ऐसी आय जो "वेतन" शीर्ष के अधीन आती है, यदि वह भारत में उपार्जित की जाती है ।

[1][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस खंड में निर्दिष्ट प्रकृति की आय, जो—

(क) भारत में की गई सेवा के लिए; और

(ख) ऐसी विश्राम अवधि या छुट्टी की अवधि के लिए, जो भारत में की गई सेवाओं के पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती है और जो नियोजन की सेवा-संविदा का भाग है,

संदेय है, भारत में उपार्जित आय समझी जाएगी;]

(iii) "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य ऐसी आय जो भारत के बाहर सेवा के लिए भारत के किसी नागरिक को सरकार द्वारा संदेय हो;

(iv) ऐसा लाभांश जो किसी भारतीय कंपनी द्वारा भारत के बाहर संदत्त किया गया हो;

[2][(v) निम्नलिखित द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय, अर्थात् :—

(क) सरकार; या

(ख) कोई व्यक्ति जो निवासी है, उस दशा के सिवाय जब ब्याज ऐसे ऋण, या ऐसे धन की बाबत संदेय है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर चलाए जाने वाले कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए या भारत से बाहर किसी स्रोत से कोई आय पैदा करने या उपार्जित करने के प्रयोजनों के लिए उपगत किया गया है, या उधार लिया गया है और उपयोग किया गया है;

(ग) कोई व्यक्ति जो अनिवासी है, उस दशा में जब ब्याज, ऐसे ऋण, या ऐसे धन की बाबत संदेय है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत में चलाए जाने वाले कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपगत किया गया है, या उधार लिया गया है और उपयोग किया गया है ।

[3][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) यह घोषित किया जाता है कि किसी अनिवासी की दशा में, जो बैंककारी कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति है, ऐसे अनिवासी के भारत में के स्थायी स्थापन द्वारा ऐसे अनिवासी के भारत के बाहर के प्रधान कार्यालय या किसी स्थायी स्थापन या किसी अन्य भाग को संदेय कोई ब्याज भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ समझा जाएगा और वह भारत में के स्थायी स्थापन को हुई मानी जा सकने वाली किसी आय के अतिरिक्त कर से प्रभार्य होगी और भारत में के स्थायी स्थापन को उस अनिवासी व्यक्ति से पृथक् और स्वतंत्र व्यक्ति समझा जाएगा जिसका कि वह स्थायी स्थापन है और कुल आय की संगणना, कर के अवधारण और संग्रहण तथा वसूली से संबंधित अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे;

(ख) "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ होगा जो धारा 92च के खंड (iiiक) में उसका है;]

(vi) निम्नलिखित द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय, अर्थात् :—

(क) सरकार; या

(ख) कोई व्यक्ति जो निवासी है, उस दशा के सिवाय जब स्वामिस्व ऐसे अधिकार, संपत्ति या प्रयुक्त जानकारी या उपयोजित सेवाओं की बाबत संदेय है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर चलाए जाने वाले कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है या भारत से बाहर किसी स्रोत से कोई आय पैदा करने या उपार्जित करने के प्रयोजनों के लिए है; या

(ग) कोई व्यक्ति जो अनिवासी है, उस दशा में जब स्वामिस्व किसी ऐसे अधिकार, संपत्ति या प्रयुक्त जानकारी या उपयोजित सेवाओं की बाबत संदेय है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत में चलाए जाने वाले कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए या भारत में किसी स्रोत से कोई आय पैदा करने या उपार्जित करने के लिए है :

परन्तु इस खंड की कोई बात स्वामिस्व के रूप में आय के उतने भाग के संबंध में जो किसी पेटेन्ट, आविष्कार, प्रतिमान, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या व्यापार चिह्न या समरूप संपत्ति के बारे में किसी डाटा, दस्तावेजकरण, रेखांकन या विनिर्देश के भारत के बाहर अन्तरण के लिए या उनके संबंध में भारत के बाहर कोई जानकारी देने के लिए एकमुश्त प्रतिफल के रूप में है, उस दशा में लागू नहीं होगी जिसमें ऐसी आय 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किए गए किसी करार के अनुसरण में संदेय है और ऐसे करार का केंद्रीय सरकार ने अनुमोदन कर दिया है :

---

[1] 1996 के अधिनियम सं० 27 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 4 द्वारा (1-6-1976 से) अंत:स्थापित ।

[3] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][परन्तु यह और कि इस खंड की कोई बात स्वामिस्व के रूप में आय के उतने भाग के संबंध में लागू नहीं होगी जो भारत सरकार की कंप्यूटर प्रक्रिया सामग्री निर्यात, प्रक्रिया सामग्री विकास और प्रशिक्षण नीति, 1986 के अधीन अनुमोदित किसी स्कीम के अधीन कंप्यूटर या कंप्यूटर आधारित उपस्कर के साथ किसी अनिवासी विनिर्माता द्वारा प्रदाय की गई कंप्यूटर प्रक्रिया सामग्री की बाबत सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के लिए किसी व्यक्ति द्वारा, जो निवासी है, एकमुश्त संदाय के रूप में है ।]

स्पष्टीकरण 1—[2][पहले] परन्तुक के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् किया गया कोई करार उस तारीख के पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्थापनों के अनुसार किया गया है; किन्तु जहां स्वामिस्व के रूप में आय का प्राप्तिकर्ता कोई विदेशी कंपनी है वहां वह करार उस तारीख के पूर्व किया गया तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि 1 अप्रैल, 1977 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष या उस निर्धारण वर्ष के लिए जिसके संबंध में ऐसी आय इस अधिनियम के अधीन पहली बार कराधेय होती है, इनमें जो भी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष है, आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञात समय की (चाहे वह मूलत: या बढ़ाकर नियत किया गया हो) समाप्ति के पूर्व, ऐसी कंपनी आय-कर अधिकारी को लिखित रूप में यह घोषणा प्रस्तुत करके विकल्प का (ऐसा विकल्प उस निर्धारण वर्ष और प्रत्येक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिए अंतिम होगा) प्रयोग नहीं करता है कि ऐसा करार 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया करार समझा जाए ।

स्पष्टीकरण 2—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "स्वामिस्व" से अभिप्रेत है निम्नलिखित के लिए कोई प्रतिफल (जिसके अंतर्गत एकमुश्त प्रतिफल भी है किन्तु वह प्रतिफल नहीं है जो प्राप्तिकर्ता को "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय होगी), अर्थात् :—

(i) किसी पेटेन्ट, आविष्कार, प्रतिमान, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या व्यापार चिह्न या समरूप संपत्ति के संबंध में सब या किन्हीं अधिकारों का अंतरण (जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना भी है);

(ii) किसी पेटेन्ट, आविष्कार, प्रतिमान, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या व्यापार चिह्न या समरूप संपत्ति का कार्यकरण या उपयोग के सम्बन्ध में कोई जानकारी देना;

(iii) किसी पेटेन्ट, आविष्कार, प्रतिमान, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या व्यापार चिह्न या समरूप संपत्ति का उपयोग;

(iv) तकनीकी, औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल के संबंध में कोई जानकारी देना;

[3][(ivक) किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपस्कर का उपयोग या उपयोग करने का अधिकार किन्तु इसके अंतर्गत धारा 44खख में निर्दिष्ट रकमें नहीं हैं;]

(v) किसी प्रतिलिप्यधिकार, साहित्यिक, कलात्मक, या वैज्ञानिक कृति के, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन से संबंधित उपयोग के लिए फिल्म या वीडियो टेप अथवा रेडियो प्रसारण से संबंधित उपयोग के लिए टेप भी है, संबंध में सब या किन्हीं अधिकारों का अंतरण (जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना भी है) किन्तु जिसके अन्तर्गत सिनेमा फिल्मों के विक्रय, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल नहीं है;

(vi) [4][उपखंड (i) से उपखंड (iv), उपखंड (ivक) और उपखंड (v)] तक में निर्दिष्ट क्रियाकलापों के संबंध में कोई सेवाएं करना;]

[5][**स्पष्टीकरण 3**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर" से किसी डिस्क, टेप, छिद्रित माध्यम या अन्य सूचना संग्रह युक्ति पर रिकार्ड किया गया कोई कम्प्यूटर कार्यक्रम अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा कार्यक्रम या कोई ग्राहक-अपेक्षित इलैक्ट्रानिक डाटा भी है ।]

[6][**स्पष्टीकरण 4**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी अधिकार, संपत्ति या जानकारी की बाबत सभी या किन्हीं अधिकारों के अंतरण के अंतर्गत उसके उपयोग संबंधी सभी या किसी अधिकार अथवा कम्प्यूटर साफ्टवेयर के उपयोग के (जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना भी है) अधिकार का अंतरण, उस माध्यम को विचार में लिए बिना, जिसके माध्यम से ऐसा अधिकार अंतरित किया जाता है, सम्मिलित है और सदैव से सम्मिलित है ।

स्पष्टीकरण 5—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वामिस्व के अंतर्गत किसी ऐसे अधिकार, संपत्ति या जानकारी की बाबत प्रतिफल सम्मिलित है और सदैव से सम्मिलित है, चाहे—

---

[1] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 4 द्वारा (1-4-1991 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 4 द्वारा (1-4-1991 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

(क) ऐसे अधिकार, संपत्ति या जानकारी का कब्जा या नियंत्रण संदायकर्ता के पास है या नहीं;

(ख) ऐसे अधिकार, संपत्ति या जानकारी का संदायकर्ता द्वारा प्रत्यक्षतया प्रयोग किया जाता है या नहीं;

(ग) ऐसे अधिकार, संपत्ति या जानकारी का अवस्थान भारत में है या नहीं ।

स्पष्टीकरण 6—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "प्रक्रिया" पद के अंतर्गत सेटेलाइट (जिसके अंतर्गत किसी सिगनल की अप-लिंकिंग, एमप्लिफिकेशन डाउनलिंकिंग के लिए संपरिर्तन भी है), केबल, आप्टिक फाइबर द्वारा या किसी अन्य वैसी ही प्रौद्योगिकी द्वारा पारेषण सम्मिलित है और सदैव से सम्मिलित समझा जाएगा, चाहे ऐसी प्रक्रिया गोपनीय हो या नहीं;]

(vii) निम्नलिखित द्वारा संदेय तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय, अर्थात् :—

(क) सरकार; या

(ख) कोई व्यक्ति जो निवासी है, उस दशा के सिवाय जब फीस ऐसे व्यक्तियों द्वारा भारत से बाहर चलाए जाने वाले कारबार या वृत्ति में भारत से बाहर किसी स्रोत से आय पैदा करने या उपार्जित करने के प्रयोजनों के लिए उपयोजित सेवाओं की बाबत संदेय है; या

(ग) कोई व्यक्ति जो अनिवासी है, उस दशा में जब फीस ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत में चलाए जाने वाले किसी कारबार या वृत्ति में या भारत में किसी स्रोत से आय पैदा करने या उपार्जित करने के प्रयोजनों के लिए उपयोजित सेवाओं की बाबत संदेय है :

[1][परन्तु इस खण्ड की कोई बात, 1 अप्रैल, 1976 के पहले किए गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित करार के अनुसरण में संदेय तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी ।]

[2][**स्पष्टीकरण 1**—पूर्वगामी परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् किया गया कोई करार उस तारीख के पहले किया गया करार समझा जाएगा यदि करार ऐसी प्रस्थापनाओं के अनुसरण में किया जाता है जिनका केन्द्रीय सरकार ने उस तारीख के पहले अनुमोदन कर दिया है ।]

[2][**स्पष्टीकरण 2**—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" से कोई प्रबन्धकीय, तकनीकी या परामर्श सेवाएं करने के लिए (जिनके अन्तर्गत तकनीकी या अन्य कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था भी है प्रतिफल अभिप्रेत है) जिसके अन्तर्गत एकमुश्त प्रतिफल भी है किन्तु जिसके अन्तर्गत किसी सन्निर्माण, समुच्चय, खनन या इसी प्रकार की किसी परियोजन के लिए प्रतिफल नहीं है जिसके लिए प्राप्तिकर्ता द्वारा वचनबद्ध किया गया है या वह प्रतिफल भी नहीं है जो "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य प्राप्तिकर्ता की आय होगी ।]

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी पेंशन जो भारत के बाहर स्थायी रूप से निवास करने वाले किसी व्यक्ति को भारत के बाहर संदेय हो, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई नहीं समझी जाएगी यदि ऐसी पेंशन, संविधान के अनुच्छेद 314 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को संदेय हो या ऐसे व्यक्ति को संदेय हो, जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के अर्थ में फेडरल न्यायालय का या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 1947 के अगस्त के 15वें दिन के पूर्व नियुक्त किया गया था और संविधान के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात् भारत में न्यायाधीश के रूप में सेवा करता रहा है ।

[3][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी अनिवासी की आय उपधारा (1) के खंड (v) या खंड (vi) या खंड (vii) के अधीन भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाएगी और ऐसे अनिवासी की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी, चाहे,—

(i) अनिवासी का भारत में कोई निवास या कारबार का स्थान या कारबार का संबंध हो अथवा नहीं; या

(ii) अनिवासी ने भारत में सेवाएं प्रदान की हों अथवा नहीं ।]

[4][**9क. कतिपय क्रियाकलापों से भारत में कारबारी संपर्क गठित न होना**—(1) धारा 9 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी पात्र विनिधान निधि की दशा में, ऐसी निधि की ओर से कार्य करने वाले किसी पात्र निधि प्रबंधक के माध्यम से किए गए निधि प्रबंधन क्रियाकलाप से उक्त निधि का भारत में कारबारी संपर्क गठित नहीं होगा ।

(2) धारा 6 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पात्र विनिधान निधि को, केवल इस कारण से कि उसकी ओर से निधि प्रबंधन क्रियाकलाप करने वाला पात्र निधि प्रबंधक भारत में स्थित है, उस धारा के प्रयोजन के लिए भारत में निवासी नहीं कहा जाएगा ।

---

[1] 1977 के अधिनियम सं० 29 की धारा 4 द्वारा (1-4-1977 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1977 के अधिनियम सं० 29 की धारा 4 द्वारा (1-4-1977 से) पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण 2 के रूप में पुन:संख्यांकित और उसके पहले स्पष्टीकरण 1 अंत:स्थापित ।

[3] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 6 द्वारा (1-4-2016 से) अंत:स्थापित ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पात्र विनिधान निधि से भारत के बाहर स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत ऐसी निधि अभिप्रेत है, जो अपने सदस्यों के फायदे के लिए निधियां उसका विनिधान करने हेतु अपने सदस्यों से संगृहीत करती है और निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है, अर्थात् :—

(क) निधि भारत में निवासी व्यक्ति नहीं है;

(ख) निधि ऐसी किसी देश या किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की निवासी है जिसके साथ धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार किया गया है [1][या जिसे इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत किया गया है;]

(ग) भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा निधि में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, संकलित सहभागिता या विनिधान समग्र निधि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होता है;

(घ) निधि और उसके क्रियाकलाप, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में जहां वह स्थापित या निगमित किया जाता है या कोई निवासी है, लागू विनिधानकर्ता संरक्षण विनियमों के अध्यधीन हैं;

(ङ) निधि में कम से कम पच्चीस सदस्य हैं जो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: संबद्ध व्यक्ति नहीं हैं;

(च) संबद्ध व्यक्तियों सहित निधि का कोई भी सदस्य, निधि में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: दस प्रतिशत से अधिक कोई सहभागिता हित नहीं रखेगा;

(छ) निधि में दस या उससे कम सदस्यों का उनके संबद्ध व्यक्तियों सहित प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: संकलित सहभागिता हित पचास प्रतिशत से कम होगा;

(ज) निधि किसी सत्ता में के अपने समग्र अंश के बीस प्रतिशत से अधिक का विनिधान नहीं करेगी;

(झ) निधि अपनी सहयुक्त सत्ता में कोई विनिधान नहीं करेगी;

(ञ) समग्र निधि का मासिक औसत एक अरब रुपए से कम नहीं होगा :

परंतु यदि निधि पूर्ववर्ष में स्थापित या निगमित की गई है तो समग्र निधि ऐसे पूर्ववर्ष के अंत में एक अरब रुपए से कम की नहीं होगी :

[2][परन्तु यह और कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसी निधि को लागू नहीं होगी जिसका परिसमापन पूर्ववर्ष में हो गया था;]

(ट) निधि, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: भारत में [3]*** कोई कारबार नहीं करेगी या उसे नियंत्रित या उसका प्रबंधन नहीं करेगी;

(ठ) निधि न तो किसी ऐसे क्रियाकलाप में जिससे भारत में कारबारी संपर्क गठित होता हो, लगी हुई है और न ही उसमें, उसकी ओर से कार्य करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके, उसकी ओर से पात्र निधि प्रबंधक द्वारा किए गए क्रियाकलापों से भिन्न, क्रियाकलापों से भारत में कारबारी संपर्क गठित होता है;

(ड) निधि द्वारा पात्र निधि प्रबंधक को उसके द्वारा किए गए निधि प्रबंधन क्रियाकलाप की बाबत संदत्त पारिश्रमिक उक्त क्रियाकलाप की असन्निकट कीमत से कम नहीं है :

परंतु खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) में विनिर्दिष्ट शर्तें किसी विदेशी राज्य की सरकार या सेंट्रल बैंक द्वारा गठित किसी विनिधान निधि या किसी प्रभुत्वसंपन्न निधि या ऐसी अन्य निधि को, जो केन्द्रीय सरकार शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, लागू नहीं होगी ।

(4) किसी पात्र विनिधान निधि के संबंध में पात्र निधि प्रबंधक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निधि प्रबंधन के क्रियाकलाप में लगा हुआ है और निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है, अर्थात् :—

(क) व्यक्ति, पात्र विनिधान निधि या निधि के संबद्ध व्यक्ति का कोई कर्मचारी नहीं है;

(ख) व्यक्ति विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार निधि प्रबंधक या विनिधान सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(ग) व्यक्ति अपने कारबार के सामान्य अनुक्रम में निधि प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है;

(घ) व्यक्ति अपने से संबद्ध व्यक्तियों के साथ, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: निधि प्रबंधक के माध्यम से निधि द्वारा किए गए संव्यवहारों से पात्र विनिधान को प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले लाभों के बीस प्रतिशत से अधिक का हकदार नहीं होगा ।

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 6 द्वारा (1-4-2017 से) अंत:स्थापित ।

[2] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 5 द्वारा (1-4-2016 से) अंत:स्थापित ।

[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 6 द्वारा (1-4-2017 से) लोप किया गया ।

(5) प्रत्येक पात्र विनिधान निधि, किसी वित्तीय वर्ष में अपने क्रियाकलापों के संबंध में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नब्बे दिन के भीतर विहित प्ररूप में एक विवरण, विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी जिसमें इस धारा में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के संबंध में सूचना अंतर्विष्ट होगी और वह ऐसी अन्य सुसंगत सूचना या दस्तावेज भी, जो विहित किए जाएं उपलब्ध कराएगी ।

(6) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, पात्र विनिधान निधि की कुल आय से किसी ऐसी आय को अपवर्जित करने के प्रति लागू नहीं होगी, जिसे इस बात पर विचार किए बिना कि क्या पात्र निधि प्रबंधक के क्रियाकलाप से ऐसी निधि का भारत में कारबारी संपर्क गठित होता है या नहीं, सम्मिलित किया गया हो ।

(7) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात का पात्र निधि प्रबंधक की दशा में कुल आय की व्याप्ति या कुल आय के अवधारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(8) इस धारा के उपबंध ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार और ऐसी रीति से लागू किए जाएंगे जो बोर्ड इस निमित्त विहित करे ।

(9) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "सहयुक्त" से ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसमें विनिधान निधि का कोई निदेशक या न्यासी या भागीदार या सदस्य या निधि प्रबंधक या ऐसी निधि के निधि प्रबंधक का कोई निदेशक या न्यासी या भागीदार या सदस्य, व्यष्टिक रूप से या सामूहिक रूप से ऐसा शेयर या हित धारण करता है जो उसकी, यथास्थिति, शेयर पूंजी या हित के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है;

(ख) "संबद्ध व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो धारा 102 के खंड (4) में उसका है;

(ग) "समग्रअंश" से पात्र विनिधान निधि द्वारा विनिधान के प्रयोजन के लिए किसी विशिष्ट तारीख को जुटाई गई निधियों की कुल रकम अभिप्रेत है;

(घ) "सत्ता" से ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसमें कोई पात्र विनिधान निधि कोई विनिधान करती है;

(ङ) "विनिर्दिष्ट विनियमों" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विभाग प्रबंधक) विनियम, 1993 या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विनिधान सलाहकार) विनियम, 2013 या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए ऐसे अन्य विनियम अभिप्रेत हैं जो इस खंड के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ।]

अध्याय 3

आय जो कुल आय का भाग नहीं है

10. आय जो कुल आय के अन्तर्गत नहीं आती है—किसी व्यक्ति की किसी पूर्ववर्ष की कुल आय संगणित करने में निम्नलिखित खण्डों में से किसी में आने वाली कोई आय उसमें सम्मिलित नहीं की जाएगी—

(1) कृषि-आय;

(2) [1][धारा 64 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए] हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा प्राप्त कोई राशि जहां ऐसी कोई राशि कुटुम्ब की आय में से संदत्त की गई हो या किसी अविभाज्य संपदा की दशा में जहां ऐसी राशि कुटुम्ब की संपदा की आय में से संदत्त की गई हो;

[2][(2क) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी ऐसी फर्म का भागीदार है जिसका उस रूप में पृथक्त: निर्धारण किया जाता है, फर्म की कुल आय में उसका अंश ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उस रूप में पृथक्त: निर्धारित किसी फर्म की कुल आय में किसी भागीदार का अंश किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वह रकम होगा जिसका फर्म की कुल आय से वही अनुपात है जो भागीदारी विलेख के अनुसार फर्म के लाभों में उसके अंश की रकम का ऐसे लाभों से है;]

[3]* * * * *

[4][(4) (i) किसी अनिवासी की दशा में, कोई ऐसी आय जो उन प्रतिभूतियों या बंधपत्रों पर ब्याज के रूप में हुई हो, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, जिसके अन्तर्गत ऐसे बंधपत्रों के मोचन पर प्रीमियम के रूप में होने वाली आय है ।]

---

[1] 1970 के अधिनियम सं० 42 की धारा 3 द्वारा (1-4-1971 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा (1-4-1993 से) अंत:स्थापित ।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (1-4-2003 से) लोप किया गया ।
[4] 1988 के अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित ।

[1][परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार, इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् ऐसी प्रतिभूतियों या बंधपत्रों को विनिर्दिष्ट नहीं करेगी;]

[2][(ii) किसी व्यष्टि की दशा में, कोई ऐसी आय जो भारत में किसी बैंक में अनिवासी (विदेशी) खाते में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उसके खाते में जमा धन पर ब्याज के रूप में हुई हो :

परन्तु यह तब जब कि ऐसा व्यष्टि, उक्त अधिनियम की धारा 2 के [3][खण्ड (ब)] में परिभाषित भारत के बाहर निवासी व्यक्ति है, अथवा वह व्यक्ति है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोक्त खाता रखने की अनुमति दी है ।]

[4]* * * * *

[5][(4ख) भारत के ऐसे नागरिक या भारतीय उद्भव के ऐसे व्यष्टि की दशा में जो अनिवासी है कोई ऐसी आय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा [6][1 जून, 2002 से पहले पुरोधृत ऐसे बचत-पत्रों पर] ब्याज से हुई हो जो वह सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु यह तब जबकि उस व्यष्टि ने ऐसे बचत-पत्रों के लिए भारत के बाहर के किसी देश से [7][विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42)] और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में अभिदाय प्रेषित किया है ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए—

(क) कोई व्यक्ति भारतीय उद्भव का समझा जाएगा यदि वह, या उसके माता-पिता या पितामह-पितामही, मातामह-मातामही में से कोई, अविभाजित भारत में जन्मा था;

(ख) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" से अभिप्रेत है ऐसी विदेशी मुद्रा जो तत्समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा [7][विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42)] और तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा मानी जाती है;]

[8][(5) किसी व्यष्टि की दशा में, ऐसी शर्तों के (जिसके अन्तर्गत यात्राओं की संख्या और उस रकम के बारे में, जो प्रति व्यक्ति छूट प्राप्त होगी, शर्तें भी हैं) अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंजूर की गई यात्रा रियायत या सहायता को ध्यान में रखते हुए विहित की जाएं, किसी ऐसी यात्रा रियायत या सहायता का मूल्य, जो ऐसे व्यष्टि को—

(क) भारत में किसी स्थान के लिए छुट्टी पर जाने के सम्बन्ध में अपने और अपने कुटुम्ब के लिए अपने नियोजक से प्राप्त या प्राप्य हो;

(ख) सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् या सेवा की समाप्ति के पश्चात् भारत में किसी स्थान पर जाने के सम्बन्ध में अपने और अपने कुटुम्ब के लिए अपने नियोजक या पूर्व नियोजक से प्राप्त या प्राप्य हो :

परन्तु इस खण्ड के अधीन छूट प्राप्त रकम किसी भी दशा में ऐसी यात्रा के प्रयोजन के लिए वास्तव में उपगत व्यय की रकम से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यष्टि के सम्बन्ध में, "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है :—

(i) व्यष्टि का पति या पत्नी और सन्तान; और

(ii) व्यष्टि के माता-पिता, भाई और बहन या उनमें से कोई, जो व्यष्टि पर पूर्णत: या मुख्यत: आश्रित है;]

[9]* * * *

[10]* * * *

(6) ऐसे व्यष्टि की दशा में जो भारत का नागरिक नहीं है—

[10]* * * *

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (1-4-2003 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 5 द्वारा (1-4-1991 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 6 द्वारा (1-4-2013 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 5 द्वारा (1-4-2006 से) अंत:स्थापित और 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा (1-4-2006) से लोप किया जाएगा ।
[5] 1982 के अधिनियम सं० 14 की धारा 4 द्वारा (1-4-1983 से) अंत:स्थापित ।
[6] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (1-4-2003 से) प्रतिस्थापित ।
[7] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 1989 के अधिनियम सं० 36 की धारा 4 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित ।
[9] 1984 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 64 की धारा 4 द्वारा (1-4-1982 से) अंत:स्थापित तथा 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 5 द्वारा लोप किया गया ।
[10] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया ।

[1][(ii) ऐसा पारिश्रमिक जो उसे किसी विदेशी राज्य के राजदूतावास, उच्च आयोग, दूतावास, आयोग, वाणिज्यिक दूतावास या व्यापार प्रतिनिधि के पदधारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अथवा किसी पदधारी के कर्मचारिवृंद के सदस्य के रूप में, उसके द्वारा ऐसी हैसियत से सेवा के लिए प्राप्त हो :

परन्तु ऐसे पारिश्रमिक को जो उसे भारत में किसी विदेशी राज्य की सरकार के व्यापार आयुक्त या अन्य शासकीय प्रतिनिधि के रूप में (जो उस पद को उस हैसियत में अवैतनिक रूप में धारण न करता हो) या उन पदधारियों में से किसी के कर्मचारिवृंद के सदस्य के रूप में प्राप्त हो उसी दशा में छूट प्राप्त होगी जिसमें कि, यथास्थिति, सरकार के तत्समान पदधारियों के या उनके कर्मचारिवृंद के सदस्यों के, यदि कोई हो, पारिश्रमिक को जो सम्बन्धित देश में वैसे प्रयोजनों के लिए निवासी है, उस देश में वैसी ही छूट प्राप्त है :

परन्तु यह और कि ऐसे कर्मचारिवृंद के सदस्य उस देश की प्रजा है जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है और ऐसे कर्मचारिवृंद के सदस्य से अन्यथा किसी रूप में किसी कारबार या वृत्ति या नियोजन में नहीं लगे हुए हैं;]

(vi) ऐसा पारिश्रमिक जो उसे किसी विदेशी उद्यम के कर्मचारी के रूप में भारत में अपने रहने के दौरान उसके द्वारा की गई सेवाओं के लिए प्राप्त हो परन्तु यह तब जब कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों—

(क) ऐसा विदेशी उद्यम भारत में किसी व्यापार या कारबार में नहीं लगा हुआ है;

(ख) भारत में उसका रहना उस पूर्व में कुल मिलाकर नब्बे-दिन की कालावधि से अधिक का नहीं है; और

(ग) ऐसे पारिश्रमिक की, नियोजक की ऐसी आय में से जो इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य हो, कटौती नहीं की जा सकती;

[2]* * * *

[3]* * * *

[4]* * * *

(viii) "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय जो किसी ऐसे व्यष्टि को जो अनिवासी है किसी विदेशी पोत में अपने नियोजन के सम्बन्ध में की गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त या देय हो जब कि भारत में उसका रहना पूर्ववर्ष में कुल मिलाकर नब्बे दिन की कालावधि से अधिक नहीं;

[5]* * * *

[6][(xi) ऐसा पारिश्रमिक जो उसे भारत में अपने रहने के दौरान किसी विदेशी राज्य की सरकार के कर्मचारी के रूप में निम्नलिखित के किसी स्थापन कार्यालय में या निम्नलिखित के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम में अपने प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्राप्त हो, अर्थात् :—

(i) सरकार; या

(ii) कोई कम्पनी जिसकी समस्त समादत्त शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किन्हीं राज्य सरकारों द्वारा या भागत: केन्द्रीय सरकार और भागत: एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है; या

(iii) कोई कम्पनी जो मद (ii) में निर्दिष्ट किसी कम्पनी की समनुषंगी है; या

(iv) कोई निगम जो केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया है; या

(v) कोई सोसाइटी जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका वित्तपोषण पूर्णत: केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किन्हीं राज्य सरकारों द्वारा या भागत: केन्द्रीय सरकार और भागत: एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है;]

---

[1] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 4 द्वारा (1-4-1989 से) उपखण्ड (ii) से (v) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 3 द्वारा (1-10-1975 से) अंत:स्थापित तथा 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 5 द्वारा (1-4-1999 से) लोप किया गया ।

[3] 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 3 द्वारा लोप किया गया ।

[4] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 5 द्वारा लोप किया गया ।

[5] 1964 के अधिनियम सं० 5 की धारा 6 द्वारा (1-4-1964 से) अंत:स्थापित तथा 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 5 द्वारा (1-4-1999 से) लोप किया गया ।

[6] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 5 द्वारा (1-4-1976 से) अंत:स्थापित ।

[1][(6क) जहां किसी विदेशी कम्पनी की दशा में जिसे उस विदेशी कम्पनी द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से 31 मार्च, 1976 के पश्चात् [2][किन्तु 1 जून, 2002 से पहले] किए गए [3][किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय व्युत्पन्न होती है और—

(क) जहां ऐसा करार भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है वहां, ऐसा करार उस नीति के अनुसार है; और

(ख) किसी अन्य दशा में, ऐसा करार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है,

ऐसी आय पर कर, करार के निबंधनों के अधीन, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा केन्द्रीय सरकार को संदेय है वहां इस प्रकार संदत्त कर ।]

स्पष्टीकरण—[4][इस खंड और खंड (6ख) के प्रयोजनों के लिए]—

(क) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का वही अर्थ है जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण 2 में है;

(ख) "विदेशी कम्पनी" का वही अर्थ है जो धारा 80ख में है;

(ग) "स्वामिस्व" का वही अर्थ है जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण 2 में है;]

[5][(6ख) जहां किसी अनिवासी की (जो कम्पनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की दशा में [6][जिसे 1 जून, 2002 से पहले केंद्रीय सरकार द्वारा किसी विदेशी राज्य] की सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से किए गए करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान से कोई ऐसी आय व्युत्पन्न होती है (जो वेतन, स्वामिस्व, या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में नहीं है) और ऐसी आय पर कर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा उस करार के या केंद्रीय सरकार द्वारा [6][उस तारीख से पूर्व अनुमोदित किसी अन्य संबंधित करार के निबंधनों के अधीन केंद्रीय सरकार को संदेय है, वहां इस प्रकार संदत्त कर;]

[7][(6खख) जहां किसी विदेशी राज्य की सरकार या किसी विदेशी उद्यम की दशा में जिसे, किसी ऐसी भारतीय कंपनी से, जो वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी हुई है, [8][31 मार्च, 1997 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 1999 के पूर्व किए गए [9][[10][या 31 मार्च, 2007 के पश्चात्] किए गए] और इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित करार] के अधीन वायुयान या वायुयान इंजन के पट्टे पर अर्जित किए जाने के प्रतिफल के रूप में आय व्युत्पन्न होती है (जो पट्टे पर लिए गए वायुयान के प्रचालन के संबंध में फालते पुर्जे, सुविधाएं या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संदाय से भिन्न है) तथा ऐसी आय पर कर ऐसी भारतीय कंपनी द्वारा उस करार के निबंधनों के अधीन केन्द्रीय सरकार को संदेय है, वहां इस प्रकार संदत्त कर ।]

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "विदेशी उद्यम" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अनिवासी है;]

[11][(6ग) ऐसी विदेशी कंपनी को जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे भारत की सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं में भारत में या भारत के बाहर सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार के साथ हुए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए [12][स्वामिस्व या फीस के रूप में] उद्भूत कोई आय ।]

(7) कोई ऐसे भत्ते या परिलब्धियां जो भारत के बाहर सेवा करने के लिए सरकार द्वारा भारत के किसी नागरिक को भारत के बाहर उसी रूप में संदत्त या अनुज्ञात की गई हों;

(8) ऐसे व्यष्टि की दशा में जिसको केंद्रीय सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार द्वारा किए गए करार के अनुसार (जिसके निबन्धनों में इस खंड द्वारा दी गई छूट के लिए उपबंध है) किन्हीं सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रमों और परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत में कर्तव्य सौंपे गए हैं :—

(क) ऐसा पारिश्रमिक जो उसे ऐसे कर्तव्यों के लिए उस विदेशी राज्य की सरकार से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: प्राप्त हों; और

---

[1] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 5 द्वारा (1-4-1984 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा (1-6-1992 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 4 द्वारा (1-4-1988 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 4 द्वारा (1-4-1988 से) अंत:स्थापित ।
[6] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा (1-4-2007 से) प्रतिस्थापित ।
[10] 2005 के अधिनियम सं० 55 की धारा 2 द्वारा (1-4-2006 से) प्रतिस्थापित ।
[11] 1989 के अधिनियम सं० 3 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[12] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) ऐसे व्यष्टि की अन्य आय जो भारत के बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत होती है और भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई नहीं समझी जाती और जिसकी बाबत ऐसे व्यष्टि से यह अपेक्षा है कि वह उस विदेशी राज्य की सरकार को कोई आय-कर या सामाजिक सुरक्षा-कर संदत्त करे;

[1][(8क) किसी परामर्शी की दशा में,—

(क) कोई ऐसा पारिश्रमिक या फीस जो उसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को [जिसे इस खंड में और खंड (8ख) में इसके पश्चात् अभिकरण कहा गया है], अभिकरण और विदेशी राज्य की सरकार के बीच किसी तकनीकी सहायता अनुदान करार के अधीन उपलब्ध कराई गई निधियों में से, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: प्राप्त होती है; और

(ख) कोई अन्य आय जो उसे भारत के बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत होती है और भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई नहीं समझी जाती है और जिसकी बाबत ऐसे परामर्शी से यह अपेक्षा है कि वह अपने उद्भव के देश की सरकार को कोई आय-कर या सामाजिक सुरक्षा-कर संदत्त करे ।

स्पष्टीकरण—इस खंड में, "परामर्शी" से अभिप्रेत है,—

(i) कोई व्यष्टि जो भारत का नागरिक नहीं है अथवा जो भारत का नागरिक है किंतु भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है; या

(ii) कोई अन्य व्यक्ति जो अनिवासी है,

और जिसे किसी तकनीकी सहायता कार्यक्रम या परियोजना के संबंध में भारत में तकनीकी सेवाएं देने के लिए अभिकरण द्वारा लगाया गया है, परंतु यह तब जबकि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात् :—

(1) तकनीकी सहायता ऐसे करार के अनुसार है जो केंद्रीय सरकार और अभिकरण द्वारा किया गया है; और

(2) परामर्शी को लगाए जाने से संबंधित करार का विहित प्राधिकारी ने इस खंड के प्रयोजनों के लिए अनुमोदन कर दिया है;

(8ख) किसी व्यष्टि की दशा में, जिसको केंद्रीय सरकार और अभिकरण द्वारा किए गए किसी करार के अनुसार किसी तकनीकी सहायता कार्यक्रम और परियोजना के संबंध में भारत में कर्तव्य सौंपे जाते हैं,—

(क) ऐसा पारिश्रमिक जो उसे ऐसे कर्तव्यों के लिए खंड (8क) में निर्दिष्ट किसी परामर्शी से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: प्राप्त होता है; और

(ख) ऐसे व्यष्टि की कोई अन्य आय जो भारत के बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत होती है और भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई नहीं समझी जाती है और जिसकी बाबत ऐसे व्यष्टि से यह अपेक्षा है कि वह अपने उद्भव के देश को कोई आय-कर या सामाजिक सुरक्षा-कर संदत्त करे, परंतु यह तब जबकि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात् :—

(i) ऐसा व्यष्टि खंड (8क) में निर्दिष्ट परामर्शी का कर्मचारी है और जो भारत का नागरिक नहीं है अथवा जो भारत का नागरिक है किंतु भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है; और

(ii) ऐसे व्यष्टि की सेवा की संविदा का विहित प्राधिकारी ने उसकी सेवा के प्रारंभ के पूर्व अनुमोदन कर दिया है;]

(9) किसी ऐसे व्यष्टि के जैसा [2][यथास्थिति, खंड (8) या खंड (8क) या खंड (8ख) में] निर्दिष्ट है कुटुम्ब के किसी सदस्य की जो उसके साथ भारत में आया हो ऐसी आय जो भारत के बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत होती है और भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई नहीं समझी जाती है और जिसकी बाबत ऐसे सदस्य से यह अपेक्षा है कि [2][यथास्थिति, उस विदेशी राज्य सरकार या ऐसे सदस्य के उद्भव के देश] को कोई आय-कर या सामाजिक सुरक्षा-कर संदत्त करे;

[3][(10) (i) कोई ऐसा मृत्यु-तथा निवृत्ति उपदान जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार के पुनरीक्षित पेंशन नियमों के या केंद्रीय सिविल सेवा का (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन या संघ की सिविल सेवाओं के सदस्यों को या संघ के अधीन रक्षा से सम्बद्ध पदों या सिविल पदों के धारकों को (जो सदस्य या धारक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो उक्त नियमों से शासित होते हैं) या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को या राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों को या राज्य के अधीन सिविल पदों के धारकों को या किसी स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों को लागू किसी समरूप स्कीम के अधीन प्राप्त किया गया हो, या निवृत्ति उपदान का ऐसा संदाय जो रक्षा सेवाओं के सदस्यों को लागू पेंशन संहिता या विनियमों के अधीन प्राप्त किया गया हो;

---

[1] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 5 द्वारा (1-4-1991 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 5 द्वारा (1-4-1991 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1974 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा (1-4-1975 से) प्रतिस्थापित ।

(ii) कोई ऐसा उपदान जो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के अधीन प्राप्त किया गया हो, उस परिमाण तक जहां तक वह उस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों के अनुसार परिकलित रकम से अधिक नहीं है;

(iii) कोई अन्य उपदान जो, किसी कर्मचारी द्वारा अपने सेवानिवृत्त होने पर या ऐसे सेवानिवृत्त होने के पूर्व असमर्थ हो जाने पर या अपने नियोजन के पर्यवसान पर प्राप्त किया गया हो या कोई ऐसा उपदान जो उसकी विधवा बच्चों या आश्रितों द्वारा उसकी मृत्यु पर प्राप्त किया गया हो, दोनों दशाओं में उस परिमाण तक जहां तक वह संपूरित सेवा के हर एक वर्ष के लिए आठ मास के वेतन से अधिक हो, [1][जिसका परिकलन उस मास के, जिसमें ऐसी घटना घटित होती है, ठीक पूर्ववर्ती दस मास के औसत वेतन के आधार पर, ऐसी सीमा के अधीन रहते हुए, किया गया है जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस सरकार के कर्मचारियों को इस निमित्त लागू सीमा को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट करे :]

परन्तु जहां इस खण्ड में निर्दिष्ट उपदान किसी कर्मचारी द्वारा एक से अधिक नियोजक से एक ही पूर्ववर्ष में प्राप्त किए जाते हैं वहां इस खंड के अधीन आय-कर से छूट प्राप्त कुल रकम [2][इस प्रकार निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी :]

परन्तु यह और कि जहां ऐसा एक या अधिक उपदान किसी एक या अधिक पूर्ववर्ती वर्षों में प्राप्त किया गया था, और ऐसे एक या अधिक उपदान की रकम को पूर्णतया या भागत: ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों की निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया गया था, वहां इस खण्ड के अधीन आय-कर से छूट प्राप्त रकम [1][इस प्रकार विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी जो] ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों की कुल आय में सम्मिलित न की गई, यथास्थिति, रकम या कुल रकम को घटाने पर आती है;

[3]* * * * *

स्पष्टीकरण—[1][इस खंड में और खंड (10कक) में] "वेतन" का वही अर्थ है जो चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) में है ।]

[4][(10क) (i) कोई ऐसा संदाय जो केंद्रीय सरकार के सिविल पेंशन (संराशीकरण) नियम के अधीन [5][या संघ या सिविल सेवाओं के सदस्यों को या संघ के अधीन रक्षा से संबद्ध पदों या सिविल पदों के धारकों की (जो सदस्य या धारक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो उक्त नियमों से शासित होते हैं) या अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को या रक्षा सेवाओं के सदस्यों को राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों की या राज्य के अधीन सिविल पदों के धारकों को या किसी स्थानीय प्राधिकारी] के या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम के कर्मचारियों को लागू किसी समरूप स्कीम के अधीन;

(ii) कोई ऐसा संदाय जो किसी अन्य नियोजक की किसी स्कीम के अधीन प्राप्त पेंशन के सरांशीकरण के रूप में किया गया हो ऐसे परिमाण तक जो निम्नलिखित से अधिक न हो—

(क) उस दशा में जिसमें कर्मचारी कोई उपदान प्राप्त करता है उस पेंशन के जिसे प्राप्त करने का वह सामान्यत: हकदार है, एक तिहाई का संराशित मूल्य; और

(ख) किसी अन्य दशा में ऐसी पेंशन का आधे संराशित मूल्य, और ऐसे संराशित मूल्य के अवधारण प्राप्तिकर्ता की आयु उसके स्वास्थ्य की दशा, ब्याज की दर और शासकीय मान्यताप्राप्त सारणियों को ध्यान में रखकर किया गया हो;

[6][(iii) कोई ऐसा संदाय जो खंड (23ककख) के अधीन किसी निधि में से प्राप्त पेंशन के संराशीकरण के रूप में किया गया है;]

[7]* * * *

[8][(10कक) (i) कोई ऐसा संदाय जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी कर्मचारी के [9][चाहे अधिवार्षिकी पर] या अन्यथा उसके सेवानिवृत्त होने के समय उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टी की अवधि की बाबत छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद के रूप में प्राप्त किया गया हो;

(ii) उपखण्ड (i) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का कोई ऐसा संदाय जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी से भिन्न किसी कर्मचारी को [9][चाहे अधिवार्षिकी पर] या अन्यथा उसके सेवानिवृत्त होने के समय उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टी की

---

[1] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा (1-4-1989 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा (1-4-1989 से) लोप किया गया ।
[4] 1965 के अधिनियम सं०15 की धारा 3 द्वारा (1-4-1962 से) (भूतलक्षी प्रभाव से) अन्त:स्थापित ।
[5] 1974 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा (1-4-1962 से) (भूतलक्षी प्रभाव से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 4 द्वारा (1-4-1997 से) अंत:स्थापित ।
[7] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा (1-4-1989 से) परन्तुक का लोप किया गया ।
[8] 1982 के अधिनियम सं० 14 की धारा 4 द्वारा (1-4-1978 से) (भूतलक्षी प्रभाव से) अन्त:स्थापित ।
[9] 1984 के अधिनियम सं० 67 की धारा 4 द्वारा (1-4-1978 से) "अधिवार्षिकी पर" शब्दों के स्थान प्रतिस्थापित ।

[1][दस मास] से अनधिक कालावधि की बाबत प्राप्त किया गया हो, और उस कर्मचारी द्वारा अपनी [2][चाहे अधिवार्षिकी पर या अन्यथा अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले दस मास की कालावधि के दौरान लिए गए औसत वेतन के आधार पर] [3][ऐसी सीमा के अधीन रहते हुए परिकलित किया गया हो, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस सरकार के कर्मचारियों को इस निमित्त लागू सीमा को ध्यान में रखते हुए, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे :]

परन्तु जहां ऐसे संदाय किसी कर्मचारी द्वारा एक ही पूर्ववर्ष में एक से अधिक नियोजक द्वारा प्राप्त किए जाते हैं वहां इस उपखण्ड के अधीन आय-कर से छूट की कुल रकम [4][इस प्रकार की विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी] :

परन्तु यह और कि जहां ऐसा संदाय या ऐसे संदाय किन्हीं एक या अधिक पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में भी प्राप्त किए गए हों और ऐसे संदाय या संदायों को संपूर्ण रकम या उसका कोई भाग ऐसे पूर्ववर्ष या पूर्ववर्षों को निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया गया हो वहां उस उपखण्ड के अधीन आय-कर से छूट की कुल रकम [4][इस प्रकार विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी जो], यथास्थिति, वह रकम या उन रकमों का योग घटा कर आए, जो किसी पूर्ववर्ष या पूर्ववर्षों की कुल आय में सम्मिलित नहीं है;

[5]* * * *

स्पष्टीकरण—उपखण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए—

[6]*** किसी कर्मचारी की अर्जित छुट्टी का हक उस नियोजक की जिसकी सेवा से वह सेवानिवृत्त हुआ है, की गई वास्तविक सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन से अधिक नहीं होगा ।

[6]* * * * *

[7][(10ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या किसी अन्य अधिनियम के अधीन या तद्धीन जारी किए गए नियमों, आदेशों या अधिसूचनाओं के अधीन या किन्हीं स्थायी आदेशों के अधीन या किसी अधिनिर्णय या सेवा की संविदा के अधीन या अन्यथा [8][किसी कर्मकार की छंटनी के समय उसके द्वारा प्राप्त प्रतिकर :]

परन्तु इस खण्ड के अधीन छूट प्राप्त रकम—

(i) उस रकम से जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 25च के खण्ड (ख) के उपबंधों के अनुसार परिकलित की गई है; या

[9][(ii) पचास हजार रुपए से अन्यून ऐसी रकम, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,]

इनमें से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक किसी ऐसी स्कीम के अधीन किसी कर्मकार द्वारा प्राप्त प्रतिकर की बाबत लागू नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार, ऐसी स्कीम जिन उपक्रमों में लागू होती है उनके कर्मकारों को विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता को और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस निमित्त अनुमोदित करे ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए—

(क) किसी कर्मकार द्वारा इस उपक्रम के, जिसमें वह नियोजित है, बंद किए जाने के समय प्राप्त प्रतिकर उसकी छंटनी के समय प्राप्त होने वाला प्रतिकर समझा जाएगा;

(ख) किसी कर्मकार द्वारा उस उपक्रम के, जिसमें वह नियोजित है, उस उपक्रम के सम्बन्ध में नियोजक से नए नियोजक को उस उपक्रम के स्वामित्व या प्रबन्ध के अन्तरण के समय (चाहे करार द्वारा ही किसी विधि के प्रवर्तन से) प्राप्त प्रतिकर उसकी छंटनी के समय प्राप्त प्रतिकर समझा जाएगा, यदि—

(i) कर्मकार की सेवा ऐसे अन्तरण के कारण विच्छिन्न हुई है; या

---

[1] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा (1-7-1986 से) "छः मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित तथा 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 6 द्वारा "दस मास" किया गया ।

[2] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा (1-7-1986 से) "या तीस हजार रुपए इनमें से जो भी कम हो" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1988 के अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा (1-7-1986 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा (1-7-1986 से) "तीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा तीसरे और चौथे परन्तुक का (1-7-1986 से) लोप किया गया ।

[6] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा (1-7-1986 से) "(i)" अंक और कोष्ठकों का तथा खंड (ii) का लोप किया गया ।

[7] 1975 के अधिनियम सं० 25 की धारा 3 द्वारा (1-4-1976 से) अन्तःस्थापित ।

[8] 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 4 द्वारा (1-4-1986 से) प्रतिस्थापित ।

[9] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा (1-4-1989 से) खण्ड (ii) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ii) ऐसे अन्तरण के पश्चात् उस कर्मकार को लागू होने वाली सेवा की शर्तें और निबंधन अन्तरण के ठीक पहले उसको लागू शर्तों और निबन्धनों की अपेक्षा किसी बात में कम अनुकूल है; या

(iii) ऐसे अन्तरण के निबन्धनों के अधीन या अन्यथा नया नियोजक उस कर्मकार को उसकी छंटनी की दशा में इस आधार पर प्रतिकर संदाय करने के लिए विधिक रूप से दायी नहीं है कि उसकी सेवा निरन्तर है और अन्तरण से विच्छिन्न नहीं हुई है;

(ग) "नियोजक" और "कर्मकार" शब्दों के वही अर्थ है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में हैं;]

[1][(10खख) भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) और उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन किया गया कोई संदाय, भोपाल गैस विभीषिका के संबंध में किसी निर्धारिती को किए गए संदाय को छोड़कर, उस विस्तार तक जिस तक ऐसे निर्धारिती को ऐसी विभीषिका से हुई हानि या नुकसान के कारण इस अधिनियम के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है;]

[2][(10खग) किसी व्यष्टि या उसके विधिक वारिस को, किसी आपदा के संबंध में प्रतिकर के रूप में केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी से प्राप्त या प्राप्य कोई राशि, उस सीमा तक, उस प्राप्त या प्राप्य राशि को छोड़कर, जिस तक ऐसे व्यष्टि या उसके विधिक वारिस को ऐसी आपदा से हुई हानि या नुकसान के कारण इस अधिनियम के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात की गई है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आपदा" पद का वही अर्थ है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 2 के खंड (घ) में है;]

[3][(10ग) (i) किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी; या

(ii) किसी अन्य कंपनी; या

(iii) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित, किसी प्राधिकारी; या

(iv) किसी स्थानीय [4][प्राधिकारी; या]

[5][(v) किसी सहकारी सोसाइटी; या

(vi) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय घोषित की गई किसी संस्था; या

(vii) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (1961 का 59) की धारा 3 के खंड (छ) के अर्थ में किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान; या

[6][(viiक) किसी राज्य सरकार; या]

[7][(viiख) केन्द्रीय सरकार; या]

[8][(viiग) संपूर्ण भारत या किसी राज्य या राज्यों में महत्व की कोई संस्था, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, या];

(viii) ऐसे प्रबंध संस्थान जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,]

[9][के किसी कर्मचारी द्वारा अपनी [10][स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अपनी सेवा की समाप्ति के समय, स्वैच्छया सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों या उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी की दशा में, स्वैच्छिक पृथक्करण की किसी स्कीम के अनुसार प्राप्त या प्राप्त की जा सकने वाली कोई रकम] :

---

[1] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा (1-4-1992 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा (1-4-2005 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 3 द्वारा (1-4-1993 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 6 द्वारा (1-4-1995 से) "प्राधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 6 द्वारा (1-4-1995 से) अन्त:स्थापित ।
[6] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 5 द्वारा (1-4-2001 से) अंत:स्थापित ।
[7] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 5 द्वारा (1-4-2002 से) अंत:स्थापित ।
[8] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (1-4-2003 से) अंत:स्थापित ।
[9] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[10] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 5 द्वारा (1-4-2001 से) प्रतिस्थापित ।

परन्तु, यथास्थिति, उक्त कंपनियों या प्राधिकारियों [1][या सोसाइटियों या विश्वविद्यालयों अथवा उपखंड (vii) और उपखंड (viii) में निर्दिष्ट संस्थानों] की ऐसी रकम के संदाय को शासित करने वाली स्कीमें ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार (जिनके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, आर्थिक सुदृढ़ता का मापदंड है) बनाई जाएंगी, जो विहित किए जाएं, [2]***

परन्तु यह और कि जहां किसी कर्मचारी को किसी निर्धारण वर्ष के लिए खंड इस के अधीन छूट अनुज्ञात की गई है वहां उसे उसके अधीन किसी अन्य निर्धारण वर्ष के संबंध में छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी :]

[3][परंतु यह भी कि जहां ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा की समाप्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण पर प्राप्त की गई या प्राप्य किसी रकम की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 89 के अधीन निर्धारिती को कोई राहत अनुज्ञात की गई है, वहां इस खंड के अधीन ऐसे या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के संबंध में उसे कोई छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी;]

[4][(10गग) ऐसे किसी कर्मचारी की दशा में, जो ऐसा व्यष्टि है, जो ऐसी किसी परिलब्धि की प्रकृति की आय व्युत्पन्न कर रहा है जिसके लिए उपबंध धारा 17 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत धनीय संदाय के रूप में नहीं किया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 200 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कर्मचारी के निमित्त, नियोजक के विकल्प पर, उसके नियोजक द्वारा वास्तविक रूप से संदत्त ऐसी आय पर कर;]

[5][(10घ) जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त कोई राशि जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित राशि भी है, जो—

(क) धारा 80घघ की उपधारा (3) या धारा 80घघक की उपधारा (3) के अधीन प्राप्त किसी राशि से; या

(ख) किसी प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त किसी राशि से; या

(ग) 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् [6][किंतु 31 मार्च, 2012 को या उसके पूर्व] जारी की गई किसी बीमा पालिसी, जिसके लिए पालिसी की अवधि के दौरान किसी वर्ष में संदेय प्रीमियम, वास्तविक बीमा पूंजी राशि के बीस प्रतिशत से अधिक है, के अधीन प्राप्त [7][किसी राशि से; या]

[6][(घ) 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् जारी की गई किसी ऐसी बीमा पालिसी के अधीन, जिसकी बाबत पालिसी की अवधि के दौरान किन्हीं वर्षों के लिए संदेय प्रीमियम वास्तविक बीमा पूंजी राशि के दस प्रतिशत से अधिक है, प्राप्त कोई राशि,]

भिन्न है :

परंतु [7][उपखंड (ग) और उपखंड (घ)] के उपबंध किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त की गई किसी राशि को लागू नहीं होंगे :

परंतु यह और कि [7][उपखंड (ग)] के अधीन वास्तविक बीमा पूंजी राशि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, [8][यथास्थिति, धारा 80ग की उपधारा (3क) या धारा 88 की उपधारा (2क)] के स्पष्टीकरण को प्रभाव दिया जाएगा :

[9][परंतु यह भी कि जहां 1 अप्रैल, 2013 को या उसके पश्चात् जारी की गई पालिसी ऐसे किसी व्यक्ति के जीवन बीमा के लिए है, जो,—

(i) धारा 80प में यथानिर्दिष्ट नि:शक्त व्यक्ति या गंभीर नि:शक्त व्यक्ति है; या

(ii) धारा 80घघख के अधीन बनाए गए नियमों में यथा विनिर्दिष्ट रोग या व्याधि से पीड़ित है,

वहां इस उपखंड के उपबंधों का प्रभाव यह होगा मानो "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह प्रतिशत" शब्द रख दिए गए हैं।]

स्पष्टीकरण [10]**[(1)]**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी" से किसी व्यक्ति द्वारा, किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के संबंध में, जो प्रथम वर्णित व्यक्ति का कर्मचारी है या था या प्रथम वर्णित व्यक्ति के कारबार से किसी भी

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 6 द्वारा (1-4-1995 से) अन्त:स्थापित।
[2] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 5 द्वारा (1-4-2001 से) लोप किया गया।
[3] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (1-4-2003 से) अंत:स्थापित।
[5] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 7 द्वारा (1-4-1962 से) प्रतिस्थापित।
[6] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित।
[7] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
[8] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा (1-4-2006 से) प्रतिस्थापित।
[9] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित।
[10] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 5 द्वारा पुन:संख्यांकित।

रीति से संबंधित है या था, ली गई कोई जीवन बीमा पालिसी अभिप्रेत है [1][और इसके अंतर्गत ऐसी पालिसी भी है जो ऐसे किसी व्यक्ति को, पालिसी की अवधि के दौरान किसी समय, किसी प्रतिफल सहित या उसके बिना, समनुदिष्ट की गई है ।]

[2][**स्पष्टीकरण 2**—उपखंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, "वास्तविक बीमा पूंजी राशि" पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 80ग की उपधारा (3क) के स्पष्टीकरण में उसका है;]

(11) कोई संदाय जो ऐसी किसी भविष्य निधि में से किया गया हो जिसे भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) लागू होता है [3][या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और उसके द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किसी अन्य भविष्य निधि में से किया गया हो;]

[4][(11क) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) के अधीन बनाए गए सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2014 के अनुसार खोले गए खाते से कोई संदाय;]

(12) कोई ऐसा संचित अतिशेष जो किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय हो तथा संदेय हो जाए, उस परिमाण तक जो चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 8 में उपबन्धित है;

[5][(12क) धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम से अपना खाता बंद करने या उससे बाहर निकलने का विकल्प देने पर किसी कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से कोई भी संदाय उस परिमाण तक, जहां तक यह उसके खाता बंद करने या स्कीम छोड़ने के विकल्प के समय उसे संदेय कुल रकम के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं है;]

[6][(12ख) राष्ट्रीय पेंशन स्कीम न्यास से किसी कर्मचारी को धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार उसके खाते से आंशिक रूप से रकम निकाले जाने पर कोई संदाय, उस परिमाण तक, जो उसके द्वारा किए गए अभिदायों की रकम के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो;]

[7][(13) किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में से ऐसा संदाय जो—

(i) किसी हिताधिकारी की मृत्यु पर किया गया हो, अथवा

(ii) किसी कर्मचारी को, विनिर्दिष्ट आयु का हो जाने पर या उसके पश्चात् निवृत्ति पर या ऐसी निवृत्ति से पूर्व अशक्त हो जाने पर, वार्षिकी के बदले में या उसके संराशीकरण के रूप में किया गया हो, अथवा

(iii) किसी हिताधिकारी की मृत्यु पर अधिदायों के प्रतिदाय के तौर पर किया गया हो, अथवा

(iv) किसी कर्मचारी को, उस दशा में जिसमें उसने वह सेवा जिसके संबंध में निधि स्थापित है विनिर्दिष्ट आयु का हो जाने या उसके पश्चात् निवृत्त होने या ऐसे निवृत्त होने से पूर्व अशक्त हो जाने से अन्यथा छोड़ी है अभिदायों के प्रतिदाय के तौर पर किया गया हो, उस परिमाण तक जिस तक कि ऐसा संदाय इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किए गए अभिदायों और उन पर के [5][ब्याज से अधिक नहीं होता है; अथवा]

[5][(v) धारा 80गगघ में विनिर्दिष्ट और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में अंतरण के माध्यम से किया गया हो;]

[8][(13क) कोई ऐसा विशेष भत्ता जो किसी निर्धारिती द्वारा उसके अधिभोग में निवास स्थान की बाबत किराए के (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) संदाय पर वास्तव में उपगत व्यय की पूर्ति के लिए उस निर्धारिती को उसके नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से दिया गया हो उस परिमाण तक [9]*** जिस तक कि उस क्षेत्र या स्थान को जिसमें ऐसी जगह स्थित है तथा अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए विहित किया जाए ।]

[10][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस खंड की कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी जिसमें—

(क) निर्धारिती के अधिभोग में के निवास-स्थान का वह स्वामी है; या

(ख) निर्धारिती ने अपने अधिभोग में निवास-स्थान की बाबत किराए के (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) संदाय पर वास्तव में व्यय उपगत नहीं किया है;]

[11][(14) (i) उन व्ययों की, जो लाभ के किसी पद या नियोजन के कर्तव्यों के पालन में संपूर्णत:, आवश्यकत: और अनन्यत: उपगत किए गए हों, पूर्ति के लिए विनिर्दिष्ट रूप से दिया गया कोई ऐसा विशेष भत्ता या फायदा, जो धारा 17 के खंड (2) के अर्थ में

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1968 के अधिनियम सं० 19 की धारा 30 और तीसरी अनुसूची द्वारा (1-4-1969 से) अन्त:स्थापित ।
[4] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 7 अंत:स्थापित ।
[6] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 6 द्वारा (1-4-2018 से) अंत:स्थापित ।
[7] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 6 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) प्रतिस्थापित ।
[8] 1964 के अधिनियम सं० 31 की धारा 3 द्वारा (6-10-1964 से) अंत:स्थापित ।
[9] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 5 द्वारा (1-4-1987 से) "जो प्रतिमास पर चार सौ रुपए से अधिक नहीं होगा" शब्दों का लोप किया गया ।
[10] 1984 के अधिनियम सं० 67 की धारा 4 द्वारा (1-4-1976 से) अन्त:स्थापित ।
[11] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित ।

परिलब्धि की प्रकृति का नहीं है और [1][जो विहित किया जाए] उस परिमाण तक जिस तक ऐसे व्यय उस प्रयोजन के लिए वास्तव में उपगत किए जाते हैं;

(ii) निर्धारिती को, उस स्थान पर जहां वह लाभ के पद या नियोजन के कर्तव्य सामान्यतया करता है या जहां वह सामान्यतया निवास करता है, उसके व्यक्तिगत व्यय को चुकाने के लिए या बढ़े हुए निर्वाह व्यय को पूरा करने के लिए, दिया गया कोई ऐसा भत्ता, [1][उस परिमाण तक जो विहित किया जाए:]

[2][परंतु उपखंड (ii) की कोई बात, निर्धारिती को, उसके पद या नियोजन से संबंधित विशेष प्रकृति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसे पारिश्रमिक देने या प्रतिकर देने के लिए, अनुदत्त व्यक्तिगत भत्ते की प्रकृति के किसी भत्ते को तब तक लागू नहीं होगी जब तक ऐसा भत्ता उसके तैनाती के स्थान या निवास-स्थान से संबंधित न हो;]

[3]* * * *

(15) [4][(i) ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों, वार्षिकी पत्रों, बचत पत्रों, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य पत्रों और निक्षेपों पर ब्याज के रूप में आय उनके मोचन पर प्रीमियम या उन पर अन्य संदाय, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विनिर्दिष्ट करे;]

[5][(iiख) [6][व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में ऐसे पूंजी विनिधान बंधपत्र पर ब्याज] जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे :]

[7][परंतु केन्द्रीय सरकार, इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् ऐसे पूंजी विनिधान बंधपत्र विनिर्दिष्ट नहीं करेगी;]

[8][(iiग) व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में ऐसे राहत बंधपत्र पर ब्याज जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;]

[9][(iiघ) ऐसे बंधपत्रों पर ब्याज, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, जो निम्नलिखित को प्रोद्भूत हो —

(क) अनिवासी भारतीय, जो बंधपत्रों का स्वामी व्यष्टि है, या

(ख) कोई व्यष्टि जो किसी अनिवासी भारतीय के नामनिर्देशिती या उत्तरजीवी होने के आधार पर बंधपत्रों का स्वामी है; या

(ग) कोई व्यष्टि जिसे अनिवासी भारतीय द्वारा बंधपत्र का दान किया गया है :

परन्तु यह तब जबकि पूर्वोक्त बंधपत्र अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए हों और ऐसे बंधपत्रों के संबंध में प्राप्त ब्याज और मूलधन को, चाहे उनकी परिपक्वता पर या अन्यथा, भारत के बाहर ले जाना अनुज्ञेय नहीं है :

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यष्टि, जो किसी ऐसे पूर्ववर्ष में, जिसमें बंधपत्रों को अर्जित किया गया है, अनिवासी भारतीय है, किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में भारत का निवासी बन जाता है वहां इस उपबंध के उपखंड ऐसे व्यष्टि के संबंध में लागू होते रहेंगे :

परन्तु यह भी कि ऐसे मामले में जहां बंधपत्रों के परिपक्व होने के पहले के किसी पूर्ववर्ष में बंधपत्रों को ऐसे व्यष्टि द्वारा भुना लिया जाता है, जो ऐसा करने का हकदार है, वहां इस उपखंड के उपबंध ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के संबंध में ऐसे व्यष्टि को लागू नहीं होंगे :

[10][परंतु यह भी कि केन्द्रीय सरकार, इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् ऐसे बंधपत्र विनिर्दिष्ट नहीं करेगी ।]

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "अनिवासी भारतीय" अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो उसका धारा 115ग के खंड (ङ) में है;]

---

[1] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1989 के अधिनियम सं० 36 की धारा 4 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 4 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित तथा 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 1988 के अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा उपखण्ड (i), (iक), (iख), (ii) और (iiक) के स्थान पर (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 1982 के अधिनियम सं० 14 की धारा 4 द्वारा (1-4-1983 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर अंत:स्थापित ।
[6] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 5 द्वारा (1-4-1983 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 4 द्वारा (1-4-1989 से) अन्त:स्थापित ।
[9] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 4 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।
[10] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (1-4-2003 से) अंत:स्थापित ।

(iii) सीलोन मानीटेरी ला ऐक्ट, 1949 के अधीन गठित सेंट्रल बैंक ऑफ सीलोन के पुरोधरण विभाग द्वारा धारित प्रतिभूतियों पर ब्याज;

[1][(iiiक) भारत के बाहर किसी देश में निगमित और उस देश में केंद्रीय बैंककारी कृत्य करने के लिए प्राधिकृत बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से किसी अनुसूचित बैंक में किए गए निक्षेप पर उस बैंक को संदेय ब्याज ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए "अनुसूचित बैंक" का वही अर्थ है जो [2][धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के स्पष्टीकरण के खण्ड (ii)] में है;]

[3][(iiiख) नोरडिक इन्वेस्टमेंट बैंक को, जो डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन की सरकारों द्वारा गठित एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है, केन्द्रीय सरकार द्वारा 25 नवम्बर, 1986 को उस बैंक के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के निबंधनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी परियोजना के लिए उसके द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण पर संदेय ब्याज;]

[4][(iiiग) यूरोपीय विनिधान बैंक को, 25 नवंबर, 1993 को केंद्रीय सरकार द्वारा उस बैंक के साथ किए गए वित्तीय सहयोग के लिए आधारभूत करार के अनुसरण में उसके द्वारा दिए गए उधार पर संदेय ब्याज;]

(iv) ऐसा ब्याज जो—

[5][(क) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस धनराशि पर, जो उसने भारत के बाहर के स्रोतों से 1 जून, 2001 से पूर्व उधार ली हो या उन ऋणों पर जिनकी उस पर भारत के बाहर के स्रोतों की 1 जून, 2001 से पूर्व देनदारी हो, संदेय हो;]

(ख) भारत में किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा उन धनराशियों पर संदेय हो जो उसने विदेश में की किसी ऐसी वित्तीय संस्था से, जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अनुमोदित की जाए [5][1 जून, 2001 से पूर्व किए गए किसी उधार करार के अधीन उधार ली हो] ;

(ग) भारत में के किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा किन्हीं ऐसी धनराशियों या ऋण पर संदेय हो जो उसने भारत के बाहर कच्चे माल [6][या संघटक] या पूंजी संयंत्र और मशीनरी के क्रय की बाबत [7][1 जून, 2001 से पूर्व] विदेश में उधार ली हो या उपगत किया है [8][उस परिमाण तक जिस तक कि ऐसा ब्याज, जो उस रकम से अधिक नहीं है जो उधार या ऋण के और उसके प्रतिसंदाय के निबंधनों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त अनुमोदित दर पर परिकलित हो;]

[9][**स्पष्टीकरण** [10]**[(1)]**—इस मद के प्रयोजनों के लिए "पूंजी संयंत्र और मशीनरी के क्रय" के अन्तर्गत किसी अवक्रय करार के अधीन ऐसे पूंजी संयंत्र और मशीनरी का क्रय या ऐसे संयंत्र और मशीनरी के क्रय के विकल्प के साथ पट्टा करार भी है ।]

[11][**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि भारत के बाहर से किसी पोत के क्रय के संबंध में, पोत विघटन के कारबार में लगे किसी उपक्रम द्वारा भारत से बाहर संदेय आवधिक ब्याज, भारत से बाहर किसी क्रय के संबंध में किसी विदेश में उपगत ऋण पर संदेय ब्याज समझा जाएगा;]

[12][(घ) औद्योगिक वित्त अधिनियम, 1948 (1948 का 15) द्वारा स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, [13][या भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) के अधीन स्थापित भारतीय निर्यात-आयात बैंक], [14][या राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक], [15][या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 3 के

---

[1] 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 126 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 2003 के अधिनियम सं० 54 की धारा 2 द्वारा (1-4-2001 से) अंत:स्थापित ।
[4] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 5 द्वारा (1-4-2005 से) अंत:स्थापित ।
[5] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 5 द्वारा (1-4-2002 से) प्रतिस्थापित ।
[6] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 5 द्वारा (1-4-1983 से) अन्त:स्थापित ।
[7] 2003 के अधिनियम सं० 54 की धारा 2 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[8] 1964 के अधिनियम सं० 5 की धारा 6 द्वारा (1-4-1964 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] 1974 के अधिनियम सं० 26 की धारा 2 द्वारा (1-4-1974 से) अंत:स्थापित ।
[10] 2003 के अधिनियम सं० 54 की धारा 2 द्वारा संख्यांकित ।
[11] 2003 के अधिनियम सं० 54 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।
[12] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 5 द्वारा (1-6-1976 से) अन्त:स्थापित ।
[13] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 5 द्वारा (1-4-1983 से) अन्त:स्थापित ।
[14] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 5 द्वारा (1-4-1991 से) अन्त:स्थापित ।
[15] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा (1-4-1992 से) अन्त:स्थापित ।

अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, या भारतीय औद्योगिक प्रत्यय और विनिधान निगम [(जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत कंपनी है)] द्वारा किन्हीं ऐसी धनराशियों पर संदेय है जो उसने भारत के बाहर के स्रोतों से [1][1 जून, 2001 से पूर्व] उधार ली हो उस परिमाण तक जिस तक कि ऐसा ब्याज, ब्याज की उस रकम से अधिक नहीं है जो उधार और उसके प्रतिसंदाय के निबंधनों को ध्यान में रखकर, केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित दर पर परिकलित हो;

(ङ) भारत में स्थापित किसी अन्य वित्तीय संस्था द्वारा या किसी बैंककारी कंपनी द्वारा जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अन्तर्गत वह बैंक या बैंककारी संस्था भी है जिसके प्रति उस अधिनियम की धारा 51 में निर्देश किया गया है) उन धनराशियों पर संदेय हो जो उसने भारत के बाहर के स्रोतों से केंद्रीय सरकार द्वारा, अनुमोदित उधार-करार के अधीन उधार ली हो, जहां धनराशियां या तो भारत में औद्योगिक उपक्रमों को भारत के बाहर कच्चा माल या पूंजी संयंत्र और मशीनरी के क्रय के अथवा ऐसे माल के आयात के प्रयोजनों के लिए जिसका आयात करना केंद्रीय सरकार लोकहित में आवश्यक समझे, [1][1 जून, 2001 से पूर्व] उधार ली हो, उस परिमाण तक जिस तक कि ऐसा ब्याज, ब्याज की उस रकम से अधिक नहीं है, जो उधार और उसके प्रतिसंदाय के निबंधनों को ध्यान में रखकर केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित दर पर परिकलित हो;]

[2][(च) भारत में किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा उन धनराशियों पर संदेय हो जो उसने भारत के बाहर के स्रोतों से [3][केन्द्रीय सरकार द्वारा 1 जून, 2001 से पूर्व भारत में औद्योगिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित उधार-करार] के अधीन विदेशी करेंसी में उधार ली हो, उस परिमाण तक जिस तक कि ऐसा ब्याज, ब्याज की उस रकम से अधिक नहीं है जो उधार और उसके प्रतिसंदाय के निबंधनों को ध्यान में रख कर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित दर पर परिकलित हो;]

[4][(चक) किसी अनुचित बैंक द्वारा [5]*** [6][किसी अनिवासी को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो धारा 6 की उपधारा (6) के अर्थ में मामूली तौर पर निवासी नहीं है] विदेशी मुद्रा में निक्षेपों पर वहां संदेय हो जहां बैंक द्वारा ऐसे निक्षेपों का प्रतिग्रहण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हो ।

[7][**स्पष्टीकरण**—इस मद के प्रयोजनों के लिए, "अनुसूचित बैंक" पद से, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथापरिभाषित कोई समनुषंगी बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी नया बैंक या ऐसा कोई अन्य बैंक अभिप्रेत है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक है, किंतु इसके अंतर्गत कोई सहकारी बैंक नहीं है;]

[8][(छ) भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी पब्लिक कंपनी द्वारा जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में आवासीय प्रयोजनों के लिए गृहों के सन्निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार करना है और जो धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) के अधीन कटौती के लिए पात्र कम्पनी है] उन धनराशियों पर संदेय हो जो उसने भारत के बाहर के स्रोतों से [9][1 जून, 2003 के पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित उधार-करार] के अधीन, विदेशी करेंसी में उधार ली हों, उस परिमाण तक जिस तक कि ऐसा ब्याज, ब्याज की उस रकम से अधिक नहीं है जो उधार और उसके प्रतिसंदाय के निबंधनों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित दर पर परिकलित हो ।

स्पष्टीकरण—[10][मद (च) [11][,(चक)] और (छ)] के प्रयोजनों के लिए, "विदेशी करेंसी" पद का वही अर्थ है जो उसका [12][विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 (1999 का 42)] में है;

---

[1] 2003 के अधिनियम सं० 54 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 5 द्वारा (1-6-1976 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 5 द्वारा (1-4-1991 से) अन्त:स्थापित ।
[5] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा (1-4-2006 से) लोप किया गया ।
[6] 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 3 द्वारा (1-4-1993 से) अंत:स्थापित ।
[7] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 5 द्वारा (1-4-1983 से) अंत:स्थापित ।
[9] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[10] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 5 द्वारा (1-4-1983 से) प्रतिस्थापित ।
[11] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 5 द्वारा (1-4-1991 से) अंत:स्थापित ।
[12] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 4 द्वारा (1-4-2013 से) प्रतिस्थापित ।

[1][(ज) किसी पब्लिक सेक्टर कम्पनी द्वारा ऐसे बंधपत्रों या डिबेंचरों की बाबत और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, संदेय हो जिनमें यह शर्त सम्मिलित है कि ऐसे बंधपत्रों या डिबेंचरों का धारक अपना नाम और धृति उस कम्पनी में रजिस्टर कराएगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;]

[2][(झ) सरकार द्वारा ऐसे निक्षेपों पर संदेय हो, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार [3][या पब्लिक सेक्टर कम्पनी] के किसी कर्मचारी ने, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाई गई स्कीम के अनुसार अपनी सेवानिवृत्ति पर, चाहे अधिवार्षिता पर हो या अन्यथा, अपने को शोध्य धन में से किए हों]

[4][**स्पष्टीकरण 1**—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "औद्योगिक उपक्रम" पद से कोई ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है जो निम्नलिखित में लगा हुआ है, अर्थात् :—

(क) माल का विनिर्माण या प्रसंस्करण; अथवा

[5][(कक) कम्प्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या किसी डिस्क, टेप, छिद्रित माध्यम या अन्य सूचना युक्ति पर कार्यक्रम की रिकार्डिंग; अथवा]

(ख) विद्युत या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के उत्पादन या वितरण का कारबार; अथवा

[6][(खक) दूर-संचार सेवाएं उपलब्ध कराने का कारबार; अथवा]

(ग) खनन; अथवा

(घ) पोतों का सन्निर्माण; अथवा

[7][(घक) पोत विघटन का कारबार; अथवा]

[8][(ङ) पोतों या विमानों का प्रचालन या रेल प्रणाली का सन्निर्माण या प्रचालन ।]

[9][**स्पष्टीकरण 1क**—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "ब्याज" पद के अंतर्गत ऋण के विलंबित संदाय पर या व्यतिक्रम पर संदत्त ब्याज नहीं है, यदि वह ऐसे ऋण के निबंधनानुसार संदेय ब्याज की दर से दो प्रतिशत प्रति वर्ष अधिक है ।]

[10][**स्पष्टीकरण 2**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "ब्याज" पद के अन्तर्गत करेंसी उतार-चढ़ाव मद्धे हानि से बचने के उपाय संबंधी संव्यवहार प्रभार भी हैं ।]

[11][(v) (क) कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल द्वारा रिजर्व बैंक के एसजीएल खाता सं० एसएल/डीएच048 में धारित प्रतिभूतियों पर ब्याज;

(ख) भोपाल गैस विभीषिका से पीड़ितों के फायदे के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में या किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चाहे भूतलक्षी रूप से या भविष्यलक्षी रूप से किन्तु किसी भी दशा में 1 अप्रैल, 1994 के पूर्व नहीं, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसे खाते में धारित निक्षेपों पर ब्याज ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "पब्लिक सेक्टर बैंक" पद का वही अर्थ है जो खंड (23घ) के स्पष्टीकरण में है;

[12][(vi) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण निक्षेप स्कीम, 1999 [13][या स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम, 2015 के अधीन जारी निक्षेप प्रमाणपत्र] के अधीन जारी किए गए स्वर्ण निक्षेप बंधपत्रों पर ब्याज;]

[14][(vii) ऐसे बंधपत्रों पर ब्याज, जो—

(क) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी राज्य पूलकृत वित्त एकक द्वारा जारी किए गए हैं; और

---

[1] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 4 द्वारा (1-4-1987 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 4 द्वारा (1-4-1990 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 5 द्वारा (1-4-1991 से) अंत:स्थापित ।
[4] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 5 द्वारा (1-4-1991 से) अंत:स्थापित और 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 6 द्वारा पुन:संख्यांकित ।
[5] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 5 द्वारा (1-11-1999 से) अंत:स्थापित ।
[6] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 द्वारा (1-4-1998 से) अंत:स्थापित ।
[7] 2003 के अधिनियम सं० 54 की धारा 2 द्वारा (1-4-1999 से) अंत:स्थापित ।
[8] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 4 द्वारा (1-4-1997 से) प्रतिस्थापित ।
[9] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 5 द्वारा (1-4-2001 से) प्रतिस्थापित ।
[10] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
[11] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 4 द्वारा (1-4-1995 से) प्रतिस्थापित ।
[12] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
[13] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।
[14] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "राज्य पूलकृत वित्त एकक" पद से ऐसा एकक अभिप्रेत है, जो भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पूलकृत वित्त विकास स्कीम के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित किया जाता है;]

[1][(viii) किसी अनिवासी द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो मामूली तौर पर भारत में निवासी नहीं है, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खण्ड (प) में निर्दिष्ट अपतट बैंककारी यूनिट में 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् किए गए निक्षेप पर प्राप्त ब्याज के रूप में कोई आय;]

[2][(15क) ऐसा कोई संदाय (जो पट्टे पर लिए गए वायुयान के प्रचालन के संबंध में पुर्जे, सुविधाएं या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किए गए संदाय से भिन्न है) जो वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी विदेशी राज्य की सरकार या विदेशी उद्यम से, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित करार [3][और ऐसे करार के अधीन जो 1 अप्रैल, 1997 और 31 मार्च, 1999 के बीच किया गया करार नहीं है] पट्टे पर वायुयान या वायुयान इंजन अर्जित करने के लिए किया गया है :

[4][परंतु इस खंड की कोई बात [5][1 अप्रैल, 2007] को या उसके पश्चात् किए गए किसी ऐसे करार को लागू नहीं होगी ।]

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विदेशी उद्यम" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनिवासी है;]

(16) शिक्षा के खर्च की पूर्ति के लिए अनुदत्त छात्रवृत्तियां;

[6][(17) निम्नलिखित के रूप में कोई आय, अर्थात् :—

(i) कोई ऐसा दैनिक भत्ता जो किसी व्यक्ति द्वारा संसद् का या किसी राज्य विधान-मंडल की या उसकी किसी समिति की सदस्यता के कारण प्राप्त किया गया है, [7]***

[8][(ii) कोई ऐसा भत्ता जो किसी व्यक्ति द्वारा संसद् की सदस्यता के कारण संसद् सदस्य (निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता) नियम, 1986 के अधीन प्राप्त किया गया है,

[5][(iii) किसी व्यक्ति द्वारा किसी राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम या नियमों के अधीन उस राज्य विधान-मंडल की उसकी सदस्यता के कारण प्राप्त कोई निर्वाचन क्षेत्र भत्ता;]]]

[9][(17क) (i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा लोकहित में संस्थित अथवा किसी अन्य निकाय द्वारा संस्थित और केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित पुरस्कार के अनुसरण में; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त लोकहित में अनुमोदित किए जाएं, पारितोषिक के रूप में, किया गया संदाय चाहे नकदी में हो या वस्तु के रूप में;]

[10][(18) निम्नलिखित के रूप में कोई आय, अर्थात् :—

(i) किसी ऐसे व्यष्टि द्वारा, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में रहा है और जिसे "परमवीर चक्र" या "महावीर चक्र" या "वीर चक्र" या ऐसा अन्य शौर्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्राप्त पेंशन;

(ii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी व्यष्टि के कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा प्राप्त की गई कुटुम्ब पेंशन ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "कुटुम्ब" पद का वही अर्थ होगा, जो खंड (5) के स्पष्टीकरण में है ।]

[11]* * * *

---

[1] 2005 के अधिनियम सं० 28 की धारा 27 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 3 द्वारा (1-4-1986 से) धारा 10 के खंड (17) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 4 द्वारा (1-4-1986 से) खंड (17) के उपखंड (i) में "और" शब्द का लोप किया गया ।
[8] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 4 द्वारा (1-4-1986 से) खंड (17) के उपखंड (ii) के स्थान पर उपखंड (ii) और (iii) प्रतिस्थापित ।
[9] 1988 के अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा खण्ड (17क), खण्ड (17ख) और खण्ड (18) के स्थान पर (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित ।
[10] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
[11] 1972 के अधिनियम सं० 54 की धारा 7 द्वारा (9-9-1972 से) अन्त:स्थापित तथा 1999 के अधिनियम सं० 21 की धारा 5 द्वारा लोप किया गया ।

[1][(19) संघ के सशस्त्र बल के (जिसके अंतर्गत अर्ध सैनिक बल भी है), यथास्थिति, किसी सदस्य की विधवा या उसके बालकों या नामनिर्दिष्ट वारिसों द्वारा प्राप्त कुटुंब पेंशन, जहां ऐसे सदस्य की मृत्यु संक्रियात्मक कर्तव्य के दौरान ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी दशाओं के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, हुई है;]

[2][(19क) किसी शासक के अधिभोगाधीन किसी एक महल का वार्षिक मूल्य, जो ऐसा महल है जिसके वार्षिक मूल्य को, संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारम्भ के पहले, यथास्थिति, विलीन राज्य (कराधान रियायत) आदेश, 1949 के या भाग ख राज्य (कराधान रियायत) आदेश, 1950 के, या जम्मू-कश्मीर (कराधान रियायत) आदेश, 1958 के उपबन्धों के आधार पर आय-कर से छूट प्राप्त थी :

परन्तु 1 अप्रैल, 1972 से प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे शासक के अधिभोगाधीन प्रत्येक महल के वार्षिक मूल्य को सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान आय-कर से छूट प्राप्त होगी;]

(20) किसी स्थानीय प्राधिकारी की ऐसी आय जो [3]*** "गृह सम्पत्ति से आय", "पूंजी अभिलाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है या उसके द्वारा चलाए गए व्यापार या कारबार से होने वाली ऐसी आय [4][जो किसी वस्तु के प्रदाय या सेवा से (जो जल या विद्युत नहीं है) अपनी ही अधिकारिता वाले क्षेत्र के भीतर या अपनी अधिकारिता वाले क्षेत्र के भीतर या बाहर जल या विद्युत के प्रदाय से प्रोद्भूत या उद्भूत होता है ।]

[5][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "स्थानीय प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है, —

(i) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में यथानिर्दिष्ट पंचायत; या

(ii) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ङ) में यथानिर्दिष्ट नगरपालिका, या

(iii) नगरपालिक समिति और जिला बोर्ड, जो किसी नगरपालिक या स्थानीय निधि या जो सरकार द्वारा उसके पास न्यस्त की गई है, के नियंत्रण या प्रबंध के लिए विधिक रूप से हकदार है; या

(iv) छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 3 में यथापरिभाषित छावनी बोर्ड;]

[6]* * * *

[7][(21) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) [8][या खंड (iii)] के प्रयोजन के लिए तत्समय अनुमोदित किसी [9][अनुसंधान संगम] की, कोई आय :

परन्तु यह तब जब [9][अनुसंधान संगम] —

(क) अपनी आय का, उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए उसकी स्थापना की गई है, पूर्णतया या अनन्य रूप से उपयोग करता है या उपयोग करने के लिए संचय करता है और धारा 11 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध, ऐसे संचय के संबंध में निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, लागू होंगे, अर्थात् :—

(i) उपधारा (2) में, —

(1) "उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के साथ पठित उस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा;

(2) "पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों में" शब्दों के स्थान पर [9]["वैज्ञानिक अनुसंधान या समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान] के प्रयोजनों के लिए" शब्द रखे जाएंगे;

(3) उसके खंड (क) में "निर्धारण अधिकारी" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) [9][या खंड (iii)] में निर्दिष्ट "विहित प्राधिकारी" के प्रति निर्देश है;

(ii) उपधारा (3) में, खंड (क) में, "पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों" शब्दों के स्थान पर [9]["वैज्ञानिक अनुसंधान या समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान] के प्रयोजनों" शब्द रखे जाएंगे; और

---

[1] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1972 के अधिनियम सं० 54 की धारा 7 द्वारा (28-12-1971 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 4 द्वारा (1-4-1989 से) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" शब्दों का लोप किया गया ।
[4] 1971 के अधिनियम सं० 32 की धारा 4 द्वारा (1-4-1971 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (1-4-2003 से) प्रतिस्थापित ।
[6] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया ।
[7] 1989 के प्रयत्क्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 4 द्वारा (1-4-1990 से) प्रतिस्थापित ।
[8] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(ख) अपनी निधियों का, जो निम्नलिखित से भिन्न हैं, अर्थात् : —

(i) [2][अनुसंधान संगम] द्वारा धारित कोई आस्तियां, जहां ऐसी आस्तियां 1 जून, 1973 को संगम की निधि की संपत्ति का भाग थीं;

(ii) 1 मार्च, 1983 के पूर्व [2][अनुसंधान संगम] द्वारा अर्जित कोई आस्तियां (जो किसी कंपनी या निगम द्वारा या उसकी ओर से पुरोधृत डिबेंचर हैं);

(iii) [2][अनुसंधान संगम] को आबंटित बोनस शेयरों के रूप में ऐसे शेयरों की कोई अनुवृद्धि, जो उपखंड (i) में उल्लिखित निधि की संपत्ति का भाग हैं;

(iv) आभूषण, फर्नीचर या ऐसी किसी अन्य वस्तु के रूप में, जो बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे प्राप्त किए गए और रखे गए स्वैच्छिक अभिदाय,

पूर्ववर्ष के दौरान किसी अवधि के लिए, धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक स्वरूप या पद्धतियों से अन्यथा विनिधान या निक्षेप नहीं करता है:]

[3][परन्तु यह और कि नकद में स्वैच्छिक अभिदाय या इस खंड के पहले परन्तुक के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति के स्वैच्छिक अभिदाय से भिन्न स्वैच्छिक अभिदाय के संबंध में इस खंड के अधीन छूट से इंकार नहीं किया जाएगा, किन्तु यह इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसा स्वैच्छिक अभिदाय, [2][अनुसंधान संगम] द्वारा, उस पूर्ववर्ष के अन्त से, जिसमें ऐसी आस्ति अर्जित की जाती है या 31 मार्च, 1992 से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, एक वर्ष के अवसान के पश्चात्, धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट स्वरूप या पद्धतियों से भिन्न किसी स्वरूप या पद्धतियों से धारित नहीं किया जाता है :

परन्तु यह और भी कि] इस खंड की कोई बात, [2][अनुसंधान संगम] की ऐसी किसी आय की बाबत, जो कारबार के लाभ या अभिलाभ हैं, तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि वह कारबार उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक नहीं है और उसके द्वारा ऐसे कारबार की बाबत पृथक् लेखा बहियां नहीं रखी जाती हैं :]

[4][परन्तु यह भी कि जहां [2][अनुसंधान संगम] केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है और तत्पश्चात् उस सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,—

(i) [2][अनुसंधान संगम] ने अपनी आय का पहले परंतुक के खंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उपयोग नहीं किया है; या

(ii) [2][अनुसंधान संगम] ने अपनी निधियों का पहले परंतुक के खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनिधान या निक्षेप नहीं किया है; या

(iii) [2][अनुसंधान संगम] के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं; या

(iv) [2][अनुसंधान संगम] के क्रियाकलाप उन सभी या किसी शर्त के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसे संगम का अनुमोदन किया गया था,

वहां वह संबंधित संगम को प्रस्तावित वापसी के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी समय आदेश द्वारा अनुमोदन वापस ले सकेगी और अनुमोदन को वापस लेने वाले आदेश की एक प्रति ऐसे संगम को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगी;]

[5]* * * *

[6][(22ख) केवल समाचारों के संग्रहण और वितरण के लिए भारत में स्थापित किसी ऐसी समाचार एजेंसी की आय, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु यह तब जब कि समाचार एजेंसी केवल समाचारों के संग्रहण और वितरण के लिए अपनी आय का उपयोग करती है या उपयोग करने के लिए संचय करती है और अपनी आय का किसी भी रीति से अपने सदस्यों को वितरण नहीं करती है :

परंतु यह और कि इस खंड के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाली गई कोई अधिसूचना, किसी एक समय पर, ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए, जो तीन निर्धारण वर्षों से (जिनमें उस तारीख के, जिसको ऐसी अधिसूचना निकाली जाती है,

---

[1] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा (1-4-1990 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 5 द्वारा खण्ड 22 और 22क का लोप किया गया ।
[6] 1994 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

पूर्व प्रारम्भ होने वाला निर्धारण वर्ष या होने वाले निर्धारण वर्ष सम्मिलित हैं) अधिक न हों, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रभावी होगी :]

[1][परंतु यह भी कि जहां केंद्रीय सरकार ने किसी समाचार एजेन्सी को अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर दिया है और तत्पश्चात् उस सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समाचार एजेन्सी ने आय का उपयोग या संचय या वितरण पहले परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नहीं किया है, वहां वह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी भी समय अधिसूचना को विखंडित कर सकेगी और अधिसूचना के विखंडन के आदेश की एक प्रति ऐसी एजेन्सी को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगी;]

[2]* * * *

[3][(23क) भारत में स्थापित ऐसे संगम या संस्था की, जिसका उद्देश्य, विधि, चिकित्सा, लेखा कर्म, इंजीनियरी या स्थापत्यकला की वृत्ति या ऐसी अन्य वृत्ति का, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन हो, कोई आय (जो [4]*** "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय या किन्हीं विनिर्दिष्ट सेवाओं को करने से प्राप्त किसी आय या उसके विनिधानों से व्युत्पन्न ब्याज या लाभांशों के रूप में आय से भिन्न हो)]:

परन्तु यह तब जबकि—

(i) वह संगम या संस्था अपनी आय को केवल उन उद्देश्यों में ही जिनके लिए वह स्थापित की गई है, प्रयुक्त करती है या प्रयुक्त करने के लिए उसे संचित करती है;

(ii) वह संगम या संस्था, केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस खंड के प्रयोजन के लिए तत्समय अनुमोदित है :]

[1][परंतु यह और कि जहां केंद्रीय सरकार द्वारा संगम या सaस्था का अनुमोदन कर दिया गया है और तत्पश्चात् उस सरकार का यह समाधान हो गया है कि,—

(i) ऐसे संगम या संस्था ने अपनी आय का उपयोग या संचय पहले परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नहीं किया है; या

(ii) संगम या संस्था के क्रियाकलाप उन सभी या किसी शर्त के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसे संगम या संस्था का अनुमोदन किया गया था,

वहां वह, संबंधित संगम या संस्था को प्रस्तावित वापसी के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी समय आदेश द्वारा, अनुमोदन वापस ले सकेगी और अनुमोदन को वापस लेने वाले आदेश की एक प्रति ऐसे संगम या संस्था को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगी;]

[5][(23कक) किसी व्यक्ति द्वारा संघ के सशस्त्र बलों द्वारा ऐसे बलों के भूतपूर्व और वर्तमान सदस्यों के या उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्थापित रेजिमेंट निधि के या असार्वजनिक निधि के निमित्त प्राप्त कोई आय;]

[6][(23ककक) किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी निधि की ओर से, जो कर्मचारियों या उनके आश्रितों के कल्याण के लिए ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं, स्थापित की गई है और ऐसी निधि के ऐसे कर्मचारी सदस्य हैं, प्राप्त कोई आय, यदि ऐसी निधि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :—

(क) निधि—

(i) अपनी आय का उन उद्देश्यों के लिए, जिनके लिए उसकी स्थापना की गई है, पूर्णत: और अनन्यत: उपयोग करती है या उपयोग करने के लिए संचय करती है; और

(ii) अपनी निधियों और अभिदायों और अपने को प्राप्त अन्य राशियों का धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट स्वरूप या पद्धतियों से विनिधान करती है;

(ख) निधि इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदित है :

परंतु कोई ऐसा अनुमोदन किसी एक समय पर, तीन निर्धारण वर्षों से अनधिक ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए प्रभावी होगा जो अनुमोदन के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं;]

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 1965 के अधिनियम सं० 15 की धारा 3 द्वारा (सदैव से) अंत:स्थापित ।
[4] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 4 द्वारा (1-4-1989 से) ' "प्रतिभूतियों पर ब्याज" या' शब्दों का लोप किया गया ।
[5] 1980 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (सदैव से) अंत:स्थापित ।
[6] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 4 द्वारा (1-4-1996 से) अंत:स्थापित ।

[1][(23ककख) [2][भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता] द्वारा 1 अक्तूबर, 1996 को या उसके पश्चात् किसी पेंशन स्कीम के अधीन स्थापित किसी निधि की, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, कोई आय,—

(i) जिसमें ऐसी निधि में से पेंशन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अभिदाय किया जाता है;

(ii) जो [3][यथास्थिति, बीमा नियंत्रक या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण] द्वारा अनुमोदित है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "बीमा नियंत्रक" अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (5ख) में है;]

[4][(23ख) सार्वजनिक पूर्त न्यास के रूप में या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1960 का 21), या भारत के किसी भाग में, प्रवृत्त इस अधिनियम के तत्समान किसी विधि के अधीन केवल खादी या ग्रामोद्योग, या दोनों के विकास के लिए लाभ के प्रयोजनार्थ नहीं, गठित किसी संस्था की आय उस विस्तार तक जहां तक ऐसी आय खादी या ग्रामोद्योग के उत्पादकों के उत्पादन, विक्रय या विपणन से हुई मानी जा सकती है :

परन्तु यह तब जबकि—

(i) वह संस्था अपनी आय को केवल खादी या ग्रामोद्योग या दोनों के विकास के लिए ही प्रयुक्त करती है या प्रयुक्त किए जाने के लिए संचित करती है; और

(ii) वह संस्था खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस खंड के प्रयोजन के लिए तत्समय अनुमोदित है :

परन्तु यह और कि आयोग एक बार में उस वित्तीय वर्ष से जिसमें अनुमोदन दिया जाता है ठीक बाद के निर्धारण वर्ष से प्रारम्भ होने वाले तीन निर्धारण वर्षों से अधिक के लिए अनुमोदन नहीं देगा :

[5][परंतु यह भी कि जहां खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संस्था का अनुमोदन कर दिया गया है और तत्पश्चात् उस आयोग का यह समाधान हो गया है कि,—

(i) संस्था ने अपनी आय का उपयोग या संचय पहले परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नहीं किया है; या

(ii) संस्था के क्रियाकलाप उन सभी या किसी शर्त के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसी संस्था का अनुमोदन किया गया था,

वहां वह, संबंधित संस्था को प्रस्तावित वापसी के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी समय आदेश द्वारा अनुमोदन वापस ले सकेगा और अनुमोदन को वापस लेने वाले आदेश की एक प्रति ऐसी संस्था को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगा ।]

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए—

(i) "खादी और ग्रामोद्योग आयोग" से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) के अधीन स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अभिप्रेत है,

(ii) "खादी" और "ग्रामोद्योग" के वही अर्थ हैं जो उस अधिनियम में हैं;]

[6][(23खख) किसी राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी राज्य में, खादी या ग्रामोद्योग के विकास के लिए उस राज्य में स्थापित प्राधिकरण की आय (चाहे खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के नाम से ज्ञात हो या किसी अन्य नाम से) ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "खादी" और "ग्रामोद्योग" का वही अर्थ है जो खादी ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) में है;

(23खखक) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित, गठित या नियुक्त किसी निकाय या प्राधिकरण की आय (चाहे व समाविष्ट निगम हो या एकल निगम) जिसमें निम्नलिखित में से एक या अधिक के

---

[1] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 5 द्वारा (1-4-2002 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 1974 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा (1-6-1974 से) अंत:स्थापित ।
[5] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 3 द्वारा (1-4-1962 से) अंत:स्थापित ।

प्रशासन के लिए उपबंध किया गया है, अर्थात् सार्वजनिक, धार्मिक या पूर्त न्यास या विन्यास (जिसके अन्तर्गत मठ, मन्दिर, गुरुद्वारा, वक्फ, गिरजाघर, सेनेगाग, अगियारी या सार्वजनिक, धार्मिक उपासना के अन्य स्थान हैं) या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन इस प्रकार धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत सासाइटी :

परन्तु इस खण्ड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उसमें निर्दिष्ट किसी न्यास, विन्यास या सोसाइटी की आय को कर से छूट देती है;]

[1][(23खखख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय की कोई आय, जो ऐसी स्कीम के अधीन, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उसकी निधियों में से किए गए विनिधानों से ब्याज, लाभांश या पूंजी अभिलाभों के रूप में भारत में व्युत्पन्न हुई है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "यूरोपीय आर्थिक समुदाय" से 5 मार्च, 1957 की रोम संधि द्वारा स्थापित यूरोपीय आर्थिक समुदाय अभिप्रेत है;]

[2][(23खखग) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के चार्टर द्वारा 8 दिसंबर, 1985 को स्थापित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राज्याध्यक्षों या सरकारों द्वारा 21 दिसंबर, 1991 को जारी की गई कोलंबो घोषणा द्वारा स्थापित दक्षेस क्षेत्रीय परियोजना निधि की कोई आय;]

[3][(23खखघ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन "ए एस ओ एस ए आई-सेक्रेटेरियट" के रूप में रजिस्ट्रीकृत सेक्रेटेरियट आफ एशियन आर्गेनाइजेशन ऑफ दि सुप्रीम आडिट इंस्टिट्यूशन की, [4][1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत दस पूर्ववर्षों के लिए] कोई आय;

(23खखङ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की कोई आय;]

[5][(23खखच) नॉर्थ ईस्टर्न डेवलेपमेन्ट फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी है, की कोई आय :

परंतु नॉर्थ ईस्टर्न डेवलेपमेन्ट फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड की कुल आय की संगणना करने में,—

(i) 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष की कुल आय के बीस प्रतिशत;

(ii) 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष की कुल आय के चालीस प्रतिशत;

(iii) 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष की कुल आय के साठ प्रतिशत;

(iv) 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष की कुल आय के अस्सी प्रतिशत;

(v) 1 अप्रैल, 2010 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और किसी अन्य पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष या वर्षों की कुल आय के सौ प्रतिशत,

तक की रकम ऐसी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी;]

[6][(23खखछ) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की कोई आय;]

[7][(23खखज) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) की कोई आय;]

[8][(23ग) किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के निमित्त प्राप्त कोई आय—

(i) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष; या

(ii) प्रधान मंत्री निधि (लोककला विकास); या

(iii) प्रधान मंत्री विद्यार्थी सहायता निधि; या

---

[1] 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 3 द्वारा (1-4-1994 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 4 द्वारा (1-4-1992 से) अंत:स्थापित ।
[3] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 5 द्वारा (1-4-2002 से) अंत:स्थापित ।
[4] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 4 द्वारा (1-4-2006 से) अंत:स्थापित ।
[6] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 3 द्वारा (1-4-1976 से) अंत:स्थापित ।

[1][(iiiक) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान; या]

[2][(iiiकक) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष; या

(iiiककक) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि; या]

[3][(iiiककक) धारा 80छ की उपधारा (2) के खण्ड (क) के उपखंड (iiiजच) में यथानिर्दिष्ट किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में मुख्यमंत्री सहायता निधि या उप राज्यपाल सहायता निधि; या]

[4][(iiiकख) ऐसा कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, जो एकमात्र रूप से शैक्षिक प्रयोजनों के लिए विद्यमान है न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए और जो पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित है; या

(iiiकग) रुग्णता या मानसिक दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दाखिल करने और उनके उपचार के लिए या रोग उपशमन के दौरान व्यक्तियों को दाखिल करने या उनके उपचार या ऐसे व्यक्तियों को जिनको चिकित्सा परिचर्या या पुनर्वास की आवश्यकता है, दाखिल करने या उनके उपचार के लिए कोई अस्पताल या अन्य संस्था जो एकमात्र रूप से परोपकारी प्रयोजनों के लिए विद्यमान है, न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए और जो पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित है; या

[5][**स्पष्टीकरण**—उपखंड (iiiकख) और उपखंड (iiiकग) के प्रयोजनों के लिए, उनमें निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को किसी पूर्ववर्ष के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित समझा जाएगा, यदि ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को, सरकारी अनुदान उस सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान, यथास्थिति, उस विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था की कुल प्राप्तियों की, जिनके अंतर्गत कोई स्वैच्छिक अभिदाय भी हैं, ऐसी प्रतिशतता से, जो विहित की जाए, अधिक है;]

(iiiकघ) कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, जो एकमात्र रूप से शैक्षिक प्रयोजनों के लिए विद्यमान है, न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए, यदि ऐसे विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था की कुल वार्षिक प्राप्तियां, ऐसी वार्षिक प्राप्तियों की रकम से, जो विहित की जाएं, अधिक नहीं है; या

(iiiकङ) रुग्णता या मानसिक दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दाखिल करने और उनके उपचार के लिए या रोग उपशमन के दौरान व्यक्तियों को दाखिल करने या उनके उपचार के लिए या ऐसे व्यक्तियों को, जिनको चिकित्सा परिचर्या और पुनर्वास की आवश्यकता है, दाखिल करने या उनके उपचार के लिए कोई अस्पताल या अन्य संस्था, जो एकमात्र रूप से परोपकारी प्रयोजनों के लिए विद्यमान है न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए, यदि ऐसे अस्पताल या संस्था की कुल वार्षिक प्राप्तियां, ऐसी वार्षिक प्राप्तियों की रकम से, जो विहित की जाएं, अधिक नहीं है; या]

[6][(iv) पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित कोई अन्य निधि या संस्था, [7][जिसे विहित प्राधिकारी उस निधि या संस्था के उद्देश्यों को और समस्त भारत में या किसी समस्त राज्य या राज्यों में उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित करे];

(v) कोई न्यास (जिसके अन्तर्गत कोई अन्य विधिक बाध्यता भी है) या संस्था, जो पूर्णत: सार्वजनिक, धार्मिक प्रयोजनों के लिए है अथवा पूर्णत: सार्वजनिक, धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए है, [6][जिसे विहित प्राधिकारी, उस रीति को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित करे] जिससे उस न्यास या संस्था के कामकाज का प्रशासन और पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि उसको प्रोद्भूत होने वाली आय उसके उद्देश्यों के लिए उचित रूप से प्रयोग की जाती है;

[8][(vi) उपखंड (iiiकख) या (iiiकघ) में उल्लिखित विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था से भिन्न कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, जो एकमात्र रूप से शैक्षिक प्रयोजनों के लिए विद्यमान है, न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए, और जिसे विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाए; या

(viक) रुग्णता या मानसिक दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दाखिल करने या उनके उपचार के लिए या रोग उपशमन के दौरान व्यक्तियों को दाखिल करने या उनके उपचार के लिए या ऐसे व्यक्तियों को, जिनको चिकित्सा परिचर्या या पुनर्वास की आवश्यकता है दाखिल करने या उनके उपचार के लिए कोई अस्पताल या अन्य संस्था, जो एकमात्र रूप से परोपकारी प्रयोजनों के लिए विद्यमान है न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए, जो उपखंड (iiiकग) या उपखंड (iiiकङ) में उल्लिखित किसी अस्पताल या अन्य संस्था से भिन्न है और जिसे विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाए :]

---

[1] 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 3 द्वारा (1-4-1994 से) अंत:स्थापित।
[2] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित।
[3] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 6 द्वारा (1-4-1998 से) अंत:स्थापित।
[4] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 5 द्वारा (1-4-1999 से) अंत:स्थापित।
[5] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित।
[6] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 4 द्वारा (1-4-1990 से) प्रतिस्थापित।
[7] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
[8] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 5 द्वारा (1-4-1999 से) अंत:स्थापित।

परन्तु यह कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था, [1][या कोई विश्व विद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्थान] उपखंड (iv) या उपखंड (v) [1][या उपखंड (vi) या उपखंड (viक)] के अधीन छूट देने या उसे जारी रखने के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी को विहित प्ररूप और रीति में आवेदन करेगी :

[2][परन्तु यह और कि विहित प्राधिकारी, उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था का अनुमोदन करने से पूर्व, यथास्थिति, निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था से ऐसे दस्तावेजों (जिनके अंतर्गत संपरीक्षित वार्षिक लेखे भी हैं) या जानकारी की मांग कर सकेगा जिन्हें वह, यथास्थिति, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में अपना समाधान करने के लिए आवश्यक समझे और विहित प्राधिकारी, ऐसी जांच भी कर सकेगा, जिन्हें वह इस निमित्त आवश्यक समझे :]

परन्तु यह भी कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) [1][या उपखंड (vi) या उपखंड (viक)] में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था,—

[3][(क) अपनी आय का, उन उद्देश्यों के लिए, पूर्णतया और अनन्यत :उपयोग करती है या उपयोग करने के लिए संचय करती है, जिनके लिए उसकी स्थापना की गई है और ऐसी दशा में, जहां 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् उसकी आय के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक का संचय हो जाता है, वहां उसकी आय के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक रकम के संचयन की अवधि किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी; और]

[4][(ख) अपनी निधियों का, जो निम्नलिखित से भिन्न हैं, अर्थात् :—

(i) निधि, न्यास या संस्था [1][या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था] द्वारा धारित कोई आस्तियां, जहां ऐसी आस्तियां 1 जून, 1973 को निधि, न्यास या संस्था [1][या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था] की संपत्ति का भाग थीं;

[5][(iक) किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था द्वारा धारित कोई आस्ति, जो किसी पब्लिक कंपनी के साधारण शेयर हैं, जहां ऐसी आस्तियां 1 जून, 1998 को किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था की संपत्ति का भागरूप हैं;]

(ii) 1 मार्च, 1983 के पूर्व निधि, न्यास या संस्था द्वारा अर्जित कोई आस्तियां (जो किसी कंपनी या निगम द्वारा या उसकी ओर से पुरोधृत डिबेंचर हैं) ;

(iii) निधि, न्यास या संस्था को आबंटित बोनस शेयरों के रूप में ऐसे शेयरों की कोई अनुवृद्धि, जो उपखंड (i) [5][और उपखंड (iक)] में उल्लिखित संपत्ति का भाग हैं;

(iv) आभूषण, फर्नीचर या ऐसी अन्य वस्तु के रूप में जो बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, प्राप्त किए गए और रखे गए स्वैच्छिक अभिदाय,

पूर्ववर्ष के दौरान किसी अवधि के लिए, धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक स्वरूप या पद्धतियों से अन्यथा विनिधान या निक्षेप नहीं करती है :]

परन्तु यह भी कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन कोई छूट निधियों के, 1 अप्रैल, 1989 के पूर्व धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्ररूप या पद्धतियों से अन्यथा किए गए विनिधानों और निक्षेपों के संबंध में नामंजूर नहीं की जाएगी यदि ऐसी निधियां [6][[30 मार्च,] [7][1993]] के पश्चात् इस प्रकार विनिहित या निक्षिप्त नहीं बनी रहती हैं :

---

[1] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 5 द्वारा (1-4-1999 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (1-4-2003 से) अंत:स्थापित ।
[4] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा (1-4-1990 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 5 द्वारा (1-4-2001 से) अंत:स्थापित ।
[6] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 5 द्वारा (1-4-1990 से) प्रतिस्थापित ।
[7] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा (1-4-1992 से) प्रतिस्थापित ।

[1][परन्तु यह भी कि उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन कोई छूट, निधियों के, 1 जून, 1998 के पूर्व धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्ररूप या पद्धतियों से अन्यथा किए गए विनिधानों और निक्षेप के संबंध में नामंजूर नहीं की जाएगी यदि ऐसी निधियां 30 मार्च, 2001 के पश्चात् इस प्रकार विनिहित या निक्षिप्त नहीं बनी रहती है :]

[2][परन्तु यह और भी कि नकद में स्वैच्छिक अभिदाय या इस उपखण्ड के तीसरे परतुंक के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति के स्वैच्छिक अभिदाय से भिन्न स्वैच्छिक अभिदाय के संबंध में उपखंड (iv) या उपखण्ड (v) [1][या उपखण्ड (vi) या उपखंड (viक)] के अधीन छूट से इंकार नहीं किया जाएगा, किंतु यह इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसा स्वैच्छिक अभिदाय, न्यास या संस्था [1][या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था] द्वारा, उस पूर्ववर्ष के अन्त से जिसमें ऐसी आस्ति अर्जित की जाती है या 31 मार्च, 1992 से इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती है, एक वर्ष के अवसान के पश्चात्, धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट स्वरूप या पद्धतियों से भिन्न किसी स्वरूप या पद्धति से धारित नहीं किया जाता है :]

परन्तु यह और भी कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) [1][या उपखण्ड (vi) या उपखंड (viक)] की कोई बात निधि या न्यास या संस्था [1][या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था] की किसी ऐसी आय की बाबत, जो कारबार के लाभ या अभिलाभ हैं; तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि वह कारबार उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक नहीं है और उसके द्वारा ऐसे कारबार की बाबत पृथक् लेखाबहियां नहीं रखी जाती हैं :

परन्तु यह और भी कि [3][उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उस तारीख से पूर्व, जिसको कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, निकाली गई कोई अधिसूचना, किसी एक समय पर, ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए, जो तीन निर्धारण वर्षों से अधिक नहीं होंगे,] (जिसके अन्तर्गत ऐसी अधिसूचना के निकाले जाने की तारीख के पूर्व प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष भी है या हैं) प्रभावी होगी, जो अधिसूचना में विहित किए जाएं :]

[4][परन्तु यह भी कि जहां कोई आवेदन कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने की तारीख को या उसके पश्चात् किया जाता है वहां [5][उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना या उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन] या आवेदन को नामंजूर करने वाला कोई आदेश उस मास के अंत से जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ था, बारह मास की अवधि के भीतर, यथास्थिति, निकाली जाएगी या प्रदान किया जाएगा या पारित किया जाएगा :

परंतु यह भी कि जहां उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की कुल आय, उक्त खंडों के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, उस अधिकतम रकम से अधिक है, जो किसी पूर्ववर्ष में कर से प्रभार्य नहीं है, वहां ऐसा न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था उस वर्ष की बाबत अपने लेखाओं की संपरीक्षा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखापरीक्षक से कराएगी और सुसंगत निर्धारण वर्ष की आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में ऐसे लेखापरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित रिपोर्ट देंगे और उसमें ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करेंगे जो विहित की जाएं :]

[6][परन्तु यह भी कि धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (घ) के निबंधनों [7][जिसकी बाबत आय और व्यय का लेखे उस धारा की उपधारा (5ग) के खंड (v) के अधीन विहित

---

[1] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 5 द्वारा (1-4-1999 से) अंत:स्थापित।
[2] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 5 द्वारा (1-4-1990 से) अंत:स्थापित।
[3] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
[4] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित।
[5] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
[6] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 5 द्वारा (1-4-2002 से) अंत:स्थापित।
[7] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (3-2-2001 से) अंत:स्थापित।

प्राधिकारी को उक्त खंड में विनिर्दिष्ट रीति में नहीं दिए गए हैं; या] के अनुसार किसी निधि या संस्था द्वारा प्राप्त दान की कोई रकम, जिसका उपयोग गुजरात में भूकंप पीड़ितों को सहायता देने से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया है, या जो धारा 80छ की उपधारा (5ग) के निबंधनों के अनुसार अनुपयोजित रहती है और जिसे [1][31 मार्च, [2][2004] के पूर्व] प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में अंतरित नहीं किया गया है, पूर्ववर्ती वर्ष की आय समझी जाएगी और तद्नुसार उस पर कर प्रभारित किया जाएगा :]

[3][परंतु यह भी कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था की आय में से धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था के पास जमा की गई या संदत्त किसी रकम को, जो ऐसा स्वैच्छिक अभिदाय है जिसे इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ किया गया है कि वह न्यास या संस्था की समग्र निधि का भाग बनेगा, उन उद्देश्यों के प्रति आय के उपयोग के रूप में नहीं समझा जाएगा, जिनके लिए, यथास्थिति, ऐसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था को स्थापित किया गया है :]

[4][परन्तु यह भी कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था प्राप्ति के वर्ष के दौरान अपनी आय का उपयोग नहीं करती है और उसे संचय करती है वहां ऐसे संचयन में से धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था को या उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को किया गया कोई संदाय या जमा उन उद्देश्यों के लिए, आय का उपयोजन नहीं माना जाएगा, जिनके लिए, यथास्थिति, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना की गई है :

परन्तु यह और भी कि जहां उपखण्ड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था [5][यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है या विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है] या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था का विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है और तत्पश्चात् उस सरकार या विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि,—

(i) ऐसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था ने,—

(अ) अपनी आय का तीसरे परंतुक के खंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उपयोग नहीं किया है; या

(आ) अपनी निधियों का तीसरे परंतुक के खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनिधान या निक्षेप नहीं किया है; या

(ii) ऐसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के क्रियाकलाप,—

(अ) वास्तविक नहीं हैं; या

(आ) उन सभी या किसी शर्त के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिनके अध्यधीन रहते हुए यह अधिसूचित या अनुमोदित किया गया था,

वहां वह संबंधित निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को प्रस्तावित कार्रवाई के लिए हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी भी समय, यथास्थिति, अधिसूचना को विखंडित कर सकेगा या आदेश द्वारा, अनुमोदन को वापस ले सकेगा और अधिसूचना को

[1] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (3-2-2001 से) प्रतिस्थापित।
[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
[3] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 6 द्वारा (1-4-2018 से) अंत:स्थापित।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (1-4-2003 से) अंत:स्थापित।
[5] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

विखंडन करने या अनुमोदन वापस लेने के आदेश की एक प्रति ऐसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगा :]

[1][परन्तु यह और कि यदि पहले परंतुक में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था, 1 जून, 2006 को या उसके पश्चात् छूट की मंजूरी या उसके बने रहने के प्रयोजनों के लिए कोई आवेदन करती है, [2][तो ऐसा आवेदन उस सुसंगत निर्धारण वर्ष की, जिससे छूट चाही गई है, 30 सितंबर को या उससे पूर्व किया जाएगा :]

[1][परन्तु यह भी कि धारा 115खखग में निर्दिष्ट किसी अनाम संदाय को, जिस पर कर उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार संदेय है, कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा :]

[3][परन्तु यह भी कि ऐसे सभी लंबित आवेदन, जिनके संबंध में, उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन कोई अधिसूचना 1 जून, 2007 से पूर्व जारी नहीं की गई है, उस तारीख को विहित प्राधिकारी को अंतरित हो जाएंगे और विहित प्राधिकारी ऐसे आवेदनों पर, उन उपखंडों के अधीन उस प्रक्रम से कार्यवाही करेगा, जिस पर वे उस तारीख को थे :]

[4][परन्तु यह भी कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था की आय को पूर्ववर्ष की उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा, यदि धारा 2 के खंड (15) के पहले परंतुक के उपबंध ऐसे न्यास या संस्था को उक्त पूर्ववर्ष में लागू हो जाते हैं, चाहे ऐसे न्यास या संस्था की बाबत अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया हो या नहीं अथवा जारी की गई अधिसूचना विखंडित की गई हो या नहीं :]

[5][परन्तु यह भी कि जहां उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था को, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित है या विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है अथवा उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और वह अधिसूचना या अनुमोदन किसी पूर्ववर्ष के लिए प्रवृत्त है, वहां इस धारा के [उसके उपखंड (1) से भिन्न] किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट कोई बात, यथास्थिति, उस निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की ओर से प्राप्त किसी आय को उस पूर्ववर्ष के लिए उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय से अपवर्जित करने के लिए प्रवर्तित नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड में, जहां किसी आय को उपयोजित किया जाना या संचित किया जाना अपेक्षित है, वहां ऐसे प्रयोजन के लिए आय का अवधारण ऐसी किसी आस्ति की बाबत, जिसके अर्जन का दावा इस खंड के अधीन उसी या किसी अन्य पूर्ववर्ष में आय के उपयोजन के रूप में किया गया है, अवधारण अवक्षयण के रूप में या अन्यथा किसी कटौती या मोक के बिना किया जाएगा;]

[6][(23घ) [7][(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत [7][अध्याय 12ङ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी पारस्परिक निधि की आय];

(ii) किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या लोक वित्तीय संस्था द्वारा स्थापित या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत ऐसी अन्य पारस्परिक निधि की आय, जो ऐसी शर्तों के अधीन होगी जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।]

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए—

(क) "पब्लिक सेक्टर बैंक" अभिव्यक्ति से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में परिभाषित समनुषंगी बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के

---

[1] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा (1-6-2006 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1988 के अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा (1-4-1988 से) अंत:स्थापित ।
[7] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 4 द्वारा (1-7-1995 से) प्रतिस्थापित ।

अधीन या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक [1][और भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा अन्य पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रवर्ग में सम्मिलित बैंक] अभिप्रेत है;

(ख) "लोक वित्तीय संस्था" पद का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क में है;]

[2][(ग) "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में है;]

[3][(23घक) प्रतिभूतिकरण के क्रियाकलाप से किसी प्रतिभूतिकरण न्यास की कोई आय ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "प्रतिभूतिकरण" का वही अर्थ होगा, जो—

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लोक प्रस्थापना और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों का सूचीबद्धकरण) विनियम, 2008 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (द) में उसका है; या

[4][(iक) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (य) में उसका है; या]

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मानक आस्ति प्रतिभूतिकरण संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन उसका है;

(ख) "प्रतिभूतिकरण न्यास" का वही अर्थ होगा जो [5][धारा 115नगक] के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में उसका है;]

[6]* * * * * *

[7][(23ङक) भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा, या तो संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से, स्थापित ऐसी विनिधानकर्ता संरक्षा निधि की [8][मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों और उनके सदस्यों से प्राप्त अभिदायों के रूप में कोई आय] जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु जहां कोई ऐसी रकम, जो निधि में जमा है और किसी पूर्ववर्ष के दौरान आय-कर से प्रभारित नहीं की गई है, किसी मान्यताप्राप्त स्टॉफ एक्सचेंज के साथ पूर्णत :या भागत :बांटी जाती है वहां इस प्रकार बांटी गई संपूर्ण रकम ऐसे पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी जिसमें ऐसी रकम इस प्रकार बांटी जाती है और तद्नुसार आय-कर से प्रभार्य होगी;]

[3][(23ङख) 1 अप्रैल, 2002 से प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पांच पूर्ववर्षों के लिए [लघु उद्योग प्रत्यय प्रत्याभूति निधि न्यास,] जो भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा सृजित एक न्यास है, की कोई आय;]

[9][(23ङग) भारत में वस्तु एक्सचेन्जों द्वारा या तो संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से स्थापित ऐसी विनिधानकर्ता संरक्षा निधि की, वस्तु एक्सचेन्जों और उसके सदस्यों से अभिदाय के रूप में प्राप्त कोई आय, जिसे केंद्रीय सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु जहां कोई ऐसी रकम, जो उक्त निधि में जमा है और किसी पूर्ववर्ष के दौरान आय-कर से प्रभारित नहीं की गई है, किसी वस्तु एक्सचेन्ज के साथ पूर्णत: या भागत: बांटी जाती है, वहां इस प्रकार बांटी गई संपूर्ण रकम, उस पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी, जिसमें ऐसी रकम इस प्रकार बांटी जाती है और तद्नुसार आय-कर से प्रभार्य होगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वस्तु एक्सचेन्ज" से अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 2 के खंड (ञञ) में यथा परिभाषित "रजिस्ट्रीकृत संगम" अभिप्रेत है;]

---

[1] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा (1-4-1993 से) अंत:स्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (1-4-2003 से) से लोप किया गया ।
[7] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 5 द्वारा (1-4-2001 से) अंत:स्थापित ।
[8] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा (1-4-2001 से) प्रतिस्थापित ।
[9] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[1][(23ङघ) किसी निक्षेपागार द्वारा विनियमों के अनुसार गठित ऐसी विनिधानकर्ता संरक्षण निधि के, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, निक्षेपागार से प्राप्त अभिदायों के रूप में कोई आय :

परंतु जहां निधि के जमा खाते में पड़ी और किसी पूर्ववर्ष के दौरान आय-कर प्रभारित न की गई किसी रकम को पूर्णत: या भागत: किसी निक्षेपागार के साथ बांटा जाता है, वहां इस प्रकार बांटी गई संपूर्ण रकम को उस पूर्ववर्ष की आय समझा जाएगा जिसमें ऐसी रकम को इस प्रकार बांटा जाता है और तदनुसार वह आय-कर से प्रभार्य होगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "निक्षेपागार" का वही अर्थ होगा जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में उसका है;

(ii) "विनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;]

[2][(23ङङ) किसी मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम द्वारा ऐसे विनियमों के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, स्थापित ऐसी आंतरक समझौता प्रत्याभूति निधि की कोई विनिर्दिष्ट आय:

परंतु जहां निधि के जमा खाते में पड़ी और किसी पूर्ववर्ष के दौरान आय-कर से प्रभारित न की गई किसी रकम को पूर्णत: या भागत: किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के साथ बांटा जाता है, वहां इस प्रकार बांटी गई संपूर्ण रकम को उस पूर्ववर्ष की आय समझा जाएगा जिसमें ऐसी रकम को इस प्रकार बांटा जाता है और तद्नुसार वह आय-कर से प्रभार्य होगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अधीन बनाए गए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टाक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ण) में उसका है;

(ii) "विनियमों" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अधीन बनाए गए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टाक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 अभिप्रेत है;

(iii) "विनिर्दिष्ट आय" से अभिप्रेत है—

(क) विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से अभिदाय के रूप में प्राप्त आय अभिप्रेत है;

(ख) मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम द्वारा अधिरोपित और आंतरक समझौता प्रत्याभूति निधि में जमा की गई शास्तियों के रूप में आय,

(ग) निधि द्वारा किए गए विनिधान से आय;

(iv) "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" से अभिप्रेत है—

(क) कोई ऐसा मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम, जो आंतरक समझौता प्रत्याभूति निधि को स्थापित और बनाए रखता है; और

(ख) कोई ऐसा मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज जो, ऐसे मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम में शेयरधारक है या आंतरक समझौता प्रत्याभूति निधि में अभिदाता है; और

(ग) आंतरक समझौता प्रत्याभूति निधि में अभिदाय करने वाला कोई समाशोधक सदस्य;]

[3][(23च) किसी साहसिक पूंजी उपक्रम में साधारण शेयरों के रूप में किए गए विनिधानों से किसी जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी की लाभांशों या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में कोई आय :

परंतु यह तब जब कि ऐसी जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कम्पनी इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है और विहित शर्तों को पूरा करती है :

परन्तु यह और कि विहित प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई अनुमोदन किसी एक समय पर तीन निर्धारण वर्षों से अनधिक ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए, जो अनुमोदन के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रभावी होगा :

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 4 द्वारा (1-4-1996 से) अंत:स्थापित ।

[1]* * * * * *

[2][परन्तु यह भी कि इस खंड की कोई बात 31 मार्च, 1999 के पश्चात् किए गए किसी विनिधान की बाबत लागू नहीं होगी ।]

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "जोखिम पूंजी निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास विलेख के अधीन चलाई जा रही है और जिसे विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किसी जोखिम पूंजी उपक्रम के साधारण शेयरों के अर्जन के रूप में मुख्यत: विनिधान के लिए न्यासियों द्वारा धन जुटाने के लिए स्थापित किया गया है;

(ख) "जोखिम पूंजी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसने विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पूंजी उपक्रम के साधारण शेयरों के अर्जन के रूप में विनिधान किया है; और

[3][(ग) "जोखिम पूंजी उपक्रम" से ऐसी देशी कंपनी अभिप्रेत है जिसके शेयर भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो विद्युत या शक्ति के किसी अन्य रूप के उत्पादन या उत्पादन और वितरण के कारबार में लगी हुई है या दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के कारबार में या किसी अवसंरचना सुविधा के विकास, अनुरक्षण और प्रचालन के कारबार में लगी हुई है या ऐसी वस्तुओं या चीजों के (जिनके अंतर्गत कम्प्यूटर साफ्टवेयर भी है) विनिर्माण या उत्पादन में लगी हुई है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए;

(घ) "अवसंरचना सुविधा" से ऐसी कोई सड़क, राजमार्ग, पुल, विमानपत्तन, पत्तन, रेल प्रणाली, जल प्रदाय परियोजना, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता और मल व्ययन प्रणाली या उसी प्रकार की कोई अन्य लोक सुविधा अभिप्रेत है जो, बोर्ड द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित की जाए और जो धारा 80झक की उपधारा (4क) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है;]

[2][(23चक) [4][धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांशों] या किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में साधारण शेयरों के रूप में किए गए विनिधानों से जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी के दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में कोई आय :

परन्तु यह तब जब कि ऐसी जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी का, केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार किए गए आवेदन पर, जो विहित शर्तों को पूरा करता है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए अनुमोदन कर दिया गया है :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया ऐसा अनुमोदन, किसी एक समय में तीन निर्धारण वर्षों से अनधिक ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए, जो अनुमोदन के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रभावी होगा :

[5][परन्तु यह भी कि इस खंड की कोई बात 31 मार्च, 2000 के पश्चात् किए गए किसी विनिधान की बाबत लागू नहीं होगी ।]

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "जोखिम पूंजी निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास विलेख के अधीन चलाई जा रही है और जिसे विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किसी जोखिम पूंजी उपक्रम के साधारण शेयरों के अर्जन के रूप में मुख्यत: विनिधान के लिए न्यासियों द्वारा धन जुटाने के लिए स्थापित किया गया है;

(ख) "जोखिम पूंजी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसने विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जोखिम पूंजी उपक्रम के साधारण शेयरों के अर्जन के रूप में विनिधान किया है; और

(ग) "जोखिम पूंजी उपक्रम" से ऐसी घरेलू कंपनी अभिप्रेत है जिसके शेयर भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है और जो,—

(i) निम्नलिखित के कारबार में—

(अ) सॉफ्टवेयर;

---

[1] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 5 द्वारा (1-4-1999 से) लोप किया गया ।
[2] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 6 द्वारा (1-4-2000 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 5 द्वारा (1-4-1999 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 6 द्वारा (1-4-2004 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 5 द्वारा (1-4-2001 से) अंत:स्थापित ।

(आ) सूचना प्रौद्योगिकी;

(इ) भेषजीय सेक्टर में आधारिक ओषधियों का उत्पादन;

(ई) जैव प्रौद्योगिकी;

(उ) कृषि और सहबद्ध सेक्टर; या

(ऊ) ऐसे अन्य सेक्टर जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं; या

(ii) ऐसी किसी वस्तु या पदार्थ के उत्पादन या विनिर्माण में लगी हुई है, जिसके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था को पेटेन्ट अनुदत्त किया गया है;]

[1][(23चख) किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में [2][विनिधान से] स्थापित जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की कोई आय;

[3][परन्तु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की जो धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट एक विनिधान निधि है, 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष की किसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी ।]

[4][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए—

(क) "जोखिम पूंजी कंपनी" से ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है जिसे—

(अ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् जोखिम पूंजी निधि विनियम कहा गया है) के अधीन जोखिम पूंजी निधि के रूप में तारीख 21 मई, 2012 के पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है और विनियमित किया जाता है; या

(आ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आनुकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आनुकल्पिक विनिधान निधि विनियम कहा गया है) के अधीन आनुकल्पिक विनिधान निधि के प्रवर्ग 1 के उपप्रवर्ग के रूप में जोखिम पूंजी निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है और विनियमित किया जाता है और जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है, अर्थात् :—

(i) यह किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है;

(ii) इसने अपनी विनिधानयोग्य निधिय के कम से कम दो-तिहाई का जोखिम पूंजी उपक्रम के असूचीबद्ध साधारण शेयरों या साधारण सहबद्ध लिखतों में विनिधान किया है; और

(iii) इसने ऐसे किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान नहीं किया है, जिसमें उसका निदेशक या कोई सारवान् शेयर धारक (जो उसकी साधारण शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक साधारण शेयरों का कोई हिताधिकारी स्वामी है) व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से ऐसे जोखिम पूंजी उपक्रम की समादत्त साधारण शेयर पूंजी के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक के साधारण शेयर धारण करता है;

(ख) "जोखिम पूंजी निधि" से ऐसी कोई निधि अभिप्रेत है,—

(अ) जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख के अधीन चलाई जा रही है, जिसे—

(I) तारीख 21 मई, 2012 के पूर्व जोखिम पूंजी निधि विनियम के अधीन जोखिम पूंजी निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है और विनियमित किया जाता है; या

(II) जोखिम पूंजी निधि विनियम के अधीन आनुकल्पिक विनिधान निधि के प्रवर्ग 1 के उपप्रवर्ग के रूप में जोखिम पूंजी निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है और जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है, अर्थात् :—

---

[1] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 5 द्वारा (1-4-2001 से) अंत:स्थापित ।

[2] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा (1-4-2008 से) प्रतिस्थापित ।

[3] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 7 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[4] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(i) इसने अपनी विनिधानयोग्य निधिय के कम से कम दो-तिहाई का जोखिम पूंजी उपक्रम के असूचीबद्ध साधारण शेयरों या साधारण सहबद्ध लिखतों में विनिधान किया है;

(ii) इसने ऐसे किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान नहीं किया है, जिसमें उसका न्यासी या व्यवस्थापक व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से ऐसे जोखिम पूंजी उपक्रम की समादत्त साधारण शेयर पूंजी के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक के साधारण शेयर धारण करता है; और

(iii) उसके द्वारा निर्गमित यूनिटें, यदि कोई हों, किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं; या

(आ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा बनाई गई किसी जोखिम पूंजी स्कीम के रूप में चलाई जा रही है;

(ग) "जोखिम पूंजी उपक्रम" से—

(i) जोखिम पूंजी निधि विनियम के विनियम 2 के खंड (ढ) में यथापरिभाषित कोई जोखिम पूंजी उपक्रम; या

(ii) आनुकल्पिक विनिधान निधि विनियम के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (कक) में यथा परिभाषित कोई जोखिम पूंजी उपक्रम,

अभिप्रेत है;]

[1]* * * * * *

[2][(23चखक) "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से भिन्न किसी विनिधान निधि की कोई आय;

(23चखख) किसी विनिधान निधि के यूनिट धारक को प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त धारा 115पख में निर्दिष्ट कोई आय, जो उस आय का वह अनुपात है, जो उसी प्रकृति का है जैसी "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय है।

स्पष्टीकरण—खंड (23चखक) और (23चखख) के प्रयोजनों के लिए "विनिधान निधि" पद का वही अर्थ होगा जो 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में है;]

[3][(23चग) [4][(क) किसी विशेष प्रयोजन एकक से प्राप्त या प्राप्य ब्याज;

(ख) धारा 115ण की उपधारा (7) में निर्दिष्ट लाभांश,

के रूप में किसी कारबार न्यास की कोई आय।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विशेष प्रयोजन एकक" पद से ऐसी कोई भारतीय कंपनी अभिप्रेत है, जिसमें कारबार न्यास नियंत्रणकारी हित और शेयरधारिता या हित की ऐसी कोई विनिर्दिष्ट प्रतिशतता धारण करता है, जो उन विनियमों द्वारा, जिनके अधीन ऐसे न्यास को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है, अपेक्षित हो;]

[2][(23चगक) किसी ऐसे कारबार न्यास की जो भू-संपदा विनिधान न्यास है, ऐसे कारबार न्यास के प्रत्यक्षतया स्वामित्वाधीन किसी भू-संपदा आस्ति को किराए या पट्टे या भाटक पर देने से हुई कोई आय।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "भू-संपदा आस्ति" पद का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भू-संपदा विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (यञ) में उसका है;]

(23चघ) धारा 115पक में निर्दिष्ट ऐसी कोई वितरित आय, जो किसी यूनिट धारक द्वारा कारबार न्यास से प्राप्त की गई हो, जो आय का वह अनुपात नहीं है, जो उसी प्रकृति की है, जैसी [5] [खंड (23चग) के उपखण्ड (क)

[1] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 5 द्वारा लोप किया गया।
[2] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित।
[3] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित।
[4] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
[5] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][या खंड (23चगक)] में] निर्दिष्ट की गई है;]

[2]* * * * * * *

[3][(24) "गृह संपत्ति से आय" और "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षों के अधीन प्रभार्य कोई ऐसी आय जो,—

(क) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अर्थ में ऐसे रजिस्ट्रीकृत संघ की हो जो प्रधानतया कर्मकारों और नियोजकों के बीच या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच के संबंधों को विनियमित करने के प्रयोजन से बनाया गया हो;

(ख) उपखंड (क) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत संघों के संगम की हो;]

(25) (i) उन प्रतिभूतियों पर ब्याज जो किसी ऐसी भविष्य निधि द्वारा जिसको भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) लागू होता है धारित है या उसकी सम्पत्ति है और उस निधि के ऐसे कोई पूंजी अभिलाभ, जो ऐसी प्रतिभूतियों के विक्रय, विनिमय या अंतरण से उद्भूत हो;

(ii) कोई ऐसी आय जो किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्त की गई हो;

(iii) कोई ऐसी आय जो किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्त की गई हो;

[4][(iv) कोई ऐसी आय जो किसी अनुमोदित उपदान निधि की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्त की गई हो;]

[5][(v) कोई आय जो—

(क) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) के अधीन गठित न्यासी बोर्ड द्वारा उस अधिनियम की धारा 3छ के अधीन स्थापित निक्षेप-सहबद्ध बीमा निधि की ओर से प्राप्त की गई हो, या

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन गठित न्यासी बोर्ड द्वारा उस अधिनियम की धारा 6ग के अधीन स्थापित निक्षेप-सहबद्ध बीमा निधि की ओर से प्राप्त की गई हो;]

[6][(25क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबंधों के अधीन गठित कर्मचारी राज्य बीमा निधि की कोई आय;]

[7][(26) संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) में यथापरिभाषित अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदस्य की दशा में, जो संविधान की षष्ठ अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग 1 या भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में या [8][अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में] [जैसा कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विद्यमान था] के अधीन असम के राज्यपाल द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं०टी०ए० डी/आर/35/50/109 तारीख 23 फरवरी, 1951 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में [9][या जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में] निवास कर रहा है, कोई ऐसी आय जो उसको—

(क) [8][पूर्वोक्त क्षेत्रों या राज्यों] या संघ राज्यक्षेत्रों में किसी स्रोत से प्रोद्भूत या उद्भूत होती है; या

(ख) प्रतिभूतियों पर लाभांश या ब्याज के तौर पर प्रोद्भूत या उद्भूत होती है;]

[10][(26क) कोई ऐसी आय जो किसी व्यक्ति को [11]*** [12][1989 के अप्रैल के प्रथम दिन] के पूर्व प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष में लद्दाख जिले में या भारत के बाहर किसी स्रोत से प्रोद्भूत या उद्भूत हो, उस दशा में जिसमें ऐसा व्यक्ति उस पूर्व वर्ष में उक्त जिले में निवासी हो;

---

[1] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित।
[2] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया।
[3] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 4 द्वारा (1-4-1997 से) प्रतिस्थापित।
[4] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 4 द्वारा (1-4-1973 से) अंत:स्थापित।
[5] 1976 के अधिनियम सं० 99 की धारा 39 द्वारा (1-8-1976 से) अंत:स्थापित।
[6] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 4 द्वारा (1-4-1962 से) अंत:स्थापित।
[7] अधिसूचना सं० सा०का०नि० 7 (अ), तारीख 2-1-1974 के अधीन जारी किए गए पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (संघ-विषयों से संबंधित विधियों का अनुकूलन) आदेश, 1974 द्वारा (21-1-1972 से) प्रतिस्थापित।
[8] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 6 द्वारा (1-4-1995 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[9] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 5 द्वारा (1-4-1999 से) अंत:स्थापित।
[10] 1965 के अधिनियम सं० 15 की धारा 3 द्वारा (1-4-1962 से) अंत:स्थापित।
[11] 1971 के अधिनियम सं० 32 की धारा 4 द्वारा (1-4-1962 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।
[12] 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

परन्तु यह खंड किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वह 1962 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में उस जिले में निवासी न रहा हो ।

स्पष्टीकरण—[1][(1)] इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह लद्दाख जिले में निवासी है यदि वह, धारा 6 की, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) की अपेक्षाओं की पूर्ति इन उपान्तरों के अधीन रहते हुए करता है कि—

(i) उन उपधाराओं में भारत के प्रति निर्देशों का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उक्त जिले के प्रतिनिर्देश हों; और

(ii) उपधारा (3) के खंड (i) में भारतीय कंपनी के प्रति निर्देशों का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह ऐसी कंपनी के प्रति निर्देश है जो जम्मू-कश्मीर राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत है और उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय उस वर्ष उस जिले में है ।

[1][**स्पष्टीकरण 2**—इस खंड में लद्दाख जिले के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 30 जून, 1979 को उक्त जिले में समाविष्ट क्षेत्रों के प्रति निर्देश है;]

[2]* * * *

[3][(26ककक) ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो सिक्किमी है, उसे निम्नलिखित से प्रोद्भूत या उद्भूत कोई आय—

(क) सिक्किम राज्य में किसी स्रोत से; या

(ख) लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में :

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसी किसी सिक्किमी स्त्री को लागू नहीं होगी जो 1 अप्रैल, 2008 को या उसके पश्चात् ऐसे किसी व्यष्टि से विवाह करती है जो सिक्कमी नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सिक्किमी" से,—

(i) ऐसा कोई व्यष्टि अभिप्रेत होगा, जिसका नाम 26 अप्रैल, 1975 के ठीक पूर्व सिक्किम प्रजा नियम, 1961 के साथ पठित सिक्किम प्रजा विनियम, 1961 के अधीन रखे गए रजिस्टर में (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सिक्किम प्रजा रजिस्टर" कहा गया है) अभिलिखित है; या

(ii) ऐसा कोई व्यष्टि अभिप्रेत होगा, जिसका नाम भारत सरकार के आदेश सं० 26030/36/90-आई.सी.आई., तारीख 7 अगस्त, 1990 और 8 अप्रैल, 1991 के समसंख्यांक आदेश के आधार पर सिक्किम प्रजा रजिस्टर में सम्मिलित किया गया है; या

(iii) ऐसा कोई अन्य व्यष्टि अभिप्रेत होगा, जिसका नाम सिक्किम प्रजा रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं है किन्तु संदेह से परे यह सिद्ध हो गया है कि ऐसे व्यष्टि के पिता या पति या पितामह या उसी पिता से भाई का नाम उस रजिस्टर में अभिलिखित किया गया है;]

[3][(26ककख) कृषि उत्पाद के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित कृषि उत्पाद मंडी समिति या बोर्ड की कोई आय;]

[4][(26ख) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम की या किसी अन्य निकाय, संस्था या संगम की आय (जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित निकाय, संस्था या संगम है) जहां ऐसा निगम या अन्य निकाय या संस्था या संगम [5][अनुसूचित जातियों या अनूसचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के या उनमें से किन्हीं दो के या सभी के सदस्यों] के हितों की अभिवृद्धि करने के लिए स्थापित किया गया है, या बनाया गया है ।

[3][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में है;

(ख) "पिछड़े वर्गों" से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न, नागरिकों के ऐसे वर्ग अभिप्रेत हैं जो, यथास्थिति,—

---

[1] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 5 द्वारा (1-4-1980 से) विद्यमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया गया और उसके पश्चात् स्पष्टीकरण 2 अन्त:स्थापित किया गया ।

[2] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 द्वारा (1-4-1998 से) लोप किया गया ।

[3] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 1980 के अधिनियम सं० 13 की धारा 3 द्वारा (1-4-1972 से) अंत:स्थापित ।

[5] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 6 द्वारा "अनुसूचित जातियों के या अनुसूचित जनजातियों के या दोनों के सदस्यों" के स्थान पर (1-4-1993 से) प्रतिस्थापित ।

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार द्वारा,

समय-समय पर, अधिसूचित किए जाएं ।]

[1][(26खख) किसी अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकारद्वारा स्थापित किसी निगम की कोई आय ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अल्पसंख्यक समुदाय" से वह समुदाय अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में, उस रूप में इस निमित्त अधिसूचित किया जाए;]

[2][(26खखख) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के, जो भारत के नागरिक हैं, कल्याण और आर्थिक उत्थान के लिए किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम की कोई आय ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "भूतपूर्व सैनिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने संविधान के प्रारंभ से पूर्व संघ के सशस्त्र बलों या भारतीय राज्यों के सशस्त्र बलों में (किन्तु असम राइफल्स, रक्षा सुरक्षा कोर, सामान्य आरक्षित इंजीनियरी बल, लोक सहायक सेना, जम्मू-कश्मीर मिलिशिया और राज्यक्षेत्रीय सेना को छोड़कर) किसी भी पंक्ति में, चाहे योधक या गैर-योधक रूप में, अनुप्रमाणन के पश्चात् छह मास से अन्यून की निरंतर अवधि के लिए सेवा की है और उसे कदाचार या अयोग्यता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति से भिन्न किसी रूप में निर्मुक्त किया गया है और मृत या असमर्थ भूतपूर्व सैनिक की दशा में इसके अंतर्गत उसकी पत्नी, बच्चे, पिता, माता, अवयस्क भाई, विधवा पुत्री और विधवा बहन भी है, जो ऐसे भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु या असमर्थता से ठीक पूर्व उस पर पूरी तरह आश्रित थे;]

[3][(27) खंड (26ख) में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों के या अनुसूचित जनजातियों के या दोनों के सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करने के लिए बनाई गई किसी सहकारी सोसाइटी की कोई आय :

परन्तु यह तब जब कि सहकारी सोसाइटी के सदस्य वैसे ही प्रयोजनों के लिए बनाई गई अन्य सहकारी सोसाइटियां ही हों और सोसाइटी का वित्त, सरकार और ऐसी अन्य सोसाइटियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है,]

[4]* * * *

[5]* * * *

[6][(29क) कोई आय, जो निम्नलिखित को प्रोद्भूत या उद्भूत होती है—

(क) कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 के अधीन गठित कॉफी बोर्ड को, 1 अप्रैल, 1962 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष में या उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसा बोर्ड गठित किया गया था, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो;

(ख) रबड़ बोर्ड अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित रबड़ बोर्ड को, 1 अप्रैल, 1962 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष में या उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसा बोर्ड गठित किया गया था, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो;

(ग) चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के अधीन स्थापित चाय बोर्ड को, 1 अप्रैल, 1962 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष में या उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसा बोर्ड गठित किया गया था, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो;

(घ) तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) के अधीन गठित तंबाकू बोर्ड को, 1 अप्रैल, 1975 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष में या उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसा बोर्ड गठित किया गया था, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो;

(ङ) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 4 के अधीन स्थापित सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को, 1 अप्रैल, 1972 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष में या उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसा प्राधिकरण गठित किया गया था, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो;

---

[1] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 4 द्वारा (1-4-1995 से) अंत:स्थापित ।

[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 6 द्वारा (1-4-2004 से) अंत:स्थापित ।

[3] 1975 के अधिनियम सं० 75 की धारा 3 द्वारा (1-4-1976 से) लोप किए गए खंड (27) को 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित किया गया ।

[4] 1997 के अधिनियम सं० 13 की धारा 3 द्वारा (1-4-1998 से) लोप किया गया ।

[5] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (1-3-2003 से) लोप किया गया ।

[6] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 6 द्वारा (1-4-1999 से) अंत:स्थापित ।

(च) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 4 के अधीन स्थापित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को, 1 अप्रैल, 1985 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष में या उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसा बोर्ड गठित किया गया था, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो;

(छ) मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित मसाला बोर्ड को, 1 अप्रैल, 1986 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष में या उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसा बोर्ड गठित किया गया था, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो;

[1][(ज) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 के अधीन स्थापित कयर बोर्ड;]

[2][(30) ऐसे निर्धारिती की दशा में जो भारत में चाय के उत्पादन तथा विनिर्माण का कारबार करता है चाय की झाड़ियों के पुन:रोपण या प्रतिस्थापन [3][अथवा चाय की खेती के लिए प्रयुक्त क्षेत्रों को पुनरुज्जीवित या समेकित करने की] ऐसी स्कीम के अधीन जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे चाय बोर्ड से या उसके माध्यम से प्राप्त साहायिकी की रकम;

परन्तु यह तब जबकि निर्धारिती सम्बन्धित निर्धारण वर्ष की आय की अपनी विवरणी के साथ, या ऐसी अतिरिक्त कालावधि के भीतर जो [4][निर्धारण अधिकारी] अनुज्ञात करे पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती को दी गई किसी साहायिकी की रकम की बाबत चाय बोर्ड का प्रमाणपत्र [4][निर्धारण अधिकारी] को प्रस्तुत करता है ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड में "चाय बोर्ड" से चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के अधीन स्थापित चाय बोर्ड अभिप्रेत है;]

[5][(31) ऐसे निर्धारिती की दशा में जो भारत में रबड़, काफी, इलायची या ऐसी अन्य वस्तु के, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उत्पादन और विनिर्माण का कारबार करता है, रबड़ के पौधों, काफी के पौधों, इलायची के पौधों या ऐसी अन्य वस्तु का उत्पादन करने के लिए पौधों के पुन:रोपण या प्रतिस्थापन की अथवा रबड़, काफी, इलायची या ऐसी अन्य वस्तु की खेती करने के लिए प्रयुक्त क्षेत्रों को पुनरुज्जीवित या समेकित करने की ऐसी स्कीम के अधीन, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, संयुक्त बोर्ड से या उसके माध्यम से प्राप्त साहायिकी की रकम :

परन्तु यह तब जब कि निर्धारिती, सम्बन्धित निर्धारण वर्ष की आय की अपनी विवरणी के साथ या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो निर्धारण अधिकारी अनुज्ञात करे, पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती को दी गई ऐसी साहायिकी की रकम की बाबत संपृक्त बोर्ड या प्रमाणपत्र निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करता है ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड में, "संपृक्त बोर्ड" से अभिप्रेत है—

(i) रबड़ के सम्बन्ध में, रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 के अधीन गठित रबड़ बोर्ड,

(ii) काफी के सम्बन्ध में, काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 के अधीन गठित काफी बोर्ड,

(iii) इलायची के सम्बन्ध में, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 3 के अधीन गठित मसाला बोर्ड,

(iv) इस खण्ड के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य वस्तु के सम्बन्ध में, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित कोई बोर्ड या अन्य प्राधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;]

[6][(32) धारा 64 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती की दशा में, उस उपधारा के अधीन उसकी कुल आय में सम्मिलित किए जाने योग्य कोई आय, उस विस्तार तक जिस तक ऐसी आय ऐसी प्रत्येक अवयस्क सन्तान की बाबत, जिसकी आय इस प्रकार सम्मिलित किए जाने योग्य है, एक हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं है;]

[7][(33) किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से, जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट यूनिट स्कीम, 1964 की यूनिट है और जहां ऐसी आस्ति का अंतरण 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् होता है, उद्भूत कोई आय;]

---

[1] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1970 के अधिनियम सं० 42 की धारा 3 द्वारा (1-4-1969 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1984 के अधिनियम सं० 21 की धारा 3 द्वारा (1-4-1985 से) अंत:स्थापित ।
[4] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।
[5] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 4 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।
[6] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा (1-4-1993 से) अंत:स्थापित ।
[7] 1992 के अधिनियम सं० 32 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(34) धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न कोई आय :

[2][परंतु इस खंड की कोई बात धारा 115खखघक के उपबंधों के अनुसार कर से प्रभार्य लाभांश द्वारा किसी आय को लागू नहीं होगी;]

[3]* * * *

[4][(34क) धारा 115थक में यथानिर्दिष्ट कंपनी द्वारा, शेयरों के (जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है) क्रय द्वारा वापस लेने के मद्दे किसी निर्धारिती को, जो शेयर धारक है, उद्भूत होने वाली कोई आय;]

(35) (क) खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि से यूनिटों की बाबत प्राप्त आय; या

(ख) विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक से यूनिटों की बाबत प्राप्त आय; या

(ग) विनिर्दिष्ट कंपनी से यूनिटों की बाबत प्राप्त आय,

के रूप में कोई आय :

परंतु यह खंड, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक या विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि के यूनिटों के अंतरण से उद्भूत किसी आय को लागू, नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "प्रशासक" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) "विनिर्दिष्ट कंपनी" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट कोई कंपनी अभिप्रेत है;

[4][(35क) किसी प्रतिभूतिकरण न्यास से किसी व्यक्ति द्वारा, जो उक्त न्यास का विनिधानकर्ता है, धारा 115नक में निर्दिष्ट वितरित आय के रूप में प्राप्त कोई आय :

[2][परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, उक्त धारा में निर्दिष्ट वितरित आय के माध्यम से, 1 जून, 2016 को या उसके पश्चात्, प्राप्त किसी आय को लागू नहीं होगी ।]

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विनिधानकर्ता" और "प्रतिभूतिकरण न्यास" पदों का वही अर्थ होगा जो [5][धारा 115नगक] के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में क्रमश: उनका है;]

(36) किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से, जो 1 मार्च, 2003 को या उसके पश्चात् और 1 मार्च, 2004 से पूर्व क्रय की गई कंपनी में कोई पात्र साधारण शेयर हैं और जो बारह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए धारित है, से उद्भूत कोई आय ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "पात्र साधारण शेयर" से अभिप्रेत है,—

(i) किसी कंपनी में कोई साधारण शेयर जो 1 मार्च, 2003 को स्टाक एक्सचेंज, मुंबई के बी०एस०ई० सूचकांक-500 का एक संघटक है और ऐसे साधारण शेयर के क्रय और विक्रय के संव्यहारों को भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में दर्ज किया गया है;

(ii) किसी कंपनी में 1 मार्च, 2003 को या उसके पश्चात् जारी पब्लिक इश्यू के माध्यम से आबंटित कोई साधारण शेयर, जो 1 मार्च, 2004 से पूर्व भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और ऐसे शेयर के विक्रय संव्यवहार को भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में दर्ज किया गया है;]

[6][(37) किसी निर्धारिती की दशा में, जो कोई व्यष्टि या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, कृषि भूमि के अंतरण से उद्भूत "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय, जहां—

(i) ऐसी भूमि धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (iii) की मद (क) या मद (ख) में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में अवस्थित है;

(ii) ऐसी भूमि, अंतरण की तारीख के ठीक पूर्व दो वर्षों की अवधि के दौरान ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यष्टि या उसके किसी माता-पिता द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही थी;

(iii) ऐसा अंतरण, किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन या किसी अंतरण के रूप में है, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिफल का अवधारण या अनुमोदन किया गया है;

---

[1] 1992 के अधिनियम सं० 32 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।

(iv) ऐसी आय प्रतिकर या ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल से उद्भूत हुई है, जो निर्धारिती द्वारा 1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रतिकर या प्रतिफल" पद में, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया गया या और बढ़ाया गया प्रतिकर या प्रतिफल सम्मिलित है;

[1][(37क) किसी निर्धारिती, जो एक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और जो 2 जून, 2014 को ऐसी विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति का स्वामी था और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2014 (2014 का आंध्र प्रदेश अधिनियम 11) और उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और स्कीमों के उपबंधों के अधीन बनाई गई आंध्र प्रदेश राजधानी नगरलैंड पूलिंग स्कीम (तैयार करना और कार्यान्वयन) नियम, 2015 के अंतर्गत आने वाली लैंड पूलिंग स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् "स्कीम" कहा गया है) के अधीन ऐसी विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति का अंतरण करता है, को विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण की बाबत उद्भूत होने वाली कोई आय, जो "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति" से अभिप्रेत है,—

(क) 2 जून, 2014 को निर्धारिती के स्वामित्वाधीन भूमि या भवन या दोनों और जिसे स्कीम के अधीन अंतरित कर दिया गया है; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट भूमि या भवन या दोनों की बाबत निर्धारिती को स्कीम के अधीन जारी लैंड पूलिंग स्वामित्व प्रमाणपत्र; या

(ग) स्कीम के अनुसार उपखंड (क) में निर्दिष्ट भूमि या भवन या दोनों के बदले में निर्धारिती द्वारा प्राप्त, यथास्थिति, पुन:गठित भूखंड या भूमि, यदि इस प्रकार प्राप्त, यथास्थिति, ऐसा भूखंड या भूमि का उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के भीतर अंतरण कर दिया जाता है, जिसमें ऐसे भूखंड या भूमि का कब्जा उसे सौंपा गया था ;]

(38) किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अन्तरण से उद्भूत कोई आय, जो किसी कम्पनी में कोई साधारण शेयर या किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि की कोई यूनिट [2][या किसी कारबार न्यास की कोई यूनिट] है, जहां—

(क) कोई साधारण शेयर या यूनिट के विक्रय का संव्यवहार उस तारीख को या उसके पश्चात् किया जाता है, जिसको वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय 7 प्रवृत्त होता है; और

(ख) ऐसा संव्यवहार उस अध्याय के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभार्य है :

[3][परंतु किसी कंपनी के दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय को धारा 115जख के अधीन बही लाभ और संदेय आय-कर की संगणना करने में हिसाब में लिया जाएगा ।]

[4]* * * *

[5][परंतु यह भी कि उपखंड (ख) में अंतर्विष्ट कोई बात किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किए गए संव्यवहार को और जहां ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल विदेशी मुद्रा में संदत्त किया जाता है या संदेय है, लागू नहीं होगी :]

[1][परन्तु यह भी कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी में साधारण शेयर है, के अंतरण से उद्भूत होने वाली किसी आय को लागू नहीं होगी यदि ऐसे साधारण शेयर का, इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अर्जन से भिन्न अर्जन का संव्यवहार, 1 अक्तूबर, 2004 को या उसके पश्चात् किया गया है और ऐसा संव्यवहार वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) के अध्याय 7 के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभार्य नहीं है ।]

[6][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "साधारण शेयरोन्मुख निधि" से कोई निधि अभिप्रेत है—

(i) जहां विनिधानीय निधियों में देशी कंपनियों के साधारण शेयरों के माध्यम से ऐसी निधि के कुल आगमों के पैंसठ प्रतिशत से अधिक के विस्तार तक विनिधान किया गया है; और

(ii) जिसकी स्थापना खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की स्कीम के अधीन की गई है :

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 7 द्वारा (1-4-2016 से) लोप किया गया ।
[5] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 7 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[6] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परंतु निधि की साधारण शेयरधृति की प्रतिशतता की संगणना आरंभिक और अंतिम संख्या के मासिक औसत की वार्षिक औसत के प्रति निर्देश से की जाएगी;

(ख) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" का वही अर्थ होगा जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में है;

(ग) "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज" का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 43 की उपधारा (5) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) में है;]

[1][(39) राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्ति या व्यक्तियों को भारत में हुई किसी अंतरराष्ट्रीय खेल-कूद की किसी प्रतियोगिता से उद्भूत होने वाली कोई विनिर्दिष्ट आय, यदि ऐसी अंतरराष्ट्रीय खेल-कूद की प्रतियोगिता—

(क) ऐसे खेल-कूद की प्रतियोगिता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय खेल-कूद को विनियमित करने वाले अंतरराष्ट्रीय निकाय द्वारा अनुमोदित है;

(ख) में दो से अधिक देशों में भाग लिया है;

(ग) इस खंड के प्रयोजन के लिए राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए, "विनिर्दिष्ट आय" से अंतरराष्ट्रीय खेल-कूद की प्रतियोगिता से, उद्भूत ऐसी प्रकृति की और उस सीमा तक आय अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे;

(40) ऐसी किसी भारतीय कंपनी से जो उस कंपनी की नियंत्री कंपनी है जो विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण के कारबार में लगी हुई है, अनुदान के रूप में या अन्यथा प्राप्त किसी समनुषंगी कंपनी की कोई ऐसी आय यदि ऐसी आय की प्राप्ति विद्युत उत्पादन के विद्यमान कारबार की पुन:संरचना या पुनरुज्जीवन के संबंध में बकायों के निपटान के लिए होती है :

परंतु इस खंड के उपबंध तभी लागू होंगे जब विद्युत उत्पादन के किसी विद्यमान कारबार की पुनर्संरचना या पुनरुज्जीवन धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (v) के उपखंड (क) के अधीन अधिसूचित भारतीय कंपनी को ऐसे कारबार के अंतरण के कारण हुआ है;

(41) ऐसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत कोई आय जो विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण के कारबार में लगे हुए किसी उपक्रम की आस्ति है, जहां ऐसा अंतरण 31 मार्च, 2006 को या उससे पूर्व धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (v) के उपखंड (क) के अधीन अधिसूचित भारतीय कंपनी को किया जाता है;]

[2][(42) किसी ऐसे निकाय या प्राधिकरण को, प्रोद्भूत होने वाली कोई विनिर्दिष्ट आय, जिसे,—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा दो या अधिक देशों के साथ की गई किसी संधि या करार या केंद्रीय सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए किसी अभिसमय के अधीन स्थापित या गठित या नियुक्त किया गया है;

(ख) लाभ के प्रयोजनों के लिए स्थापित या गठित या नियुक्त नहीं किया गया है;

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचित किया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट आय" से, इस खंड में निर्दिष्ट निकाय या प्राधिकरण को प्रोद्भूत होने वाली ऐसी प्रकृति की और ऐसे विस्तार तक, जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, आय अभिप्रेत है;]

[3][(43) किसी व्यष्टि को धारा 47 के खंड (xvi) में निर्दिष्ट प्रतिवर्ती बंधक के संव्यवहार में ऋण के रूप में, चाहे एकमुश्त या किश्तों में, प्राप्त कोई आय;]

[4][(44) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के उपबंधों के अधीन 27 फरवरी, 2008 को स्थापित नई पेंशन प्रणाली न्यास के लिए या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को प्राप्त कोई आय;]

[5][(45) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सेवानिवृत्त अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या सेवानिवृत्त सदस्य को संदत्त ऐसा कोई भत्ता या परिलब्धि, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित की जाए;]

[5][(46) ऐसे किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) को, जो—

(क) जनसाधारण के फायदे के लिए किसी क्रियाकलाप का विनियमन या प्रशासन करने के उद्देश्य से किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किया गया है या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया है;

---

[1] 2005 के अधिनियम सं० 55 की धारा 2 द्वारा (1-4-2006 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ख) किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप में नहीं लगा है; और

(ग) इस खंड के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है,

प्रोद्भूत होने वाली कोई विनिर्दिष्ट आय ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट आय" से, इस खंड में निर्दिष्ट किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) को ऐसी प्रकृति की और उस सीमा तक प्रोद्भूत होने वाली आय अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(47) ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, स्थापित किसी अवसंरचना ऋण निधि की कोई आय;]

[1][(48) भारत में [2][किसी व्यक्ति को कच्चे तेल, किसी अन्य माल के विक्रय अथवा ऐसी सेवाएं प्रदान करने के मद्दे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाएं,] किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय करेंसी में भारत में प्राप्त कोई आय :

परंतु—

(i) विदेशी कंपनी द्वारा भारत में ऐसी आय की प्राप्ति, केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी करार या ठहराव के अनुसरण में हुई है;

(ii) राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, विदेशी कंपनी और करार या ठहराव केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए गए हैं; और

(iii) विदेशी कंपनी भारत में ऐसी आय की प्राप्ति से भिन्न किसी क्रियाकलाप में नहीं लगी हुई है;]

[3][(48क) भारत में किसी सुविधा में अपरिष्कृत तेल के भंडारण या भारत में किसी निवासी व्यक्ति को उससे परिष्कृत तेल के विक्रय के मद्दे किसी विदेशी कंपनी को प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली कोई आय :

परंतु यह तब जब,—

(i) विदेशी कंपनी द्वारा भंडारण और विक्रय केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित करार या ठहराव के अनुसरण में हैं; और

(ii) राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, विदेशी कंपनी और करार या ठहराव केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए जाते हैं;]

[4][(48ख) किसी विदेशी कंपनी को, उपखंड (48क) में निर्दिष्ट करार या ठहराव के अवसान के पश्चात् भारत में सुविधा से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाएं, अपरिष्कृत तेल के बचे हुए स्टाक, यदि कोई हो, के विक्रय के मद्दे प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली कोई आय ;]

[5][(49) राष्ट्रीय वित्तीय होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड, जो केंद्रीय सरकार द्वारा गठित कंपनी है, की 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की कोई आय;]

[3][(50) उस तारीख को या उसके पश्चात् जिसको वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) के अध्याय 8 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, किसी दी गई विनिर्दिष्ट सेवा से उद्भूत और उस अध्याय के अधीन समकरण उद्ग्रहण से प्रभार्य कोई आय ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट सेवा" का वही अर्थ होगा जो उसका वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) के अध्याय 8 की धारा 161 के खंड (i) में है ।]

[6][**10क. मुक्त व्यापार क्षेत्र आदि में स्थापित नए उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध**—(1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे लाभों और अभिलाभों की कटौती, जो किसी उपक्रम द्वारा उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसा उपक्रम, यथास्थिति, ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले दस क्रमवर्ती निधारण वर्षों की अवधि के दौरान उन वस्तुओं, चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न है, निर्धारिती की कुल आय में से अनुज्ञात की जाएगी :]

परंतु जहां उपक्रम की किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में कुल आय की संगणना करने में इसके लाभों और अभिलाभों को इस धारा के उपबंधों को, जैसा यह वित्त अधिनियम, 2000 (2000 का 10) द्वारा इसके प्रतिस्थापन से ठीक पूर्व थी, लागू करते हुए सम्मिलित नहीं किया गया था, वहां उपक्रम इस उपधारा में निर्दिष्ट कटौती के लिए पूर्वोक्त दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अनवसित अवधि के लिए ही हकदार होगा :

परंतु यह और कि जहां किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र या किसी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में आरंभिक रूप से अवस्थित कोई उपक्रम तत्पश्चात् ऐसे मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में संपरिवर्तन के कारण किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 6 द्वारा (1-4-2018 से) अंत:स्थापित ।
[5] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 6 द्वारा (1-4-2001 से) प्रतिस्थापित

अवस्थित हो जाता है, वहां इस उपधारा में निर्दिष्ट दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि की संगणना उस पूर्ववर्ती वर्ष से, जिसमें [1][उपक्रम ने ऐसे मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन कराना प्रारंभ किया था] सुसंगत निर्धारण वर्ष से की जाएगी :

[2]* * * * *

परंतु यह भी कि इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी उपक्रम के लिए [3][1 अप्रैल, 2012] को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में अनुज्ञात नहीं की जाएगी :

[4][परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2003 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, इस उपधारा के अधीन कटौती किसी उपक्रम द्वारा ऐसी वस्तुओं या चीजों या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का नब्बे प्रतिशत होगी ।]

[5][(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी उपक्रम की कुल आय की संगणना करने में, जो 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी विशेष आर्थिक जोन में किसी वस्तु या चीज या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ करता है तो कटौती,—

(i) उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए, जिसमें उपक्रम, यथास्थिति, ऐसी वस्तु या चीज या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ करता है, ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ का शतप्रतिशत होगी और उसके पश्चात् अगले दो क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए और उसके पश्चात् ऐसे लाभों या अभिलाभों का पचास प्रतिशत होगी;

(ii) अगले तीन क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए उतनी रकम के बराबर होगी जो लाभ के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और जो उस पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई है जिसकी बाबत कटौती अनुज्ञात की जानी है और निर्धारिती के कारबार के प्रयोजनों के लिए उपधारा (1ख) में अधिकथित रीति से सृजित और उपयोग किए जाने वाले आरक्षित खाते में (जिसे "विशेष आर्थिक जोन पुन: विनिधान मोक आरक्षित खाता" कहा गया है) जमा की जानी है ।

[6][परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती, किसी ऐसे निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं की जाएगी जो धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व आय की कोई विवरणी नहीं देता है ।]

(1ख) उपधारा (1क) के खंड (ii) के अधीन कटौती केवल तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात् :—

(क) विशेष आर्थिक जोन पुन: विनिधान मोक आरक्षित खाते में जमा की गई रकम का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा—

(i) ऐसी नई मशीनरी या संयंत्र अर्जित करने के प्रयोजनों के लिए जिसका उस पूर्ववर्ष के, जिसमें आरक्षित निधि सृजित की गई थी, अगले तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति से पूर्व पहली बार उपयोग किया जाता है; और

(ii) जब तक भारत से बाहर लाभों के रूप में या किसी आस्ति के सृजन के लिए भारत से बाहर लाभांशों या लाभों या प्रेषण के रूप में वितरण से भिन्न उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए पूर्वोक्त रूप में नई मशीनरी या संयंत्र का अर्जन नहीं किया जाता है;

(ख) जब उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए जिसमें ऐसे संयंत्र या मशीनरी का उपयोग पहली बार किया गया था, आय की विवरणी के साथ नई मशीनरी या संयंत्र की बाबत निर्धारिती द्वारा वे विशिष्टियां, जो इस निमित्त विहित की जाएं, दी गई हैं ।

(1ग) जहां उपधारा (1क) के खंड (ii) के अधीन विशेष आर्थिक जोन पुन: विनिधान मोक आरक्षित खाते में जमा की गई किसी रकम का,—

(क) उपधारा (1ख) में निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है तो इस प्रकार उपयोग की गई रकम; या

(ख) उपधारा (1ख) के खंड (क) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उपयोग नहीं किया गया है, वहां इस प्रकार उपयोग न की गई रकम,—

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट दशा में उस वर्ष में जिसमें रकम का इस प्रकार उपयोग किया गया था; या

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट दशा में, उपधारा (1ख) के खंड (क) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के ठीक बाद के वर्ष में,

को लाभ समझा जाएगा और वह तद्नुसार कर से प्रभारित होगा ।]

---

[1] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 6 द्वारा (1-4-2001 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 6 द्वारा (1-4-2001 से) लोप किया गया ।
[3] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 5 द्वारा (1-4-2006 से) अंत:स्थापित ।

(2) यह धारा ऐसे किसी भी उपक्रम को लागू होती है जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(i) वह,—

(क) किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र में 1 अप्रैल, 1981 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले; या

(ख) यथास्थिति, किसी इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में 1 अप्रैल, 1994 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले, या

(ग) किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले,

निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ कर चुका है या करता है;

(ii) वह पहले से विद्यमान किसी कारबार को खण्डित या पुनर्गठित करके नहीं बना है :

परंतु यह शर्त ऐसे किसी उपक्रम की बाबत लागू नहीं होगी, जो धारा 33ख में यथानिर्दिष्ट किसी ऐसे उपक्रम के कारबार की उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और कालावधि के भीतर निर्धारिती द्वारा पुनर्स्थापन, पुनर्गठन या पुन:चालन के फलस्वरूप बना है,

(iii) वह किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है ।

स्पष्टीकरण—धारा 80झ की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध इस उपधारा के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

(3) यह धारा उपक्रम को उस दशा में लागू होती है यदि भारत से बाहर निर्यात की गई वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के विक्रय आगम भारत में निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किए जाते हैं या लाए जाते हैं ।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सक्षम प्राधिकारी" पद से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जो विदेशी मुद्रा में संदायों और व्यौहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है ।

स्पष्टीकरण 2—इस उपधारा में निर्दिष्ट विक्रय आगम भारत में प्राप्त किए गए वहां समझे जाएंगे जहां ऐसे विक्रय आगम निर्धारिती द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से भारत से बाहर किसी बैंक में इस प्रयोजन के लिए रखे गए पृथक् खाते में जमा किए जाते हैं ।

[1][(4) [2][उपधारा (1) और उपधारा (1क)] के प्रयोजनों के लिए, वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ वह रकम होगी जो उपक्रम के कारबार के लाभों के उसी अनुपात में है, जो ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर की बाबत निर्यात आवर्त का उपक्रम द्वारा किए गए कारबार के कुल आवर्त से है ।]

(5) [2][इस धारा] के अधीन कटौती 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक निर्धारिती द्वारा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार की रिपोर्ट आय-कर विवरणी के साथ यह प्रमाणित करते हुए विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं कर दी जाती कि इस धारा के उपबंधों के अनुसार कटौती का दावा सही रूप से किया गया है ।

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, सुसंगत निर्धारण वर्षों में से अंतिम निर्धारण वर्ष के ठीक बाद के निर्धारण से सुसंगत पूर्ववर्ष की या पश्चात्वर्ती किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में,—

(i) धारा 32, धारा 32क, धारा 33, धारा 35 और धारा 36 की उपधारा (1) का खंड (ix) उसी प्रकार लागू होंगे, मानो उनमें निर्दिष्ट प्रत्येक मोक या कटौती, जो किसी भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के संबंध में, जो ऐसे निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त है, [2][1 अप्रैल, 2001 से पूर्व समाप्त होने वाले] सुसंगत निर्धारण वर्षों में से किसी से संबंधित या उसके लिए अनुज्ञेय है, या ऐसे पूर्ववर्ष में ऐसे कारबार के प्रयोजनों के लिए उपगत कोई व्यय उसी निर्धारण वर्ष के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी किया गया है और तद्नुसार, यथास्थिति, धारा 32 की उपधारा (2), धारा 32क की उपधारा (3) के खंड (ii), धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (ii), धारा 35 की उपधारा (4) या धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (ix) के द्वितीय परन्तुक के उपबंध ऐसे मोक या कटौती के संबंध में लागू नहीं होंगे;

(ii) धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई हानि जहां एक ऐसी हानि उपक्रम के कारबार से संबंधित है, अग्रनीत या मुजरा नहीं की जाएगी, जहां ऐसी हानि [2][1 अप्रैल, 2001 से पूर्व समाप्त होने वाले] सुसंगत निर्धारण वर्षों में से किसी के संबंध में है;

---

[1] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 6 द्वारा (1-4-2001 से) प्रतिस्थापित ।

[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 7 द्वारा (1-4-2003 से) प्रतिस्थापित ।

(iii) धारा 80जज या धारा 80जजक या धारा 80झ या धारा 80झक धारा 80झख के अधीन उपक्रम के लाभ और अभिलाभ के संबंध में, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी; और

(iv) धारा 32 के अधीन अवक्षयण मोक की संगणना करने में, किसी आस्ति का जो उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त है, अवलिखित मूल्य इस प्रकार संगणित किया जाएगा मानो निर्धारिती ने प्रत्येक सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अवक्षयण की बाबत कटौती का दावा किया हो और वह उसे अनुज्ञात की गई हो ।

(7) धारा 80झक की उपधारा (8) और उपधारा (10) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा में निर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 80झक में निर्दिष्ट उपक्रम के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

[1][(7क) जहां किसी भारतीय कंपनी के किसी उपक्रम को, जो इस धारा के अधीन कटौती के लिए हकदार है, इस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व समामेलन या निर्विलियन की किसी स्कीम में किसी दूसरी भारतीय कंपनी को अंतरित किया जाता है वहां,—

(क) उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन या निर्विलियन होता है, समामेलक या निर्विलीत कंपनी को इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी; और

(ख) इस धारा के उपबंध समामेलित या परिणामी कंपनी को, जहां तक हो सके, इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे समामेलक या निर्विलीत कंपनी को लागू होते यदि समामेलन या निर्विलियन नहीं हुआ होता ।]

[2][(7ख) इस धारा के उपबंध किसी ऐसे उपक्रम को लागू नहीं होंगे, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यग) में निर्दिष्ट यूनिट है और जिसने 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी विशेष आर्थिक जोन में वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन करना आरंभ कर दिया है या करता है ।]

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारिती, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी देने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्धारण अधिकारी को लिखित रूप में यह घोषणा देता है कि इस धारा के उपबंध उसे लागू न किए जाएं तो इस धारा के उपबंध किन्हीं भी सुसंगत निर्धारण वर्षों के लिए उसे लागू नहीं होंगे ।

[3]* * * * *

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "कंप्यूटर साफ्टवेयर" से,—

(क) किसी डिस्क, टेप, छिद्रित माध्यम या अन्य सूचना संग्रह युक्ति में अभिलिखित कोई कंप्यूटर कार्यक्रम; या

(ख) कोई ग्राहक-अपेक्षित इलेक्ट्रानिक डाटा या इसी प्रकृति का कोई उत्पाद या सेवा, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाए,

अभिप्रेत है जो भारत से बाहर किसी स्थान को किसी साधन द्वारा भारत से पारेषित या निर्यात की जाती है;

(ii) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" से ऐसी विदेशी मुद्रा अभिप्रेत है जो तत्समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) और तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्समान विधि के प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा समझी जाती है;

(iii) "इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क" से, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई०एच०टी०पी०) स्कीम के अनुसरण में स्थापित कोई पार्क अभिप्रेत है;

(iv) "निर्यात आवर्त" से निर्धारिती द्वारा उपधारा (3) के अनुसरण में वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के [4][उपक्रम द्वारा निर्यात के संबंध में] संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त या लाया गया प्रतिफल अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत भारत से बाहर वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के परिदान से संबंधित भाड़ा, दूरसंचार प्रभार या बीमा अथवा भारत से बाहर उपलब्ध कराई गई तकनीकी सेवाओं के संबंध में विदेशी मुद्रा में उपगत व्यय, यदि कोई हो, सम्मिलित नहीं है;

(v) "मुक्त व्यापार क्षेत्र" से अभिप्रेत है कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र और सांताक्रुज इलैक्ट्रानिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र और इसके अंतर्गत कोई अन्य मुक्त व्यापार क्षेत्र है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करे;

---

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 7 द्वारा (1-4-2004 से) अंत:स्थापित ।

[2] 2005 के अधिनियम सं० 28 की धारा 27 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 7 द्वारा (1-4-2004 से) लोप किया गया ।

[4] 2001 के अधिनियमसं० 14 की धारा 6 द्वारा (1-4-2001 से) प्रतिस्थापित ।

(vi) "सुसंगत निर्धारण वर्ष" से इस धारा में निर्दिष्ट दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के अन्तर्गत आने वाला कोई निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है;

(vii) "साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क" से भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम के अनुसार स्थापित कोई पार्क अभिप्रेत है;

(viii) "विशेष आर्थिक क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करे ।]

[1][**स्पष्टीकरण 3**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है, कि भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के स्थलीय विकास से (जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर के विकास के लिए सेवाएं भी हैं) व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ, भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे ।]

[2][**स्पष्टीकरण 4**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्माण या उत्पादन" के अंतर्गत, बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्नों को तराशना और पॉलिश करना भी है ।]

[3][**10कक. विशेष आर्थिक जोनों में स्थापित नई यूनिटों की बाबत विशेष उपबंध**—(1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे निर्धारिती की, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा (2) के खंड (ञ) में निर्दिष्ट उद्यमकर्ता है, ऐसी यूनिट से, जो [4][1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2021 के पूर्व] आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन करना या कोई सेवा प्रदान करना आरंभ करती है, कुल आय की संगणना करने में,—

(i) उस पूर्ववर्ष से, जिसमें यूनिट, यथास्थिति, ऐसी वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन करना या सेवाएं प्रदान करना आरंभ करती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाली पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए ऐसी वस्तुओं या चीजों के निर्यात से या सेवाओं से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के सौ प्रतिशत की तथा अगले पांच निर्धारण वर्षों के लिए और उसके पश्चात् ऐसे लाभ और अभिलाभ के पचास प्रतिशत की;

(ii) आगामी पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लाभ के पचास प्रतिशत से अनधिक उतनी रकम की, जिसे उस पूर्ववर्ष के जिसकी बाबत कटौती अनुज्ञात की जानी है, लाभ और हानि लेखे में विकलित किया गया हो और उपधारा (2) में अधिकथित रीति में निर्धारिती के कारबार के प्रयोजनों के लिए सृजित और उपयोजित किए जाने वाले आरक्षिति खाते में (जिसे "विशेष आर्थिक जोन पुनर्विनिधान आरक्षिति खाता" कहा जाएगा) जमा किया गया हो,

कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

[5][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन कटौती की रकम, इस धारा के उपबंधों को प्रभावी करने से पूर्व, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित निर्धारिती की कुल आय से अनुज्ञात की जाएगी और इस धारा के अधीन कटौती, निर्धारिती की ऐसी कुल आय से अधिक नहीं होगी ।]

(2) उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन कटौती केवल तभी अनुज्ञात होगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात् :—

(क) विशेष आर्थिक जोन पुनर्विनिधान आरक्षिति खाते में जमा रकम को—

(i) ऐसी मशीनरी या संयंत्र को, जिसको पहली बार उस पूर्ववर्ष के, जिसमें आरक्षिति सृजित की गई थी, आगामी तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति से पूर्व उपयोग में लाया जाता है, अर्जित करने के प्रयोजनों के लिए; और

(ii) पूर्वोक्तानुसार मशीनरी या संयंत्र का अर्जन किए जाने तक, लाभांशों तथा लाभों के वितरण या भारत से बाहर लाभों के रूप में प्रेषण के लिए या भारत के बाहर किसी आस्ति के सृजन से भिन्न उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए,

उपयोजित किया जाना है;

(ख) धारा 10क की उपधारा (1ख) के खंड (ख) के अधीन मशीनरी या संयंत्र की बाबत ऐसी विशिष्टियां, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, निर्धारिती द्वारा उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसे संयंत्र या मशीनरी को पहली बार प्रयोग में लाया गया था, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत कर दी गई हैं ।

(3) जहां उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन विशेष आर्थिक जोन पुनर्विनिधान आरक्षिति खाते में जमा की गई किसी रकम को,—

(क) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोजित किया गया है, वहां इस प्रकार उपयोजित की गई रकम को; या

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उपयोजित नहीं किया गया है, वहां इस प्रकार उपयोजित न की गई रकम को,—

---

[1] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 6 द्वारा (1-4-2001 से) अंत:स्थापित ।

[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 7 द्वारा (1-4-2004 से) अंत:स्थापित ।

[3] 2005 के अधिनियम सं० 28 की धारा 27 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट मामले में, उस वर्ष में, जिसमें रकम इस प्रकार उपयोजित की गई थी; या

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि से ठीक पश्चात्वर्ती वर्ष में,

लाभ समझा जाएगा और तद्नुसार कर से प्रभारित किया जाएगा :

परन्तु जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए यूनिट की कुल आय की संगणना करने के लिए उसके लाभ और अभिलाभ को धारा 10क की उपधारा (7ख) के उपबंधों के लागू होने के कारण सम्मिलित नहीं किया गया था, वहां उपक्रम, जो यूनिट है, दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की शेष अवधि के लिए ही इस उपधारा में निर्दिष्ट कटौती का हकदार होगा और तत्पश्चात् वह उपधारा (1) के खंड (ii) में उपबंधित किए गए अनुसार आय से कटौती के लिए पात्र होगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि कोई उपक्रम, जो यूनिट है, जिसने विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) के प्रारंभ से पूर्व धारा 10क में निर्दिष्ट कटौतियों का दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों तक लाभ प्राप्त कर लिया था, तो ऐसी यूनिट इस धारा के अधीन आय से कटौती के लिए पात्र नहीं होगी :

परंतु यह और कि जहां ऐसी कोई यूनिट जो आरंभ में किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में अवस्थित थी, बाद में ऐसे मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के विशेष आर्थिक जोन में संपरिवर्तन के कारण विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित हो जाती है वहां ऊपर निर्दिष्ट दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि की संगणना, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें यूनिट ने, ऐसे मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन या प्रसंस्करण करना या विनिर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करना आरंभ किया था, सुसंगत निर्धारण वर्ष से की जाएगी :

परंतु यह भी कि जहां ऐसी कोई यूनिट जो आरंभ में किसी मुक्त व्यापार जोन या निर्यात प्रसंस्करण जोन में अवस्थित थी, बाद में ऐसे मुक्त व्यापार जोन या निर्यात प्रसंस्करण जोन के विशेष आर्थिक जोन में संपरिवर्तन के कारण विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित हो जाती है और उसने ऊपर निर्दिष्ट दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि पूरी कर ली है, वहां वह 1 अप्रैल, 2006 से उपधारा (1) के खंड (ii) में उपबंधित किए गए अनुसार आय से कटौती के लिए पात्र नहीं होगी ।

[1][(4) यह धारा ऐसे किसी उपक्रम को लागू होती है, जो इकाई है, और जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(i) इसने किसी विशेष आर्थिक जोन में, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन करना अथवा सेवाएं प्रदान करना आरंभ किया है या आरंभ करता है;

(ii) यह पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित या पुनर्गठित करके नहीं बना है :

परंतु यह शर्त ऐसे उपक्रम के संबंध में लागू नहीं होगी, जो इकाई है और जो निर्धारिती द्वारा किसी ऐसे उपक्रम के कारबार के, जो धारा 33ख में निर्दिष्ट है, उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर पुन:स्थापन, पुनर्गठन या पुन:प्रवर्तन के परिणामस्वरूप बना है;

(iii) वह किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है ।

स्पष्टीकरण—धारा 80झक की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध इस उपधारा के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।]

(5) जहां कोई ऐसा उपक्रम जो यूनिट है, जो इस धारा के अधीन कटौती के लिए हकदार है, इस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी समामेलन या पुनर्विलय की स्कीम के अधीन किसी अन्य उपक्रम को जो यूनिट है अंतरित किया जाता है, वहां,—

(क) उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन या पुनर्विलय होता है, समामेलित या पुनर्विलीन यूनिट को जो कंपनी है, कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी; और

(ख) इस धारा के उपबंध समामेलित या पुनर्विलीन कंपनी को उसी प्रकार लागू होते रहेंगे मानो समामेलन या पुनर्विलय न हुआ हो ।

(6) धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट हानि, जहां तक ऐसी हानि, उपक्रम जो यूनिट है, के, कारबार से संबंधित है, अग्रनीत या मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात की जाएगी ।

(7) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, वस्तुओं या चीजों या सेवाओं के निर्यात से (जिसमें कंप्यूटर साफ्टवेयर भी है) व्युत्पन्न लाभ वह रकम होगी जिसका ऐसे उपक्रम के, जो यूनिट है, कारबार के लाभ से वही अनुपात है, जो ऐसी वस्तुओं या चीजों या सेवाओं की बाबत निर्यात आवर्त का [2][उपक्रम द्वारा] किए जा रहे कारबार के कुल आवर्त से है ।

---

[1] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 7 द्वारा (10-2-2006 से) प्रतिस्थापित ।

[2] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][परंतु इस उपधारा के उपबंध [वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 (2009 का 33) की धारा 6 द्वारा यथासंशोधित], 1 अप्रैल, 2006 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए प्रभावी होंगे ।]

(8) धारा 10क की उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबंध उपधारा (1) में निर्दिष्ट वस्तुओं या चीजों या सेवाओं को इस प्रकार लागू होंगे, मानो—

(क) "1 अप्रैल, 2001" अंकों और शब्द के स्थान पर "1 अप्रैल, 2006" अंक और शब्द रखे गए हों;

(ख) "उपक्रम" शब्द के स्थान पर "उपक्रम, जो यूनिट है" शब्द रखे गए हों ।

(9) धारा 80झक की उपधारा (8) और उपधारा (10) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा में निर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 80झक में निर्दिष्ट उपक्रम के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "निर्यात आवर्त" से, निर्धारिती द्वारा भारत में प्राप्त की गई या लाई गई वस्तुओं या चीजों या सेवाओं के उपक्रम द्वारा, जो यूनिट है, निर्यात की बाबत प्रतिफल अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत भारत से बाहर वस्तुओं या चीजों के परिदान के संबंध में भाड़ा, दूर-संचार प्रभार या बीमा या भारत से बाहर सेवाएं प्रदान करने में (जिसमें कंप्यूटर साफ्टवेयर भी है) विदेशी मुद्रा में उपगत व्यय, यदि कोई हो, सम्मिलित नहीं हैं;

(ii) "विशेष आर्थिक जोन के संबंध में निर्यात" से किसी विशेष आर्थिक जोन से भारत के बाहर भूमिमार्ग, समुद्री मार्ग, वायु मार्ग या किसी अन्य ढंग द्वारा, चाहे शारीरिक हो या अन्यथा, माल ले जाना या सेवा प्रदान करना अभिप्रेत है;

(iii) "विनिर्माण" का वही अर्थ है जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (द) में है;

(iv) "सुसंगत निर्धारण वर्ष" से इस धारा में निर्दिष्ट पंद्रह क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के भीतर आने वाला कोई निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है;

(v) "विशेष आर्थिक जोन" और "यूनिट" के वही अर्थ हैं जो, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यक) और खंड (यग) में उनके हैं ।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के स्थल पर विकास से) जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर के विकास के लिए सेवाएं भी हैं) व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ भारत से बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे ।]

[2][(10) जहां इस धारा के अधीन किसी कटौती का किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 35कघ की उपधारा (8) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट कारबार के लाभों की बाबत दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, वहां विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए धारा 35कघ के उपबंधों के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

[3][**10ख. नवस्थापित शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध**—(1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे लाभों और अभिलाभों की कटौती, जो किसी शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम को, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसा उपक्रम, यथास्थिति, वस्तु या चीज या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले दस क्रमवर्ती वर्ष की अवधि के दौरान उन वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से, व्युत्पन्न हैं, कटौती निर्धारिती की कुल आय में से अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु जहां उपक्रम की किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में कुल आय की संगणना करने में उसके लाभों और अभिलाभों को इस धारा के उपबंधों को, जैसे वह वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से ठीक पूर्व थी, लागू कर के सम्मिलित नहीं किया गया था वहां उपक्रम इस धारा में निर्दिष्ट कटौती के लिए पूर्वोक्त दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्ष की अपर्यवसित अवधि के लिए भी हकदार होगा :

[4]* * * * *

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी उपक्रम को [5][1 अप्रैल, 2012] से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

[6][परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2003 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, इस उपधारा के अधीन कटौती किसी उपक्रम द्वारा ऐसी वस्तुओं या चीजों या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का नब्बे प्रतिशत होगी :

---

[1] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 7 द्वारा (1-4-2001 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 7 द्वारा (1-4-2002 से) लोप किया गया ।
[5] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 6 द्वारा (1-4-2003 से) अंत:स्थापित ।

[1][परंतु यह भी कि इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी ऐसे निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जो धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व अपनी आय की विवरणी नहीं देता है ।]

(2) यह धारा ऐसे किसी उपक्रम को लागू होती है जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(i) यह किसी वस्तु या चीज या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन करता है;

(ii) यह पहले से ही विद्यमान किसी कारबार को खंडित या पुनर्गठित करके नहीं बना है :

परंतु यह शर्त ऐसे किसी उपक्रम की बाबत लागू नहीं होगी, जो धारा 33ख में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के कारबार के उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर निर्धारिती द्वारा पुनर्स्थापन, पुनर्गठन या पुन:चालन के परिणामस्वरूप बनाया गया है;

(iii) यह किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में उपयोग की गई किसी मशीनरी या संयंत्र के नए कारबार में अंतरण द्वारा नहीं बनाया गया है ।

स्पष्टीकरण—धारा 80झ की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध इस उपधारा के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

(3) यह धारा उपक्रम को उस दशा में लागू होती है यदि भारत से बाहर निर्यात की गई चीजों या वस्तुओं या कंप्यूटर साफ्टवेयर के विक्रय आगम निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त किए जाते हैं या लाए जाते हैं ।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सक्षम प्राधिकारी" पद से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जो विदेशी मुद्रा में संदायों और व्यौहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है ।

स्पष्टीकरण 2—इस उपधारा में निर्दिष्ट विक्रय आगम भारत में प्राप्त किए गए वहां समझे जाएंगे जहां ऐसे विक्रय आगम निर्धारिती द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से भारत से बाहर किसी बैंक में इस प्रयोजन के लिए रखे गए पृथक् खाते में जमा किए जाते हैं ।

[2][(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ वह रकम होगी जो उपक्रम के कारबार के लाभों के उसी अनुपात में है जो ऐसी वस्तुओं या चीजों या कम्प्यूटर साफ्टवेयर की बाबत निर्यात आवर्त का उपक्रम द्वारा किए गए कारबार के कुल आवर्त से है ।]

(5) उपधारा (1) के अधीन कटौती 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक निर्धारिती द्वारा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार की रिपोर्ट आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में यह प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है कि कटौती का दावा इस धारा के उपबंधों के अनुसार सही प्रकार से किया गया है ।

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, सुसंगत निर्धारण वर्षों में से ठीक उत्तरवर्ती अंतिम निर्धारण वर्ष के ठीक बाद के निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष की या पश्चात्वर्ती किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में,—

(i) धारा 32, धारा 32क, धारा 33, धारा 35 और धारा 36 की उपधारा (1) का खंड (ix) उसी प्रकार लागू होंगे, मानो उनमें निर्दिष्ट प्रत्येक मोक या कटौती जो किसी ऐसे भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के संबंध में जो उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त है, [3][1 अप्रैल, 2001 से पूर्व समाप्त होने वाले] सुसंगत निर्धारण वर्षों में से किसी से संबंधित या उसके लिए अनुज्ञेय है या ऐसे पूर्ववर्ष में उस कारबार के प्रयोजनों के लिए उपगत कोई व्यय उसी निर्धारण वर्ष के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी किया गया हो और तद्नुसार, यथास्थिति, धारा 32 की उपधारा (2), धारा 32क की उपधारा (3) का खंड (ii), धारा 33 की उपधारा (2) का खंड (ii), धारा 35 की उपधारा (4) या धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (ix) का दूसरा परन्तुक ऐसे किसी मोक या कटौती के संबंध में लागू नहीं होगा;

(ii) धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई हानि, जहां एक ऐसी हानि उस उपक्रम के कारबार से संबंधित है, वहां अग्रनीत या मुजरा नहीं की जाएगी जहां ऐसी हानि [3][1 अप्रैल, 2001 से पूर्व समाप्त होने वाले] सुसंगत निर्धारण वर्षों में से किसी के संबंध में है;

(iii) धारा 80जज या धारा 80जजक या धारा 80झ या धारा 80झक या धारा 80झख के अधीन उपक्रम के लाभ और हानि के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी; और

---

[1] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 7 द्वारा (1-4-2001 से) प्रतिस्थापित ।

[3] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 8 द्वारा (1-4-2001 से) अंत:स्थापित ।

(iv) धारा 32 के अधीन अवक्षयण मोक की संगणना करने में, किसी ऐसी आस्ति का जो उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त है, अवलिखित मूल्य इस प्रकार संगणित किया जाएगा मानो निर्धारिती ने प्रत्येक सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अवक्षयण की बाबत कटौती का दावा किया हो और वह उसे वास्तव में अनुज्ञात की गई हो ।

(7) धारा 80झक की उपधारा (8) और उपधारा (10) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा में निर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 80झक में निर्दिष्ट उपक्रम के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

[1][(7क) जहां किसी भारतीय कंपनी के किसी उपक्रम को, जो इस धारा के अधीन कटौती के लिए हकदार है, इस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व समामेलन या निर्विलियन की किसी स्कीम में किसी दूसरी भारतीय कंपनी को अंतरित किया जाता है, वहां—

(क) उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन या निर्विलियन होता है, समामेलक या निर्विलीत कंपनी को इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी; और

(ख) इस धारा के उपबंध, समामेलित या परिणामी कंपनी को, जहां तक हो सके, इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे समामेलक या निर्विलीत कंपनी को लागू होते यदि समामेलन या निर्विलीयन नहीं हुआ होता ।]

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारिती धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्धारण अधिकारी को लिखित रूप में यह घोषणा प्रस्तुत करता है कि इस धारा के उपबंध उसे लागू नहीं किए जाएं, वहां इस धारा के उपबंध किसी सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उसे लागू नहीं होंगे ।

[2]* * * * *

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "कंप्यूटर साफ्टवेयर" से,—

(क) किसी डिस्क, टेप, छिद्रित माध्यम या अन्य सूचना संग्रह युक्ति पर अभिलिखित कोई कंप्यूटर कार्यक्रम; या

(ख) कोई ग्राहक-अपेक्षित इलेक्ट्रानिक डाटा या इसी प्रकृति का ऐसा कोई उत्पाद या सेवा, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाए,

अभिप्रेत है जो भारत के बाहर किसी स्थान को किसी साधन द्वारा भारत से पारेषित या निर्यात की जाती है;

(ii) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" से ऐसी विदेशी मुद्रा अभिप्रेत है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 और तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्स्थानी विधि के प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा समझी जाती है;

(iii) "निर्यात आवर्त" से निर्धारिती द्वारा उपधारा (3) के अनुसरण में चीजों या वस्तुओं या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात की बाबत संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त या लाया गया प्रतिफल अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत भारत के बाहर चीजों या वस्तुओं या कंप्यूटर साफ्टवेयर के परिदान से संबंधित भाड़ा, दूरसंचार प्रभार या बीमा अथवा भारत से बाहर उपलब्ध कराई गई तकनीकी सेवा [3][उपक्रम द्वारा निर्यात के संबंध में] विदेशी मुद्रा में उपगत व्यय, यदि कोई हो, नहीं है;

(iv) "शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम" से ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 14 द्वारा और उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त बोर्ड द्वारा शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम के रूप में अनुमोदित है;

(v) "सुसंगत निर्धारण वर्ष" से इस धारा में निर्दिष्ट दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के भीतर आने वाला कोई निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है ।]

[4][**स्पष्टीकरण 3**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के स्थलीय विकास से (जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर के विकास के लिए सेवाएं भी हैं) व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे ।]

---

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 8 द्वारा (1-4-2001 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 8 द्वारा (1-4-2004 से) उपधारा (9), (9क) और स्पष्टीकरण 1 का लोप किया गया ।
[3] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 7 द्वारा (1-4-2001 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 7 द्वारा (1-4-2001 से) प्रतिस्थापित ।

[1][**स्पष्टीकरण 4**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्माण या उत्पादन" के अंतर्गत बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्नों को तराशना और पॉलिश करना भी है ।]

[1][**10खक. कतिपय चीजों या वस्तुओं के निर्यात से संबंधित विशेष उपबंध**—(1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे लाभों और अभिलाभों जो किसी उपक्रम को पात्र चीजों या वस्तुओं के भारत के बाहर निर्यात से प्राप्त होते हैं, की कटौती निर्धारिती की कुल आय से अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु यह कि जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए उपक्रम की कुल आय की संगणना में, धारा 10क या धारा 10ख के अधीन कटौती का दावा किया जाता है, वहां उपक्रम इस धारा के अधीन कटौती का हकदार नहीं होगा :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन, कोई कटौती 1 अप्रैल, 2010 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए किसी उपक्रम को अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(2) यह धारा किसी ऐसे उपक्रम को लागू होती है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(क) वह आयातित कच्ची सामग्री के उपयोग के बिना पात्र चीजों या वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन करता है;

(ख) वह पहले से ही विद्यमान किसी कारबार के विभाजन या पुनर्गठन से नहीं बनाया गया है :

परंतु यह कि यह शर्त ऐसे किसी उपक्रम के संबंध में लागू नहीं होगी जो निर्धारिती द्वारा किसी ऐसे उपक्रम के जो धारा 33ख में निर्दिष्ट है, उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर कारबार के पुनर्स्थापन, पुनर्गठन या पुनरुज्जीवन के परिणामस्वरूप बनाया गया है;

(ग) वह किसी प्रयोजन के लिए पहले से उपयोग की गई किसी मशीनरी या संयंत्र के किसी नए कारबार को अंतरण द्वारा नहीं बनाया गया है ।

स्पष्टीकरण—धारा 80झ की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध इस खंड के प्रयोजनों के लिए वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस धारा की उपधारा (2) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं;

(घ) उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान उसके विक्रय का नब्बे प्रतिशत या अधिक पात्र चीजों या वस्तुओं के निर्यात के रूप में है;

(ङ) उसने पूर्ववर्ष के दौरान विनिर्माण, या उत्पादन की प्रक्रिया में बीस या अधिक कर्मकारों को नियोजित किया है ।

(3) यह धारा उपक्रम को लागू होती है यदि भारत से बाहर निर्यातित पात्र चीजों या वस्तुओं के विक्रय आगम निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के अंत से छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त किए जाते हैं या लाए जाते हैं ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सक्षम प्राधिकारी" पद से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है जो विदेशी मुद्रा के संदाय और संव्यवहार को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है ।

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, पात्र चीजों या वस्तुओं के भारत से बाहर निर्यात से व्युत्पन्न लाभ वह रकम होगी, जिसका उपक्रम के कारबार के लाभ से वही अनुपात है जो ऐसी चीजों या वस्तुओं से संबंधित निर्यात आवर्त का उस उपक्रम द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के कुल आवर्त से है ।

(5) उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं होगी जब तक निर्धारिती आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार की रिपोर्ट, यह प्रमाणित करते हुए कि कटौती का इस धारा के उपबंधों के अनुसार सही रूप में दावा किया गया है, प्रस्तुत नहीं करता है ।

(6) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई कटौती निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में इस धारा के अधीन अनुज्ञेय है, वहां इसके निर्यात लाभों के संबंध में किसी अन्य धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(7) धारा 80झक की उपधारा (8) और उपधारा (10) के उपबंध, जहां तक हो सके इस धारा में निर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 80झक में निर्दिष्ट उपक्रम के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" से ऐसी विदेशी मुद्रा अभिप्रेत है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) और तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्स्थानी विधि के प्रयोजनों के लिए तत्समय संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा मानी जाती है;

---

[1] 2003 के अधिनियम सं० 54 की धारा 3 द्वारा (1-4-2004 से) अंत:स्थापित ।

(ख) "पात्र चीजों या वस्तुओं" से हस्तनिर्मित ऐसी सभी चीजें या वस्तुए अभिप्रेत हैं जो कलात्मक मूल्य की हैं और जिनमें मुख्य कच्ची सामग्री के रूप में काष्ठ का उपयोग अपेक्षित है;

(ग) "निर्यात आवर्त" से उपधारा (3) के अनुसार उपक्रम द्वारा पात्र चीजों या वस्तुओं के निर्यात के संबंध में निर्धारिती द्वारा संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त या लाया गया प्रतिफल अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत भारत के बाहर चीजों या वस्तुओं के परिदान से संबंधित भाड़ा, दूरसंचार प्रभार या बीमा नहीं है;

(घ) "भारत के बाहर निर्यात" के अंतर्गत भारत में स्थित किसी दुकान, इम्पोरियम या किसी अन्य स्थापन में विक्रय के द्वारा या अन्यथा ऐसा कोई संव्यवहार नहीं है, जिसमें सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में यथापरिभाषित किसी सीमाशुल्क केन्द्र की निकासी अंतर्वलित नहीं है ।]

[1][**10खख. कतिपय मामलों में कंप्यूटर कार्यक्रमों का अर्थ**—किसी उपक्रम द्वारा धारा 10ख, जैसा वह वित्त अधिनियम, 2000 (2000 का 10) की धारा 7 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से पूर्व विद्यमान थी, के अधीन कंप्यूटर कार्यक्रम के निर्माण से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उस धारा में "कंप्यूटर कार्यक्रम" शब्दों के स्थान पर, "कंप्यूटर कार्यक्रम या इलैक्ट्रानिक डाटा का प्रसंस्करण या प्रबंधन" शब्द रखे गए हों ।]

[2][**10ग. पूर्वोत्तर क्षेत्र में कतिपय औद्योगिक उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध**—(1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी निर्धारिती द्वारा ऐसे औद्योगिक उपक्रम से, जिसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित किसी एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्र या औद्योगिक विकास केन्द्र में (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात् किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन आरम्भ कर दिया है या कर रहा है, व्युत्पन्न किन्हीं लाभों और अभिलाभों को निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(2) यह धारा ऐसे किसी औद्योगिक उपक्रम को लागू होती है जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(i) यह पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित करके या पुनर्गठित करके नहीं बना है :

परंतु यह शर्त ऐसे किसी औद्योगिक उपक्रम की बाबत लागू नहीं होगी जो निर्धारिती द्वारा धारा 33ख में निर्दिष्ट किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम के कारबार के उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर पुनर्स्थापन, पुनर्गठन या पुनरुज्जीवन के परिणामस्वरूप बना है;

(ii) वह किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र का किसी नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है ।

स्पष्टीकरण—धारा 80झक की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध इस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लाभ और अभिलाभ उस पूर्ववर्ष से, जिसमें वह औद्योगिक उपक्रम वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले किन्हीं दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की बाबत निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे ।

(4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष से किसी सुसंगत पूर्ववर्ष में निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में,—

(i) धारा 32, धारा 35 और धारा 36 की उपधारा (1) का खंड (ix) उसी प्रकार लागू होगा मानो उसमें निर्दिष्ट कटौती किसी ऐसे भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के संबंध में, जो निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में औद्योगिक उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त सुसंगत निर्धारण वर्षों में से किसी से संबंधित और उसके लिए अनुज्ञेय है या ऐसे पूर्ववर्ष में उस कारबार के प्रयोजनों के लिए उपगत कोई व्यय उसी निर्धारण वर्ष के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी किया गया है, और तद्नुसार, यथास्थिति, धारा 32 की उपधारा (2), धारा 35 की उपधारा (4) या धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (ix) का दूसरा परंतुक किसी ऐसी कटौती के संबंध में लागू नहीं होगा;

(ii) धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई हानि, जहां तक ऐसी हानि उस औद्योगिक उपक्रम के कारबार से संबंधित है, अग्रनीत या मुजरा नहीं की जाएगी जहां ऐसी हानि सुसंगत निर्धारण वर्षों में से किसी के संबंध में है;

(iii) औद्योगिक उपक्रमों के लाभों या अभिलाभों के संबंध में धारा 80जज या धारा 80जजक या धारा 80झ या धारा 80झक या धारा 80झख या धारा 80ञञक के अधीन कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी; और

---

[1] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 8 द्वारा (1-4-1994 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 7 द्वारा (1-4-1999 से) अंत:स्थापित ।

(iv) धारा 32 के अधीन अवक्षयण मोक की संगणना करने में किसी ऐसी आस्ति का, जो औद्योगिक उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त है, अवलिखित मूल्य इस प्रकार संगणित किया जाएगा मानो निर्धारिती ने प्रत्येक सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अवक्षयण की बाबत कटौती का दावा किया हो और वह उसे वास्तव में अनुज्ञात की गई हो ।

(5) धारा 80झक की उपधारा (8) और उपधारा (10) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा में निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, धारा 80झक या धारा 80झख में निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रम के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

(6) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारिती धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अपनी आय की विवरणी देने के लिए नियत तारीख से पहले, निर्धारण अधिकारी को एक लिखित घोषणा देता है कि इस धारा के उपबंध उसको लागू न किए जाएं तो इस धारा के उपबंध किन्हीं भी सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उसे लागू नहीं होंगे ।

[1][परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी उपक्रम को 1 अप्रैल, 2004 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र" से पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में अवस्थित ऐसे केंद्र अभिप्रेत हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करे;

(ii) "औद्योगिक विकास केंद्र" से पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में अवस्थित ऐसे केंद्र अभिप्रेत हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करे;

(iii) "पूर्वोत्तर क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य समाविष्ट हैं;

(iv) "सुसंगत निर्धारण वर्ष" से उस वर्ष से, जिसमें औद्योगिक उपक्रम वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है, प्रारंभ होने वाले दस क्रमवर्ती वर्ष अभिप्रेत हैं ।

11. पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित सम्पत्ति से आय—(1) धारा 60 से धारा 63 तक के उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित आय को आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा—

[2][(क) ऐसी सम्पत्ति से व्युत्पन्न आय जो पूर्णत: पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित है, उस परिमाण तक जिस तक ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजनों में प्रयोग की जाती है और जहां ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजनों में प्रयोग किए जाने के लिए संचित की जाती है, या अलग रखी जाती है वहां उस परिमाण तक जिस तक इस प्रकार संचित की गई या अलग रखी आय उस सम्पत्ति से होने वाली आय के [3][पंद्रह प्रतिशत] से अधिक नहीं है;

(ख) ऐसी सम्पत्ति से व्युत्पन्न आय जो केवल भागत: ऐसे प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित है और ऐसा न्यास इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व सृष्ट किया गया है, उस परिमाण तक जिस तक ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजनों में प्रयोग की जाती है और जहां ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजनों में प्रयोग किए जाने के लिए अन्तिम रूप से अलग रखी जाती है वहां उस परिमाण तक जिस तक इस प्रकार अलग रखी गई आय उस सम्पत्ति से होने वाली आय के [3][पंद्रह प्रतिशत] से अधिक नहीं है;]

(ग) [4][ऐसे न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति से व्युत्पन्न आय—]

(i) जो किसी पूर्त प्रयोजन के लिए, जो अन्तर्राष्ट्रीय कल्याण को जिसमें भारत की अभिरूचि है प्रोन्नत करने में साधक होता है, 1952 के अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् सृष्ट किया गया है, उस परिमाण तक जिस तक ऐसी आय भारत के बाहर ऐसे प्रयोजनों में प्रयुक्त की जाती है, और

(ii) जो पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए 1952 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व सृष्ट किया गया है उस परिमाण तक जिस तक ऐसी आय भारत के बाहर ऐसे प्रयोजनों में प्रयुक्त की जाती है :

परन्तु यह तब जबकि बोर्ड में साधारण या विशेष आदेश द्वारा दोनों में से किसी भी दशा में निर्दिष्ट किया है कि वह ऐसी आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी,

[5][(घ) स्वैच्छिक अभिदायों के रूप में आय जो इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ किए गए हैं कि वे समग्र न्यास या संस्था का भाग होंगे;]

---

[1] 2003 के अधिनियम सं० 54 की धारा 3 द्वारा (1-4-2004 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 4 द्वारा (1-4-1976 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 7 द्वारा (1-4-2003 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 5 द्वारा (1-4-1973 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 5 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।

[1][**स्पष्टीकरण** [2]**[1]**— खण्ड (क) और खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए—

(1) उस आय के [3][पंद्रह प्रतिशत] की संगणना करने में जो संचित की जा सकती है, या अलग रखी जा सकती है । ऐसे स्वैच्छिक अभिदान जो धारा 12 में निर्दिष्ट आय के भागरूप समझे जाएंगे ।

(2) यदि किसी पूर्ववर्ष में भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों में प्रयुक्त आय, यथास्थिति, न्यास के अधीन धारित या भागत: न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति से उस वर्ष के दौरान व्युत्पन्न आय के [4][पचासी प्रतिशत] से कम पड़ती है चाहे रकम कुछ भी हो—

(i) इस कारण से कि वह आय पूर्णत: या भागत: उस वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं की गई है; या

(ii) किसी अन्य कारण से,—

(क) तो उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट दशा में, उस पूर्ववर्ष के दौरान जिसमें ऐसी आय प्राप्त होती है या उसके ठीक बाद के पूर्ववर्ष के दौरान भारत में ऐसे प्रयोजनों में प्रयुक्त आय का उतना भाग जो उक्त रकम से अधिक नहीं है; और

(ख) उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट दशा में, पूर्ववर्ष के ठीक बाद के उस पूर्ववर्ष के दौरान जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न हुई थी भारत में ऐसे प्रयोजनों में प्रयुक्त आय का उतना भाग जो उक्त रकम से अधिक नहीं है,

आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विकल्प पर [4][ऐसे विकल्प का प्रयोग धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी देने के लिए अनुज्ञात समय की समाप्ति के पूर्व ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, किया जाएगा] उस पूर्ववर्ष के दौरान जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न हुई थी ऐसे प्रयोजनों में प्रयुक्त आय समझी जाएगी और इस प्रकार प्रयुक्त समझी गई आय, उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट दशा में, यथास्थिति, उस पूर्ववर्ष के दौरान जिसमें ऐसी आय प्राप्त होती है या उसके ठीक बाद के पूर्ववर्ष के दौरान और उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट दशा में, उस पूर्ववर्ष के ठीक बाद के पूर्ववर्ष के दौरान जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न हुई थी ऐसे प्रयोजनों में प्रयुक्त आय की रकम का परिकलन करने में हिसाब में नहीं ली जाएगी ।]

[5][**स्पष्टीकरण 2**—धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य न्यास या संस्था, इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ कि वे न्यास या संस्था की समग्र निधि का भाग बनेंगे, के पास, स्पष्टीकरण 1 के साथ पठित खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय में से जमा की गई या संदत्त किसी रकम को, जो ऐसा अभिदाय है, पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के प्रति आय के उपयोग के रूप में नहीं समझा जाएगा ।]

[6][(1क) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए—

(क) जहां पूंजी आस्ति, जो पूर्णत: पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति है अन्तरित की जाती है और सम्पूर्ण शुद्ध प्रतिफल या उसका कोई भाग इस प्रकार धारित की जाने वाली किसी अन्य पूंजी के अर्जन के लिए उपयोग किया जाता वहां, अन्तरण से उद्भूत होने वाला पूंजी अभिलाभ इसके नीचे निर्दिष्ट विस्तार तक पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

(i) जहां नई पूंजी के अर्जन में पूर्ण शुद्ध प्रतिफल उपयोग में लाया जाता है वहां, ऐसा सम्पूर्ण पूंजी अभिलाभ;

(ii) जहां नई पूंजी आस्ति के अर्जन में शुद्ध प्रतिफल उपयोग में लाया जाता है वहां पूंजी अभिलाभ का अपना भाग जो उस रकम के, यदि कोई हो, बराबर है जिससे इस प्रकार उपयोग की गई रकम अन्तरित आस्ति के मूल्य से अधिक है;

(ख) जहां कोई पूंजी आस्ति, जो भागत: ऐसे प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति है, अन्तरित की जाती है और सम्पूर्ण शुद्ध प्रतिफल या उसका कोई भाग इस प्रकार धारित की जाने वाली किसी अन्य पूंजी आस्ति के अर्जन के लिए उपयोग किया जाता है वहां अन्तरण से उद्भूत होने वाले पूंजी अभिलाभ का समुचित भिन्नांश इसके नीचे विनिर्दिष्ट विस्तार तक पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए लगाया गया समझा जाएगा, अर्थात्—

(i) जहां नई पूंजी आस्ति के अर्जन में सम्पूर्ण शुद्ध प्रतिफल उपयोग में लाया जाता है वहां, ऐसे पूंजी अभिलाभ का सम्पूर्ण समुचित भिन्नांश;

(ii) किसी अन्य दशा में पूंजी अभिलाभ के समुचित भिन्नांश का वह भाग जो उस रकम के, यदि कोई हो, बराबर है जिससे नई आस्ति के अर्जन में उपयोग में लाई गई रकम का समुचित भिन्नांश अन्तरित आस्ति की लागत के समुचित भिन्नांश से अधिक है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में—

---

[1] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 4 द्वारा (1-4-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 8 द्वारा (1-4-2018 से) पुन:संख्यांकित ।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 7 द्वारा (1-4-2003 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 8 द्वारा (1-4-2016 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 8 द्वारा (1-4-2018 से) अंत:स्थापित ।
[6] 1971 के अधिनियम सं० 32 की धारा 5 द्वारा (1-4-1962 से) अंत:स्थापित ।

(i) "समुचित भिन्नांश" से वह भिन्नांश अभिप्रेत है जो यह दर्शाता है कि किस विस्तार तक अन्तरित पूंजी, आस्ति से उद्भूत आय ऐसे अन्तरण के ठीक पहले पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजनीय थी;

(ii) "अन्तरित आस्तियों की लागत से" उस पूंजी आस्ति के, जो अन्तरण का विषय है, अर्जन के दाम का (धारा 48 और 49 के प्रयोजनों के लिए यथा अभिनिश्चित) और धारा 55 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) में सुधार पद को दिए गए अर्थ के अन्तर्गत उसके सुधार की लागत का योग, अभिप्रेत है;

(iii) "शुद्ध प्रतिफल" से पूंजी आस्ति के अन्तरण के फलस्वरूप प्राप्त या उद्भूत प्रतिफल का पूर्णमूल्य अभिप्रेत है जिसमें से अन्तरण के सम्बन्ध में पूर्णत: और अनन्यत: उपगत खर्चे घटा दिए गए हैं ।]

[1][(1ख) जहां कोई ऐसी आय, जिसकी बाबत उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उक्त खंड के, यथास्थिति उपखंड (क) या उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट कालावधि के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों में प्रयुक्त नहीं की जाती है वहां ऐसी आय उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की—

(क) उक्त खंड के उपखंड (i) में निर्दिष्ट दशा में, उस पूर्ववर्ष के जिसमें ऐसी आय प्राप्त हुई थी, ठीक बाद के पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी, या

(ख) उक्त खंड के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में, उस पूर्ववर्ष के जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न हुई थी ठीक बाद के पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी ।]

[2][(2) [3][जहां उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के साथ पठित उस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय का [4][पचासी प्रतिशत] पूर्ववर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों में प्रयुक्त न हो या प्रयुक्त न समझा जाए किन्तु भारत में ऐसे प्रयोजनों में प्रयुक्त किए जाने के लिए पूर्णत: या भागत: संचित किया जाए या अलग रखा जाए, वहां ऐसी आय, जो इस प्रकार संचित या अलग रखी गई हो, उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी, परन्तु यह तब जबकि निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन हो जाए, अर्थात् :—]

[5][(क) ऐसा व्यक्ति निर्धारण अधिकारी को विहित प्ररूप में और विहित रीति से एक विवरण उस प्रयोजन का कथन करते हुए जिसके लिए आय संचित की जा रही है या अलग रखी जा रही है और वह कालावधि, जिसके लिए आय संचित की जानी है या अलग रखी जानी है, जो किसी भी दशा में पाच वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दे दे;

(ख) इस प्रकार संचित किया गया या अलग रखा गया धन उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट स्वरूप या पद्धतियों में विनिहित या निक्षिप्त कर दिया जाए;

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट विवरण पूर्ववर्ष की आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उससे पहले दे दिया जाए :

परंतु खंड (क) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की कालावधि की संगणना करने में, वह कालावधि जिसके दौरान आय उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए आय इस प्रकार संचित की गई है या अलग रखी गई है किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश के कारण उपयोजित नहीं की जा सकी है, अपवर्जित कर दी जाएगी ।

[6][**स्पष्टीकरण**—उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के साथ पठित उसके खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय में से धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था को या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को जमा या संदत्त की गई किसी रकम को, जो उपयोजित नहीं की गई है किंतु संचित की गई है या अलग रखी गई है, या तो संचयन की अवधि के दौरान या उसके पश्चात्, पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय का उपयोजन नहीं माना जाएगा ।]

[7][(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई आय जो—

(क) यथापूर्वोक्त पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों में प्रयुक्त की जाए या उनमें प्रयुक्त किए जाने के लिए संचित या अलग रखी न रह जाए, अथवा

---

[1] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 4 द्वारा (1-4-1976 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 1970 के अधिनियम सं० 19 की धारा 5 द्वारा (1-4-1971 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 4 द्वारा (1-4-1976 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 7 द्वारा (1-4-2003 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 8 द्वारा (1-4-2016 से) प्रतिस्थापित ।
[6] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 7 द्वारा (1-4-2003 से) अंत:स्थापित ।
[7] 1970 के अधिनियम सं० 19 की धारा 5 द्वारा (1-4-1971 से) प्रतिस्थापित ।

[1][(ख) उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान या उसके अवसान के ठीक पश्चात् के वर्ष में उस प्रयोजन में प्रयुक्त न की जाए जिसके लिए वह संचित की गई या अलग रखी गई है,]

(ग) उस उपधारा के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कालावधि के दौरान या उसके अवसान के ठीक पश्चात् के वर्ष में उस प्रयोजन में प्रयुक्त न की जाए जिसके लिए वह संचित की गई या अलग रखी गई है,

[2][(घ) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था को या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को जमा या संदत्त की जाती है;]

ऐसे व्यक्ति को, यथास्थिति, उस पूर्ववर्ष को, जिसमें वह ऐसे प्रयुक्त की जाए अथवा संचित या [2][अलग रखी न रह जाए या इस प्रकार विनिहित या निक्षिप्त या संदत्त या जमा न रह जाए] या पूर्वोक्त कालावधि के अवसान के ठीक पश्चात् के पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी ।

[3][(3क) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जहां ऐसी आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण कोई ऐसी आय जो उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपबंधों के अनुसार विनिहित या निक्षिप्त की गई हो, उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती जिसके लिए वह संचित की गई थी या अलग रखी गई थी वहां [@][निर्धारण अधिकारी] इस निमित्त उसे किए गए आवेदन पर, ऐसे व्यक्ति की ऐसी आय को भारत में ऐसे अन्य पूर्त या धार्मिक प्रयोजन के लिए प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा जो आवेदन में ऐसे व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है और जो न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप है और तब उपधारा (3) के उपबन्ध ऐसे लागू होंगे मानो इस उपधारा के अधीन आवेदन में ऐसे व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजन उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन [@][निर्धारण अधिकारी] को दी गई सूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन हो :]

[2][परंतु निर्धारण अधिकारी, धारा 11 की उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किए गए संदाय या जमा के रूप में ऐसी आय का उपयोग अनुज्ञात नहीं करेगा :]

[4][परंतु यह और कि यदि ऐसा न्यास या संस्था, जिसने उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में अपनी आय विनिहित या निक्षिप्त की है, विघटित हो जाती है तो निर्धारण अधिकारी, उस वर्ष में, जिसमें ऐसा न्यास या संस्था विघटित हुई थी, उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसी आय के उपयोग को अनुज्ञात कर सकेगा ।]

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति" के अन्तर्गत इस प्रकार धारित कारबारी उपक्रम भी है और जहां यह दावा किया जाता है कि किसी ऐसे उपक्रम की आय उसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी वहां [@][निर्धारण अधिकारी] को इस अधिनियम के निर्धारण संबंधी उपबन्धों के अनुसार ऐसे उपक्रम की आय अवधारित करने की शक्ति होगी; और जहां इस प्रकार अवधारित कोई आय उपक्रम के लेखाओं में यथादर्शित आय से अधिक है वहां ऐसे आधिक्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पूर्त या धार्मिक प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया गया है [5]*** ।

[6][(4क) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (3क) किसी न्यास या संस्था की किसी ऐसी आय के संबंध में, जो कारबार का लाभ और अभिलाभ है, लागू नहीं होगी जब तक कि वह कारबार, यथास्थिति, न्यास या संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक नहीं है और ऐसे न्यास या संस्था द्वारा ऐसे कारबार की बाबत पृथक् लेखा-बहियां नहीं रखी जाती हैं ।]

[7][(5) उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट धन विनिहित या निक्षिप्त करने के स्वरूप और पद्धतियां निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :—

(i) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 2 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बचत पत्रों में तथा केंद्रीय सरकार की अल्प बचत स्कीमों के अधीन उस सरकार द्वारा जारी की गई किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों या प्रमाणपत्रों में विनिधान;

(ii) डाकघर बचत बैंक में किसी खाते में निक्षेप;

(iii) किसी अनुसूचित बैंक या बैंककारी कारबार करने वाली सहकारी सोसाइटी में (जिसके अंतर्गत सहकारी भूमि बन्धक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी है) किसी खाते में निक्षेप ।

---

[1] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 39 द्वारा (1-4-1971 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 7 द्वारा (1-4-2003 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 4 द्वारा (1-4-1976 से) अंत:स्थापित ।
[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।
[4] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 10 द्वारा (1-4-2003 से) अंत:स्थापित ।
[5] 1970 के अधिनियम सं० 19 की धारा 5 द्वारा (1-4-1971 से) "और वह तदनुसार उपधारा (3) के अर्थ में कर से प्रभार्य होगा" शब्दों का लोप किया गया ।
[6] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 6 द्वारा (1-4-1992 से) प्रतिस्थापित ।
[7] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 6 द्वारा (1-4-1983 से) अंत:स्थापित ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड में "अनुसूचित बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथापरिभाषित समनुषंगी बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन अथवा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक अथवा कोई अन्य बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक है, अभिप्रेत है;

(iv) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में विनिधान;

(v) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सृष्ट और पुरोधृत किसी धनप्रतिभूति में विनिधान;

(vi) किसी कंपनी या निगम द्वारा उसकी ओर से पुरोधृत डिबेंचरों में विनिधान, जिसके मूलधन और उस पर ब्याज दोनों को केंद्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: और अंशत: प्रत्याभूत किया गया है;

(vii) [1][पब्लिक सेक्टर कंपनी] में विनिधान या निक्षेप :

[2][परंतु जहां कोई विनिधान या निक्षेप किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में किया गया है और ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रह गई है, वहां,—

(अ) ऐसी कंपनी के शेयरों में किया गया ऐसा विनिधान उस तारीख से जिसको ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रह गई है, तीन वर्ष की अवधि के लिए इस खंड के अधीन किया गया विनिधान या निक्षेप समझा जाएगा;

(आ) ऐसा अन्य विनिधान या निक्षेप उस तारीख तक की, जिसको ऐसा विनिधान या निक्षेप ऐसी कंपनी द्वारा प्रतिसंदेय हो जाता है, अवधि के लिए इस खंड के अधीन किया गया विनिधान समझा जाएगा;]

(viii) ऐसे वित्त निगम में निक्षेप या उसके द्वारा पुरोधृत किन्हीं बंधपत्रों में विनिधान, जो भारत में औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराने में लगा है और [3][जो धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) के अधीन कटौती के लिए पात्र है];

(ix) भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसी पब्लिक कंपनी में निक्षेप या उसके द्वारा पुरोधृत किन्हीं बन्धपत्रों में विनिधान जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में आवासिक प्रयोजनों के लिए गृहों के सन्निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराने का कारबार करना है [3][जो धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) के अधीन कटौती के लिए पात्र हैं;]

[2][(ixक) भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसी पब्लिक कंपनी द्वारा जारी किए गए किन्हीं बंधपत्रों में निक्षेप या विनिधान जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में शहरी अवसंरचना के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार करना है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "दीर्घकालिक वित्त" से ऐसा कोई उधार या अग्रिम अभिप्रेत है जहां उन निबंधनों में जिनके अधीन धन उधार या अग्रिम दिया जाता है, पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के दौरान उसके ब्याज सहित प्रतिसंदाय का उपबंध है;

(ख) "पब्लिक कंपनी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में है;

(ग) "शहरी अवसंरचना" से पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और मल व्ययन, जल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क, पुल और ऊपरोगामी पुल या शहरी परिवहन की व्यवस्था के लिए कोई परियोजना अभिप्रेत है;]

(x) स्थावर सम्पत्ति में विनिधान।

स्पष्टीकरण—"स्थावर संपत्ति" के अंतर्गत कोई मशीनरी या संयंत्र (जो ऐसी मशीनरी या संयंत्र से भिन्न है जो किसी भवन में उस भवन के सुविधापूर्ण अधिभोग के लिए प्रतिष्ठापित की गई है) नहीं है चाहे वे भूमि में संलग्न हो या उससे संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से बद्ध हों;

---

[1] 1989 के अधिनियम सं० 3 की धारा 5 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित।
[2] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 8 द्वारा (1-4-2001 से) अंत:स्थापित।
[3] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 8 द्वारा (1-4-2001 से) प्रतिस्थापित।

[1][(xi) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में निक्षेप;]

[2][(xii) किसी अन्य रूप या रीति में विनिधान या निक्षेप का जो विहित किया जाए ।]

[3][(6) इस धारा में जहां किसी आय का उपयोजन या संचित किया जाना या उपयोजन के लिए अलग रखा जाना अपेक्षित है, वहां ऐसे प्रयोजनों के लिए, आय, ऐसी किसी आस्ति की बाबत, जिसके अर्जन का इस धारा के अधीन दावा उसी या किसी अन्य पूर्ववर्ष में आय के उपयोजन के रूप में किया गया है, अवधारण अवक्षयण के रूप में या अन्यथा किसी कटौती या मोक के बिना किया जाएगा ।

(7) जहां किसी न्यास या संस्था को धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है या उसने धारा 12क [जैसी वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 (1996 का 33) द्वारा उसके संशोधन के पूर्व विद्यमान थी] के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और उक्त रजिस्ट्रीकरण किसी पूर्ववर्ष के लिए प्रवृत्त है, वहां धारा 10 [उसके खंड (1) और खंड (23ग) से भिन्न] में अंतर्विष्ट कोई बात न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न किसी आय को उस पूर्ववर्ष के लिए उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय से अपवर्जित करने के लिए प्रवर्तित नहीं होगी ।]

[4][**12. अभिदायों से होने वाली न्यासों या संस्थाओं की आय**—[5][(1)] पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए पूर्णत: सृजित किसी न्यास द्वारा या ऐसे प्रयोजनों के लिए पूर्णत: स्थापित किसी संस्था द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय (जो इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ किए गए अभिदाय नहीं हैं कि वे न्यास या संस्था की विषयवस्तु के भागरूप होंगे) धारा 11 के प्रयोजनों के लिए पूर्णत: पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति से उद्भूत आय समझे जाएंगे, और उस धारा के और धारा 13 के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे ।

[6][(2) धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (गग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को कोई अस्पताल या चिकित्सीय संस्था या शिक्षा संस्था चलाने वाले किसी पूर्त या धार्मिक न्यास द्वारा उपलब्ध कराई गई किन्हीं सेवाओं का, जो चिकित्सीय या शैक्षिक सेवाएं हैं, मूल्य उस पूर्ववर्ष के दौरान जिसमें ऐसी सेवाएं इस प्रकार उपलब्ध कराई जाती हैं, पूर्णतया पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति से व्युत्पन्न ऐसे न्यास या संस्था की आय समझी जाएगी और धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के होते हुए भी आय-कर से प्रभार्य होगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "मूल्य", किसी ऐसी प्रसुविधा या सुविधा का मूल्य होगा, जो धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (गग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को नि:शुल्क या रियायती दर पर प्रदान की जाती है या उपलब्ध कराई जाती है ।]

[7][(3) धारा 11 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (घ) के निबंधनों के अनुसार किसी न्यास या संस्था द्वारा प्राप्त दान की कोई रकम [8][जिसकी बाबत उस धारा की उपधारा (5ग) के खंड (v) के अधीन विहित प्राधिकारी को उस रीति में जो उस खंड में विनिर्दिष्ट है, आय और व्यय के लेखे नहीं दिए गए हैं, या] जिसका उपयोग गुजरात में भूकंप पीड़ितों को सहायता देने से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया है, या जो धारा 80छ की उपधारा (5ग) के निबंधनों के अनुसार अनुपयोजित रहती है और जिसे [9][31 मार्च, [10][2004] को या उसके पूर्व] प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में अंतरित नहीं किया गया है, पूर्ववर्ती वर्ष की आय समझी जाएगी और तद्नुसार उस पर कर प्रभारित किया जाएगा ।]

12क. [11][धारा 11 और धारा 12 के लागू होने के लिए शर्तें]—[12][(1)] धारा 11 और धारा 12 के उपबन्ध किसी न्यास या संस्था की आय के संबंध में लागू नहीं होंगे जब तक निम्नलिखित शर्तें पूरी न की जाएं अर्थात् :—

---

[1] 1984 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1989 के अधिनियम सं० 3 की धारा 5 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।
[3] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 7 द्वारा (1-4-2015 से) अंत:स्थापित ।
[4] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 6 द्वारा विद्यमान धारा 12 के स्थान पर (1-4-1973 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 9 द्वारा (1-4-2001 से) संख्यांकित ।
[6] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 9 द्वारा (1-4-2001 से) अंत:स्थापित ।
[7] 2001 के अधिनियम सं० 4 की धारा 5 द्वारा (3-2-2001 से) अंत:स्थापित ।
[8] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 8 द्वारा (3-2-2001 से) अंत:स्थापित ।
[9] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 8 द्वारा (3-2-2001 से) प्रतिस्थापित ।
[10] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[11] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[12] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 8 द्वारा पुन:संख्यांकित ।

(क) आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने विहित प्ररूप और विहित रीति में [1]*** आयुक्त को 1973 की जुलाई के प्रथम दिन के पूर्व या न्यास के सृजन की या संस्था की स्थापना की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के समाप्त होने के पूर्व इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है [2][और ऐसा न्यास या संस्था धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है :]

[3][परन्तु जहां न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पूर्वोक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् किया जाता है वहां धारा 11 और धारा 12 के उपबंध ऐसे न्यास या संस्था की आय के संबंध में,—

(i) यदि [1]*** आयुक्त का, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति पूर्वोक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व आवेदन करने से पर्याप्त कारणों से निवारित रहा था तो न्यास के सृजन या संस्था की स्थापना की तारीख से;

(ii) यदि [1]*** आयुक्त का इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो उस वित्तीय वर्ष के जिसमें आवेदन किया जाता है, प्रथम दिन से, लागू होंगे;]

[4][परन्तु यह और कि इस खंड के उपबंध 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए किसी आवेदन के संबंध में लागू नहीं होंगे;]

[4][(कक) आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् आयुक्त को विहित प्ररूप और रीति में किया है और ऐसा न्यास या संस्था धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;]

[5][(कख) उस दशा में, जहां किसी न्यास या किसी संस्था को धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है या जिसने धारा 12क [जैसी यह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 (1996 का 33) द्वारा उसके संशोधन के पूर्व थी] के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और तत्पश्चात् उसने उद्देश्यों के ऐसे उपांतरण अंगीकृत किए हैं या उनमें उपांतरण किए हैं जो रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित प्ररूप और विहित रीति में उक्त अंगीकरण या उपांतरण की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रधान आयुक्त या आयुक्त को आवेदन किया है और ऐसा न्यास या संस्था धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;]

(ख) [6][धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों को लागू किए बिना जहां उस न्यास या संस्था की इस अधिनियम के अधीन यथासंगणित सकल आय किसी पूर्ववर्ष में उस अधिकतम रकम से अधिक है जो किसी पूर्ववर्ष में आय-कर से प्रभार्य नहीं है] वहां उस न्यास या संस्था के उस वर्ष के लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित किए गए हैं और आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं उपवर्णित हैं, प्रस्तुत की है ।]

[5][(खक) आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने धारा 139 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ष के लिए आय-कर की विवरणी उस धारा के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर दे दी है ।]

[7]* * * *

[4][(2) जहां कोई आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है, वहां धारा 11 और धारा 12 के उपबंध उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है, ठीक बाद के निर्धारण वर्ष से ऐसे न्यास या संस्था की आय के संबंध में लागू होंगे :]

[8][परंतु जहां रजिस्ट्रीकरण, धारा 12कक के अधीन न्यास या संस्था को मंजूर किया गया है, वहां धारा 11 और धारा 12 के उपबंध पूर्वोक्त निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती किसी निर्धारण वर्ष की न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न ऐसी आय के संबंध में लागू होंगे जिसके लिए निर्धारण कार्यवाहियां ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख को निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित हैं और ऐसे न्यास या संस्था के उद्देश्य और क्रियाकलाप, ऐसे पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के लिए समान बने रहते हैं :

परंतु यह और कि धारा 147 के अधीन कोई कार्रवाई, निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे न्यास या संस्था की दशा में, उक्त निर्धारण वर्ष के लिए उस न्यास या संस्था का केवल रजिस्ट्रीकरण न कराए जाने के कारण पूर्वोक्त निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती किसी निर्धारण वर्ष के लिए नहीं की जाएगी :

परंतु यह भी कि पहले और दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध किसी ऐसे न्यास या संस्था की दशा में लागू नहीं होंगे, जिसका रजिस्ट्रीकरण करने से धारा 12कक के अधीन इंकार कर दिया गया है या उसे मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण को किसी समय रद्द कर दिया गया है ।]

---

[1] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 8 द्वारा (1-6-1999 से) लोप किया गया ।
[2] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 5 द्वारा (1-4-1997 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 7 द्वारा (1-10-1991 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2017 के अधिनयम सं० 7 की धारा 9 द्वारा (1-4-2018 से) अंत:स्थापित ।
[6] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा (1-4-2006 से) प्रतिस्थापित ।
[7] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 9 द्वारा, 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित खंड (ग) का लोप किया गया ।
[8] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][**12कक. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया**—(1) [2]*** आयुक्त, धारा 12क के खंड (क) [3][या उपधारा (1) का खंड (कक)] [4][या खंड (कख)] के अधीन बनाए गए किसी न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर,—

(क) न्यास या संस्था से ऐसे दस्तावेज या जानकारी मंगा सकेगा, जो वह न्यास या संस्था के क्रियाकलापों की असलियत के बारे में अपना समाधान करने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी जांच भी कर सकेगा जो वह इस निमित्त आवश्यक समझे; और

(ख) न्यास या संस्था के उद्देश्यों और उसके क्रियाकलापों की असलियत के बारे में अपना समाधान कर लेने के पश्चात् :—

(i) वह न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण करते हुए लिखित रूप में आदेश पारित करेगा;

(ii) यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो, वह न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करते हुए लिखित रूप में आदेश पारित करेगा,

और ऐसे आदेश की प्रति आवेदक को भेजी जाएगी :

परंतु उपखंड (ii) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

[5][(1क) मुख्य आयुक्त के समक्ष लंबित ऐसे सभी आवेदन, जिन पर 1 जून, 1999 के पूर्व उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, उसी दिन आयुक्त को अंतरित हो जाएंगे और आयुक्त उस उपधारा के अधीन ऐसे आवेदनों पर ऐसे प्रक्रम से आगे कार्यवाही कर सकेगा जिस पर वे उस दिन थे ।]

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने वाला या इन्कार करने वाला प्रत्येक आदेश उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन धारा 12क के खंड (क) [6][या उपधारा (1) के खंड (कक)] [4][या खंड (कख)] के अधीन प्राप्त हुआ था, छह मास की समाप्ति के पूर्व पारित किया जाएगा ।]

[7][(3) जहां किसी न्यास या किसी संस्था को उपधारा (1) [6][या धारा 12क [जैसी वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 (1996 का 33) द्वारा उसके संशोधन से पूर्व विद्यमान थी] के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है] के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है और तत्पश्चात् आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, उस न्यास या संस्था के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं तो वह ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने वाला आदेश लिखित में पारित करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे न्यास या संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।]

[8][(4) उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी न्यास या किसी संस्था को उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है या उसने धारा 12क [जैसी वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 (1996 का 33) द्वारा उसके संशोधन के पूर्व विद्यमान थी] के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और तत्पश्चात् यह अपेक्षा की जाती है कि न्यास या संस्था के क्रियाकलाप ऐसी रीति में किए जा रहे हैं कि धारा 11 और धारा 12 के उपबंध, धारा 13 की उपधारा (1) के प्रवर्तन के कारण ऐसे न्यास या संस्था की संपूर्ण आय या उसके किसी भाग को अपवर्जित करने के लिए लागू नहीं होते हैं, वहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त उस न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को लिखित आदेश द्वारा रद्द कर सकेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण उस दशा में रद्द नहीं किया जाएगा यदि न्यास या संस्था यह साबित कर देती है कि क्रियाकलापों को उक्त रीति से किए जाने का युक्तियुक्त कारण था ।]

[9][**13. कतिपय दशाओं में धारा 11 का लागू न होना**—(1) [10][धारा 11 या धारा 12 में अन्तर्विष्ट किसी बात का] इस प्रकार से प्रभाव नहीं होगा जिससे उस व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय में से, जो उसे प्राप्त करता है, निम्नलिखित अपवर्जित हो जाए :—

(क) प्राइवेट धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति से होने वाली आय का कोई भाग जो सार्वजनिक फायदे के लिए प्रवृत्त नहीं होता है;

(ख) पूर्त प्रयोजनों के लिए किसी न्यास की या किसी पूर्त संस्था की दशा में, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् सृष्ट किया गया या स्थापित की गई है, उसकी कोई आय यदि वह न्यास या संस्था किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय या जाति के फायदे के लिए सृष्ट किया गया या स्थापित की गई है;

---

[1] 1996 के अधिनियम सं० 23 की धारा 6 द्वारा (1-4-1997 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 8 द्वारा (1-6-1999 से) लोप किया गया ।
[3] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2017 के अधिनयम सं० 7 की धारा 10 द्वारा (1-4-2018 से) अंत:स्थापित ।
[5] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 9 द्वारा (1-6-1999 से) अंत:स्थापित ।
[6] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 7 द्वारा (1-6-2010 से) अंत:स्थापित ।
[7] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 1970 के अधिनियम सं० 19 की धारा 6 द्वारा (1-4-1971 से) विद्यमान धारा 13 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[10] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 7 द्वारा (1-4-1973 से) "धारा 11 की कोई बात" शब्दों और अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1]* * * *

(ग) पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास या पूर्त धार्मिक संस्था की दशा में, उसकी कोई आय—

(i) यदि वह न्यास या संस्था इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् सृष्ट किया गया या स्थापित की गई है और न्यास के निबन्धनों अथवा संस्था को शासित करने वाले नियमों के अधीन ऐसी आय के किसी भाग का प्रवर्तन; या

(ii) यदि ऐसी आय के किसी भाग या न्यास या संस्था की (वह चाहे जब सृष्ट किया गया या स्थापित की गई हो),

किसी सम्पत्ति का पूर्ववर्ष के दौरान उपयोजन या प्रयोग, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए होता है जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व सृष्ट या स्थापित न्यास या संस्था की दशा में उपखण्ड (ii) के उपबन्ध ऐसी आय के किसी भाग या न्यास या संस्था की किसी सम्पत्ति के उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के फायदे के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोजन या प्रयोग को लागू नहीं होंगे, यदि ऐसा उपयोजन या प्रयोग न्यास के आज्ञापक निबंधक या संस्था को शासित करने वाले आज्ञापक नियम के अनुपालन के रूप में हो :

परन्तु यह और कि धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास, धार्मिक संस्था की दशा में, वह चाहे जब सृष्ट किया गया या स्थापित की गई हो) या इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व सृष्ट या स्थापित पूर्त प्रयोजनों के लिए न्यास या पूर्त संस्था की दशा में उपखंड (ii) के उपबंध ऐसी आय के किसी भाग या न्यास या संस्था को किसी संपत्ति के उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के फायदे के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोजन या प्रयोग को वहां तक लागू नहीं होंगे जहां तक ऐसा उपयोजन या प्रयोग 1970 के जून के प्रथम दिन से पहले की किसी कालावधि के सम्बन्ध में हो;

[2][(घ) पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास अथवा पूर्त या धार्मिक संस्था की दशा में, उसकी कोई आय, यदि पूर्ववर्ष के दौरान किसी कालावधि में—

(i) न्यास या संस्था की निधियां 1983 के फरवरी के अट्ठाइसवें दिन के पश्चात् धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट स्वरूप या पद्धतियों से भिन्न किसी स्वरूप या पद्धति में विनिहित या निक्षिप्त की जाती है; या

(ii) न्यास या संस्था की निधियां 1983 के मार्च के प्रथम दिन के पहले धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट स्वरूप या पद्धतियों से भिन्न किसी स्वरूप या पद्धति में विनिहित या निक्षिप्त की जाती है और 1983 के नवम्बर के तीसवें दिन के पश्चात् इस प्रकार विनिहित या निक्षिप्त बनी रहती है; या

[3][(iii) (अ) पब्लिक सेक्टर कंपनी में शेयरों,

(आ) धारा 11 की उपधारा (5) के खंड (xii) के अधीन विनिधान के रूप या ढंग के विहित शेयरों,

से भिन्न किसी कंपनी में कोई शेयर, जो न्यास या संस्था द्वारा 30 नवम्बर, 1983 के पश्चात् धारित है :]

परन्तु इस खंड की कोई बात निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होगी :—

(i) किसी न्यास या संस्था द्वारा धारित कोई आस्तियां, जहां ऐसी आस्तियां, 1 जून, 1973 को न्यास या संस्था की संपत्ति का भाग है [4]***

[5][(iक) न्यास या संस्था को आबंटित बोनस शेयरों के रूप में ऐसे शेयरों की कोई अनुवृद्धि, जो खंड (i) में उल्लिखित संपत्ति का भाग हैं;]

(ii) न्यास या संस्था द्वारा 1 मार्च, 1983 के पहले अर्जित कोई आस्तियां (जो किसी कंपनी या निगम द्वारा या उसकी ओर से पुरोधृत डिबेंचर है);

[6][(iiक) कोई आस्ति, जो धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी स्वरूप या पद्धति का विनिधान या निक्षेप नहीं है, जहां ऐसी आस्ति, किसी न्यास या संस्था द्वारा, उस पूर्ववर्ष के अंत से, जिसमें ऐसी आस्ति अर्जित की जाती है या 31

---

[1] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 7 द्वारा (1-4-1984 से) लोप किया गया।

[2] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 7 द्वारा (1-4-1983 से) प्रतिस्थापित। प्रारम्भ में 1975 के अधिनियम सं० 41 द्वारा (1-4-1977 से) उसको अन्तःस्थापित किया गया था और तत्पश्चात् 1982 के अधिनियम सं० 14 द्वारा (1-4-1982 से) इसका संशोधन किया गया था। प्रतिस्थापन से पहले उसका स्वरूप निम्न प्रकार था—

"(घ) खण्ड (खख) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह है कि पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास अथवा पूर्त या धार्मिक संस्था की दशा में, यदि उस न्यास या संस्था की कोई निधियां (1981 के अप्रैल के प्रथम दिन) को या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ष के दौरान किसी अवधि के लिए उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी स्वरूप या पद्धति से भिन्न रूप में विनिहित या निक्षिप्त की जाती है अथवा विनिहित या निक्षिप्त बनी रहती है तो (1982 के अप्रैल के प्रथम दिन) को या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय उसकी आय।

[3] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 5 द्वारा (1-4-1983 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

[5] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 5 द्वारा (1-4-1983 से) अन्तःस्थापित।

[6] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 8 द्वारा (1-4-1983 से) अंतःस्थापित।

मार्च, [1][1993] से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, एक वर्ष के अवसान के पश्चात्, धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट स्वरूप या पद्धतियों से भिन्न किसी स्वरूप या पद्धति से धारित नहीं की जाती है;]

(iii) कारबार के लाभ और अभिलाभ के रूप में कोई निधियां, जो 1 अप्रैल, 1984 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लाभ और अभिलाभ हैं ।

स्पष्टीकरण—जहां न्यास या संस्था के कारबार के लाभ और अभिलाभ के अतिरिक्त कोई अन्य आय है वहां इस परन्तुक के खंड (iii) के उपबंध तब तक लागू नहीं होंगे जब तक न्यास या संस्था ऐसे कारबार की बाबत पृथक् लेखाबहियां नहीं रखती है ।]

[2][**स्पष्टीकरण**—खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए यह अवधारित करने में कि क्या किसी न्यास या संस्था की आय का कोई भाग या सम्पत्ति पूर्ववर्ष के दौरान, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के फायदे के लिए प्रयोग में लाया गया है या उपयोजित किया गया है, जहां तक ऐसा प्रयोग या उपयोजन 1972 की जुलाई के प्रथम दिन के पूर्व की किसी कालावधि के सम्बन्ध में है, वित्त अधिनियम, 1972 की [धारा 7 के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) से भिन्न] धारा 7 द्वारा इस धारा में किए गए संशोधनों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।]

(2) उपधारा (1) के [3][खंड (ग) और खंड (घ) के] उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना; न्यास या संस्था की आय या सम्पत्ति अथवा ऐसी आय या सम्पत्ति का कोई भाग उस खण्ड के प्रयोजनों के लिए उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति के फायदे के लिए उपयोजित या प्रयुक्त समझा जाएगा :—

(क) यदि न्यास या संस्था की आय या सम्पत्ति का कोई भाग पूर्ववर्ष के दौरान किसी कालावधि के लिए, पर्याप्त प्रतिभूति के बिना, या पर्याप्त ब्याज के बिना, या दोनों के बिना, उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति को उधार दिया जाता है या उसके पास उधार बना रहता है;

(ख) यदि न्यास या संस्था की कोई भूमि, भवन या अन्य सम्पत्ति पूर्ववर्ष के दौरान किसी कालावधि के लिए, पर्याप्त भाटक या अन्य प्रतिकर प्रभारित किए गए बिना, उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए उपलभ्य की जाती है या बनी रहती है;

(ग) यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति द्वारा की गई ऐसे न्यास या संस्था की सेवाओं के लिए वेतन, भत्ते या अन्य रूप में कोई रकम न्यास या संस्था के साधनों में से पूर्ववर्ष से संदत्त की जाती है और इस प्रकार संदत्त रकम उससे अधिक है जो ऐसी सेवाओं के लिए युक्तियुक्त रूप में संदत्त की जा सकती है;

(घ) यदि न्यास या संस्था की सेवाएं उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को, पर्याप्त पारिश्रमिक या अन्य प्रतिकर के बिना, पूर्ववर्ष के दौरान उपलभ्य की जाती है;

(ङ) यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति, पर्याप्त से अधिक प्रतिफल के लिए, न्यास या संस्था द्वारा या उसकी ओर से पूर्ववर्ष के दौरान खरीदी जाती है;

(च) यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति पर्याप्त से कम प्रतिफल के लिए न्यास या संस्था द्वारा या उसकी ओर से पूर्ववर्ष के दौरान बेची जाती है;

[4][(छ) यदि न्यास या संस्था की कोई आय या संपत्ति उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के पद में पूर्ववर्ष के दौरान अपयोजित की जाती है;

परन्तु यह खण्ड उस दशा में लागू नहीं होगा जहां इस प्रकार अपयोजित आय या, यथास्थिति, सम्पत्ति का मूल्य या सम्पत्ति की आय और मूल्य का योग एक हजार रुपए से अधिक नहीं है;]

(ज) यदि न्यास या संस्था की कोई निधियां पूर्ववर्ष के दौरान किसी कालावधि के लिए (जो कालावधि 1971 की जनवरी के प्रथम दिन से पूर्व की न होगी) किसी ऐसे समुत्थान में विनिहित की जाती है या बनी रहती है जिसमें उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति सारवान् हित रखता हो ।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(क) न्यास या निर्माता या संस्था का संप्रवर्तक;

[5][(ख) कोई व्यक्ति जिसने उस न्यास या संस्था में पर्याप्त अभिदाय किया है, अर्थात् कोई व्यक्ति जिसका सुसंगत

---

[1] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 5 द्वारा (1-4-1992 से) "1992" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 7 द्वारा (1-4-1973 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 7 द्वारा (1-4-1983 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 7 द्वारा (1-4-1973 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 5 द्वारा (1-4-1977 से) प्रतिस्थापित ।

पूर्ववर्ष के अन्त तक कुल अभिदाय [1][पचास हजार रुपए] से अधिक है;]]

(ग) जहां ऐसा निर्माता, संप्रवर्तक या व्यक्ति हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है वहां उस कुटुम्ब का कोई सदस्य;

[2][(गग) न्यास का न्यासी या संस्था का प्रबन्धक (चाहे जिस नाम से सम्बोधित हो);]

(घ) यथापूर्वोक्त किसी निर्माता, संप्रवर्तक, व्यक्ति, [3][सदस्य, न्यासी या प्रबन्धक] का कोई नातेदार;

(ङ) कोई समुत्थान जिसमें खण्ड (क), (ख), [4][(ग), (गग),] (घ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई सारवान् हित रखता है ।

(4) उपधारा (1) के खण्ड (ग) में किसी बात के होते हुए भी, [5][किन्तु इस उपधारा के खंड (घ) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी ऐसे समुत्थान] में, जिसमें उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति सारवान् हित रखता हो विनिहित न्यास या संस्था की निधियों का योग उस समुत्थान की पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक न हो, वहां किसी ऐसी आय के संबंध में, जो उस आय से भिन्न हो जो न्यास या संस्था को ऐसे विनिधान से उद्भूत हो, [6][धारा 11 या धारा 12] के अधीन छूट से केवल इस कारण इन्कार नहीं किया जाएगा कि [7][न्यास या संस्था की निधियों] ऐसे समुत्थान में विनिहित की गई जिसमें ऐसा व्यक्ति सारवान् हित रखता है ।

[8][(5) उपधारा (1) के खंड (घ) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई आस्तियां (जो किसी कंपनी या निगम द्वारा या उसकी ओर से पुरोधृत डिबेंचर हैं) किसी न्यास या संस्था द्वारा 28 फरवरी, 1983 के पश्चात् किंतु 25 जुलाई, 1991 के पूर्व अर्जित की जाती हैं वहां न्यास या संस्था को ऐसी आस्तियों से उद्भूत आय से भिन्न किसी आय के संबंध में धारा 11 या धारा 12 के अधीन छूट से केवल इस कारण इंकार नहीं किया जाएगा कि न्यास या संस्था की निधियां, ऐसी आस्ति में विनिहित की गई हैं यदि ऐसी निधियां ऐसी आस्तियों में 31 मार्च, 1992 के पश्चात् इस प्रकार विनिहित नहीं बनी रहती हैं ।]

[9][(6) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 12 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई शैक्षिक संस्था या चिकित्सीय संस्था या अस्पताल चलाने वाले किसी पूर्त या धार्मिक न्यास की दशा में, धारा 11 या धारा 12 के अधीन छूट से, धारा 12 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आय से भिन्न किसी आय के संबंध में, केवल इस कारण से इंकार नहीं किया जाएगा कि ऐसे न्यास ने उपधारा (3) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (गग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को शैक्षिक या चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं ।]

[10][(7) धारा 11 या धारा 12 में अंतर्विष्ट किसी बात का इस प्रकार से प्रभाव नहीं होगा, जिससे कि धारा 115खखग में निर्दिष्ट किसी अनाम संदान को, जिस पर कर उस धारा के उपबंधों के अनुसार संदेय है, उसके प्राप्तकर्ता व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय से अपवर्जित किया जा सके ।]

[11][(8) धारा 11 या धारा 12 में अंतर्विष्ट किसी बात का इस प्रकार से प्रभाव नहीं होगा जिससे ऐसे व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय में से ऐसी कोई आय, जो उसने प्राप्त की है, अपवर्जित हो जाए, यदि धारा 2 के खंड (15) के पहले परंतुक के उपबंध उक्त पूर्ववर्ष में उस व्यक्ति के मामले में लागू हो जाते हैं ।]

[12][(9) धारा 11 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात का इस प्रकार का प्रभाव नहीं होगा जिससे कोई आय उस व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय में से, जो उसने प्राप्त की है, अपवर्जित हो जाए, यदि,—

(i) ऐसी आय की बाबत उक्त उपधारा के खंड (क) में निर्दिष्ट विवरण, पूर्ववर्ष की आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उसके पूर्व नहीं दे दिया जाता है;

(ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा पूर्ववर्ष की आय की विवरणी, उक्त पूर्ववर्ष की आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उसके पूर्व नहीं दे दी जाती है ।]

[13][**स्पष्टीकरण 1**—धारा 11, 12, 12क और इस धारा के प्रयोजनों के लिए "न्यास" के अन्तर्गत कोई अन्य विधिक बाध्यता भी है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यष्टि के सम्बन्ध में "नातेदार" से, अभिप्रेत है—

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 9 द्वारा (1-4-1995 से) "पच्चीस हजार रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 7 द्वारा (1-4-1973 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 7 द्वारा (1-4-1973 से) "या सदस्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 7 द्वारा (1-4-1973 से) "(ग)" कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 7 द्वारा (1-4-1983 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 7 द्वारा (1-4-1973 से) प्रतिस्थापित ।
[7] 1971 के अधिनियम सं० 32 की धारा 6 द्वारा (1-4-1971 से) "न्यास संस्था का धन" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 7 द्वारा (1-4-1983 से) उपधारा (5) का लोप किया गया, तत्पश्चात् 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 8 द्वारा (1-4-1983 से) अंत:स्थापित ।
[9] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 10 द्वारा (1-4-2001 से) अंत:स्थापित ।
[10] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 6 द्वारा (1-4-2007 से) अंत:स्थापित ।
[11] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 6 द्वारा (1-4-2009 से) अंत:स्थापित ।
[12] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 9 द्वारा (1-4-2016 से) अंत:स्थापित ।
[13] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 7 द्वारा (1-4-1973 से) प्रतिस्थापित ।

(i) उस व्यष्टि का पति या पत्नी;

(ii) उस व्यष्टि का भाई या बहिन;

(iii) उस व्यष्टि के पति या पत्नी का भाई या बहिन;

(iv) उस व्यष्टि का पारम्परिक पूर्व पुरुष या वंशज;

(v) उस व्यष्टि के पति या पत्नी का पारस्परिक पूर्व पुरुष या वंशज;

(vi) उपखण्ड (ii), उपखंड (iii), उपखण्ड (iv) या उपखण्ड (v) में निर्दिष्ट व्यष्टि का पति या पत्नी;

(vii) उस व्यष्टि के या उस व्यष्टि के पति या पत्नी के भाई या बहिन का पारम्परिक वंशज ।]

स्पष्टीकरण 2—किसी ऐसे न्यास या संस्था के बारे में जो अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अनूसूचित जनजातियों, या स्त्रियों और बच्चों के फायदे के लिए सृष्ट किया गया या स्थापित की गई हो, यह नहीं समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अर्थ में धार्मिक समुदाय या जाति के फायदे के लिए सृष्ट या स्थापित न्यास या संस्था है ।

स्पष्टीकरण 3—इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह समुत्थान में सारवान् हित रखता है यदि,—

(i) उस दशा में जब समुत्थान कम्पनी हो, बीस प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति रखने वाले उसके शेयर (जो लाभों में भाग लेने के अतिरिक्त अधिकार के सहित या उससे रहित होते हुए लाभांश की नियत दर के हकदार शेयर न हों) पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय उस व्यक्ति द्वारा अथवा भागत: उस व्यक्ति द्वारा और भागत: उपधारा (3) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों में से एक या अधिक द्वारा, फायदाप्रद रूप में धारित हों;

(ii) किसी अन्य समुत्थान की दशा में, वह व्यक्ति, अथवा वह व्यक्ति और उपधारा (3) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों में से एक या अधिक परस्पर मिलकर, पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय ऐसे समुत्थान के लाभों के बीस प्रतिशत से अन्यून का या के फायदाप्रद रूप से हकदार हो या हों ।]

[1][**13क. राजनैतिक दलों की आय के सम्बन्ध में विशेष उपबंध**—किसी राजनैतिक दल की ऐसी आय को जो [2]*** "गृह सम्पत्ति से आय" या "अन्य स्रोतों से आय" [3][या "पूंजी अभिलाभ"] शीर्ष के अधीन प्रभार्य है या किसी व्यक्ति से किसी राजनैतिक दल द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक अभिदायों के रूप में आय को ऐसे राजनैतिक दल की पूर्ववर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह तब जबकि—

(क) ऐसा राजनैतिक दल ऐसी लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजें रखता है और बनाए रखता है जिनसे [4][निर्धारण अधिकारी] उनसे होने वाली उसकी आय को उचित रूप से अवकलित कर सके;

(ख) [5][निर्वाचन बंधपत्र द्वारा अभिदाय से भिन्न] प्रत्येक ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय की बाबत जो [6][बीस हजार रुपए] से अधिक है, ऐसा राजनैतिक दल ऐसे अभिदाय का और ऐसा अभिदाय करने वाले व्यक्ति के नाम और पते का अभिलेख रखता है और बनाए रखता है; [7]***

(ग) ऐसे राजनैतिक दल के लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित किए जाते हैं : [5][और]

[5][(घ) ऐसे राजनैतिक दल द्वारा किसी बैंक में आहरित पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रानिक निकासी पद्धति के उपयोग या निर्वाचन-बंधपत्र के माध्यम से भिन्न रूप में दो हजार रुपए से अधिक का दान प्राप्त नहीं किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए—"निर्वाचन-बधंपत्र" से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 31 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट है :]

[8][परन्तु यह और कि यदि ऐसे राजनैतिक दल का कोषाध्यक्ष या उस राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो इस धारा के अधीन उस राजनैतिक दल को ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी :]

[5][परन्तु यह भी ऐसा राजनैतिक दल, धारा 139 की उपधारा (4ख) के उपबंधों के अनुसार उस धारा के अधीन नियत तारीख को या उसके पूर्व, पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करे ।]

---

[1] 1978 के अधिनियम सं० 29 की धारा 2 द्वारा (1-4-1979 से) अन्त:स्थापित ।

[2] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 7 द्वारा (1-4-1979 से) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" शब्दों का लोप किया गया ।

[3] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 12 द्वारा (1-4-1979 से) अंत:स्थापित ।

[4] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[5] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 11 द्वारा अंत:स्थापित ।

[6] 2003 के अधिनियम सं० 46 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[7] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 11 द्वारा लोप ।

[8] 2003 के अधिनियम सं० 46 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "राजनैतिक दल" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल अभिप्रेत है ।]

[2][**13ख. निर्वाचन न्यास द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक अभिदायों से संबंधित विशेष उपबंध**—किसी निर्वाचन न्यास द्वारा प्राप्त किन्हीं स्वैच्छिक अभिदायों को ऐसे निर्वाचन न्यास की पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यदि—

(क) ऐसा निर्वाचन न्यास लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के अधीन रजिस्टीकृत किसी राजनैतिक दल को उक्त पूर्ववर्ष के दौरान उसे प्राप्त सकल संदानों के पचानवें प्रतिशत को किसी पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रनीत अधिशेषों, यदि कोई हों, के साथ उक्त पूर्ववर्ष के दौरान संवितरित करता है;

(ख) ऐसा निर्वाचन न्यास केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है ।]

अध्याय 4

कुल आय की संगणना

आय के शीर्ष

14. आय के शीर्ष—इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय सब आय, आय-कर के प्रभार और कुल आय की संगणना के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित आय के शीर्षों के अधीन वर्गीकृत की जाएगी—

(क) वेतन

[3]***

(ग) गृह सम्पत्ति से आय,

(घ) कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ,

(ङ) पूंजी अभिलाभ,

(च) अन्य स्रोतों से आय ।

[4][**14क. कुल आय में सम्मिलित न किए जाने योग्य आय के संबंध में उपगत व्यय**—[5][(1)] इस अध्याय के अधीन कुल आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसी आय के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है, निर्धारिती द्वारा उपगत व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

[6][(2) निर्धारण अधिकारी, ऐसी आय के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है, उपगत व्यय की रकम को, ऐसी पद्धति के अनुसार जो विहित की जाए, अवधारित करेगा, यदि निर्धारण अधिकारी का, निर्धारिती के लेखाओं को ध्यान में रखते हुए, ऐसी आय के, जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है, संबंध में व्यय के बारे में निर्धारिती के दावे की शुद्धता का समाधान नहीं होता है ।

(3) उपधारा (2) के उपबंध, उस मामले के संबंध में भी लागू होंगे, जहां कोई निर्धारिती यह दावा करता है कि उस आय के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है, उसके द्वारा कोई व्यय उपगत नहीं किया गया है :]

[7][परंतु इस धारा की कोई बात 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी को या तो धारा 147 के अधीन पुन:निर्धारण करने या धारा 154 के अधीन निर्धारण में वृद्धि करने या पहले से किए गए प्रतिदाय में कमी करने या निर्धारिती के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करने का आदेश पारित करने के लिए सशक्त नहीं करेगी ।]

(क) वेतन

15. वेतन—निम्नलिखित आय "वेतन" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगी—

(क) पूर्ववर्ष में किसी निर्धारिती को नियोजक या भूतपूर्व नियोजक से देय कोई वेतन, चाहे संदत्त हो या न हो;

(ख) नियोजक या भूतपूर्व नियोजक द्वारा या, उसकी ओर से पूर्ववर्ष में उसे देय न होते हुए भी या उसे देय होने से पूर्व, संदत्त या अनुज्ञात कोई वेतन,

(ग) नियोजक या भूतपूर्व नियोजक द्वारा या उसकी ओर से पूर्ववर्षों में उसे संदत्त या अनुज्ञात वेतन की बकाया यदि किसी पूर्वतर पूर्ववर्ष में आय-कर से प्रभारित न हुई हो ।

---

[1] 2003 के अधिनियम सं० 46 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 8 द्वारा (1-4-1989 से) खण्ड (ख) का लोप किया गया ।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 11 द्वारा (1-4-1962 से) अंत:स्थापित ।
[5] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 7 द्वारा (1-4-2007 से) पुन:संख्यांकित ।
[6] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 7 द्वारा (1-4-2007 से) अंत:स्थापित ।
[7] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 10 द्वारा (11-5-2001 से) अंत:स्थापित ।

स्पष्टीकरण—[1][(1)] शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जहां अग्रिम रूप से संदत्त वेतन किसी पूर्ववर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किया जाता है वहां उसे वेतन के देय हो जाने पर उस व्यक्ति की कुल आय में पुन: सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

[2][**स्पष्टीकरण 2**—किसी फर्म के भागीदार को उस फर्म से देय या प्राप्त कोई वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, में से चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "वेतन" नहीं समझा जाएगा ।]

16. वेतन कटौतियां—"वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना निम्नलिखित कटौतियां करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात् :—

[3]* * * * *

[4][(ii) ऐसे निर्धारिती को, जो सरकार से वेतन प्राप्त करता है, नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अनुदत्त सत्कार भत्ते के प्रकार के किसी भत्ते के संबंध में उसके वेतन के (किसी भत्ते, फायदे या अन्य परिलब्धि को छोड़कर) पंचमांश के बराबर राशि या पांच हजार रुपए की राशि की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती;]

[5]* * * * *

[6][(iii) निर्धारिती द्वारा संविधान के अनुच्छेद 276 के खंड (2) के अर्थ में नियोजन पर कर मद्धे, जो किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उद्ग्रहणीय है, संदत्त किसी राशि की कटौती ।]

17. "वेतन", "परिलब्धि" और "वेतन के बदले में लाभ" की परिभाषा—धारा 15 और 16 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(1) "वेतन" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है—

(i) मजदूरी;

(ii) कोई वार्षिकी या पेंशन;

(iii) कोई उपदान;

(iv) किसी वेतन या मजदूरी के बदले में या उसके अतिरिक्त कोई फीसें, कमीशन, परिलब्धियां या लाभ;

(v) वेतन का कोई अग्रिम संदाय;

[7][(vक) किसी कर्मचारी द्वारा ऐसी किसी छुट्टी की अवधि की बाबत जिसका उसने उपभोग नहीं किया है, प्राप्त कोई संदाय;]

(vi) किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी के जमा अतिशेष में हुई वार्षिक अनुवृद्धि उस परिमाण तक जिस तक कि वह चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 6 के अधीन कर से प्रभार्य है; और

(vii) उन सब राशियों का योग जो किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी के ऐसे अन्तरित अतिशेष में समाविष्ट है जैसा चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 11 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट है, उस परिमाण तक जिस तक यह उस के उपनियम (4) के अधीन कर से प्रभार्य है;

[8][(viii) पूर्ववर्ष में [9][केंद्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक] द्वारा, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट किसी पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में किया गया अभिदाय ।]

(2) "परिलब्धि" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है—

(i) निर्धारिती को उसके नियोजक द्वारा प्रदान की गई किराया मुक्त वास-सुविधा का मूल्य;

(ii) निर्धारिती को उसके नियोजक द्वारा प्रदत्त किसी वास-सुविधा की बाबत किराया विषयक किसी रियायत का मूल्य ।

[10][**स्पष्टीकरण 1**—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, किराया विषयक रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी, यदि,—

---

[1] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 6 द्वारा (1-4-1993 से) पुन:संख्यांकित ।
[2] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 6 द्वारा (1-4-1993 से) अंत:स्थापित ।
[3] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 6 द्वारा (1-4-2006 से) लोप किया गया ।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 12 द्वारा (1-4-2002 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 1974 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (1-4-1975 से) उपखण्ड (iii), (iv) और (v) का लोप किया गया ।
[6] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 5 द्वारा (1-4-1990 से) अन्त:स्थापित ।
[7] 1984 के अधिनियम सं० 67 की धारा 7 द्वारा (1-4-1978 से) अन्त:स्थापित ।
[8] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[10] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 11 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(क) ऐसे मामले में, जिसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा असुसज्जित आवास दिया जाता है और—

(i) आवास नियोजक के स्वामित्वाधीन है, वहां उस अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, विनिर्दिष्ट दर पर अवधारित आवास का मूल्य निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है;

(ii) आवास नियोजक द्वारा पट्टे पर या किराए पर लिया जाता है, वहां आवास का मूल्य, जो उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय पट्टे के किराए की वास्तविक रकम है या वेतन का पंद्रह प्रतिशत है, इनमें से जो भी कम हो, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है;]

(ख) ऐसे मामले में, जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सुसज्जित आवास दिया जाता है, वहां उस आवास की बाबत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, ऐसी सरकार द्वारा विरचित नियमों के अनुसार अवधारित अनुज्ञप्ति फीस, जो उस अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, फर्नीचर और फिक्सचरों का मूल्य जोड़कर निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए और निर्धारिती द्वारा फर्नीचर या फिक्सचरों के लिए संदत्त या संदेय प्रभारों के योग से अधिक है;

(ग) ऐसे मामले में, जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा सुसज्जित आवास दिया जाता है, और—

(i) आवास नियोजक के स्वामित्वाधीन में है और खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन अवधारित आवास का मूल्य फर्नीचरों और फिक्सचरों के मूल्य को जोड़कर उस अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है;

(ii) नियोजक द्वारा आवास पट्टे या किराए पर लिया जाता है, वहां ऐसी अवधि की बाबत, खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन अवधारित आवास का मूल्य फर्नीचरों और फिक्सचरों के मूल्य को जोड़कर उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है;

(घ) ऐसे मामले में, जहां आवास नियोजक द्वारा किसी होटल में दिया जाता है (सिवाय वहां के जहां निर्धारिती को ऐसा आवास उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण पर कुल पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि के लिए दिया जाता है), वहां पूर्ववर्ष के लिए संदत्त या संदेय वेतन के चौबीस प्रतिशत की दर पर अवधारित आवास का मूल्य या ऐसे होटल को संदत्त या संदेय वास्तविक प्रभार, इनमें से जो भी कम हो, उस अवधि के लिए, जिसके दौरान आवास दिया जाता है, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है ।

स्पष्टीकरण 2—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, फर्नीचर और फिक्सचर का मूल्य उक्त फर्नीचर की (जिसके अंतर्गत टेलीविजन सेट, रेडियो सेट, रेफ्रीजरेटर या अन्य घरेलू साधन, वातानुकूलन संयंत्र या उपस्कर या इसी प्रकार के अन्य साधन या जुगत हैं) या यदि ऐसा फर्नीचर किसी तीसरे पक्षकार से किराए पर लिया जाता है तो उसके लिए संदेय वास्तविक किराए के प्रभारों में से पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा उसके लिए संदत्त या संदेय कोई प्रभार घटाकर आई लागत का दस प्रतिशत वार्षिक होगा ।

स्पष्टीकरण 3—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "वेतन" के अंतर्गत, यथास्थिति, एक या अधिक नियोजकों से मासिक रूप से या अन्यथा संदेय वेतन, भत्ते, बोनस या कमीशन या कोई धनीय संदाय, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, भी हैं, किन्तु उसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं, अर्थात् :—

(क) महंगाई भत्ता या महंगाई वेतन, जब तक कि वह संबद्ध कर्मचारी की अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति फायदों की संगणना करने में हिसाब में नहीं लिया जाता हो;

(ख) कर्मचारी के भविष्य-निधि खाते में नियोजक का अभिदाय;

(ग) ऐसे भत्ते, जो कर के संदाय से छूट प्राप्त हैं;

---

[1] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 11 द्वारा (1-4-2006 से) प्रतिस्थापित ।

(घ) इस खंड में विनिर्दिष्ट परिलब्धियों का मूल्य;

(ङ) इस खंड के परंतुक के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से अपवर्जित किया गया कोई संदाय या व्यय ।]

[1][**स्पष्टीकरण 4**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट दर",—

(i) ऐसे शहरों में, जिनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार पच्चीस लाख से अधिक है, वेतन का पंद्रह प्रतिशत होगी;

(ii) ऐसे शहरों में, जिनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार दस लाख से अधिक है, किन्तु पच्चीस लाख से अधिक नहीं है, वेतन का दस प्रतिशत होगी; और

(iii) किसी अन्य स्थान में वेतन का साढ़े सात प्रतिशत होगी;]

(iii) निम्नलिखित दशाओं में से किसी मुक्त या रियायती दर पर अनुदत्त या प्रदत्त फायदे या सुख-सुविधा का मूल्य :—

(क) किसी कम्पनी द्वारा ऐसे कर्मचारी को जो उसका निदेशक है,

(ख) किसी कम्पनी द्वारा किसी कर्मचारी को जो ऐसा व्यक्ति है जिसका कम्पनी में पर्याप्त हित है,

(ग) किसी नियोजक द्वारा (जिसके अन्तर्गत कम्पनी भी है) किसी कर्मचारी की, जिसे इस उपखण्ड के पैरा (क) तथा (ख) के उपबन्ध लागू नहीं होते हैं और "वेतन" शीर्ष के अधीन [2]["वेतन" शीर्ष के अधीन जिसकी आय (चाहे एक या अधिक नियोजक से देय या उनके द्वारा संदत्त या अनुज्ञात है) उन सभी भी फायदों या सुख सुविधाओं के, जिन्हें धन के रूप में नहीं दिया गया है, मूल्य को छोड़कर [3][पचास हजार रुपए] से अधिक है ।]

[4]* * * * *

[5][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी कम्पनी या नियोजक द्वारा निर्धारिती को उसके निवास से उसके कार्यालय या कार्य के अन्य स्थान को अथवा ऐसे कार्यालय या स्थान से उसके निवास को यात्रा करने के लिए दिए गए यान का उपयोग, इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए उसे मुफ्त या रियायती दर पर अनुदत्त या प्रदत्त फायदा या सुख-सुविधा नहीं समझा जाएगा ।]

[6]* * * * *

(iv) कोई ऐसी राशि जो किसी बाध्यता की बाबत नियोजक द्वारा संदत्त की गई हो [7][और] यदि ऐसा संदाय न किया जाता तो निर्धारिती द्वारा संदेय होती;

(v) कोई ऐसी राशि जो निर्धारिती के जीवन के बीमा के लिए या वार्षिकी के संविदा के लिए चाहे सीधे ही अथवा किसी ऐसी निधि से जो मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि से भिन्न है, नियोजक द्वारा संदेय हो [8][या, यथास्थिति, कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3छ के अधीन या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6ग के अधीन स्थापित निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि;] [9]***

[10][(vi) नियोजक या पूर्व नियोजक द्वारा निर्धारिती को नि:शुल्क या रियायती दर पर, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित या अंतरित किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयरों का मूल्य ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

---

[1] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 11 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 11 द्वारा लोप किया गया ।
[5] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 6 द्वारा (1-4-1990 से) अन्त:स्थापित ।
[6] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित खंड (iiiक) का 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 11 द्वारा (1-4-2001 से) लोप किया गया ।
[7] 1984 के अधिनियम सं० 67 की धारा 7 द्वारा (1-4-1985 से) "और" शब्द का लोप किया गया परन्तु 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 6 द्वारा (1-4-1985 से) इस "और" शब्द को फिर अन्त:स्थापित किया गया ।
[8] 1976 के अधिनियम सं० 99 की धारा 40 द्वारा (1-8-1976 से) अन्त:स्थापित ।
[9] 1984 के अधिनियम सं० 67 की धारा 7 द्वारा (1-4-1985 से) शब्द "और", उपखण्ड (vi) अंत:स्थापित किया गया परन्तु 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 6 द्वारा (1-4-1985 से ही) इनका लोप कर दिया गया ।
[10] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) "विनिर्दिष्ट प्रतिभूति" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में यथा परिभाषित प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं और जहां कर्मचारी का स्टाक विकल्प उसके लिए किसी प्लान या स्कीम के अधीन दिया गया है वहां उसके अंतर्गत उस प्लान या स्कीम के अधीन प्रस्थापित प्रतिभूतियां भी हैं;

(ख) "श्रमसाध्य साधारण शेयरों" से किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों या निदेशकों को बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्य परिवर्धनों की, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, प्रकृति की जानकारी प्रदान करने या अधिकार उपलब्ध कराने के लिए छूट पर या नकद से भिन्न प्रतिफल के लिए जारी किए गए साधारण शेयर अभिप्रेत हैं;

(ग) किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयरों का मूल्य उस तारीख को, जिसको निर्धारिती द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, ऐसी प्रतिभूति या शेयरों की बाबत निर्धारिती द्वारा वास्तव में संदत्त या उससे वसूल की गई रकम से घटाकर आया, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य होगा;

(घ) "उचित बाजार मूल्य" से उस पद्धति के अनुसार अवधारित मूल्य अभिप्रेत है जो विहित की जाए;

(ङ) "विकल्प" से किसी पूर्व अवधारित कीमत पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयरों के लिए आवेदन करने हेतु कर्मचारी को दिया गया अधिकार अभिप्रेत है, न कि बाध्यता;

(vii) निर्धारिती की बाबत नियोजक द्वारा किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में किसी अभिदाय की रकम, [1][एक लाख पचास हजार रुपए] से अधिक की सीमा तक; और

(viii) किसी अन्य अनुषंगी फायदे या सुख-सुविधा का, जो विहित की जाए, मूल्य :]

[2][परन्तु इस खंड की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी, अर्थात् :—

(i) नियोजक द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल में, कर्मचारी या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को उपलब्ध कराए गए किसी चिकित्सीय उपचार का मूल्य;

[3][(ii) नियोजक द्वारा किसी ऐसे व्यय के संबंध में संदत्त राशि, जो कर्मचारी द्वारा अपने चिकित्सीय उपचार पर या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के उपचार पर—

(क) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल में या सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सीय उपचार के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अस्पताल में;

(ख) विहित रोगों या व्याधियों के संबंध में, किसी ऐसे अस्पताल में जो, विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाता है,

वस्तुत: उपगत किया जाता है, संदत्त कोई राशि :

परंतु यह कि उपखंड (ख) के अंतर्गत आने वाले मामले में, कर्मचारी अपनी आय की विवरणी के साथ उस रोग या व्याधि को जिसके लिए चिकित्सा उपचार अपेक्षित था, विनिर्दिष्ट करते हुए, अस्पताल से प्रमाणपत्र और अस्पताल को संदत्त रकम की रसीद संलग्न करेगा;]

(iii) किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी के संबंध में, धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (1ख) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार [4][या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण] द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अधीन ऐसे कर्मचारी के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त प्रीमियम का कोई भाग;

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 9 द्वारा (1-4-1991 से) अन्त:स्थापित ।

[3] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 10 द्वारा (1-4-1993 से) प्रतिस्थापित । प्रतिस्थापन के पूर्व खण्ड (ii) निम्नलिखित रूप में था :—

(ii) नियोजक द्वारा,—

(क) कर्मचारी द्वारा अपने चिकित्सीय उपचार पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के चिकित्सीय उपचार पर, सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल में या सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सीय उपचार के प्रयोजनों के लिए उस सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अस्पताल में, वस्तुत: उपगत किसी व्यय की बाबत संदत्त कोई राशि;

(ख) किसी ऐसे अस्पताल को जो, विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाता है, विहित रोगों या व्याधियों के चिकित्सीय उपचार के प्रयोजनों के लिए, कर्मचारी या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के ऐसे उपचार मद्धे सीधे संदत्त कोई राशि;

[4] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 8 द्वारा (1-4-2007 से) अन्त:स्थापित ।

(iv) धारा 80घ के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार [1][या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण] द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अधीन कर्मचारी द्वारा अपने स्वास्थ्य का या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त किसी प्रीमियम की बाबत नियोजक द्वारा संदत्त कोई राशि;

(v) कर्मचारी द्वारा अपने चिकित्सीय उपचार पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के उपचार पर [उस उपचार से भिन्न जो खंड (i) और खंड (ii) में निर्दिष्ट है] वस्तुत: उपगत किसी व्यय की बाबत नियोजक द्वारा संदत्त कोई राशि; किन्तु यह तब जबकि ऐसी राशि, पूर्ववर्ष में, [2][पंद्रह हजार रुपए] से अधिक नहीं हो;

(vi) किसी नियोजक द्वारा,—

(1) कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी के कुटुम्ब के किसी सदस्य के भारत के बाहर चिकित्सीय उपचार पर;

(2) कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी के कुटुम्ब के किसी सदस्य के चिकित्सीय उपचार के लिए विदेश यात्रा पर [3][और] विदेश में रहने पर;

(3) ऐसे एक परिवार की, जो ऐसे उपचार के संबंध में रोगी के साथ जाता है, विदेश यात्रा और विदेश में ठहरने पर, उपगत कोई व्यय, [4][किन्तु यह इस शर्त के अधीन होगा कि,—

(अ) चिकित्सीय उपचार पर और विदेश में ठहरने पर व्यय, केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात मात्रा तक परिलब्धियों में से अपवर्जित कर दिया जाएगा; और

(आ) यात्रा पर व्यय, केवल ऐसे कर्मचारी की दशा में जिसकी सकल कुल आय, जैसी कि वह उसमें उक्त व्यय को सम्मिलित करने के पूर्व संगणित की गई है, दो लाख रुपए से अधिक नहीं है, परिलब्धियों में से अपवर्जित कर दिया जाएगा;]

(vii) कर्मचारी द्वारा खंड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए, वस्तुत: उपगत किसी व्यय की बाबत नियोजक द्वारा संदत्त कोई राशि, किन्तु यह उस खंड में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी :

[5][परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2002 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए इस खण्ड की कोई बात ऐसे किसी कर्मचारी को लागू नहीं होगी, जिसकी "वेतन" शीर्ष के अधीन आय (चाहे एक या अधिक नियोजकों से शोध्य या उनके द्वारा संदत्त या उनके द्वारा अनुज्ञात की गई है) ऐसी सभी परिलब्धियों के मूल्य को छोड़कर, जिनके लिए धनीय संदाय के रूप में उपबंध नहीं किया गया है, एक लाख रुपए से अधिक नहीं है ।]

स्पष्टीकरण—खंड (2) के प्रयोजनों के लिए—

(i) "अस्पताल" के अन्तर्गत औषधालय या क्लीनिक [6][या परिचर्या गृह] है;

(ii) किसी व्यष्टि की दशा में, "कुटुम्ब" का वही अर्थ है जो धारा 10 के खंड (5) में है; और

(iii) "सकल कुल आय" का वही अर्थ है जो धारा 80ख के खंड (5) में है;]

[7]* * * *

(3) "वेतन के बदले में लाभ" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) किसी प्रतिकर की रकम जो किसी निर्धारिती को अपने नियोजक से या भूतपूर्व नियोजक से अपने नियोजन के पर्यवसान पर या उसके संबंध में या तत्सम्बद्ध निबन्धनों और शर्तों के उपान्तर पर देय या प्राप्त हो;

(ii) कोई संदाय जो धारा 10 के खंड (10) [8][(10क),] [9][खण्ड (10ख)], (11), [10][खण्ड (12), [11][खंड (13)] या खण्ड (13क)] में निर्दिष्ट किसी संदाय से भिन्न हो और जो किसी निर्धारिती को अपने नियोजक से या भूतपूर्व नियोजक से या भविष्य निधि या अन्य निधि से [12]*** देय हो प्राप्त हो, उस परिमाण तक जिसे वह निर्धारिती

---

[1] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 8 द्वारा (1-4-2007 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 7 द्वारा (1-4-1999 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 8 द्वारा "या" शब्द के स्थान पर (1-4-1993 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 8 द्वारा (1.4.1993 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 11 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 8 द्वारा (1-4-1993 से) अन्त:स्थापित ।
[7] 1984 के अधिनियम सं० 67 की धारा 7 द्वारा शब्द 'और' और उपखंड (vii) (1-4-1985 से) अन्त:स्थापित किया गया परन्तु 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 6 द्वारा इनका (1-4-1985 सेही) लोप कर दिया गया ।
[8] 1965 के अधिनियम सं० 15 की धारा 21 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अन्त:स्थापित ।
[9] 1975 के अधिनियम सं० 25 की धारा 24 द्वारा (1-4-1976 से) अन्त:स्थापित ।
[10] 1964 के अधिनियम सं० 31 की धारा 4 द्वारा (6-10-1964 से) "या खण्ड (12)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[11] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा (1-4-1996 से) अंत:स्थापित ।
[12] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा (1-4-1996 से) लोप किया गया ।

द्वारा किए गए अभिदायों या [1][ऐसे अभिदायों पर ब्याज या प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त ऐसी राशि के रूप में हो जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित राशि है।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी" अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो धारा 10 के खंड (10घ) में है;]

[2][(iii) कोई रकम, जो निर्धारिती को या उसके द्वारा किसी व्यक्ति से—

(अ) उस व्यक्ति के पास कोई नियोजन उसके द्वारा ग्रहण करने से पूर्व; या

(आ) उस व्यक्ति के साथ उसके नियोजन के समाप्त करने के पश्चात्,

एकमुश्त रूप में या अन्यथा देय हो या प्राप्त हो।]

[3]* * * * *

(ग) गृह सम्पत्ति से आय

22. गृह संपत्ति से आय—किन्हीं भवनों या अनुलग्न भूमियों के रूप में ऐसी संपत्ति का जिसका निर्धारिती स्वामी है, उस संपत्ति के ऐसे प्रभावों को छोड़कर जिनका अधिभोग वह अपने द्वारा चलाए जा रहे किसी ऐसे कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए करता हो जिसके लाभ आय-कर से प्रभार्य है वार्षिक मूल्य "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर में प्रभार्य होगा।

[4][**23. वार्षिक मूल्य कैसे अवधारित किया जाता है**—(1) धारा 22 के प्रयोजनों के लिए, किसी संपत्ति का वार्षिक मूल्य निम्नलिखित समझा जाएगा, अर्थात् :—

(क) वह राशि जिस पर संपत्ति के वर्षानुवर्ष किराए पर दिए जाने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती हो; या

(ख) जहां संपत्ति या संपत्ति का कोई भाग किराए पर दिया जाता है और उसकी बाबत स्वामी द्वारा प्राप्त या प्राप्य वास्तविक किराया खंड (क) में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, वहां इस प्रकार प्राप्त या प्राप्य रकम; या

(ग) जहां संपत्ति या संपत्ति का कोई भाग किराए पर दिया जाता है और वह संपूर्ण पूर्ववर्ष या उसके किसी भाग के दौरान खाली था और इस प्रकार खाली रहने के कारण उसकी बाबत स्वामी द्वारा प्राप्त या प्राप्य वास्तविक किराया खंड (क) में निर्दिष्ट राशि से कम है वहां इस प्रकार प्राप्त या प्राप्य रकम :

परंतु संपत्ति की बाबत उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसे करों का उसके द्वारा वास्तव में संदाय किया जाता है, संपत्ति के वार्षिक मूल्य को अवधारित करने में (ऐसे पूर्ववर्ष को दृष्टि में लाए बिना जिसमें ऐसे करों का संदाय करने का दायित्व ऐसे स्वामी द्वारा निरंतर अपनाई जाने वाली लेखा पद्धति के अनुसार उसके द्वारा उपगत किया गया था) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उद्गृहीत करों की कटौती की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के खंड (ख) या खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, स्वामी द्वारा प्राप्त या प्राप्य वास्तविक किराए की रकम के अंतर्गत ऐसे नियमों के अधीन जो इस निमित्त बनाए जाएं, किराए की वह रकम नहीं होगी जिसे स्वामी वसूल नहीं कर सकता है।

(2) जहां संपत्ति में कोई ऐसा गृह या गृह का भाग है जो,—

(क) स्वामी के अपने ही निवास के प्रयोजनों के लिए अधिभोग में है; या

(ख) स्वामी द्वारा उसका वस्तुत: अधिभोग इस बात के कारण नहीं किया जा सकता है, कि उसके नियोजन, कारबार या वृत्ति के किसी अन्य स्थान पर चलाए जाने के कारण उसे उस अन्य स्थान में किसी ऐसे भवन में निवास करना पड़ता है, जो उसका नहीं है,

वहां ऐसे गृह या गृह के भाग का वार्षिक मूल्य कुछ नहीं माना जाएगा।

(3) उपधारा (2) के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे, यदि—

(क) गृह या गृह का भाग संपूर्ण पूर्ववर्ष या उसके भाग के दौरान वास्तव में किराए पर दिया जाता है; या

(ख) स्वामी द्वारा उससे कोई अन्य फायदा उठाया जाता है।

(4) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट संपत्ति में एक से अधिक गृह हैं वहां—

---

[1] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 8 द्वारा (1-10-1996 से) प्रतिस्थापित।

[2] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 13 द्वारा (1-4-2002 से) अंत:स्थापित।

[3] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 10 द्वारा धारा 18 से 21 और उपशीर्ष का (1-4-1989 से) लोप किया गया।

[4] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 14 द्वारा (1-4-2002 से) प्रतिस्थापित।

(क) उस उपधारा के उपबंध ऐसे गृहों में से केवल एक गृह की बाबत लागू होंगे जो निर्धारिती, अपने विकल्प पर, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(ख) उस गृह से भिन्न जिसकी बाबत निर्धारिती ने खंड (क) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, गृह या गृहों का वास्तविक मूल्य उपधारा (1) के अधीन ऐसे अवधारित किया जाएगा मानो ऐसा गृह या ऐसे गृह किराए पर दिया गया हो/दिए गए हों ।]

[1][(5) जहां किसी भवन या उसने संलग्न भूमि को समाविष्ट करने वाली कोई संपत्ति या संपत्ति के भाग व्यापार स्टाक के रूप में धारित किए जाते हैं और संपत्ति या संपत्ति का कोई भाग संपूर्ण पूर्ववर्ष या उसके किसी भाग के दौरान किराए पर नहीं दिया जाता है, वहां ऐसी संपत्ति या संपत्ति के भाग का वार्षिक मूल्य उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की अवधि तक के लिए जिसमें सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त संपत्ति के सन्निर्माण का समापन प्रमाणपत्र प्राप्त होता है; शून्य के रूप में किया जाएगा ।]

[2][**24. गृह संपत्ति से आय में से कटौतियां**—"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय निम्नलिखित कटौतियां करने के पश्चात् संगणित की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) ऐसी राशि, जो वार्षिक मूल्य के तीस प्रतिशत के बराबर हो;

(ख) जहां संपत्ति का अर्जन, सन्निर्माण, मरम्मत, नवीकरण या पुन:सन्निर्माण उधार ली गई पूंजी से किया गया है, वहां ऐसी पूंजी पर संदेय किसी ब्याज की रकम :

परंतु धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट संपत्ति की बाबत, कटौती की रकम तीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि जहां पहले परंतुक में निर्दिष्ट संपत्ति का अर्जन या सन्निर्माण 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् उधार ली गई पूंजी से किया जाता है और ऐसा अर्जन या सन्निर्माण [3][उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें पूंजी उधार ली गई थी, अंत से [4][पांच वर्ष] के भीतर] पूरा हो जाता है वहां इस खंड के अधीन कटौती की रकम [5][दो लाख रुपए] से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—जहां संपत्ति का अर्जन या सन्निर्माण उधार ली गई पूंजी से किया गया है वहां उस पूर्ववर्ष के, जिसमें संपत्ति का अर्जन या सन्निर्माण किया गया है, पहले की अवधि के लिए उधार ली गई ऐसी पूंजी पर संदेय ब्याज की, यदि कोई हो, जिसमें से वह भाग घटा दिया जाएगा जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात किया गया है, कटौती इस खंड के अधीन उक्त पूर्ववर्ष के लिए और उसके ठीक बाद के चार पूर्ववर्षों में से प्रत्येक के लिए बराबर किस्तों में की जाएगी :]

[6][परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन कटौती तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती, संपत्ति के ऐसे अर्जन या सन्निर्माण या संपूर्ण उधार ली गई पूंजी या उसके ऐसे किसी भाग के, जो नए ऋण के रूप में प्रतिसंदत्त किए जाने के लिए शेष रहता है, संपरिवर्तन के प्रयोजन के लिए निर्धारिती द्वारा संदेय ब्याज की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए, ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसको उधार ली गई पूंजी पर कोई ब्याज संदेय है, एक प्रमाणपत्र नहीं दे देता है ।

स्पष्टीकरण—इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "नए ऋण" पद से ऐसी पूंजी के प्रतिसंदाय के प्रयोजन के लिए निर्धारिती द्वारा उधार ली गई पूंजी के पश्चात् लिया गया संपूर्ण ऋण या उसका कोई भाग अभिप्रेत है ।]

25. गृह संपत्ति से आय में से कटौती न किए जाने योग्य रकमें—धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य किसी [7]*** ब्याज को, जो भारत के बाहर संदेय है (जो 1938 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व सार्वजनिक अभिदान के लिए जारी किए गए उधार पर ब्याज नहीं है) जिस पर संदत्त नही किया गया है या अध्याय 17ख के अधीन उसकी कटौती नहीं की गई है और जिसकी बाबत भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसे धारा 163 के अधीन अभिकर्ता के रूप में माना जा सके "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती नहीं की जाएगी ।

[8][**25क. किराए के बकाया और वसूल न किए गए किराए के पश्चात्वर्ती प्राप्त होने के संबंध में विशेष उपबंध**—(1) किसी निर्धारिती द्वारा, यथास्थिति, किसी किराएदार से प्राप्त किराए के बकाया या किसी किराएदार से वसूल न किए गए किराए की पश्चात्वर्ती वसूल की गई रकम को उस वित्तीय वर्ष की बाबत जिसमें ऐसा किराया प्राप्त या वसूल किया गया है, गृह संपत्ति से आय समझी जाएगी और निर्धारिती की "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन कुल आय में सम्मिलित की जाएगी, चाहे निर्धारिती उस वित्तीय वर्ष में संपत्ति का स्वामी हो या न हो ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किराए की बकाया या वसूल न किए गए किराए की तीस प्रतिशत के बराबर राशि, कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।]

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 12 द्वारा (1-4-2018 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 16 द्वारा (1-4-2002 से) लोप किया गया ।
[8] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 11 द्वारा (1-4-2017 से) धारा 25क, धारा 25कक और धारा 25ख के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

26. सह-स्वामियों के स्वामित्वाधीन संपत्ति—जहां भवनों या भवनों और उनसे अनुलग्न भूमियों के रूप में संपत्ति दो या अधिक व्यक्तियों के स्वामित्वाधीन है और उनके अपने-अपने अंश निश्चित और अभिनिश्चित हैं वहां ऐसे व्यक्तियों का ऐसी संपत्ति की बाबत निर्धारण व्यक्तियों के संगम के रूप में नहीं किया जाएगा, किन्तु धारा 22 से 25 तक के अनुसार यथा संगणित उस संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय में हर ऐसे व्यक्ति का अंश उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा ।

[1][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस धारा में निर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के अंश की संगणना करने के लिए धारा 23 की उपधारा (2) के उपबंधों को लागू करने में, ऐसे अंश की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस उपधारा में उपबंधित राहत का व्यक्तिगत रूप से हकदार है ।]

27. "गृह संपत्ति का स्वामी", "वार्षिक प्रभार" आदि की परिभाषा—धारा 22 से 26 तक के प्रयोजनों के लिए—

(i) कोई व्यष्टि जो गृह संपत्ति का पर्याप्त प्रतिफल से अन्यथा अंतरण अपने पति या पत्नी को जो अलग रहने के लिए करार के संबंध में अंतरण नहीं है या अवयस्क संतान को, जो विवाहित पुत्री नहीं है, करता है, ऐसे अंतरित गृह संपत्ति का स्वामी समझा जाएगा;

(ii) किसी अविभाज्य सम्पदा के धारक को उस संपदा में समाविष्ट सब संपत्तियों का व्यष्टिक स्वामी समझा जाएगा;

[2][(iii) किसी सहकारी सोसाइटी, कंपनी या अन्य व्यक्ति-संगम का सदस्य जिसको, यथास्थिति उस सोसाइटी, कंपनी या संगम को गृह निर्माण स्कीम के अधीन कोई भवन या उसका कोई भाग आबंटित किया गया है या पट्टे पर दिया गया है, उस भवन या उसके उस भाग का स्वामी समझा जाएगा;

(iiiक) कोई व्यक्ति जिसको संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 53क में निर्दिष्ट प्रकृति की संविदा के भागिक पालन में किसी भवन या उसके किसी भाग का कब्जा लेने या रखे रहने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, उस भवन या उसके उस भाग का स्वामी समझा जाएगा;

(iiiख) कोई व्यक्ति जो किसी भवन या उसके किसी भाग में या उसकी बाबत कोई अधिकार (मासानुमास या एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पट्टे के रूप में अधिकार को अपवर्जित करते हुए) धारा 269पक के खंड (च) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार के आधार पर अर्जित करता है, उस भवन या उसके उस भाग का स्वामी समझा जाएगा;]

[3]* * * * *

(vi) किसी संपत्ति की बाबत किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उद्गृहीत करों के अंतर्गत उस संपत्ति की बाबत उस स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उद्गृहीत सेवा-कर भी समझे जाएंगे ।

घ—कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ

28. कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ—निम्नलिखित आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होंगी—

(i) पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय निर्धारिती द्वारा चलाए गए किसी ऐसे कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ;

(ii) कोई ऐसा प्रतिकर या अन्य संदाय जो निम्नलिखित को देय या प्राप्त हो,—

(क) किसी भारतीय कम्पनी के सम्पूर्ण या पर्याप्तत: सम्पूर्ण कार्यों का प्रबन्ध करने वाले किसी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अपने प्रबन्ध के पर्यवसान पर या उसके संबंध में अथवा उससे संबद्ध निबन्धनों और शर्तों के उपान्तर पर या उसके संबंध में;

(ख) भारत में किसी अन्य कम्पनी के सम्पूर्ण या पर्याप्तत: सम्पूर्ण कार्यों का प्रबन्ध करने वाले किसी व्यक्ति को चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अपने पद के पर्यवसान, पर या उसके संबंध में अथवा उससे संबद्ध निबन्धनों और शर्तों के उपान्तर पर या उसके संबंध में;

(ग) किसी अन्य व्यक्ति के कारबार से संबद्ध कार्यकलापों के किसी भाग के लिए भारत में कोई अभिकरण धारण करने वाले किसी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो उस अधिकरण के पर्यवसान पर या उसके संबंध में अथवा उसमें से संबद्ध निबन्धनों और शर्तों के उपान्तर पर या उसके संबंध में;

[4][(घ) किसी व्यक्ति को सरकार में या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी सम्पत्ति या कारबार के प्रबन्ध के निहित होने के लिए उसके सम्बन्ध में;]

---

[1] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 7 द्वारा (1-4-1976 से) अन्त:स्थापित ।

[2] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 6 द्वारा (1-4-1988 से) धारा 27 के खंड (iii) के स्थान पर खंड (iii), (iiiक) और खंड (iiiख) प्रतिस्थापित ।

[3] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 20 द्वारा (1-4-2002 से) लोप किया गया ।

[4] 1973 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा (1-4-1972 से) अन्त:स्थापित ।

(iii) किसी व्यापारिक, वृत्तिक या समरूप संगम द्वारा अपने सदस्यों के लिए की गई विनिर्दिष्ट सेवाओं से व्युत्पन्न आय;

[1][(iiiक) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के अधीन बनाए गए आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति के विक्रय से लाभ;]

[2][(iiiख) भारत सरकार की किसी स्कीम के अधीन निर्यात मद्धे किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त या प्राप्य नकद सहायता (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो);]

[3][(iiiग) सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी नियम, 1971 के अधीन निर्यात मद्धे किसी व्यक्ति को वापसी के रूप में प्रतिसंदत्त या प्रतिसंदेय कोई सीमाशुल्क या उत्पाद शुल्क;]

[4][(iiiघ) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के अधीन विरचित और घोषित निर्यात और आयात नीति के अधीन शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम, जो शुल्क से छूट की स्कीम है, के अंतरण पर कोई लाभ;]

[5][(iiiङ) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के अधीन विरचित और घोषित निर्यात और आयात नीति के अधीन शुल्क मुक्त पुन:पूर्ति प्रमाणपत्र स्कीम, जो शुल्क से छूट है, के अंतरण पर कोई लाभ;]

[6][(iv) किसी कारबार या किसी वृत्ति के प्रयोग से उद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धि का मूल्य, चाहे वह धन में संपरिवर्तनीय हो या न हो;]

[7][(v) किसी फर्म के भागीदार को ऐसी फर्म से देय या प्राप्त कोई ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो :

परन्तु जहां कोई ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हों, या उसका कोई भाग, धारा 40 के खंड (ख) के अधीन कटौती किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है वहां इस खंड के अधीन आय का उस रकम की मात्रा तक जो कटौती किए जाने के लिए इस प्रकार अनुज्ञात नहीं की जाती है, समायोजन किया जाएगा;

[8][(vक) (क) [9][किसी कारबार या वृत्ति] के संबंध में कोई क्रियाकलाप न करने के लिए; या

(ख) किसी व्यवहार-ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्ति, फ्रैंचाइज या इसी प्रकृति के किसी अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार या ऐसी किसी जानकारी या तकनीक में, जो माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण या सेवाओं की व्यवस्था करने में सहायता के लिए संभावित हो, भाग न पाने के लिए,

किसी करार के अधीन, चाहे नकद या वस्तु रूप में प्राप्त या प्राप्य, कोई राशि :

परंतु यह कि उपखंड (क) निम्नलिखित को लागू नहीं होगा,—

(i) किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण, उत्पादन या प्रसंस्करण के अधिकार के अंतरण या [9][किसी कारबार या वृत्ति] के करने के अधिकार के मद्दे, जो "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है नकदी या वस्तु के रूप में कोई राशि, चाहे प्राप्त की गई हो या प्राप्य हो;

(ii) भारत सरकार से किए गए करार के निबंधनों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अधीन ऐसे पदार्थों पर, जो ओजोन परत का क्षयण करते हैं, मानटेरियल प्रोटोकोल की बहुपक्षीय निधि से प्रतिकर के रूप में प्राप्त कोई राशि ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "करार" के अन्तर्गत कोई ठहराव या समझौता या कोई सामूहिक कार्य है,—

(अ) चाहे ऐसा ठहराव, समझौता या कार्य प्रायिक अथवा लिखित में हो या न हो, या

---

[1] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 6 द्वारा (1-4-1962 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 6 द्वारा (1-4-1967 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 6 द्वारा (1-4-1972 से) अंत:स्थापित ।
[4] 2005 के अधिनियम सं० 55 की धारा 3 द्वारा (1-4-1998 से) अंत:स्थापित ।
[5] 2005 के अधिनियम सं० 55 की धारा 3 द्वारा (1-4-2001 से) अंत:स्थापित ।
[6] 1964 के अधिनियम सं० 5 की धारा 7 द्वारा (1-4-1964 से) अन्त:स्थापित ।
[7] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 11 द्वारा (1-4-1993 से) अंत:स्थापित ।
[8] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 13 द्वारा (1-4-2003 से) अंत:स्थापित ।
[9] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।

(आ) चाहे ऐसा ठहराव, समझौता या कार्य विधिक कार्यवाहियों द्वारा प्रवर्तन के लिए आशयित हो या न हो;

(ii) "सेवा" से किसी वर्णन की ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो संभावी उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और इसके अंतर्गत किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रकृति के कारबार के संबंध में, जैसे लेखाकर्म, बैंककारी, संचार, समाचारों या सूचना का संवाहन, विज्ञापन, मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, शिक्षा, वित्त पोषण, बीमा, चिटफंड, स्थावर संपदा, सन्निर्माण, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा का प्रदाय, बोर्डिंग और लाजिंग की सेवाओं की व्यवस्था करना भी है;]

[1][(vi) प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त कोई राशि, जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित राशि है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी" अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो धारा 10 के खंड (10घ) में है;]

[2][(vii) कोई राशि, चाहे वह ढहाई गई, नष्ट की गई या त्यक्त की गई या त्यक्त या अंतरित की जाने वाली किसी पूंजी आस्ति के कारण (भूमि या साख या वित्तीय लिखत से भिन्न) नकद या वस्तु रूप में प्राप्त या प्राप्य हो, यदि उस पूंजी आस्ति पर संपूर्ण व्यय को धारा 35कघ के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात किया गया है ।]

[3]* * * * *

स्पष्टीकरण 2—जहां किसी निर्धारिती द्वारा चलाए गए सट्टे वाले संव्यवहार ऐसी प्रकृति के हैं कि वे एक बार कारबार के रूप में हो जाते हैं, वहां उस कारबार को (जो इसमें इसके पश्चात् "सट्टे का कारबार" के नाम से निर्दिष्ट है किसी अन्य कारबार से भिन्न और पृथक् समझा जाएगा ।

29. कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय की संगणना कैसे की जाएगी—धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना [4][[5][धारा 30 से [6][43घ]] के उपबंधों अनुसार की जाएगी ।

30. भवनों के लिए किराया, रेट, कर, मरम्मत और बीमा—कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त परिसर के लिए किराए, रेट, कर, मरम्मत और बीमा की बाबत निम्नलिखित कटौतियां अनुज्ञात की जाएंगी :—

(क) जहां परिसर निर्धारिती के अधिभोग में—

(i) अभिधारी की हैसियत में है, वहां ऐसे परिसर के लिए संदत्त किराया और इसके अतिरिक्त यदि उसने परिसर की मरम्मत का खर्च वहन करने का भार अपने ऊपर लिया है तो ऐसी मरम्मत की बाबत संदत्त रकम;

(ii) अभिधारी की हैसियत से अन्यथा है, वहां परिसर की चालू मरम्मतों की बाबत उसके द्वारा संदत्त रकम;

(ख) भू-राजस्व, स्थानीय रेट या नगरपालिका करों की बाबत संदत्त कोई राशियां;

(ग) परिसर के नुकसान या विनाश की जोखिम के विरुद्ध बीमा की बाबत संदत्त किसी प्रीमियम की रकम ।

[7][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट मरम्मत के खर्च की बाबत संदत्त रकम और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट चालू मरम्मत की बाबत संदत्त रकम में पूंजी व्यय की प्रकृति का कोई व्यय सम्मिलित नहीं होगा ।]

31. मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर की मरम्मत और बीमा—कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर की मरम्मत और बीमा की बाबत, निम्नलिखित कटौतियां अनुज्ञात की जाएंगी—

(i) उनकी चालू मरम्मतों की बाबत संदत्त रकम;

(ii) उनके नुकसान या विनाश की जोखिम के विरुद्ध बीमा की बाबत संदत्त किसी प्रीमियम की रकम ।

[8][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि चालू मरम्मतों की बाबत संदत्त रकम में पूंजी व्यय की प्रकृति का कोई व्यय सम्मिलित नहीं होगा ।]

---

[1] 1996 अधिनियम सं० 33 की धारा 10 द्वारा (1-10-1996 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 9 द्वारा (1-4-1989 से) स्पष्टीकरण 1 का लोप किया गया ।
[4] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 7 द्वारा (1-7-1967 से) "धारा 30 से धारा 43ग" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 54 द्वारा (1-4-1989 से) "धारा 30 से 43ख" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 10 द्वारा "(43ग)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 14 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 15 द्वारा अंत:स्थापित ।

32. अवक्षयण—(1) [1][निर्धारिती के पूर्णत: या भागत: स्वामित्व के अधीन और कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त—

(i) भवनों, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, जो मूर्त आस्तियां हैं;

(ii) व्यवहार ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार-चिह्न, अनुज्ञप्तियां, विशेषाधिकार या किसी अन्य कारबार या उसी प्रकार के वाणिज्यिक अधिकार, जो 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात् अर्जित अमूर्त आस्तियां हैं,

अवक्षयण की बाबत निम्नलिखित कटौतियां अनुज्ञात की जाएंगी—]

[2][(i) विद्युत के उत्पादन या उत्पादन और वितरण में लगे हुए किसी उपक्रम की आस्तियों की दशा में, निर्धारिती, को उसकी वास्तविक लागत पर ऐसी प्रतिशतता जो विहित की जाए;]

[3][(ii) आस्ति समूह की दशा में, उसके अवलिखित मूल्य की ऐसी प्रतिशतता जो विहित की जाए;]

[4]* * * * *

[5][परन्तु [6]***—

(क) भारत के बाहर विनिर्मित किसी मोटरकार की बाबत, जहां ऐसी मोटरकार निर्धारिती द्वारा 28 फरवरी, 1975 के पश्चात् [7][किंतु 1 अप्रैल, 2001 से पूर्व] अर्जित की जाती है और जब तक कि इसका प्रयोग—

(i) पर्यटकों के लिए उसे किराए पर चलाए जाने के कारबार में नहीं किया जाता है; या

(ii) भारत के बाहर किसी अन्य देश में अपने कारबार या वृत्ति में नहीं किया जाता है; और

(ख) किसी मशीनरी या संयंत्र की बाबत, यदि उसकी वास्तविक लागत धारा 12 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी करार के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक वर्षों में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाती है, इस खंड के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी :]

[8][परन्तु यह और कि जहां, यथास्थिति, खंड (i) [9][या खंड (ii) या खंड (iiक)] [10][या खंड (iiक) के पहले परंतुक] में निर्दिष्ट कोई आस्ति, निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित की जाती है और उस पूर्ववर्ष में एक सौ अस्सी दिन से कम की अवधि के लिए कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती है वहां ऐसी आस्ति की बाबत इस उपधारा के अधीन कटौती, यथास्थिति, खंड (i) [10][या खंड (ii) या खंड (iiक)] [11][या खंड (iiक) के पहले परंतुक] के अधीन किसी आस्ति के लिए विहित प्रतिशतता के आधार पर परिकलित रकम के पचास प्रतिशत तक निर्बंधित होगी :

[10][परंतु यह भी कि जहां, यथास्थिति, खंड (iiक) या खंड (iiक) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट कोई आस्ति, निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित की जाती है और उस पूर्ववर्ष में एक सौ अस्सी दिन से कम की अवधि के लिए कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती है और ऐसी आस्ति की बाबत इस उपधारा के अधीन कटौती उस पूर्ववर्ष के लिए खंड (iiक) के अधीन किसी आस्ति के लिए विहित प्रतिशतता के आधार पर परिकलित रकम के पचास प्रतिशत तक निर्बंधित की जाती है वहां, खंड (iiक) के अधीन ऐसी आस्ति के लिए विहित प्रतिशतता के आधार पर परिकलित रकम के शेष पचास प्रतिशत की इस उपधारा के अधीन कटौती ऐसी आस्ति की बाबत ठीक उत्तरवर्ती पूर्ववर्ष में अनुज्ञात की जाएगी :]

[11][परंतु यह भी कि जहां वाणिज्यिक यान के रूप में कोई आस्ति, 1 अक्तूबर, 1998 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 1999 के पूर्व निर्धारिती द्वारा अर्जित की जाती है और उसका उपयोग कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1999 के पूर्व किया जाता है, वहां ऐसी आस्ति की बाबत कटौती उसके अवलिखित मूल्य पर ऐसी प्रतिशतता पर अनुज्ञात की जाएगी, जो विहित की जाए।

स्पष्टीकरण—इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए,—

---

[1] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 1998 के अधिनियम सं० 7 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।
[3] 1986 के अधिनियम सं० 48 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
[4] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 7 द्वारा लोप किया गया।
[5] 1991 अधिनियम सं० 49 की धारा 11 द्वारा (1-4-1992 से) प्रतिस्थापित।
[6] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 7 द्वारा (1-4-1996 से) लोप किया गया।
[7] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 21 द्वारा (1-4-2002 से) अंत:स्थापित।
[8] 1998 के अधिनियम सं० 7 की धारा 2 द्वारा (1-4-1998 से) प्रतिस्थापित।
[9] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 14 द्वारा (1-4-2003 से) प्रतिस्थापित।
[10] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 10 द्वारा (1-4-2016 से) अंत:स्थापित।
[11] 1999 के अधिनियम सं० 11 की धारा 5 द्वारा (1-4-1999 से) अंत:स्थापित।

(क) "वाणिज्यिक यान" पद से "भारी माल यान", "भारी यात्री मोटर यान", "हल्का मोटर यान", "मध्यम माल यान" और "मध्यम यात्री मोटर यान" अभिप्रेत हैं किन्तु इसके अंतर्गत "मैक्सी कैब", "मोटर कैब", "ट्रैक्टर" और "सड़क रोलर" नहीं हैं;

(ख) "भारी माल यान", "भारी यात्री मोटर यान", "हल्का मोटर यान", "मध्यम माल यान", "मध्यम यात्री मोटर यान", "मैक्सी कैब", "मोटर कैब", "ट्रैक्टर" और "सड़क रोलर" पदों के वही अर्थ होंगे जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 में है :]

[1][परन्तु यह भी कि किसी कंपनी की दशा में, 1 अप्रैल, 1991 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष की बाबत, इस खंड के अधीन किसी आस्ति-समूह के संबंध में कटौती, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारंभ के ठीक पूर्व इस अधिनियम के अधीन ऐसी आस्तियों के अवलिखित मूल्य पर विहित प्रतिशतता के आधार पर परिकलित रकम के पचहत्तर प्रतिशत तक निर्बंधित होगी :]

[2][परंतु यह भी कि, यथास्थिति, धारा 47 के [3][खंड (xiii) खंड (xiiiख) और खंड (xiv)] या धारा 170 में निर्दिष्ट उत्तराधिकार की दशा में पूर्वाधिकारी और उत्तराधिकारी को अथवा समामेलन की दशा में समामेलक कंपनी और समामेलित कंपनी को या निर्विलियन की दशा में निर्विलीन कंपनी और परिणामी कंपनी को भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, जो मूर्त आस्तियां हैं या व्यवहार ज्ञान, पेटेंट या प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्तियां, विशेषाधिकार या कोई अन्य कारबार या उसी प्रकार के वाणिज्यिक अधिकार के जो अमूर्त आस्तियां हैं, अवक्षयण की बाबत कुल कटौती विहित दरों पर परिकलित कटौती से किसी पूर्ववर्ष में अधिक नहीं होगी मानो, यथास्थिति, उत्तराधिकार या समामेलन या निर्विलियन हुआ ही न हो और ऐसी कटौती, यथास्थिति, पूर्वाधिकारी और उत्तराधिकारी अथवा समामेलक कंपनी और समामेलित कंपनी या निर्विलीन कंपनी और परिणामी कंपनी के बीच ऐसे दिनों की संख्या के अनुपात में जिनके लिए ऐसी आस्ति का उनके द्वारा उपयोग किया गया था, प्रभाजित की जाएगी ।]

[4][**स्पष्टीकरण 1**—जहां निर्धारिती का कारबार या वृत्ति किसी ऐसे भवन में चलाया जाता है जो उसके स्वामित्व में नहीं है किन्तु जिसकी बाबत निर्धारिती पट्टा या अधिभोग का कोई अन्य अधिकार धारण करता है और निर्धारिती द्वारा कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए भवन में या उसके संबंध में किसी संरचना का सन्निर्माण या कोई संकर्म करके और भवन का नवीकरण या विस्तार या उसमें सुधार करके, कोई पूंजी व्यय उपगत किया जाता है वहां इस खंड के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त संरचना या संकर्म निर्धारिती के स्वामित्वाधीन का भवन है ।

स्पष्टीकरण 2—[5][इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए] "आस्ति समूह के अवलिखित मूल्य" का वही अर्थ है जो धारा 43 की उपधारा (6) के खंड (ग) में है ।]

[6][**स्पष्टीकरण 3**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, [7]["आस्तियां"] पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) मूर्त आस्तियां, जो भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर हैं;

(ख) अमूर्त आस्तियां, जो व्यवहार ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्तियां, विशेषाधिकार या कोई अन्य कारबार या उसी प्रकार के वाणिज्यिक अधिकार हैं ।

स्पष्टीकरण 4—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "व्यवहार ज्ञान" पद से माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में अथवा किसी खान, तेल कुंआ या अन्य खनिज निक्षेपों के स्रोत के कार्यकरण में सहायता करने के लिए संभाव्य कोई औद्योगिक जानकारी या तकनीक (जिसके अंतर्गत निक्षेपों का पहुंच मार्ग प्राप्त करने के लिए उनका पता लगाने या उनके परीक्षण के लिए खोज करना भी है) अभिप्रेत है ।]

[8][**स्पष्टीकरण 5**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा के उपबंध लागू होंगे चाहे निर्धारिती ने अपनी कुल आय की संगणना करने में अवक्षयण की बाबत कटौती का दावा किया है अथवा नहीं ।]

[9][(iiक) ऐसी किसी नई मशीनरी या संयंत्र (पोत और वायुयान से भिन्न) की दशा में, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में [10][या विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण के कारबार में] लगे हुए किसी निर्धारिती

---

[1] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 11 द्वारा (15-1-1991 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 1986 के अधिनियम सं० 46 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 8 द्वारा (1-4-2006 से) प्रतिस्थापित ।
[10] 2016 के अधिनियम सं० 28 धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।

द्वारा, 31 मार्च, 2005 के पश्चात् अर्जित और संस्थापित की गई है, ऐसी मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत के बीस प्रतिशत के बराबर और राशि को खंड (ii) के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा :

[1][परंतु जहां निर्धारिती किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उपादन के लिए कोई उपक्रम या उद्यम, आन्ध्र प्रदेश राज्य में या बिहार राज्य में या तेलंगाना राज्य में या पश्चिमी बंगाल राज्य में, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी पिछड़े क्षेत्र में, 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् प्रतिष्ठापित करता है और उक्त पिछड़े क्षेत्र में, उक्त उपक्रम या उद्यम के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2020 के पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई नई मशीनरी या संयंत्र (पोत और वायुयान से भिन्न) अर्जित और संस्थापित करता है, वहां खंड (iiक) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पैंतीस प्रतिशत" शब्द रख दिए गए हैं :]

[2][परंतु यह और कि] ऐसी कोई कटौती,—

(क) ऐसी किसी मशीनरी या संयंत्र, जिसका निर्धारिती द्वारा उसके संस्थापन के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के भीतर या बाहर उपयोग किया गया था; या

(ख) किसी कार्यालय, परिसर या किसी वास-सुविधा में संस्थापित किसी मशीनरी या संयंत्र, जिसके अंतर्गत अतिथि गृह की प्रकृति की वास-सुविधा भी है; या

(ग) किसी कार्यालय, साधित्र या सड़क परिवहन यान; या

(घ) किसी मशीनरी या संयंत्र, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत को, किसी एक पूर्ववर्ष के "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा) अनुज्ञात किया गया है,

के संबंध में अनुज्ञात नहीं की जाएगी;]

[3][(iii) किसी ऐसे भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर की दशा में, जिसकी बाबत अवक्षयण का दावा खंड (i) के अधीन किया जाता है तथा उसे अनुज्ञात किया जाता है और जिसको पूर्ववर्ती वर्ष में (जो उस पूर्ववर्ती वर्ष से भिन्न है, जिसमें उसका पहली बार उपयोग किया जाता है) विक्रीत किया जाता है, त्यक्त किया जाता है, ढा दिया या नष्ट कर दिया जाता है, वह रकम, जिस तक ऐसे भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर की बाबत संदेय धन, स्क्रैप मूल्य, यदि कोई है, की रकम सहित, उसके अवलिखित मूल्य से कम हो जाती है :

परन्तु यह तब जब कि ऐसी कमी वस्तुत: निर्धारिती की पुस्तकों में अपलिखित कर दी गई है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(1) किसी भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के संबंध में, "संदेय धन" के अन्तर्गत,—

(क) उसकी बाबत संदेय बीमा, उद्धारण या प्रतिकर धन है;

(ख) जहां भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर विक्रीत किया जाता है वहां वह कीमत है जिस पर उसको विक्रीत किया जाता है,

किन्तु जहां किसी मोटरकार की वास्तविक लागत, धारा 43 के खंड (1) के परंतुक के अनुसार, पच्चीस हजार रुपए मानी जाती है वहां ऐसी मोटरकार की बाबत संदेय धन वह राशि मानी जाएगी जिसका अनुपात, यथास्थिति, उस रकम के साथ जितने में मोटरकार विक्रीत की जाती है या उसकी बाबत संदेय किसी बीमा, उद्धारण या प्रतिकर धन की रकम के साथ (जिसके अंतर्गत स्क्रैप मूल्य, यदि कोई हो, भी है) वही है जो पच्चीस हजार रुपए की रकम का संबंध निर्धारिती की मोटरकार की उस वास्तविक लागत से है जो उक्त परंतुक को लागू करने के पूर्व संगणित की गई होती;

(2) "विक्रीत" के अंतर्गत विनिमय के रूप में अंतरण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन भी है किंतु इसके अंतर्गत समामेलन की किसी स्कीम में, समामेलक कंपनी द्वारा समामेलित कंपनी को, [4][जहां समामेलित कंपनी कोई भारतीय कंपनी है या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट किसी बैंककारी कंपनी की, जो उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (15) में निर्दिष्ट किसी बैंककारी संस्था के साथ समामेलन की किसी ऐसी स्कीम में, जो उस अधिनियम की उपधारा (7) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई हो, बैंककारी कंपनी द्वारा बैंककारी संस्था को] किसी आस्ति का अंतरण नहीं है ।]

---

[1] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 10 द्वारा (1-4-2016 से) अंत:स्थापित ।

[2] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 10 द्वारा (1-4-2016 से) प्रतिस्थापित ।

[3] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 9 द्वारा (1-4-1998 से) अंत:स्थापित ।

[4] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1]* * * * *

[2][(2) जहां निर्धारिती के निर्धारण में उपधारा (1) के अधीन किसी मोक को किसी पूर्ववर्ष में इस कारण कि उस पूर्ववर्ष के लिए प्रभार्य कोई लाभ या अभिलाभ नहीं है या इस कारण कि लाभ या अभिलाभ मोक से कम हे, पूर्णतया प्रभावी नहीं किया जा सकता है वहां धारा 72 की उपधारा (2) और धारा 73 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, वह मोक या उस मोक का ऐसा भाग, जिसे प्रभावी नहीं किया गया है, आगामी पूर्ववर्ष के लिए अवक्षयण के लिए मोक की रकम में जोड़ा जाएगा और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस मोक का भाग है, या यदि उस पूर्ववर्ष के लिए ऐसा कोई मोक नहीं है तो उसे उस पूर्ववर्ष के लिए मोक समझा जाएगा और उत्तरवर्ती पूर्ववर्षों के लिए इसी प्रकार समझा जाता रहेगा ।]

[3][**32क. विनिधान मोक**—(1) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट पोत या वायुयान या मशीनरी या संयंत्र की बाबत जो निर्धारिती के स्वामित्व में है और जिसका उसके द्वारा चलाए गए कारबार के प्रयोजनों के लिए संपूर्णत: प्रयोग किया जाता है, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उस पूर्ववर्ष की बाबत जिसमें पोत या वायुयान अर्जित किया गया था या मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित किया गया था या, यदि पोत, वायुयान, मशीनरी या संयंत्र ठीक उत्तरवर्ती पूर्ववर्ष में पहली बार उपयोग में लाया जाता है तो उस पूर्ववर्ष की बाबत विनिधान मोक के रूप में उस पोत, वायुयान, मशीनरी और संयंत्र की वास्तविक लागत के पचास प्रतिशत के बराबर राशि को, निर्धारिती की कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

[4][परन्तु उपधारा (8ख) में विनिर्दिष्ट पोत या वायुयान या मशीनरी या संयंत्र की बाबत यह उपधारा इस प्रकार प्रभावी होगी मानो "पच्चीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "बीस प्रतिशत" शब्द रखे गए हैं :

परन्तु यह और भी कि]—

(क) किसी कार्यालय के परिसर या किसी निवास स्थान में जिसके अन्तर्गत अतिथिगृह के प्रकार का स्थान भी है, प्रतिष्ठापित मशीनरी या संयंत्र;

(ख) कोई कार्यालय साधित्र या सड़क परिवहन; या

(ग) ऐसा पोत, मशीनरी या संयंत्र जिसकी बाबत धारा 33 के अधीन विकास रिबेट के रूप में कटौती अनुज्ञेय है;

(घ) ऐसी मशीनरी या संयंत्र जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत पूर्ववर्ष में "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाती है (चाहे वह अवक्षयण के रूप में हो या अन्यथा) ।

[5][**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "वास्तविक लागत" से निर्धारिती के पोत, वायुयान, मशीनरी या संयंत्र की वह वास्तविक लागत अभिप्रेत है जो ऐसी लागत के उस भाग को घटाकर आए जो धारा 32कख की उपधारा (6) के अधीन निर्धारिती को दी गई रकम में से पूरा किया गया है ।]

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पोत या वायुयान या मशीनरी या संयंत्र निम्नलिखित होगा, अर्थात् :—

(क) नया पोत या नया वायुयान जिसका ऐसे निर्धारिती द्वारा जो पोत या वायुयान के चलाने के कारबार में लगा हुआ है, 1976 के मार्च 31वें दिन के पश्चात् अर्जन किया जाता है,

(ख) कोई नई मशीनरी या संयंत्र जो 1976 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात्—

(i) विद्युत के या किसी अन्य रूप से शक्ति के उत्पादन या वितरण के कारबार के प्रयोजनों के लिए, या

[6][(ii) किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन, कारबार के प्रयोजनों के लिए कोई लघु उद्योग उपक्रम, या

(iii) किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम में ऐसी वस्तु या चीज के, जो ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज नहीं है, सन्निर्माण, विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के प्रयोजनों के लिए, प्रतिष्ठापित किया जाता है:]

[7][परंतु खंड (क) और खंड (ख) में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 1987 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1988 के पूर्व—

(i) अर्जित किए गए नए पोत या नए वायुयान; या

---

[1] 1986 के अधिनियम सं० 46 की धारा 5 द्वारा उपखंड (iv), (v), (vi) और खंड (1क) का लोप किया गया ।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 5 द्वारा (1-4-1976 से) अन्त:स्थापित ।
[4] 1989 के अधिनियम सं० 3 की धारा 6 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 1989 के अधिनियम सं० 3 की धारा 6 द्वारा (1-4-1989 से) अन्त:स्थापित ।
[6] 1977 के अधिनियम सं० 29 की धारा 8 द्वारा (1-4-1978 से) प्रतिस्थापित ।
[7] 1989 के अधिनियम सं० 3 की धारा 6 द्वारा अन्त:स्थापित ।

(ii) प्रतिस्थापित किसी नई मशीनरी या संयंत्र के संबंध में तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि उपधारा (8ख) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में ऐसा पोत या वायुयान अर्जित या ऐसी मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित नहीं किया गया है और निर्धारिती उस खंड में यथाविनिर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है ।]

[1][(ग) कोई नई मशीनरी या संयंत्र जो 1983 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् किन्तु [2][1987 के अप्रैल के प्रथम दिन] के पहले समुद्रगामी जलयानों या अन्य शक्ति चालित यानों की मरम्मत के कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रतिष्ठापित किया जाता है, किन्तु यह तब जब कि वह कारबार किसी भारतीय कम्पनी द्वारा चलाया जाता है और इस प्रकार चलाया गया कारबार केन्द्रीय सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजन के लिए तत्समय अनुमोदित है ।]

स्पष्टीकरण—[3][इस उपधारा और उपधारा (2ख), उपधारा (2ग) और उपधारा (4)] के प्रयोजनों के लिए—

[4][(1) (क) "नया पोत" या "नया वायुयान" के अन्तर्गत एक ऐसा पोत या वायुयान है जो निर्धारिती द्वारा अर्जन की तारीख के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति के उपयोग में था, किन्तु वह ऐसे अर्जन की तारीख के पूर्व किसी समय भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन नहीं था ।

(ख) "नई मशीनरी या संयंत्र" के अंतर्गत ऐसी मशीनरी या संयंत्र भी है जो निर्धारिती द्वारा उसके प्रतिष्ठापन के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति के भारत से बाहर उपयोग में था, यदि निम्नलिखित शर्त पूरी हो जाती है, अर्थात् :—

(i) निर्धारिती द्वारा ऐसे प्रतिष्ठापन की तारीख के पूर्व किसी समय ऐसी मशीनरी या संयंत्र का भारत में उपयोग नहीं किया गया था;

(ii) ऐसी मशीनरी या संयंत्र का भारत से बाहर किसी देश से भारत में आयात किया जाता है; और

(iii) निर्धारिती द्वारा मशीनरी या संयंत्र के प्रतिष्ठापन की तारीख के पूर्व किसी अवधि के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने में, भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी मशीनरी या संयंत्र की बाबत अवक्षयण मद्धे कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई है या अनुज्ञेय नहीं है ।]

(2) किसी औद्योगिक उपक्रम को तब लघु औद्योगिक उपक्रम समझा जाएगा जबकि उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रतिष्ठापित (औजारों, जिगों, डाइयों, और सांचों से भिन्न (मशीनरी और संयंत्र का पूर्ववर्ष के अन्तिम दिन सकल मूल्य,

[5][(i) [6][उस दशा में जहां पूर्ववर्ष 1 अगस्त, 1980 के पूर्व समाप्त होता है, दस लाख रुपए से अधिक न हो;

(ii) उस दशा में जहां पूर्ववर्ष 31 जुलाई, 1980 के पश्चात् किन्तु 18 मार्च 1985 के पूर्व समाप्त होता है, बीस लाख रुपए से अधिक न हो; और

(iii) उस दशा में जहां पूर्ववर्ष 17 मार्च, 1985 के पश्चात् समाप्त होता है, पैंतीस लाख रुपए से अधिक न हो,]]

(क) निर्धारिती के स्वामित्व मशीनरी या संयंत्र की दशा में उस पर निर्धारिती की वास्तविक लागत होगी; और

(ख) निर्धारिती द्वारा किराए पर ली गई मशीनरी या संयंत्र की दशा में उसकी वह वास्तविक लागत होगी जो उस मशीनरी या संयंत्र के स्वामी की दशा में होती है ।

[7][(2क) किसी ऐसी मशीनरी या संयंत्र की बाबत जो मुख्यत: किसी ऐसी वस्तु या चीज के, जो ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज नहीं है, सन्निर्माण, विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रतिष्ठापित की गई है और उपयोग में लाई जाती है, उपधारा (1) के अधीन कटौती से केवल इस कारण

---

[1] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1984 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 7 द्वारा (1-4-1987 से) "1988 के अप्रैल के प्रथम दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 11 द्वारा (1-6-1983 से) "इस उपधारा और उपधारा (2ख) और (4)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1986 के अधिनियम सं० 46 की धारा 32 द्वारा (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 1981 के अधिनियम सं० 16 की धारा 5 द्वारा (1-4-1981 से) प्रतिस्थापित ।
[6] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 7 द्वारा (1-4-1985 से) प्रतिस्थापित ।
[7] 1977 के अधिनियम सं० 29 की धारा 9 द्वारा (1-4-1978 से) अन्त:स्थापित ।

इन्कार नहीं किया जाएगा कि ऐसी मशीनरी या संयंत्र का उपयोग किसी ऐसी वस्तु या चीज के सन्निर्माण, विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के प्रयोजन के लिए किया जाता है जो उक्त सूची में विनिर्दिष्ट है।

(2ख) जहां कोई नई मशीनरी या संयंत्र किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के प्रयोजनों के लिए 30 जून, 1977 के पश्चात् [1][किन्तु 1 अप्रैल, 1987 के पहले] प्रतिष्ठापित किया जाता है और ऐसी वस्तु या चीज—

(क) का विनिर्माण या उत्पादन ऐसी प्रौद्योगिकी (जिसके अन्तर्गत कोई प्रक्रिया भी है) या अन्य व्यवहार ज्ञान के उपयोग द्वारा किया जाता है जिसका विकास, अथवा

(ख) जिस वस्तु या चीज का आविष्कार,

सरकार के स्वामित्वाधीन या सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी प्रयोगशाला में, अथवा किसी पब्लिक सेक्टर कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी प्रयोगशाला में या किसी विश्वविद्यालय या विहित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त मान्यताप्राप्त किसी संस्था में हुआ हो वहां उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसी मशीनरी या संयंत्र के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "पच्चीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पैंतीस प्रतिशत" शब्द रखे गए हों यदि निम्नलिखित शर्त पूरी हो जाती है, अर्थात्—

(i) ऐसी प्रौद्योगिकी (जिसके अन्तर्गत कोई प्रक्रिया भी है) या अन्य व्यवहार ज्ञान के उपयोग का या ऐसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन का अधिकार ऐसी प्रयोगशाला के स्वामी या ऐसे स्वामी के हक प्राप्त करने वाले किसी अन्य व्यक्ति से अर्जित किया गया है;

(ii) निर्धारिती जिस निर्धारण वर्ष के लिए कटौती का दावा किया जाता है, उस वर्ष की अपनी आय की विवरणी के साथ विहित प्राधिकारी को इस बात का प्रमाणपत्र देता है कि ऐसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन ऐसी प्रौद्योगिकी (जिसके अन्तर्गत प्रक्रिया भी है) या व्यवहार ज्ञान के उपयोग से किया गया है जिसका विकास ऐसी प्रयोगशाला में हुआ था या वह ऐसी वस्तु या चीज है जिसका ऐसी प्रयोगशाला में आविष्कार हुआ था; और

(iii) मशीनरी या संयंत्र का उपयोग ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रयोगशाला" से किसी निकाय के स्वामित्वाधीन प्रयोगशाला अभिप्रेत है (जिसके अन्तर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है) और जो पूर्णत: या मुख्यत: सरकार द्वारा वित्तपोषित है;

[2]* * * *

(ग) "विश्वविद्यालय" से किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय घोषित की गई संस्था।]

[3][(2ग) जहां कोई नई मशीनरी या संयंत्र, जो ऐसी मशीनरी या संयंत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण या पर्यावरण के संरक्षण में सहायता करती है और जिसे केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया है, किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम में जो उपधारा (2) के खंड (ख) के खंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) में निर्दिष्ट है 31 मई, 1983 के पश्चात् [4][किन्तु 1987 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व] प्रतिष्ठापित किया जाता है; वहां ऐसी नई मशीनरी या संयंत्र के संबंध में उपधारा (1) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "पच्चीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पैंतीस प्रतिशत" शब्द रख दिए गए हों,]

(3) जहां, यथास्थिति, उस पूर्ववर्ष से जिसमें पोत या वायुयान अर्जित किया गया था या मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित किया गया था अथवा ठीक उत्तरवर्ती पूर्ववर्ष के सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय निर्धारिती की कुल आय इस प्रयोजन के लिए कुल आय की संगणना धारा 33 और 33क के अधीन कोई कटौती किए बिना की जाएगी शून्य है या विनिधान मोक की पूरी रकम से कम है वहां—

---

[1] 1982 के अधिनियम सं० 14 की धारा 8 द्वारा (1-4-1982 से) प्रतिस्थापित।
[2] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 74 द्वारा (1-4-1987 से) लोप किया गया।
[3] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 11 द्वारा (1-6-1983 से) अन्त:स्थापित।
[4] 1989 के अधिनियम सं० 3 की धारा 6 द्वारा (1-4-1989 से) अन्त:स्थापित।

(i) उपधारा (1) के अधीन उस निर्धारण वर्ष के लिए विनिधान मोक के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली राशि केवल उतनी रकम होगी जितनी उक्त कुल आय को घटाकर शून्य कर देने के लिए पर्याप्त है; और

(ii) विनिधान मोक की रकम उस परिमाण तक जिस तक कि वह पूर्वोक्त रूप में अनुज्ञात नहीं की गई है आगामी निर्धारण वर्ष को अग्रनीत की जाएगी और आगामी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात किया जाने वाला विनिधान मोक उतनी रकम होगा जितनी कि उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय निर्धारिती की कुल आय को, जो पूर्वोक्त रीति से संगणित की गई हो, घटाकर शून्य कर देने के लिए पर्याप्त है और विनिधान मोक का वह अतिशेष, यदि कोई हो, जो उस समय बाकी है आगामी निर्धारण वर्ष को अग्रनीत किया जाएगा और इसी प्रकार आगे किया जाता रहेगा किन्तु ऐसे कि विनिधान मोक का कोई भी भाग, यथास्थिति, उस पूर्ववर्ष से जिसमें पोत या वायुयान अर्जित किया गया था या मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित किया गया था अथवा ठीक उत्तरवर्ती पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के ठीक उत्तरवर्ती आठ से अधिक निर्धारण वर्षों को अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—जहां एक से अधिक पूर्ववर्ष में अर्जित पोत या वायुयान अथवा प्रतिष्ठापित मशीनरी या संयंत्र की बाबत इस उपधारा के उपबन्धों के अनुसार विनिधान मोक किसी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात किया जाता है और उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय निर्धारिती की कुल आय [इस प्रयोजन के लिए कुल आय की संगणना धारा 33 और धारा 33क के अधीन मोक की कटौती करने के पश्चात् किन्तु इस धारा की उपधारा (1) या अध्याय 6क के अधीन कोई कटौती किए बिना की जाएगी,] उस निर्धारण वर्ष के लिए पूर्वोक्त आस्तियों की बाबत अनुज्ञात की जाने वाली रकमों के योग से कम है वहां निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) खण्ड (ii) के अधीन मोक खण्ड (i) के अधीन किसी मोक के लिए जाने के पूर्व दिया जाएगा, और

(ख) जहां उन रकमों की बाबत जो एक से अधिक निर्धारण वर्षों से अग्रनीत की गई हों, खण्ड (ii) के अधीन कोई मोक दिया जाना है वहां, ऐसी रकम जो किसी पूर्वत्तर निर्धारण वर्ष से अग्रनीत की गई है, उस रकम से पहले अनुज्ञात की जाएगी जो किसी पश्चात्तर निर्धारण वर्ष से अग्रनीत की गई हों ।

(4) उपधारा (1) के अधीन कटौती केवल तब अनुज्ञात की जाएगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात् :—

(i) पोत या वायुयान अथवा मशीनरी या संयंत्र की बाबत इस निमित्त विहित विशिष्टियां निर्धारिती द्वारा दे दी गई हैं;

(ii) वस्तुत: अनुज्ञात किए जाने वाले विनिधान मोक के पचहत्तर प्रतिशत के बराबर [1][किसी ऐसे पूर्ववर्ष के, जिसकी बाबत उपधारा (3) के अधीन कटौती अनुज्ञात की जानी है, या किसी पूर्वतर पूर्ववर्ष के (जो उस वर्ष से पूर्वतर पूर्ववर्ष नहीं है जिसमें पोत या वायुयान अर्जित किया गया था या मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित किया गया था अथवा पोत, वायुयान, मशीनरी या संयंत्र पहली बार प्रयोग में लाया गया था) लाभ और हानि लेखे में से विकलित की जाती है और एक रिजर्व खाते में जमा की जाती है (जिसे "विनिधान मोक रिजर्व खाता" कहा जाएगा) जिसका उपयोग,—

(क) उस पूर्ववर्ष के ठीक आगे के दस वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पहले जिसमें पोत या वायुयान अर्जित किया गया था या मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित किया गया था, उस उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए नए पोत या नए वायुयान या [उपधारा (1) के [2][दूसरे परन्तु] के खण्ड (क), (ख) और (घ) में निर्दिष्ट प्रकृति की मशीनरी या संयंत्र] के अर्जन के प्रयोजनों के लिए किया जाना है; और

(ख) जब तक यथापूर्वोक्त नए पोत, नए वायुयान अथवा नई मशीनरी या संयंत्र का अर्जन नहीं किया जाता है तब तक, लाभांशों या लाभों के तौर पर वितरण के लिए या लाभों के रूप में भारत के बाहर प्रेषण के लिए या भारत के बाहर किसी आस्ति के सृजन के लिए उपयोग करने के प्रयोजनों से भिन्न उस उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाना है :

परन्तु इस खण्ड का किसी पोत की बाबत इस प्रकार प्रभाव होगा मानो "पचहत्तर" शब्द के स्थान पर "पचास" शब्द रखा गया हो ।

---

[1] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 7 द्वारा (1-4-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1989 के अधिनियम सं० 3 की धारा 6 द्वारा (1-4-1989 से) "परन्तुक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

स्पष्टीकरण—जहां इस उपधारा के अधीन हानि और लाभ लेखे में से विकलित की गई और विनिधान मोक रिजर्व खाते में जमा की गई रकम उस रकम से कम नहीं है जो निर्धारिती द्वारा धारा 139 के अधीन दी गई विवरणी में दावा किए गए विनिधान मोक की बाबत कटौती की रकम के आधार पर इस प्रकार जमा की जाने के लिए अपेक्षित है किन्तु @[निर्धारण अधिकारी] द्वारा धारा 143 के अधीन संगणित किए जाने के लिए यथाप्रस्थापित कुल आय के आधार पर विनिधान मोक की बाबत अधिक कटौती अनुज्ञेय है वहां @[निर्धारण अधिकारी] इस निमित्त लिखित सूचना द्वारा, निर्धारिती की सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो @[निर्धारण अधिकारी] अनुज्ञात करे, उस पूर्ववर्ष के जिसमें ऐसी सूचना निर्धारिती पर तामील की जाती है या उसके ठीक पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष के लाभ और अभिलाभ में से, यदि उस वर्ष के लेखे पूरे नहीं किए गए हों तो, अतिरिक्त रकम विनिधान मोक रिजर्व खाते में जमा करने का अवसर देगा और यदि निर्धारिती पूर्वोक्त समय के भीतर ऐसे खाते में कोई अतिरिक्त रकम जमा कर देता है तो इस प्रकार जमा की गई रकम उस पूर्ववर्ष के जिसमें कटौती अनुज्ञेय है, विनिधान मोक रिजर्व खाते में जमा की गई समझी जाएगी और वह रकम निर्धारिती द्वारा उस पूर्ववर्ष की बाबत जिसमें ऐसी अतिरिक्त रकम जमा की जाती है, जमा किए जाने के लिए अपेक्षित रिजर्व की पर्याप्तता के अवधारण के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी :

परन्तु @[निर्धारण अधिकारी] उस दशा में ऐसा अवसर नहीं देगा जिसमें उसके द्वारा संगणित किए जाने के लिए यथाप्रस्थापित कुल आय में और निर्धारिती द्वारा विवरणी में यथा उल्लिखित कुल आय में अन्तर धारा 145 की उपधारा (1) के परन्तुक के या उस धारा की उपधारा (2) के लागू करने से या निर्धारिती द्वारा अपनी आय का पूर्ण और सत्य प्रकट न करने में लोप करने से होता है ।

(5) इस धारा के अधीन किसी पोत, वायुयान, मशीनरी या संयंत्र की बाबत दिया गया मोक इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए गलती से दिया गया समझा जाएगा—

(क) यदि ऐसा पोत, वायुयान, मशीनरी या संयंत्र निर्धारिती द्वारा किसी व्यक्ति को उस पूर्ववर्ष के जिसमें यह अर्जित या प्रतिष्ठापित किया गया था, अन्त से आठ वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय विक्रीत या अन्यथा अन्तरित किया जाता है; या

(ख) यदि उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसा पोत या वायुयान अर्जित किया गया था या ऐसी मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित किया गया था, अन्त से दस वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय निर्धारिती उपधारा (4) के अधीन रिजर्व खाते में जमा की गई रकम का उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए नए पोत या नए वायुयान या [उपधारा (1) के [1][दूसरा परन्तुक] के खंड (क), (ख) और (घ) में निर्दिष्ट प्रकृति की मशीनरी या संयंत्र से भिन्न] नई मशीनरी या संयंत्र के अर्जन के प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं करता है; या

(ग) यदि पूर्वोक्त दस वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय निर्धारिती उपधारा (4) के अधीन रिजर्व खाते में जमा की गई रकम लाभांशों या लाभों के तौर पर वितरण के लिए या लाभों के रूप में भारत के बाहर प्रेषण के लिए या भारत के बाहर किसी आस्ति के सृजन के लिए या किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करता है जो उपक्रम के कारबार का प्रयोजन नहीं है,

और धारा 155 की उपधारा (4क) के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे :

परन्तु खण्ड (क) की कोई बात लागू नहीं होगी—

(i) जहां ऐसा पोत, वायुयान, मशीनरी या संयंत्र निर्धारिती द्वारा सरकार को, किसी स्थानीय प्राधिकारी को, किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम को या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कम्पनी को विक्रीत या अन्यथा अन्तरित किया जाता है; या

(ii) जहां ऐसे पोत, वायुयान, मशीनरी या संयंत्र का विक्रय या अन्तरण उपधारा (6) या उपधारा (7) में निर्दिष्ट समामेलन या उत्तरवर्तन के सम्बन्ध में किया जाता है ।

(6) जहां समामेलन की किसी स्कीम में, समामेलक कम्पनी कोई ऐसा पोत, वायुयान, मशीनरी या संयंत्र जिसकी बाबत उपधारा (1) के अधीन समामेलक कम्पनी को विनिधान मोक अनुज्ञात किया गया है, समामेलित कम्पनी को विक्रीत या अन्यथा अन्तरित करती है वहां—

(क) समामेलित कम्पनी समामेलक कम्पनी द्वारा सृष्ट रिजर्व की बाबत और उस कालावधि की बाबत जिसमें ऐसा पोत, वायुयान, मशीनरी या संयंत्र विक्रीत या अन्यथा अन्तरित नहीं किया जाएगा,

---

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[1] 1989 के अधिनियम सं० 3 की धारा 6 द्वारा (1-4-1989 से) "परन्तुक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

उपधारा (4) में वर्णित शर्तें पूरी करती रहेगी और इन शर्तों में से किसी का व्यतिक्रम होने पर धारा 155 की उपधारा (4क) के उपबन्ध समामेलित कम्पनी को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे समामेलक कम्पनी को लागू होते यदि उसने व्यतिक्रम किया होता; और

(ख) ऐसे पोत, वायुयान, मशीनरी या संयंत्र की बाबत समामेलक कम्पनी को उस समय भी बाकी विनिधान मोक का अतिशेष, यदि कोई हो, उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार समामेलित कम्पनी को अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसी कुल कालावधि, जिसके लिए विनिधान मोक का अतिशेष समामेलक कम्पनी और समामेलित कम्पनी के निर्धारणों में अग्रनीत किया जाएगा, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट आठ वर्ष की कालावधि से अधिक नहीं होगी और समामेलित कम्पनी की इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे पोत, वायुयान, मशीनरी या संयंत्र की बाबत निर्धारिती माना जाएगा ।

(7) जहां किसी फर्म द्वारा चलाए जाने वाले कारबार में कोई कम्पनी उसकी उत्तरवर्ती हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप वह फर्म उस कम्पनी को ऐसा कोई पोत, वायुयान, मशीनरी या संयंत्र विक्रीत या अन्यथा अन्तरित करती है वहां उपधारा (6) के खण्ड (क) और (ख) के उपबन्ध उस फर्म और कम्पनी को यावत्शक्य लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के उपबंध केवल वहां लागू होंगे जहां—

(i) उत्तरवर्तन के ठीक पहले कारबार से सम्बद्ध फर्म की सब सम्पत्ति कम्पनी की सम्पत्ति हो जाती है;

(ii) उत्तरवर्तन के ठीक पहले कारबार से सम्बद्ध फर्म के सब दायित्व कम्पनी के दायित्व हो जाते है; और

(iii) कम्पनी के सब शेयर धारक उत्तरवर्तन के ठीक पहले फर्म के भागीदार थे ।

(8) यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकेगी कि इस धारा के अधीन अनुज्ञेय कटौती ऐसी तारीख के पश्चात् जो ऐसी अधिसूचना [1]*** अर्जित किसी पोत या वायुयान या प्रतिष्ठापित किसी मशीनरी या संयंत्र की बाबत अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

[2][(8क) यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज का लोप कर सकती है ।

[3][(8ख) उपधारा (8) में या उसके अधीन जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 870 (ई.) तारीख 12 जून, 1986 की अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के उपबंध निम्नलिखित के संबंध में लागू होंगे,—

(क) (i) 31 मार्च, 1987 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1988 के पूर्व अर्जित कोई नया पोत या नया वायुयान, यदि निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि उसने 12 जून, 1986 के पूर्व, यथास्थिति, उसके निर्माता या विनिर्माता या स्वामी के साथ ऐसे पोत या वायुयान के क्रय के लिए संविदा की थी,

(ii) 31 मार्च, 1987 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1988 के पूर्व प्रतिष्ठापित कोई नई मशीनरी या संयंत्र यदि निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि उसने 12 जून, 1986 के पूर्व ऐसी मशीनरी या संयंत्र का क्रय कर लिया था या ऐसी मशीनरी या संयंत्र के विनिर्माता या स्वामी या व्यवहारी के साथ ऐसी मशीनरी या संयंत्र के क्रय के लिए संविदा की थी या जहां ऐसी मशीनरी या संयंत्र निर्धारिती के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम में विनिर्मित किया गया है वहां ऐसी मशीनरी या संयंत्र के विनिर्माण के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया था :

परंतु उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात इस खंड में विनिर्दिष्ट किसी पोत या वायुयान या मशीनरी या संयंत्र की बाबत, निर्धारिती को, 1 अप्रैल, 1989 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के सिवाय, किसी पूर्ववर्ष में कटौती का दावा करने के लिए हकदार नहीं बनाएगी,

(ख) 31 मार्च, 1988 के पश्चात् किन्तु ऐसी तारीख के पूर्व जो केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अर्जित कोई नया पोत या नया वायुयान या प्रतिष्ठापित कोई नई मशीनरी या संयंत्र ।

---

[1] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 7 द्वारा (1-4-1986 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[2] 1977 के अधिनियम सं० 29 की धारा 9 द्वारा (1-4-1978 से) अन्तःस्थापित ।

[3] 1989 के अधिनियम सं० 3 की धारा 6 द्वारा (1-4-1989 से) उपधारा (8ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][(8ग) उपधारा (3) के खंड (ii) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी निर्धारण वर्ष में निर्धारिती को उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात की गई है, वहां उक्त निर्धारण वर्ष में (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रारंभिक निर्धारण वर्ष कहा गया है) और प्रारंभिक निर्धारण वर्ष के ठीक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाली चार वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के ब्लाक में धारा 32कख के अधीन ऐसे निर्धारिती को कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

[2]* * * *

[3][**32कख. विनिधान निक्षेप लेखा**—(1) इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जहां किसी निर्धारिती ने जिसकी कुल आय में "कारबार या वृत्ति के लाभ अभिलाभ" शीर्ष के अधीन, कर से प्रभार्य आय सम्मिलित है ऐसी आय में से केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई जाने वाली स्कीम (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) या यदि निर्धारिती भारत में चाय उगाने और विनिर्मित करने का कारबार कर रहा है तो इस निमित्त चाय बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार और उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए—

(क) पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास की समाप्ति के पूर्व या अपनी आय की विवरणी देने के पूर्व, इनमें से जो भी पहले हो विकास बैंक में अपने द्वारा रखे गए खाते में (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् निक्षेप खाता कहा गया है) कोई रकम जमा की है; या

(ख) खंड (क) के अधीन निक्षेप खाते में कोई रकम जमा किए बिना, किसी नए पोत, नए वायुयान, नई मशीनरी या संयंत्र के क्रय के लिए पूर्ववर्ष के दौरान किसी रकम का उपयोग किया है,

[4][वहां निर्धारिती को—

(i) इस प्रकार जमा की गई रकम या रकमों के योग के बराबर राशि और इस प्रकार उपयोग की गई रकम की, या

(ii) निर्धारिती के उपधारा (5) के अनुसार संपरीक्षित लेखाओं में यथासंगणित [5]*** कारबार या वृत्ति के लाभ के बीस प्रतिशत के बराबर राशि की, कटौती (ऐसी कटौती पूर्ववर्ती वर्षों से अग्रनीत हानि के, यदि कोई हो, धारा 72 के अधीन मुजरा किए जाने के पहले अनुज्ञात की गई हो), इनमें से जो भी कम हो, अनुज्ञात की जाएगी :

[6][परन्तु जहां ऐसा निर्धारिती कोई फर्म या व्यक्ति संगम या व्यष्टि-निकाय है वहां इस धारा के अधीन कटौती, यथास्थिति, किसी भागीदार या ऐसी फर्म, व्यक्ति संगम या व्यष्टि-निकाय के किसी सदस्य की आय की संगणना करने में अनुज्ञात नहीं की जाएगी :]

[7][परन्तु यह और कि कोई ऐसी कटौती 1 अप्रैल, 1991 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में अनुज्ञात नहीं की जाएगी;]

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए :—

[8]* * * * *

[9][(ii) "नए पोत" या "नए वायुयान" के अन्तर्गत ऐसा पोत या वायुयान है जो निर्धारिती द्वारा अर्जन की तारीख के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति के प्रयोग में था यदि वह ऐसे अर्जन की तारीख के पूर्व किसी समय भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं था;

(iii) "नई मशीनरी या संयंत्र" के अन्तर्गत ऐसी मशीनरी या संयंत्र है जो निर्धारिती द्वारा उसके प्रतिष्ठापन के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति के भारत से बाहर उपयोग में था यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात् :—

(क) ऐसी मशीनरी या संयंत्र का निर्धारिती द्वारा ऐसे प्रतिष्ठापन की तारीख के पूर्व किसी समय भारत में उपयोग नहीं किया गया था;

(ख) ऐसी मशीनरी या संयंत्र का भारत से बाहर किसी देश से भारत में आयात किया जाता है; और

(ग) निर्धारिती द्वारा मशीनरी या संयंत्र के प्रतिष्ठापन की तारीख के पूर्व किसी अवधि के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने में इस अधिनियम के अधीन ऐसी मशीनरी या संयंत्र की बाबत अवक्षयण मद्धे कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई है या अनुज्ञेय नहीं है;

---

[1] 1989 के अधिनियम सं० 3 की धारा 6 द्वारा (1-4-1989 से) उपधारा (8ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 7 द्वारा (1-4-1976 से) लोप किया गया ।
[3] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 8 द्वारा (1-4-1987 से) अन्त:स्थापित ।
[4] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 7 द्वारा (1-4-1987 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 7 द्वारा (1-4-1991 से) "पात्र" शब्द का लोप किया गया ।
[6] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 7 द्वारा (1-4-1987 से) अन्त:स्थापित ।
[7] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 8 द्वारा (1-4-1990 से) अन्त:स्थापित ।
[8] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 7 द्वारा (1-4-1991 से) खण्ड (i) का लोप किया गया ।
[9] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 7 द्वारा (1-4-1987 से) प्रतिस्थापित ।

(iv) "चाय बोर्ड" से चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के अधीन स्थापित चाय बोर्ड अभिप्रेत है ।]

[1][(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती के पात्र कारबार या वृत्ति का लाभ],—

(क) उस दशा में जहां ऐसे पात्र कारबार या वृत्ति की बाबत पृथक् लेखे रखे जाते हैं वहां] ऐसी रकम होगी जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की [2][छठी अनुसूची] के भाग 2 और 3 की अपेक्षाओं के अनुसार संगणित लाभ की रकम में से धारा 32 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार संगणित अवक्षयण के बराबर रकम घटाने के पश्चात् प्राप्त हो और [3][जिसमें—

(i) अवक्षयण की रकम;

(ii) संदत्त या संदेय आय-कर की रकम और उसके लिए व्यवस्था;

(iii) कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अधीन संदत्त या संदेय अतिकर की रकम,

(iv) किन्हीं आरक्षितियों को ले जाई गई रकमें, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों;

(v) अभिनिश्चित दायित्वों से भिन्न दायित्वों को चुकाने के लिए की गई व्यवस्थाओं के लिए अलग रखी गई रकम या रकमें;

(vi) समनुषंगी कम्पनियों की हानियों के लिए व्यवस्था के रूप में रकम; और

(vii) संदत्त या प्रस्तावित लाभांशों की रकम या रकमें,

यदि कोई हो, जोड़ दी जाएगी यदि ऐसी रकमें लाभ और हानि लेखे में से विकलित की गई हैं और उसमें से आरक्षितियों या व्यवस्थाओं से वापस ली गई रकम या रकमें घटा दी जाएंगी, यदि ऐसी रकमें लाभ और हानि लेखे में जमा की गई हैं [4]***

[5]* * * * *

(4) उपधारा (1) के अधीन, कोई कटौती निम्नलिखित के क्रय के लिए उपयोग की गई किसी रकम की बाबत अनुज्ञात नहीं की जाएगी, अर्थात् :—

(क) किसी कार्यालय के परिसर या किसी निवास-स्थान में, जिसके अन्तर्गत अतिथि गृह के प्रकार का स्थान है, प्रतिष्ठापित मशीनरी या संयंत्र;

(ख) कोई कार्यालय साधित्र (जो संगणक नहीं है);

(ग) सड़क परिवहन यान;

(घ) ऐसी मशीनरी या संयंत्र, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत किसी पूर्ववर्ष में "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाती है (चाहे वह अवक्षयण के रूप में हो या अन्यथा);

[6][(ङ) ऐसी नई मशीनरी या संयंत्र जिसे धारा 80जजक में परिभाषित लघु उद्योग उपक्रम से भिन्न किसी औद्योगिक उपक्रम में, ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज के सन्निर्माण, विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रतिष्ठापित किया जाना है ।]

(5) उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक जिस निर्धारण वर्ष के लिए कटौती का दावा किया जाता है उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस निर्धारिती के कारबार या वृत्ति के लेखाओं की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा संपरीक्षा नहीं की गई है और निर्धारिती अपनी आय की विवरणी के साथ ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट नहीं देता है :

परन्तु उस दशा में जहां निर्धारिती से किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उसके लेखाओं की संपरीक्षा कराना अपेक्षित है वहां इस उपधारा के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि ऐसा निर्धारिती ऐसे कारबार या वृत्ति के लेखे ऐसी विधि के अधीन संपरीक्षित कराता है और ऐसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित संपरीक्षा की रिपोर्ट तथा इस उपधारा के अधीन विहित प्ररूप में एक और रिपोर्ट देता है ।

---

[1] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 7 द्वारा (1-4-1991 से) कतिपय शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 7 द्वारा (1-4-1991 से) "छठी अनुसूची" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 7 द्वारा (1-4-1987 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 7 द्वारा (1-4-1991 से) "और" शब्द का लोप किया गया ।
[5] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 7 द्वारा (1-4-1991 से) "खण्ड (ख)" का लोप किया गया ।
[6] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 7 द्वारा (1-4-1991 से) अन्तःस्थापित ।

[1][(5क) निक्षेप खाते में निर्धारिती के नाम में जमा रकम, निक्षेप की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले तथा स्कीम में विनिर्दिष्ट [2][प्रयोजनों के या] नीचे विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के सिवाय वापस नहीं लेने दी जाएगी :—

(क) कारबार का बंद किया जाना;

(ख) निर्धारिती की मृत्यु;

(ग) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का विभाजन;

(घ) फर्म का विघटन;

(ङ) कम्पनी का परिसमापन ।]

[3][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उस उपधारा की कोई बात निक्षेप खाते से वापसी के संबंध में उपधारा (5कक) या उपधारा (6) के उपबंधों के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी चाहे ऐसी वापसी ऐसे निक्षेप की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व की गई हो या उसके पश्चात् ।]

[3][(5कक) जहां किसी निक्षेप खाते में निर्धारिती के नाम में जमा रकम किसी पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा उपधारा (5क) के खंड (क) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में वापस ली जाती है वहां ऐसी संपूर्ण रकम उस पूर्ववर्ष में उस कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझी जाएगी और तदनुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी मानो, यथास्थिति, कारबार बंद न किया गया हो या फर्म का विघटन न हुआ हो ।]

(5ख) जहां निक्षेप खाते में निर्धारिती के नाम में जमा रकम का निर्धारिती द्वारा [4]*** कारबार या वृत्ति के संबंध में किसी व्यय के प्रयोजनों के लिए स्कीम के अनुसार उपयोग किया जाता है वहां ऐसा व्यय "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में अनुज्ञात नहीं जाएगा ।]

(6) जहां निक्षेप खाते में निर्धारिती के नाम में जमा किसी ऐसी रकम का, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा उपयोग किए जाने के लिए विकास बैंक द्वारा किसी पूर्ववर्ष के दौरान या लेखाओं के [3][[उपधारा 5क के खण्ड (ख), खण्ड (ग) और खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में]] बंद किए जाने के समय निर्मुक्त की जाती है, [5][स्कीम के अनुसार और उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर] [6]*** पूर्णत: या भागत:, उपयोग नहीं किया जाता है वहां, यथास्थिति, ऐसी संपूर्ण रकम या उसका भाग, जिसका इस प्रकार उपयोग नहीं किया जाता है, उस पूर्ववर्ष के कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और तद्नुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा ।

(7) जहां स्कीम के अनुसार अर्जित कोई आस्ति, किसी पूर्ववर्ष में, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें वह अर्जित की गई थी, आठ वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय निर्धारिती द्वारा किसी व्यक्ति को विक्रय की जाती है या अन्यथा अंतरित की जाती है वहां ऐसी आस्ति की लागत का ऐसा भाग जो उपधारा (1) के अधीन कटौतियों से संबंधित है, उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसी आस्ति विक्रय की जाती है या अन्यथा अंतरित की जाती है, कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और तद्नुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां—

(i) वह आस्ति, निर्धारिती द्वारा सरकार को, किसी स्थानीय प्राधिकारी को, किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम को या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित किसी सरकारी कंपनी को विक्रय की जाती है या अन्यथा अंतरित की जाती है; या

(ii) ऐसी आस्ति का विक्रय या अंतरण, फर्म द्वारा चलाए जाने वाले कारबार या वृत्ति में किसी कंपनी द्वारा किसी फर्म के उत्तरवर्तन के संबंध में किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वह फर्म किसी आस्ति का उस कंपनी को विक्रय करती है या अन्यथा अंतरण करती है और स्कीम को उसी रीति से लागू बनी रहती है जो रीति फर्म को लागू है ।

स्पष्टीकरण—परन्तुक के खंड (ii) के उपबंध केवल वहां लागू होंगे जहां—

(i) उत्तरवर्तन के ठीक पूर्व कारबार या वृत्ति से संबंधित फर्म की सभी संपत्ति कंपनी की संपत्ति हो जाती है;

(ii) उत्तरवर्तन के ठीक पूर्व कारबार या वृत्ति से संबंधित फर्म के सभी दायित्व कंपनी के दायित्व हो जाते हैं; और

(iii) कंपनी के सभी शेयर धारक उत्तरवर्तन के ठीक पूर्व फर्म के भागीदार थे ।

---

[1] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 7 द्वारा (1-4-1987 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 7 द्वारा (1-4-1987 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 7 द्वारा (1-4-1987 से) अन्त:स्थापित ।
[4] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 7 द्वारा (1-4-1991 से) "पात्र" शब्द का लोप किया गया ।
[5] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 7 द्वारा (1-4-1987 से) प्रतिस्थापित ।
[6] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 7 द्वारा (1-4-1987 से) लोप किया गया ।

(8) यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या चीजों की सूची में से किसी वस्तु या चीज का लोप कर सकेगी ।

(9) केन्द्रीय सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस धारा के उपबन्ध किसी वर्ग के निर्धारितियों को ऐसी तारीख से लागू नहीं होंगे जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे ।

[1][(10) जहां किसी निर्धारण वर्ष में निर्धारिती को इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात की गई है वहां उस निर्धारिती को उक्त निर्धारण वर्ष में (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रारंभिक निर्धारण वर्ष कहा गया है) और प्रारंभिक निर्धारण वर्ष के ठीक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाली चार वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के ब्लाक में धारा 32क की उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा में,—

(क) "संगणक" के अन्तर्गत परिकलन मशीन और परिकलन युक्ति नहीं हैं,

(ख) "विकास बैंक" से अभिप्रेत है—

(i) किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में जो भारत में चाय उगाने और विनिर्मित करने का कारबार कर रहा है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,

(ii) अन्य निर्धारितियों की दशा में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और इसके अन्तर्गत ऐसा बैंक या संस्था है जो स्कीम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए ।

[2][**32कग. नए संयंत्र या मशीनरी में विनिधान**—(1) जहां कोई निर्धारिती, जो कोई कंपनी है, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगा हुआ है, 31 मार्च, 2013 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 2015 के पूर्व, नई आस्ति अर्जित और प्रतिष्ठापित करता है और ऐसी नई आस्तियों की वास्तविक लागत की कुल रकम एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, वहां,—

(क) 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, 31 मार्च, 2013 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 2014 के पूर्व अर्जित और प्रतिष्ठापित नई आस्तियों की वास्तविक लागत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती उस दशा में अनुज्ञात की जाएगी यदि ऐसी नई आस्तियों की वास्तविक लागत की कुल रकम एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है; और

(ख) 1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, 31 मार्च, 2013 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 2015 के पूर्व अर्जित और प्रतिष्ठापित नई आस्तियों की वास्तविक लागत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर ऐसी राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी, जो खंड (क) के अधीन अनुज्ञात कटौती की रकम, यदि कोई है, को घटा कर आए ।

[3][(1क) जहां कोई निर्धारिती, जो कोई कंपनी है, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगा हुआ है, नई आस्तियां अर्जित और प्रतिष्ठापित करता है और [4][किसी पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित ऐसी नई आस्तियों की वास्तविक लागत पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक है और ऐसी आस्ति 31 मार्च, 2017 को या उसके पूर्व प्रतिष्ठापित की जाती है] वहां ऐसी नई आस्तियों की वास्तविक लागत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात की जाएगी :

[5][परंतु जहां नई आस्तियों का प्रतिष्ठापन, अर्जन के वर्ष से भिन्न किसी अन्य वर्ष में किया जाता है, वहां इस उपधारा के अधीन कटौती उस वर्ष में अनुज्ञात की जाएगी, जिसमें नई आस्तियां प्रतिष्ठापित की जाती हैं :]

[4][परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई कटौती ऐसे निर्धारिती को 1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जो उक्त निर्धारण वर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन कटौती का दावा करने का पात्र है ।

(1ख) उपधारा (1क) के अधीन कोई कटौती 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

(2) यदि निर्धारिती द्वारा अर्जित और प्रतिष्ठापित किसी नई आस्ति का, उसके प्रतिष्ठापित किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, समामेलन या निर्विलयन के संबंध में के सिवाय, विक्रय किया जाता है या अन्यथा उसे अंतरित किया जाता है, तो ऐसी नई आस्ति की बाबत उपधारा (1) [3][या उपधारा (1क)] के अधीन अनुज्ञात कटौती की रकम को, उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसी नई आस्ति का विक्रय किया जाता है या उसे अन्यथा अंतरित किया जाता है, ऐसी नई आस्ति के अंतरण के मुद्दे उद्भूत अभिलाभों की कराधेयता के अतिरिक्त "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन निर्धारिती की प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

(3) जहां नई आस्ति का उसका प्रतिष्ठापन किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर समामेलन या निर्विलयन के संबंध में विक्रय किया जाता है या अन्यथा उसे अंतरित किया जाता है, वहां उपधारा (2) के उपबंध, यथास्थिति, समामेलित कंपनी या परिणामी कंपनी को इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे समामेलक कंपनी या निर्विलयित कंपनी को लागू होते हैं ।

---

[1] 1989 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 7 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 14 द्वारा अंत:स्थापित ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "नई आस्ति" से कोई नया संयंत्र या मशीनरी (पोत या वायुयान से भिन्न) अभिप्रेत है, किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं—

(i) ऐसा कोई संयंत्र या मशीनरी, जिसका उपयोग निर्धारिती द्वारा उसका प्रतिष्ठापन किए जाने के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के भीतर या बाहर किया गया था;

(ii) किसी कार्यालय परिसर या किसी निवास-स्थान में, जिसके अंतर्गत अतिथि गृह की प्रकृति की वास-सुविधा भी है, प्रतिष्ठापित कोई संयंत्र या मशीनरी;

(iii) कोई कार्यालय साधित्र, जिनके अंतर्गत कम्प्यूटर या कम्प्यूटर साफ्टवेयर भी है;

(iv) कोई यान; या

(v) कोई संयंत्र या मशीनरी, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत को, किसी पूर्ववर्ष की "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा रूप में) अनुज्ञात किया जाता है ।]

[1][**32कघ. कतिपय राज्यों में अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में नए संयंत्र या मशीनरी में विनिधान**—(1) जहां कोई निर्धारिती किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के लिए कोई उपक्रम या उद्यम, आंध्र प्रदेश राज्य में या बिहार राज्य में या तेलगांना राज्य में या पश्चिमी बंगाल राज्य में, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी पिछड़े क्षेत्र में, 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् प्रतिष्ठापित करता है और उक्त पिछड़े क्षेत्र में, उक्त उपक्रम या उद्यम के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2020 के पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी नई आस्ति को अर्जित करता है और प्रतिष्ठापित करता है, वहां उस पूर्ववर्ष से, जिसमें नई आस्ति प्रतिष्ठापित की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी नई आस्ति की वास्तविक लागत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) यदि निर्धारिती द्वारा अर्जित और प्रतिष्ठापित किसी नई आस्ति का, उसके प्रतिष्ठापित किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, धारा 47 के खंड (xiii) या खंड (xiiiख) या खंड (xiv) में निर्दिष्ट कारबार के समामेलन या निर्विलियन या पुनर्गठन के संबंध में के सिवाय, विक्रय किया जाता है या अन्यथा उसे अंतरित किया जाता है, तो ऐसी नई आस्ति के संबंध में उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कटौती की रकम को, उस पूर्ववर्ष की जिसमें ऐसी नई आस्ति का विक्रय किया जाता है या उसे अन्यथा अंतरित किया जाता है, ऐसी नई आस्ति के अंतरण के मद्दे, उद्भूत अभिलाभों की कराधेयता के अतिरिक्त, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन निर्धारिती की प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

(3) जहां नई आस्ति का, उसके प्रतिष्ठापित किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, धारा 47 के खंड (xiii) या खंड (xiiiख) या खंड (xiv) में निर्दिष्ट कारबार के समामेलन या निर्विलियन या पुनर्गठन के संबंध में विक्रय किया जाता है या उसे अन्यथा अंतरित किया जाता है, वहां उपधारा (2) के उपबंध, यथास्थिति, धारा 47 के खंड (xiii) या खंड (xiiiख) या खंड (xiv) में निर्दिष्ट समामेलित कंपनी या परिणामी कंपनी या उत्तराधिकारी को इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 47 के खंड (xiii) या खंड (xiiiख) या खंड (xiv) में निर्दिष्ट समामेलक कंपनी या निर्विलयित कंपनी या पूर्वाधिकारी को लागू होते हैं ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "नई आस्ति" से कोई नया संयंत्र या मशीनरी (पोत या वायुयान से भिन्न) अभिप्रेत है, किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं—

(क) ऐसा कोई संयंत्र या मशीनरी, जिसका निर्धारिती द्वारा उसके संस्थापित किए जाने के पूर्व उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के भीतर या बाहर किया गया था;

(ख) किसी कार्यालय परिसर या किसी निवास स्थान में, जिसके अंतर्गत अतिथि गृह की प्रकृति की वास-सुविधा भी है, संस्थापित कोई संयंत्र या मशीनरी;

(ग) कोई कार्यालय साधित्र, जिनके अंतर्गत कम्प्यूटर या कम्प्यूटर साफ्टवेयर भी हैं;

(घ) कोई यान; या

(ङ) कोई संयंत्र या मशीनरी, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत को किसी पूर्ववर्ष की "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा) अनुज्ञात किया जाता है ।]

33. विकास रिबेट—[2][(1) (क) किसी (ऐसे कार्यालय साधित्रों या सड़क परिवहन यानों से भिन्न) नए पोत या नई मशीनरी या संयंत्र की बाबत जो निर्धारिती के स्वामित्व में है और उसके द्वारा चलाए गए कारबार के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्णत: प्रयुक्त किया जाता है इस धारा के और धारा 34 के उपबन्धों के अनुसार और अधीन रहते हुए, विकास रिबेट के रूप में ऐसी राशि की कटौती जैसी खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट है उस पूर्ववर्ष की बाबत, जिसमें वह पोत अर्जित किया गया था या मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित किया गया

[1] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 11 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 द्वारा और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1968 से) प्रतिस्थापित ।

था यदि पोत, मशीनरी या संयंत्र ठीक पश्चात् वाले पूर्ववर्ष में प्रथम बार उपयोग में लाया गया है तब उस पूर्ववर्ष की बाबत अनुज्ञात की जाएगी ।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट राशि निम्नलिखित होगी—

(अ) किसी पोत की दशा में, निर्धारिती को उसकी वास्तविक लागत का चालीस प्रतिशत;

(आ) मशीनरी या संयंत्र की दशा में—

(i) जहां मशीनरी या संयंत्र पंचम अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या चीजों में से किसी एक या अधिक वस्तुओं या चीजों के सन्निर्माण, विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रतिष्ठापित किया जाता है, वहां—

(क) निर्धारिती को इस मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत का पैंतीस प्रतिशत; यदि वह 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व प्रतिष्ठापित किया जाता है; और

(ख) ऐसी लागत का पच्चीस प्रतिशत यदि वह 1970 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् प्रतिष्ठापित किया जाता है;

(ii) जहां मशीनरी या संयंत्र, 1967 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् किसी ऐसे निर्धारिती द्वारा, जो भारतीय कम्पनी है, उसके द्वारा होटल के रूप में प्रयुक्त किसी परिसर में प्रतिष्ठापित किया जाता है और ऐसा होटल केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्समय इस निमित्त अनुमोदित है, वहां—

(क) निर्धारिती को उस मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत का पैंतीस प्रतिशत यदि वह 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व प्रतिष्ठापित किया जाता है; और

(ख) ऐसी लागत का पच्चीस प्रतिशत यदि वह 1970 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् प्रतिष्ठापित किया जाता है;

(iii) जहां ऐसी मशीनरी या संयंत्र 1967 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् प्रतिष्ठापित किया जाता है जो निर्धारितियों द्वारा चलाए गए कारबार से सम्बद्ध वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत प्रकार के व्यय के रूप की आस्ति है, वहां—

(क) निर्धारिती को उस मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत का पैंतीस प्रतिशत यदि वह 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व प्रतिष्ठापित किया जाता है; और

(ख) ऐसी लागत का पच्चीस प्रतिशत, यदि वह 1970 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् प्रतिष्ठापित किया जाता है;

(iv) किसी अन्य दशा में—

(क) निर्धारिती को उस मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत का बीस प्रतिशत यदि वह 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व प्रतिष्ठापित किया जाता है; और

(ख) ऐसी लागत का पन्द्रह प्रतिशत, यदि वह 1970 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् प्रतिष्ठापित किया जाता है ।]

[1][(1क) (क) किसी निर्धारिती को, जो 1964 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् कोई ऐसा पोत अर्जित करता है जो उसके द्वारा अर्जन की तारीख से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किया गया था, धारा 34 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विकास रिबेट के तौर पर कोई राशि भी ऐसी दर या दरों पर जो विहित की जाएं, कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी; परन्तु यह तब जब कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात् :—

(i) ऐसा पोत भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्व में ऐसे अर्जन की तारीख से पूर्व किसी समय नहीं था;

(ii) ऐसे पोत का सम्पूर्णत: प्रयोग निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाता है; और

(iii) ऐसी अन्य शर्तें जैसी विहित की जाएं ।

(ख) किसी निर्धारिती को जो, कोई ऐसी (कार्यालय, साधित्र या सड़क परिवहन यान से भिन्न) मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित करता है जो निर्धारिती द्वारा ऐसे प्रतिष्ठापन से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर प्रयुक्त किया गया था धारा 34 के

[1] 1964 के अधिनियम सं० 5 की धारा 8 द्वारा (1-4-1964 से) अन्त:स्थापित ।

उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विकास रिबेट के तौर पर कोई राशि भी ऐसी दर या दरों पर जैसी विहित की जाए कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी, परन्तु यह तब जब कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात् :—

(i) ऐसी मशीनरी या संयंत्र निर्धारिती द्वारा ऐसे प्रतिष्ठापन की तारीख से पूर्व किसी समय भारत में प्रयुक्त नहीं किया गया था;

(ii) निर्धारिती द्वारा उसका आयात भारत से बाहर के किसी देश से भारत में किया गया है;

(iii) निर्धारिती द्वारा ऐसी मशीनरी या संयंत्र के प्रतिष्ठापन की तारीख से पूर्व किसी कालावधि के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने में भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसी मशीनरी या संयंत्र की बाबत अवक्षयण या विकास रिबेट के लिए कोई कटौती न तो अनुज्ञात की गई है और न ही अनुज्ञेय है;

(iv) ऐसी मशीनरी या संयंत्र का सम्पूर्णत: प्रयोग निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाता है; और

(v) ऐसी अन्य शर्तें जो विहित की जाएं ।

(ग) इस उपधारा के अधीन विकास रिबेट, उस पूर्ववर्ष की बाबत जिसमें पोत अर्जित किया गया था या मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित किया गया था या यदि, पोत मशीनरी या संयंत्र ठीक उत्तरवर्ती पूर्ववर्ष में प्रथम बार प्रयोग में लाया जाता है तो उस पूर्ववर्ष की बाबत, कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।]

(2) 1957 के दिसम्बर के 31वें दिन के पश्चात् अर्जित पोत या प्रतिष्ठापित मशीनरी या संयंत्र की दशा में जहां कि, यथास्थिति, उस पूर्ववर्ष से जिसमें पोत अर्जित किया गया था या मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित किया गया था अथवा ठीक उत्तरवर्ती पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय निर्धारिती की कुल आय [1][जिस प्रयोजन के लिए कि कुल आय की संगणना इस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (1क) या धारा 33क की उपधारा (1) के अधीन कोई मोक दिए बिना या अध्याय 6क [2]*** के अधीन कोई कटौती किए बिना की जाएगी] शून्य है या विकास रिबेट की कुल रकम से, जिसका परिकलन [3][यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन लागू दर से] किया गया हो, कम है, वहां—

(i) [4][उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन] उस निर्धारण वर्ष के लिए विकास रिबेट के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली राशि केवल उतनी रकम होगी जितनी उक्त कुल आय को घटाकर शून्य कर देने के लिए पर्याप्त है, और

(ii) विकास रिबेट की रकम उस परिमाण तक जिस तक कि वह पूर्वोक्त रूप में अनुज्ञात नहीं की गई हो आगामी निर्धारण वर्ष को अग्रनीत की जाएगी और आगामी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात किया जाने वाला विकास रिबेट उतनी रकम होगी जितनी कि उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय निर्धारिती की कुल आय को, जो कि पूर्वोक्त रीति में संगणित की गई हो, घटाकर शून्य कर देने के लिए पर्याप्त है और विकास रिबेट का वह अतिशेष, यदि कोई हो, जो उस समय बाकी है, आगामी निर्धारण वर्ष को अग्रनीत किया जाएगा और इसी प्रकार आगे किया जाता रहेगा किन्तु ऐसे कि विकास रिबेट का कोई भी भाग, यथास्थिति, उस पूर्ववर्ष से जिसमें पोत अर्जित किया गया था या मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित किया था अथवा ठीक उत्तरवर्ती पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के ठीक उत्तरवर्ती आठ से अधिक निर्धारण वर्षों को अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—जहां एक से अधिक पूर्ववर्ष में अर्जित पोतों या प्रतिष्ठापित मशीनरी या संयंत्र की बाबत उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार विकास रिबेट किसी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात किया जाना है और उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय निर्धारिती की कुल आय [1][जिस प्रयोजन के लिए कि कुल आय की संगणना इस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (1क) या धारा 33क की उपधारा (1) के अधीन कोई मोक दिए बिना या अध्याय 6क [2]*** के अधीन कटौती किए बिना की जाएगी], उस निर्धारण वर्ष के लिए पूर्वोक्त आस्तियों की बाबत अनुज्ञात की जाने वाली रकमों के योग से कम है वहां निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) उपधारा (2) के खण्ड (ii) के अधीन मोक उस उपधारा के खण्ड (i) के अधीन किसी मोक के दिए जाने के पूर्व दिया जाएगा, और

(ii) जहां उन रकमों की बाबत जो एक से अधिक निर्धारण वर्षों से अग्रनीत की गई हो, उपधारा (2) के खण्ड (ii) के अधीन कोई मोक दिया जाना है, वहां ऐसी रकम जो किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष में अग्रनीत की गई है, उस रकम से पहले अनुज्ञात की जाएगी जो किसी पश्चातर निर्धारण वर्ष से अग्रनीत की गई हो ।

---

[1] 1966 के अधिनियम सं० 29 की धारा 33 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1968 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 54 द्वारा (1-4-1988 से) "या धारा 280ण" शब्द, अंक और अक्षर का लोप किया गया ।

[3] 1964 के अधिनियम सं० 5 की धारा 8 द्वारा (1-4-1964 से) "इस उपधारा के अधीन उसे लागू दर से" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1964 के अधिनियम सं० 5 की धारा 8 द्वारा (1-4-1964 से) "उपधारा (1) के अधीन" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][(3) जहां समामेलन की किसी स्कीम में समामेलक कम्पनी कोई ऐसा पोत, मशीनरी या संयंत्र जिसकी बाबत उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन समामेलक कम्पनी को विकास रिबेट अनुज्ञात किया गया है, समामेलित कम्पनी को बिक्री करती है या अन्यथा अन्तरित करती है, वहां—

(क) समामेलित कम्पनी समामेलक कम्पनी द्वारा सृष्ट रिजर्व की बाबत और उस कालावधि की बाबत जिसमें ऐसा पोत, मशीनरी या संयंत्र विक्रीत नहीं किया जाएगा या अन्यथा अन्तरित नहीं किया जाएगा, धारा 34 की उपधारा (5) के उपबन्ध समामेलित कम्पनी को वैसे ही लागू होंगे जैसे समामेलक कम्पनी को लागू होते यदि उसने व्यतिक्रम किया होता; और

(ख) ऐसे पोत, मशीनरी या संयंत्र की बाबत समामेलक कम्पनी को उस समय भी बाकी विकास रिबेट का अतिशेष, यदि कोई हो, उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार समामेलित कम्पनी को अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु इस प्रकार किसी ऐसी कुल कालावधि, जिसके लिए विकास रिबेट का अतिशेष समामेलक कम्पनी और समामेलित कम्पनी के निर्धारण में अग्रनीत किया जाएगा, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट आठ वर्ष की कालावधि, से अधिक नहीं होगी और समामेलित कम्पनी को इस उपधारा और धारा 34 के प्रयोजनों के लिए ऐसे पोत, मशीनरी या संयंत्र की बाबत निर्धारिती माना जाएगा ।]

(4) जहां किसी फर्म द्वारा चलाए जाने वाले कारबार में कोई कम्पनी उसकी उत्तरवर्ती हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप वह फर्म उस कम्पनी को कोई पोत, मशीनरी या संयंत्र विक्रीत या अन्यथा अन्तरित करती है वहां उपधारा (3) के खण्ड (क) और (ख) के उपबन्ध उस फर्म और कम्पनी को यावत्शक्य लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के उपबन्ध केवल वहां लागू होंगे जहां—

(i) उत्तरवर्तन के ठीक पहले कारबार से सम्बद्ध फर्म की सब सम्पत्ति कम्पनी की सम्पत्ति हो जाती है,

(ii) उत्तरवर्तन के ठीक पहले कारबार से सम्बद्ध फर्म के सब दायित्व कम्पनी के दायित्व हो जाते हैं, और

(iii) कम्पनी के सब शेयर उत्तरवर्तन के ठीक पहले फर्म के भागीदार थे ।

[2][(5) यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकेगी कि इस धारा के अधीन अनुज्ञेय कटौती ऐसी तारीख के पश्चात् जो ऐसी अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष से अधिक पहले की न होते हुए उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, अर्जित किसी पोत या प्रतिष्ठापित किसी मशीनरी या संयंत्र की बाबत अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

[3][(6) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी विकास रिबेट के रूप में कोई कटौती, किसी ऐसी मशीनरी या संयंत्र की बाबत अनुज्ञात नहीं की जाएगी जो किसी कार्यालय के परिसर या किसी निवास स्थान में जिसके अन्तर्गत अतिथिगृह के प्रकार की कोई वास-सुविधा आती है 1965 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् प्रतिष्ठापित किया जाए :

[4][परन्तु इस उपधारा के उपबन्ध, ऐसे निर्धारिती की दशा में जो भारतीय कम्पनी है किसी ऐसी मशीनरी या संयंत्र की बाबत जो उस द्वारा होटल के रूप में प्रयुक्त परिसर में उस द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया है, वहां लागू नहीं होंगे जहां ऐसा होटल केंद्रीय सरकार द्वारा तत्समय इस निमित्त अनुमोदित है ।

[5][**33क. विकास मोक**—(1) किसी ऐसे निर्धारिती के, जो भारत में चाय उगाने और विनिर्मित करने का कारबार चलाता है, स्वामित्व के अधीन भारत में किसी भूमि पर चाय के झाड़ों का रोपण करने की बाबत विकास मोक के तौर पर ऐसी राशि जो निम्नलिखित के समतुल्य हो—

(i) जहां चाय के झाड़ों का किसी ऐसी भूमि पर, जिस पर चाय के झाड़ों का किसी समय रोपण नहीं किया था, या किसी ऐसी भूमि पर, जिसका पहले परित्याग कर दिया गया था, रोपण किया गया है, वहां रोपण वास्तविक खर्च का [6][पचास प्रतिशत], और

(ii) जहां चाय के झाड़ों का किसी ऐसी भूमि पर, जिस पर पहले ही रोपण किया जा चुका है, चाय के उन झाड़ों के स्थान पर जो समाप्त हो चुके हैं या स्थायी रूप से बेकार हो गए है, रोपण किया जाता है, वहां रोपण के वास्तविक खर्च का [7][तीस प्रतिशत],

इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, [8][एतद्धीन विनिर्दिष्ट रीति से कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी, अर्थात् :—

---

[1] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 9 द्वारा (1-4-1967 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 1964 के अधिनियम सं० 5 की धारा 8 द्वारा (1-4-1964 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 8 द्वारा (1-4-1965 से) अन्त:स्थापित ।
[4] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1968 से) और अन्त:स्थापित ।
[5] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 9 द्वारा (1-4-1965 से) अन्त:स्थापित ।
[6] 1966 के अधिनियम सं० 13 की धारा 8 द्वारा (1-4-1966 से) "चालीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1966 के अधिनियम सं० 13 की धारा 8 द्वारा (1-4-1966 से) "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1966 के अधिनियम सं० 13 की धारा 8 द्वारा (1-4-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(क) प्रथमत: विकास मोक की रकम की संगणना रोपण के वास्तविक खर्च के उस भाग के प्रतिनिर्देश से की जाएगी जो उस पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें भूमि, यथास्थिति, रोपण या पुन:रोपण के लिए तैयार की जाती है और ठीक आगामी पूर्ववर्ष में, उपगत किया जाता है और इस प्रकार संगणित रकम ऐसे ठीक आगामी पूर्ववर्ष की बाबत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी; और

(ख) तत्पश्चात् विकास मोक की रोपण के वास्तविक खर्च के प्रति निर्देश से पुन:संगणना की जाएगी और यदि इस प्रकार संगणित राशि खण्ड (क) के अधीन कटौती के रूप में, अनुज्ञात रकम से अधिक है तो आधिक्य की रकम, उस पूर्ववर्ष के, जिसमें भूमि, यथास्थिति, रोपण या पुन:रोपण के लिए तैयार की गई है, ठीक आगामी तृतीय पूर्ववर्ष की बाबत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी:]

[1][परन्तु खंड (i) के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि रोपण 1965 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् प्रारंभ न हुआ हो और 1990 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व पूरा न कर दिया गया हो :

परन्तु यह और कि खंड (ii) के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि रोपण 1965 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् प्रारंभ न हुआ हो और 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व पूरा न कर दिया गया हो ।

(2) जहां उस पूर्ववर्ष से [2][जिसकी बाबत कटौती, उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात की जानी अपेक्षित है,] सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय निर्धारिती की कुल आय [3][जिस प्रयोजन के लिए कि कुल आय की संगणना धारा 33 की उपधारा (1) या उपधारा (1क) या उपधारा (2) के खण्ड (ii) के अधीन मोक की कटौती के पश्चात् किन्तु इस धारा की उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती या अध्याय 6क [4]*** के अधीन कटौती किए बिना की जाएगी,] शून्य है या विकास मोक की कुल रकम से] [5][जिसका परिकलन उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर और रीति से किया गया हो] कम है, वहां—

(i) उपधारा (1) के अधीन निर्धारण वर्ष के लिए विकास मोक के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली राशि केवल उतनी रकम होगी जितनी कि उक्त कुल आय को घटाकर शून्य कर देने के लिए पर्याप्त है, और

(ii) विकास मोक की रकम उस परिमाण तक जिस तक वह पूर्वोक्त रूप में अनुज्ञात नहीं की गई है, आगामी निर्धारण वर्ष को अग्रनीत की जाएगी और आगामी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात किया जाने वाला विकास मोक उतनी रकम होगी जितनी उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय निर्धारिती की कुल आय को, जो पूर्वोक्त रीति में संगणित की गई हो घटाकर शून्य कर देने के लिए पर्याप्त है और विकास मोक का वह अतिशेष, यदि कोई हो, जो उस समय बाकी हो, आगामी निर्धारण वर्ष को अग्रनीत किया जाएगा और इसी प्रकार आगे किया जाता रहेगा, किन्तु ऐसे कि विकास मोक का कोई भी भाग उस निर्धारण वर्ष के जिसमें कटौती प्रथम बार अनुज्ञेय थी ठीक उत्तरवर्ती आठ से अधिक निर्धारण वर्षों को अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—जहां एक से अधिक पूर्ववर्षों की बाबत उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार विकास मोक किसी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात किया जाना है और उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण निर्धारिती की कुल आय [3][जिस प्रयोजन के लिए कि कुल आय की संगणना धारा 33 की उपधारा (1) या उपधारा (1क) या उपधारा (2) के खण्ड (ii) के अधीन मोक की कटौती के पश्चात् किन्तु इस धारा की उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती या अध्याय 6क [4]*** के अधीन कोई कटौती किए बिना की जाएगी,] शून्य है या उस निर्धारण वर्ष की बाबत दिए जाने के लिए विकास मोक की रकम से कम है, वहां निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) इस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ii) के अधीन मोक उस उपधारा के खण्ड (i) के अधीन किसी मोक के दिए जाने के पूर्व दिया जाएगा; और

(ii) जहां उन रकमों की बाबत जो एक से अधिक निर्धारण वर्षों से अग्रनीत की गई हों, इस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ii) के अधीन कोई मोक दिया जाना है, वहां ऐसी रकम जो किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से अग्रनीत की गई है उस रकम से पहले अनुज्ञात की जाएगी जो किसी पश्चातत्तर निर्धारण वर्ष से अग्रनीत की गई हो ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती केवल तब अनुज्ञात की जाएगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात् :—

(i) इस निमित्त विहित विशिष्टियां निर्धारिती द्वारा दे दी गई हैं,

(ii) वस्तुत: अनुज्ञात किए जाने वाले विकास मोक के पचहत्तर प्रतिशत के बराबर रकम सुसंगत पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखों में से विकलित की जाती है और एक रिजर्व खाते में जमा की जाती है जिसका ठीक आगे से आठ वर्ष की कालावधि के दौरान निर्धारिती द्वारा उपयोग—

---

[1] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 9 द्वारा (1-4-1990 से) प्रतिस्थापित ।

[2] 1966 के अधिनियम सं० 13 की धारा 8 द्वारा (1-4-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1968 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 54 द्वारा (1-4-1988 से) "या धारा 280ण" शब्द, अंक और अक्षरों का लोप किया गया ।

[5] 1966 के अधिनियम सं० 13 की धारा 8 द्वारा (1-4-1966 से) "जिसका परिकलन उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर किया गया हो" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(क) लाभांशों या लाभों के तौर पर वितरण के लिए, या

(ख) लाभों के रूप में भारत के बाहर प्रेषण के लिए या भारत के बाहर किसी आस्ति के सृजन के लिए, करने से अन्यथा उस उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाना है, और

(iii) ऐसी अन्य शर्तें जैसी विहित की जाएं ।

(4) यदि ऐसी कोई भूमि, उस पूर्ववर्ष की समाप्ति से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई थी, आठ वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी समय निर्धारिती द्वारा किसी व्यक्ति को बिक्री की जाती है या अन्यथा अन्तरित की जाती है, तो इस धारा के अधीन किसी मोक के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए गलत तौर से किया गया है और धारा 155 की उपधारा (5क) के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे :

परन्तु यह उपधारा वहां लागू नहीं होगी—

(i) जहां वह भूमि निर्धारिती द्वारा सरकार को, किसी स्थानीय प्राधिकारी को किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम को या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कम्पनी को विक्रीत की जाती है या अन्यथा अन्तरित की जाती है, या

(ii) जहां उस भूमि का विक्रय या अन्तरण उपधारा (5) या उपधारा (6) में निर्दिष्ट समामेलन या उत्तरवर्तन के संबंध में किया जाता है ।

[1][(5) जहां समामेलन की किसी स्कीम में, समामेलक कम्पनी कोई ऐसी भूमि, जिसकी बाबत उपधारा (1) के अधीन समामेलक कम्पनी को विकास मोक अनुज्ञात किया गया है, समामेलित कम्पनी को विक्रीत करती है या अन्यथा अन्तरित करती है वहां—

(क) समामेलित कम्पनी समामेलक कम्पनी द्वारा सृष्ट रिजर्व की बाबत और उस कालावधि की बाबत जिसके अन्दर ऐसे भूमि विक्रीत नहीं की जाएगी या अन्यथा अन्तरित नहीं की जाएगी, उपधारा (3) में वर्णित शर्तें पूरी करती रहेगी और इन शर्तों में से किसी का व्यतिक्रम होने पर धारा 155 की उपधारा (5क) के उपबन्ध समामेलित कम्पनी को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे समामेलक कम्पनी को लागू होते यदि उसने व्यतिक्रम किया होता; और

(ख) ऐसी भूमि की बाबत समामेलक कम्पनी को उस समय भी बाकी विकास मोक का अतिशेष यदि कोई हो उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार समामेलित कम्पनी को अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु इस प्रकार की ऐसी कुल कालावधि जिसके लिए विकास मोक का अतिशेष समामेलन कम्पनी और समामेलित कम्पनी के निर्धारणों में अग्रनीत किया जाएगा, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट आठ वर्ष की कालावधि से अधिक नहीं होगी और समामेलित कम्पनी को इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि की बाबत निर्धारिती माना जाएगा ।]

(6) जहां किसी फर्म द्वारा चलाए जाने वाले कारबार में कोई कम्पनी उसकी उत्तरवर्ती हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप वह फर्म उस कम्पनी को ऐसी कोई भूमि विक्रीत या अन्यथा अन्तरित करती है जिस पर विकास मोक अनुज्ञात किया गया है, वहां उपधारा (5) के खण्ड (क) और (ख) के उपबन्ध, उस फर्म और कम्पनी को यावत्शक्य लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के उपबन्ध, तब लागू होंगे जब धारा 33 की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में अधिकथित शर्तें पूरी हो जाती हैं ।

(7) इस धारा के प्रयोजन के लिए "रोपण की वास्तविक लागत" से निम्नलिखित का योग अभिप्रेत है—

(i) भूमि को तैयार करने की लागत,

(ii) बीज, कलम और नर्सरियों की लागत,

(iii) रोपण और पुन:रोपण की लागत, तथा

(iv) उस पूर्ववर्ष के लिए जिसमें भूमि तैयार की गई है और ऐसे पूर्ववर्ष के ठीक आगे के तीन लगातार पूर्ववर्षों के लिए उनके अनुरक्षण की लागत, जैसा कि वह लागत के उस प्रभाग को, यदि कोई हो,

घटाकर आए तो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किया गया हो :

[2][परन्तु जहां ऐसी लागत—

(i) दार्जिलिंग जिले में अन्तर्विष्ट किसी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित भूमि की बाबत चालीस हजार रुपए प्रति हैक्टर से अधिक है, या

---

[1] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 10 द्वारा (1-4-1967 से) प्रतिस्थापित ।

[2] 1981 के अधिनियम सं० 16 की धारा 6 द्वारा (1-4-1982 से) प्रतिस्थापित ।

(ii) दार्जिलिंग जिले से भिन्न किसी क्षेत्र में अन्तर्विष्ट पहाड़ी क्षेत्र में स्थित भूमि की बाबत पैंतीस हजार रुपए प्रति हैक्टर से अधिक है, या

(iii) किसी अन्य क्षेत्र में तीस हजार रुपए प्रति हैक्टर से अधिक है,

वहां आधिक्य को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए "दार्जिलिंग जिला" से अभिप्रेत है 28 फरवरी, 1981 को, जो लोक सभा में वित्त विधेयक, 1981 के पुर:स्थापन की तारीख है, यथाविद्यमान दार्जिलिंग जिला ।]

(8) ऊंचाई तथा स्थलाकृति को ध्यान में रखते हुए बोर्ड, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए किन्हीं को पर्वतीय क्षेत्र घोषित कर सकेगा और ऐसा आदेश किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

[1][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे निर्धारिती के बारे में जिसका किसी भूमि में पट्टाधृति या अधिभोग का अन्य अधिकार है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसी भूमि का स्वामी है और जहां निर्धारिती ऐसे अधिकार का अन्तरण करता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी भूमि का विक्रय या अन्यथा अन्तरण किया है ।]

[2][**33कख. चाय विकास खाता [3][काफी विकास खाता और रबड़ विकास खाता]**—(1) जहां किसी निर्धारिती ने, जो भारत में [4][चाय या काफी या रबड़ उगाने और विनिर्मित करने] का कारबार करता है पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास के अवसान के पूर्व या [4][अपनी आय की विवरणी देने की सम्यक् तारीख] के पूर्व, [5][इनमें से जो भी पूर्वतर हो,—

(क) राष्ट्रीय बैंक में निर्धारिती द्वारा रखे गए खाते में (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् विशेष खाता कहा गया है) कोई रकम या रकमें, [4][चाय बोर्ड या काफी बोर्ड या रबड़ बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित] स्कीम के (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) अनुसार और उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा की है; या

(ख) [4][केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यथास्थिति, चाय बोर्ड या काफी बोर्ड या रबड़ बोर्ड द्वारा बनाई गई किसी स्कीम के (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् निक्षेप स्कीम कहा गया है) अनुसार और उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा खोले गए किसी खाते में (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् निक्षेप खाता कहा गया है) कोई रकम जमा की है];

वहां इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती को,]—

(क) इस प्रकार जमा की गई रकम या रकमों के योग के बराबर राशि की, या

(ख) ऐसे कारबार के [6][लाभ के चालीस प्रतिशत के बराबर राशि] की, (इस धारा के अधीन कोई कटौती करने के पहले "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित), कटौती (ऐसी कटौती पूर्ववर्ती वर्षों से अग्रनीत किसी हानि के यदि कोई हो, धारा 72 के अधीन मुजरा किए जाने के पूर्व अनुज्ञात की गई है),]

इनमें से जो भी कम हो, अनुज्ञात की जाएगी :

परन्तु जहां ऐसा निर्धारिती कोई फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय है, वहां इस धारा के अधीन कटौती, यथास्थिति, किसी भागीदार या ऐसी फर्म, व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय के किसी सदस्य की आय की संगणना करने में अनुज्ञात नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि जहां विशेष खाते में [7][या [8][निक्षेप खाते] में] जमा की गई किसी रकम के संबंध में कोई कटौती किसी पूर्ववर्ष में इस उपधारा के अधीन अनुज्ञात की गई है वहां किसी अन्य पूर्ववर्ष में ऐसी रकम के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि जिस निर्धारण वर्ष के लिए कटौती का दावा किया गया है, उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए, उस निर्धारिती के कारबार के लेखाओं की, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा संपरीक्षा नहीं की गई है और निर्धारिती, अपनी आय की विवरणी के साथ, ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्त: हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट नहीं देता है :

परन्तु उस दशा में जहां निर्धारिती से किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराना अपेक्षित है, वहां इस उपधारा के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि ऐसा निर्धारिती ऐसे कारबार के लेखे ऐसी विधि के अधीन संपरीक्षित

---

[1] 1975 के अधिनियम सं० 25 की धारा 5 द्वारा (1-4-1965 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 10 द्वारा (1-4-1991 से) प्रतिस्थापित और 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 7 द्वारा (1-4-1986 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 16 द्वारा (1-4-2004 से) अंत:स्थापित ।
[4] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 16 द्वारा (1-4-2004 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 12 द्वारा (1-4-1995 से) प्रतिस्थापित ।
[6] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 22 द्वारा (1-4-2002 से) प्रतिस्थापित ।
[7] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 12 द्वारा (1-4-1995 से) अंत:स्थापित ।
[8] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।

कराता है और ऐसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित संपरीक्षा की रिपोर्ट तथा इस उपधारा के अधीन विहित प्ररूप में एक और रिपोर्ट देता है ।

[1][(3) विशेष खाते में या [2][निक्षेप खाते] में निर्धारिती के नाम में जमा रकम, यथास्थिति, स्कीम या निक्षेप स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए या नीचे विनिर्दिष्ट परिस्थिति के सिवाय वापस नहीं लेने दी जाएगी]—

(क) कारबार का बन्द किया जाना;

(ख) निर्धारिती की मृत्यु;

(ग) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का विभाजन;

(घ) फर्म का विघटन;

(ङ) कंपनी का परिसमापन ।

[2][(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारिती के विशेष खाते या निक्षेप खाते में उसके नाम की बकाया कोई रकम किसी पूर्ववर्ष के दौरान राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्मुक्त की जाती है या निक्षेप खाते से निर्धारिती द्वारा निकाली जाती है और ऐसी रकम का उपयोग निम्नलिखित के क्रय के लिए किया जाता है—

(क) ऐसी मशीनरी या संयंत्र, जिसे किसी कार्यालय के परिसर या निवास-स्थान में, जिसके अंतर्गत अतिथि-गृह की प्रकृति का कोई आवास भी है, प्रतिष्ठापित किया जाना है;

(ख) कोई कार्यालय साधित्र (जो कम्प्यूटर नहीं है);

(ग) ऐसी मशीनरी या संयंत्र, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत किसी पूर्ववर्ष में "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाती है (चाहे यह अवक्षयण के रूप में हो या अन्यथा);

(घ) ऐसी नई मशीनरी या संयंत्र, जिसे ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज के सन्निर्माण, विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के प्रयोजनों के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम में प्रतिष्ठापित किया जाना है,

वहां इस प्रकार उपयोग की गई संपूर्ण रकम को, उस पूर्ववर्ष के कारबार का लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और तदनुसार वह, उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी ।]

(5) जहां विशेष खाते में [3][या [2][निक्षेप खाते] में] निर्धारिती के नाम में जमा कोई रकम, किसी पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा उपधारा (3) के खंड (क) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट परिस्थिति में वापस ली जाती है वहां ऐसी संपूर्ण रकम उस पूर्ववर्ष के कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझी जाएगी और तदनुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी मानो, यथास्थिति, कारबार बन्द न किया गया हो या फर्म विघटन न हुआ हो ।

(6) जहां विशेष खाते में [3][या [2][निक्षेप खाते] में] निर्धारिती के नाम में जमा रकम का, निर्धारिती द्वारा ऐसे कारबार के संबंध में किसी व्यय के प्रयोजनों के लिए स्कीम [3][या निक्षेप स्कीम] के अनुसार उपयोग किया जाता है वहां ऐसा व्यय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(7) जहां विशेष खाते में [3][या [2][निक्षेप खाते] में] निर्धारिती के नाम में जमा किसी ऐसी रकम का, जो स्कीम [3][या निक्षेप स्कीम] के अनुसार ऐसे कारबार के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय बैंक द्वारा किसी पूर्ववर्ष के दौरान निर्मुक्त की जाती है, [3][या निर्धारिती द्वारा [2][निक्षेप खाते] से निकाली जाती है], उस पूर्ववर्ष के भीतर पूर्णत: या भागत: उपयोग नहीं किया जाता है वहां, यथास्थिति, ऐसी संपूर्ण रकम या उसका भाग जिसका इस प्रकार उपयोग नहीं किया जाता है, कारबार का लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और तदनुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा :

परन्तु यह उपधारा उस दशा में लागू नहीं होगी जहां ऐसी रकम खाते के उपधारा (3) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में बन्द किए जाने पर किसी पूर्ववर्ष के दौरान निर्मुक्त की जाती है ।

(8) जहां स्कीम [3][या निक्षेप स्कीम] के अनुसार अर्जित कोई आस्ति उस पूर्ववर्ष के अन्त से, जिसमें वह अर्जित की गई थी, आठ वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय निर्धारिती द्वारा व्यक्ति को किसी पूर्ववर्ष में विक्रय की जाती है या अन्यथा अंतरित की जाती है वहां ऐसी आस्ति की लागत का ऐसा भाग जो उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कटौती से संबंधित है, उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसी आस्ति विक्रय की जाती है या अन्यथा अन्तरित की जाती है, कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और तदनुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां,—

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 12 द्वारा (1-4-1995 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 12 द्वारा (1-4-1995 से) अंत:स्थापित ।

(i) वह आस्ति निर्धारिती द्वारा सरकार को, स्थानीय प्राधिकारी को, केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम को या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी को विक्रय की जाती है या अन्यथा अन्तरित की जाती है; या

(ii) ऐसी आस्ति का विक्रय या अन्तरण फर्म द्वारा चलाए जाने वाले कारबार या वृत्ति में किसी कंपनी द्वारा ऐसी फर्म के उत्तरवर्तन के संबंध में किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप वह फर्म किसी आस्ति का उस कंपनी को विक्रय करती है या अन्यथा अन्तरण करती है और स्कीम [1][या निक्षेप स्कीम] उस कंपनी को उसी रीति से लागू बनी रहती है जो रीति फर्म को लागू थी ।

स्पष्टीकरण—परन्तुक के खंड (ii) के उपबन्ध तभी लागू होंगे जब,—

(i) उत्तरवर्तन के ठीक पूर्व कारबार या वृत्ति से संबंधित फर्म की सभी संपत्ति कंपनी की संपत्ति हो जाती है;

(ii) उत्तरवर्तन के ठीक पूर्व कारबार या वृत्ति से संबंधित फर्म के सभी दायित्व कंपनी के दायित्व हो जाते हैं; और

(iii) कंपनी के सभी शेयरधारक ऐसे उत्तरवर्तन के ठीक पूर्व फर्म के भागीदार थे ।

(9) यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस धारा के अधीन अनुज्ञेय कटौती उस तारीख के पश्चात् जिसे उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में—

[2][(क) "काफी बोर्ड" से काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 के अधीन गठित काफी बोर्ड अभिप्रेत है;

(कक) "राष्ट्रीय बैंक" से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अभिप्रेत है;

(कख) "रबड़ बोर्ड" से रबड़ बोर्ड अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित रबड़ बोर्ड अभिप्रेत है;]

(ख) "चाय बोर्ड" से अभिप्रेत है चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के अधीन स्थापित चाय बोर्ड ।

[3][**33कखक. स्थल पुन:स्थापन निधि**—(1) जहां किसी ऐसे निर्धारिती ने, जो पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस अथवा दोनों के पूर्वेक्षण, निष्कर्षण या उत्पादन का भारत में कारबार करता है और जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार ने ऐसे कारबार के लिए ऐसे निर्धारिती के साथ करार किया है, पूर्ववर्ष की समाप्ति के पूर्व,—

(क) भारतीय स्टेट बैंक में निर्धारिती द्वारा रखे गए खाते में (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् विशेष खाता कहा गया है) कोई रकम या रकमें, भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इस निमित्त अनुमोदित स्कीम के (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) अनुसार और उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा की हैं; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट मंत्रालय द्वारा बनाई गई स्कीम के (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् निक्षेप स्कीम कहा गया है) अनुसार और उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा खोले गए किसी खाते में (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् स्थल पुन:स्थापन खाता कहा गया है) कोई रकम जमा की है,

वहां इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती को–

(i) इस प्रकार जमा की गई रकम या रकमों के योग के बराबर राशि की; या

(ii) ऐसे कारबार के लाभ के बीस प्रतिशत के बराबर राशि की (इस धारा के अधीन कोई कटौती करने के पहले, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित),

इनमें से जो भी कम हो, कटौती (ऐसी कटौती पूर्ववर्ती वर्षों से अग्रनीत किसी हानि के, यदि कोई हो, धारा 72 के अधीन मुजरा किए जाने के पूर्व अनुज्ञात की गई है), अनुज्ञात की जाएगी :

परन्तु जहां ऐसा निर्धारिती कोई फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय है, वहां इस धारा के अधीन कटौती, यथास्थिति, किसी भागीदार या ऐसी फर्म, व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय के किसी सदस्य की आय की संगणना करने में अनुज्ञात नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि जहां विशेष खाते में या स्थल पुन:स्थापन खाते में जमा की गई किसी रकम के संबंध में कोई कटौती किसी पूर्ववर्ष में इस उपधारा के अधीन अनुज्ञात की गई है वहां किसी अन्य पूर्ववर्ष में ऐसी रकम के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि जहां विशेष खाते में या स्थल पुन:स्थापन खाते में कोई रकम ब्याज के रूप में जमा की जाती है वहां वह रकम निक्षेप मानी जाएगी ।

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 12 द्वारा (1-4-1995 से) अंत:स्थापित ।

[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि जिस निर्धारण वर्ष के लिए कटौती का दावा किया गया है, उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए, उस निर्धारिती के कारबार के लेखाओं की, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा नहीं की गई है और निर्धारिती, अपनी आय की विवरणी के साथ, ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्त: हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट नहीं देता है :

परन्तु उस दशा में जहां निर्धारिती से किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराना अपेक्षित है, वहां इस उपधारा के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि ऐसा निर्धारिती ऐसे कारबार के लेखे ऐसी विधि के अधीन संपरीक्षित कराता है और ऐसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित संपरीक्षा की रिपोर्ट तथा इस उपधारा के अधीन विहित प्ररूप में एक और रिपोर्ट देता है।

(3) विशेष खाते में या स्थल पुन:स्थापन खाते में निर्धारिती के नाम में जमा रकम, यथास्थिति, स्कीम या निक्षेप स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के सिवाय वापस नहीं लेने दी जाएगी।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती निम्नलिखित के क्रय के लिए उपयोग की गई किसी रकम की बाबत अनुज्ञात नहीं की जाएगी, अर्थात् :—

(क) ऐसी मशीनरी या संयंत्र जिसे किसी कार्यालय के परिसर या किसी निवास-स्थान में, जिसके अंतर्गत अतिथि-गृह के प्रकार का कोई निवास-स्थान है, प्रतिष्ठापित किया जाना है;

(ख) कोई कार्यालय साधित्र (जो कंप्यूटर नहीं है);

(ग) ऐसी मशीनरी या संयंत्र जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत किसी एक पूर्ववर्ष में "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में, कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाती है (चाहे वह अवक्षयण के रूप में हो या अन्यथा)

(घ) ऐसी नई मशीनरी या संयंत्र, जिसे ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज के सन्निर्माण, विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के प्रयोजनों के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम में प्रतिष्ठापित किया जाना है।

(5) जहां विशेष खाते में या स्थल पुन:स्थापन खाते में निर्धारिती के नाम में जमा कोई रकम, किसी पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा खाते के बन्द होने पर वापस ली जाती है वहां उस खाते से इस प्रकार वापस ली गई रकम जो धारा 42 में निर्दिष्ट करार में यथा उपबंधित लाभ या उत्पादन अंश के रूप में केन्द्रीय सरकार को संदेय किसी रकम, यदि कोई हो, घटा कर आती है, वहां वह रकम पूर्ववर्ष के कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझी जाएगी और तदनुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय कर से ऐसे प्रभार्य होगी मानो वह उस पूर्ववर्ष की आय है।

स्पष्टीकरण—जहां ऐसी कोई रकम उस पूर्ववर्ष में खाते के बन्द होने पर वापस ली जाती है जिसमें निर्धारिती द्वारा किया जाने वाला कारबार अस्तित्व में नहीं रहता है वहां इस उपधारा के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो उक्त कारबार उस पूर्ववर्ष में विद्यमान था।

(6) जहां विशेष खाते में या स्थल पुन:स्थापन खाते में निर्धारिती के नाम में जमा रकम का, निर्धारिती द्वारा ऐसे कारबार के संबंध में किसी व्यय के प्रयोजनों के लिए स्कीम या निक्षेप स्कीम के अनुसार उपयोग किया जाता है वहां ऐसा व्यय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(7) जहां विशेष खाते में या स्थल पुन:स्थापन खाते में निर्धारिती के नाम में जमा किसी ऐसी रकम का, जो स्कीम या निक्षेप स्कीम के अनुसार ऐसे कारबार के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा उपयोग किए जाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किसी पूर्ववर्ष के दौरान निर्मुक्त की जाती है या निर्धारिती द्वारा स्थल पुन:स्थापन खाते से निकाली जाती है, उस पूर्ववर्ष के भीतर पूर्णत: या भागत: इस प्रकार उपयोग नहीं किया जाता है वहां, यथास्थिति, ऐसी संपूर्ण रकम या उसका भाग, जिसका इस प्रकार उपयोग नहीं किया जाता है, कारबार का लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और तदनुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा :

[1]* * * * *

(8) जहां स्कीम या निक्षेप स्कीम के अनुसार अर्जित कोई आस्ति उस पूर्ववर्ष की समाप्ति से, जिसमें वह अर्जित की गई थी, आठ वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय निर्धारिती द्वारा किसी व्यक्ति को किसी पूर्ववर्ष में विक्रय की जाती है या अन्यथा अंतरित की जाती है वहां ऐसी आस्ति की लागत का ऐसा भाग जो उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कटौती से संबंधित है, उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसी आस्ति विक्रय की जाती है या अन्यथा अंतरित की जाती है, कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और तदनुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां,—

[1] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 13 द्वारा (1-4-1949 से) लोप किया गया।

(i) वह आस्ति निर्धारिती द्वारा सरकार को, स्थानीय प्राधिकारी को, केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम को या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी को विक्रय की जाती है या अन्यथा अंतरित की जाती है; या

(ii) ऐसी आस्ति का विक्रय या अंतरण फर्म द्वारा चलाए जाने वाले कारबार या वृत्ति में किसी कंपनी द्वारा ऐसी फर्म के उत्तरवर्तन के संबंध में किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप वह फर्म किसी आस्ति का उस कंपनी को विक्रय करती है या अन्यथा अंतरण करती है और स्कीम या निक्षेप स्कीम उस कंपनी को उसी रीति से लागू बनी रहती है जो रीति फर्म को लागू थी ।

स्पष्टीकरण—परंतुक के खंड (ii) के उपबंध तभी लागू होंगे जब,—

(i) उत्तरवर्तन के ठीक पूर्व कारबार या वृत्ति से संबंधित फर्म की सभी संपत्ति कंपनी की संपत्ति हो जाती है;

(ii) उत्तरवर्तन के ठीक पूर्व कारबार या वृत्ति से संबंधित फर्म के सभी दायित्व कंपनी के दायित्व हो जाते हैं; और

(iii) कंपनी के सभी शेयरधारक ऐसे उत्तरवर्तन के ठीक पूर्व फर्म के भागीदार थे ।

(9) यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस धारा के अधीन अनुज्ञेय कटौती उस तारीख के पश्चात्, जिसे उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "भारतीय स्टेट बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक अभिप्रेत है;

(ख) "विशेष खाते में या स्थल पुन:स्थापन खाते में निर्धारिती के नाम में जमा रकम" पद के अंतर्गत ऐसे खाते में प्रोद्भूत ब्याज भी है ।]

[1][**33कग. पोत परिवहन कारबार के लिए आरक्षितियां**—(1) [2][किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो पोतों के प्रचालन का कारबार करने के मुख्य उद्देश्य से भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत सरकारी कंपनी या पब्लिक कंपनी है, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए ("कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन और इस धारा के अधीन कोई कटौती करने के पूर्व संगणित) पोतों के प्रचालन के कारबार से अभिप्राप्त लाभ के पचास प्रतिशत से अनधिक उतनी रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी जितनी उस पूर्ववर्ष के, जिसकी बाबत कटौती अनुज्ञात की जानी है और उपधारा (2) में अधिकथित रीति से उपयोग किए जाने के लिए आरक्षित खाते में जमा की जानी है, लाभ और हानि लेखा में से विकलित की जाती है :]

[3][परंतु जहां ऐसे आरक्षित खाते में समय-समय पर अग्रनीत रकमों का योग, समादत्त शेयर पूंजी, साधारण आरक्षितियों और निर्धारिती के शेयर प्रीमियम खाते में जमा की गई रकमों के योग के दुगुने से अधिक हो जाता है, वहां ऐसे आधिक्य की बाबत इस उपधारा के अधीन कोई मोक नहीं दिया जाएगा :]

[4][परन्तु यह और कि 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले और 1 अप्रैल, 2006 से पूर्व समाप्त होने वाले पांच निर्धारण वर्षों के लिए इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "लाभ के पचास प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "लाभ" शब्द रखा गया हो :]

[5][परन्तु यह भी कि कोई कटौती 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

(2) आरक्षित खाते में उपधारा (1) के अधीन जमा की गई रकम का उपयोग निर्धारिती द्वारा, उस पूर्ववर्ती वर्ष के, जिसमें उस रकम को जमा किया गया था, ठीक आगामी आठ वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व—

(क) निर्धारिती के कारबार के प्रयोजनों के लिए किसी नए पोत का अर्जन करने के लिए किया जाएगा; और

(ख) किसी नए पोत का अर्जन किए जाने तक, निर्धारिती के कारबार के उन प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो लाभांश या लाभ के रूप में वितरण या लाभ के रूप में भारत के बाहर विप्रेषण या भारत के बाहर किसी आस्ति के सृजन किए जाने से भिन्न हैं ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित खाते में जमा की गई किसी रकम का,—

---

[1] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 36 की धारा 5 द्वारा (1-4-1990 से) अन्त:स्थापित ।

[2] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 8 द्वारा (1-4-1996 से) प्रतिस्थापित ।

[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 15 द्वारा (1-4-2003 से) अंत:स्थापित ।

[4] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 15 द्वारा (1-4-2001 से) प्रतिस्थापित ।

[5] 2003 के अधिनियम सं० 23 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।

(क) उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है वहां इस प्रकार उपयोग की गई रकम; या

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया है, वहां इस प्रकार उपयोग न की गई रकम; या

(ग) उपधारा (2) के खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट कोई नया पोत अर्जित करने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, किंतु निर्धारिती द्वारा किसी व्यक्ति को उस पूर्ववर्ती वर्ष के, जिसमें पोत अर्जित किया गया था, अंत से [1][तीन वर्ष] की समाप्ति के पूर्व [2][निर्विलियन की किसी स्कीम में से अन्यथा किसी समय ऐसे पोत का विक्रय कर दिया गया है] या अन्यथा उसका अंतरण कर दिया गया है, वहां ऐसे पोत के अर्जन किए जाने में इस प्रकार उपयोग की गई रकम,—

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट दशा में, उस वर्ष में जिसमें रकम का इस प्रकार उपयोग किया गया था; या

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट दशा में, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट आठ वर्ष की अवधि के ठीक आगामी वर्ष में; या

(iii) खंड (ग) में निर्दिष्ट दशा में, उस वर्ष में जिसमें विक्रय या अंतरण हुआ था,

लाभ समझी जाएगी और तदनुसार उन पर कर प्रभारित किया जाएगा ।

[3][(4) जहां उपधारा (3) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् पोत का विक्रय या अन्यथा अंतरण किया जाता है (निर्विलियन की किसी स्कीम से भिन्न) और विक्रय आगमों का उपयोग उस पूर्ववर्ष के अंत से, जिसमें ऐसा विक्रय या अंतरण हुआ था, एक वर्ष की अवधि के भीतर नए पोत का अर्जन करने के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है तो [4][ऐसे विक्रय आगमों के उतने जितने आरक्षित लेखा में जमा रकम का प्रतिनिधित्व करते हैं और उपधारा (3) के खंड (ग) में वर्णित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए गए हैं] उस पूर्ववर्ष के, जिसमें उक्त पोत का विक्रय या अंतरण किया जाता है, ठीक बाद के निर्धारण वर्ष के लाभ समझे जाएंगे ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "पब्लिक कंपनी" का वही अर्थ है जो उसका कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में है;

[5][(कक) "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में है;]

(ख) "नए पोत" का वही अर्थ है जो धारा 32कख की उपधारा (2) के खंड (ii) में है ।]

[6][**33ख. पुनर्वास मोक**—जहां भारत में चलाए गए किसी औद्योगिक उपक्रम का कारबार, निर्धारिती के स्वामित्वाधीन और ऐसे कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के किसी ऐसे व्यापक नुकसान या विनाश के कारण किसी पूर्ववर्ष में बन्द कर दिया गया है जो कि निम्नलिखित के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुआ है—

(i) बाढ़, बवंडर, तूफान, चक्रवात, भूकम्प या अन्य प्राकृतिक उथल-पुथल, या

(ii) बलवा या सिविल उपद्रव, या

(iii) आकस्मिक आग लगना या विस्फोट, या

(iv) शत्रु की कार्रवाई, या शत्रु का मुकाबला करने में की गई कार्रवाई (चाहे युद्ध की घोषणा की गई हो या न की गई हो),

और तत्पश्चात् ऐसे पूर्ववर्ष के अन्त से तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय निर्धारिती द्वारा वह कारबार पुन:स्थापित, पुन:सन्निर्मित या पुन: चलाया जाता है, वहां उसे पूर्ववर्ष की बाबत जिसमें वह कारबार इस प्रकार पुन:स्थापित, पुन:सन्निर्मित या पुन: चलाया जाता है, पुनर्वास मोक के रूप में उतनी राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी जितनी कि इस प्रकार नुकसानग्रस्त या विनष्ट भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर की बाबत धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अधीन उसे अनुज्ञेय कटौती के रकम के साठ प्रतिशत के बराबर हो :

[7][परन्तु इस धारा के अधीन कोई कटौती 1 अप्रैल, 1987 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी उत्तरवर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

---

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 17 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 9 द्वारा (1-4-2004 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1967 के अधिनियम सं० 20 धारा 11 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 1984 के अधिनियम सं० 21 की धारा 5 द्वारा (1-4-1985 से) अंत:स्थापित ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "औद्योगिक उपक्रम" से कोई ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है जो मुख्यत: विद्युत या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के उत्पादन या वितरण के कारबार में या पोतों के सन्निर्माण में या माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में या खनन में लगा हुआ है ।]

34. अवक्षयण, मोक और विकास रिबेट के लिए शर्तें—[1]* * *

(3) (क) धारा 33 में निर्दिष्ट कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक वस्तुत: अनुज्ञात किए जाने वाले विकास रिबेट के पचहत्तर प्रतिशत के बराबर रकम, [2][किसी पूर्ववर्ष के, जिसकी बाबत उस धारा की उपधारा (2) के अधीन कटौती अनुज्ञात की जानी है या किसी पूर्वतर पूर्ववर्ष के (जो उस वर्ष से पूर्वतर वर्ष नहीं है जिसमें पोत अर्जित किया गया था अथवा मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित किया गया था अथवा पोत, मशीनरी या संयंत्र पहली बार प्रयोग में लाया गया था)] लाभ और हानि लेखे में से विकलित की जाती है और एक रिजर्व खाते में जमा नहीं की जाती जिसका ठीक आगे के आठ वर्षों की कालावधि के दौरान निर्धारिती द्वारा उपयोग करने से अन्यथा उस उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाना है :—

(i) लाभांश या लाभों के तौर पर वितरण के लिए, या

(ii) लाभों के रूप में भारत के बाहर प्रेषण के लिए या भारत के बाहर किसी आस्ति के सृजन के लिए :

परन्तु यह खण्ड वहां लागू नहीं होगा जहां निर्धारिती कोई ऐसी कम्पनी है जो विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) के अर्थ में अनुज्ञप्तिधारी है या जहां पोत का अर्जन या मशीनरी या संयंत्र का प्रतिष्ठापन 1958 की जनवरी के प्रथम दिन के पूर्व किया गया है :

[3][परन्तु यह और कि जहां पोत का अर्जन 1966 की फरवरी के 28वें दिन के पश्चात् किया गया है, वहां यह खण्ड ऐसे पोत की बाबत इस प्रकार प्रभावी होगा मानो "पचहत्तर" शब्द के स्थान पर "पचास" शब्द रख दिया गया हो ।]

[4]* * * * *

(ख) यदि कोई पोत, मशीनरी या संयंत्र उस पूर्ववर्ष की समाप्ति से, जिसमें वह अर्जित या प्रतिष्ठापित किया गया था, आठ वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी समय निर्धारिती द्वारा किसी व्यक्ति को विक्रीत या अन्तरित किया जाता है, तो उस पोत, मशीनरी या संयंत्र की बाबत धारा 33 के अधीन या भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के तत्समान उपबन्धों के अधीन दिए गए किसी मोक के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए गलत तौर से दिया गया है और धारा 155 की उपधारा (5) के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे :

परन्तु यह खण्ड वहां लागू नहीं होगा—

(i) जहां उस पोत का अर्जन या मशीनरी या संयंत्र का प्रतिष्ठापन 1958 की जनवरी के प्रथम दिन से पूर्व किया गया है, या

(ii) जहां वह पोत, मशीनरी या संयंत्र निर्धारिती द्वारा सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारी, किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम को या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कम्पनी को विक्रीत या अन्यथा अन्तरित किया जाता है, या

(iii) जहां वह पोत, मशीनरी या संयंत्र का विक्रय या अन्तरण धारा 33 की उपधारा (3) या (4) में निर्दिष्ट समामेलन या उत्तरवर्तन के सम्बन्ध में किया जाता है ।

[5][**34क. कतिपय देशी कंपनियों की दशा में सीमित अवधि के लिए शेष अवक्षयण और शेष विनिधान मोक पर निर्बन्धन**—(1) 1 अप्रैल, 1992 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के संबंध में किसी देशी कंपनी के कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने में, जहां 1 अप्रैल, 1991 को या उसके पूर्व प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के संबंध में शेष अवक्षयण मोक या शेष विनिधान मोक या दोनों को प्रभावी किया जाना है वहां कटौती ऐसे मोक या मोकों के दो-तिहाई तक निर्बंधित होगी और अतिशेष,—

(क) जहां वह अवक्षयण मोक से संबंधित है वहां, 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए अवक्षयण मोक के साथ जोड़ा जाएगा और उस मोक का भाग समझा जाएगा अथवा यदि उस पूर्ववर्ष के लिए ऐसा कोई मोक नहीं है तो, उस पूर्ववर्ष के लिए मोक समझा जाएगा और उत्तरवर्ती पूर्ववर्षों के लिए इसी प्रकार आगे भी समझा जाता रहेगा;

---

[1] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 6 द्वारा (1-4-1988 से) लोप किया गया ।

[2] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 11 द्वारा (1-4-1962 से) प्रतिस्थापित ।

[3] 1966 के अधिनियम सं० 13 की धारा 9 द्वारा (1-4-1966 से) अन्त:स्थापित ।

[4] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 11 द्वारा (1-4-1962 से) स्पष्टीकरण का लोप किया गया ।

[5] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 13 द्वारा (1-4-1992 से) अन्त:स्थापित ।

(ख) जहां वह विनिधान मोक से संबंधित है वहां, 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष को अग्रनीत किया जाएगा और विनिधान मोक का अतिशेष, यदि कोई हो, जो उस समय बाकी है, आगामी निर्धारण वर्ष के लिए अग्रनीत किया जाएगा और जहां ऐसे अतिशेष के भाग का समायोजन किए जाने के पूर्व आठ वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है वहां उक्त अवधि को आठ वर्ष से आगे उतने समय तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा जब तक कि उक्त अतिशेष का भाग देशी कंपनी के कारबार के लाभ और अभिलाभ में आमेलित नहीं कर लिया जाता है ।

(2) 1 अप्रैल, 1992 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, धारा 32 की उपधारा (2) और धारा 32क की उपधारा (3) के उपबंध उस विस्तार तक लागू होंगे जिस तक ऐसे उपबंध इस धारा की उपधारा (1) के उपबंधों से असंगत नहीं हैं ।

(3) उपधारा (1) की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां, यथास्थिति, शेष अवक्षयण मोक या शेष विनिधान मोक की रकम, या देशी कंपनी की दशा में ऐसे मोकों की कुल रकम, एक लाख रुपए से कम है ।

(4) धारा 234ख और धारा 234ग की कोई बात, यथास्थिति, निर्धारित कर पर या विवरणी में दी गई आय पर देय किसी कर के संदाय में किसी कमी को वहां लागू नहीं होगी जहां ऐसी कमी इस धारा के अधीन अवक्षयण मोक या विनिधान मोक की रकम को निर्बन्धित करने के कारण है और धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी देने के पूर्व निर्धारिती ने कमी की रकम का संदाय कर दिया है ।]

35. वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय—(1) वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय की बाबत निम्नलिखित कटौतियां अनुज्ञात की जाएंगी—

(i) कोई ऐसा व्यय (जो पूंजीगत व्यय के प्रकार का न हो) जो कारबार से सम्बद्ध वैज्ञानिक अनुसंधान पर उपगत या किया गया हो ।

[1][**स्पष्टीकरण**—जहां ऐसा कोई व्यय कारबार के प्रारंभ होने के पूर्व (जो 1973 के अप्रैल के प्रथम दिन से पहले उपगत या किया गया व्यय नहीं है) ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे हुए कर्मचारी को वेतन के संदाय में [धारा 40क की उपधारा (5) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण 2 में यथापरिभाषित] या ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामग्री के क्रय पर उपगत या किया गया है वहां उस कारबार के प्रारम्भ के ठीक पहले के तीन वर्ष के भीतर इस प्रकार उपगत या किया गया कुल व्यय, उस विस्तार तक जहां तक विहित प्राधिकारी उसे ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान पर उपगत या किया गया व्यय प्रमाणित करता हो, उस पूर्ववर्ष में उपगत, या किया गया व्यय समझा जाएगा जिसमें कारबार प्रारम्भ होता है;]

(ii) [2][किसी ऐसी राशि के [3][एक सही एक बटा दो] गुणा के बराबर कोई ऐसी रकम] जो किसी ऐसे [4][अनुसंधान संगम] को, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना है या किसी विश्वविद्यालय, या महाविद्यालय या अन्य संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए संदत्त की गई हो :

[5][परन्तु यह तब जबकि ऐसा संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(अ) उन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, उस रीति से और उन शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, तत्समय अनुमोदित है; और

(आ) ऐसा संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा उस रूप में विनिर्दिष्ट है :]

[6][परन्तु यह और कि जहां ऐसे संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को किसी रकम का संदाय, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में किया जाता है वहां इस खंड के अधीन कटौती इस प्रकार संदत्त रकम के बराबर होगी;]

[7][(iiक) [8]*** जो किसी कंपनी को उसके द्वारा किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने हेतु संदत्त की गई हो :

परंतु ऐसी कंपनी,—

(अ) भारत में रजिस्ट्रीकृत हो,

(आ) उसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास करना हो,

---

[1] 1974 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 26 की धारा 5 द्वारा (1-4-1974 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 5 द्वारा (1-4-2006 से) प्रतिस्थापित ।
[6] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 15 द्वारा (1-4-2018 से) अंत:स्थापित ।
[7] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 15 द्वारा लोप किया गया ।

(इ) उसे इस खंड के प्रयोजनों के लिए तत्समय विहित रीति में विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो, और

(ई) वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती हो जो विहित की जाएं;]

[1][(iii) [2]*** जो सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकी अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाने के लिए [3][ऐसे अनुसंधान संगम, जिनका उद्देश्य समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान करना है या किसी विश्वविद्यालय], महाविद्यालय या अन्य संस्था को संदत्त की गई हो :

[4][परंतु यह तब जबकि [5][ऐसा संगम, विश्वविद्यालय], महाविद्यालय या अन्य संस्था इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(अ) उन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, उस रीति से और उन शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, तत्समय अनुमोदित हैं; और

(आ) [5][ऐसा संगम, विश्वविद्यालय] महाविद्यालय, या अन्य संस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस रूप में विनिर्दिष्ट है ।]

[6][**स्पष्टीकरण**—ऐसी कटौती से जिसके लिए निर्धारिती वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या ऐसी संस्था को जिसे खंड (ii) या खंड (iii) लागू होता है, संदत्त किसी धनराशि की बाबत हकदार है, मात्र इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि के संदाय के पश्चात् खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है;]

(iv) निर्धारिती द्वारा चलाए जा रहे कारबार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत प्रकार के किसी व्यय की बाबत ऐसी कटौती जो उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञेय हो :

[7][परन्तु यह कि खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट [5][अनुसंधान संगम], विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन अनुदान के अनुमोदन या उसे जारी रखे जाने के प्रयोजन के लिए [8][केंद्रीय सरकार] को विहित प्ररूप में और रीति से आवेदन करेगा :

परन्तु यह और भी कि [8][केंद्रीय सरकार] खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन अनुमोदन करने से पूर्व [5][अनुसंधान संगम], विश्वविद्यालय, या अन्य संस्था के क्रियाकलापों की असलियत के बारे में अपना समाधान करने के लिए यदि वह आवश्यक समझे, [5][अनुसंधान संगम], विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था से ऐसे दस्तावेज (जिसमें संपरीक्षित वार्षिक लेखा भी है) या जानकारी मंगा सकेगा और वह [4][सरकार] ऐसी जांच भी कर सकेगा जो वह इस निमित्त आवश्यक समझे :

परन्तु यह और भी कि [4][खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उस तारीख के पूर्व जिसको कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, निकाली गई कोई अधिसूचना किसी समय, ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए जो तीन निर्धारण वर्षों से अधिक नहीं होंगे,] जिसके अंतर्गत अधिसूचना निकालने की तारीख के पूर्व प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष भी हैं, प्रभावी होगी, जो अधिसूचना में विहित किए जाएं :]

[6][परंतु यह भी कि जहां कोई आवेदन कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने की तारीख को या उसके पश्चात् किया जाता है वहां खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना या आवेदन को नामंजूर करने वाला कोई आदेश उस मास के अंत से जिसमें ऐसा आवेदन केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था, बारह मास की अवधि के भीतर, यथास्थिति, निकाली जाएगी या पारित किया जाएगा ।]

(2) उपधारा (1) के खण्ड (iv) के प्रयोजनों के लिए—

[9][(i) ऐसी दशा में, जहां ऐसा पूंजीगत व्यय 1967 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व उपगत किया जाता है, वहां किसी पूर्ववर्ष में उपगत पूंजीगत व्यय के पंचमांश की कटौती उस पूर्ववर्ष के लिए की जाएगी और व्यय के अतिशेष की कटौती ठीक आगे के चार पूर्ववर्ष में से हर एक के लिए बराबर किस्तों में की जाएगी;

---

[1] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 12 द्वारा (1-4-1992 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 15 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 5 द्वारा (1-4-2006 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 9 द्वारा (1-4-2011 से) प्रतिस्थापित ।
[6] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 5 द्वारा (1-4-2006 से) अंत:स्थापित ।
[7] 1989 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 8 द्वारा (1-4-1989 से) अन्त:स्थापित ।
[8] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1968 से) प्रतिस्थापित ।

(iक) ऐसी दशा में, जहां ऐसा पूंजीगत व्यय 1967 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् किया जाता है, वहां किसी पूर्ववर्ष में उपगत ऐसे सम्पूर्ण पूंजीगत व्यय की कटौती उस पूर्ववर्ष के लिए की जाएगी :]

[1][परन्तु किसी भूमि के, चाहे ऐसी भूमि, भूमि के रूप में या किसी संपत्ति के भागरूप अर्जित की गई हो, अर्जन पर उपगत किसी व्यय की बाबत इस खण्ड के अधीन कोई कटौती 29 फरवरी, 1984 के पश्चात् अनुज्ञेय नहीं होगी ।]

स्पष्टीकरण [2][(1)]—जहां कोई पूंजीगत व्यय कारबार के प्रारम्भ के पूर्व उपगत किया गया है, वहां कारबार के प्रारम्भ के ठीक पहले के तीन वर्षों के अन्दर इस प्रकार उपगत व्यय का योग उस पूर्ववर्ष में उपगत किया गया समझा जाएगा जिसमें कारबार प्रारम्भ किया गया है ।

[2][**स्पष्टीकरण 2**—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए—

(क) "भूमि" के अंतर्गत भूमि में हित है; और

(ख) किसी भूमि का अर्जन निर्धारिती द्वारा उस तारीख को किया गया समझा जाएगा जिसको ऐसी भूमि के उसको अंतरण की लिखत, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हुई या जहां उसने ऐसी भूमि का या उसके किसी भाग का कब्जा संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 1) की धारा 53क में निर्दिष्ट प्रकृति की संविदा के भागत: अनुपालन में लिया है या बनाए रखा है वहां वह तारीख जिसको उसने ऐसी भूमि या भाग का कब्जा इस प्रकार लिया है या बनाए रखा है;]

(ii) खण्ड (i) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी ऐसी आस्ति का, जो [3][1967 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व उपगत] पूंजीगत प्रकार के व्यय के रूप में है, कारबार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किसी पूर्ववर्ष में उपयोग बन्द हो जाता है और इस प्रकार बन्द होने के समय आस्ति का मूल्य खण्ड (i) के अधीन पहले ही अनुज्ञात कटौतियों के योग सहित, उक्त व्यय से कम पड़ जाता है, वहां—

(क) उस पूर्ववर्ष के लिए उतनी रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी जितनी ऐसी कमी के बराबर हो; और

(ख) उस खण्ड के अधीन उस पूर्ववर्ष के लिए या किसी पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष के लिए कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी;

(iii) यदि खण्ड (ii) में वर्णित आस्ति, अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए गए बिना, उस वर्ष में, जिसमें उपयोग बन्द होता है, विक्रीत की जाती है तो विक्रय की कीमत को ऐसे बन्द होने के समय आस्ति का मूल्य माना जाएगा और यदि ऐसी आस्ति अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए बिना, बन्द होने के वर्ष से पश्चात्वर्ती किसी पूर्ववर्ष में विक्रीत कर दी जाती है और विक्रय की कीमत उस आस्ति के ऐसे मूल्य से कम पड़ जाती है जिसे बन्द होने के समय हिसाब में लिया गया था जो उस कमी के बराबर की रकम उस पूर्ववर्ष के लिए जिसमें विक्रय हुआ था कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी;

(iv) जहां किसी ऐसे व्यय की बाबत जो सम्पूर्णत: या भागत: आस्ति के रूप में है, इस धारा के अधीन [4][किसी पूर्ववर्ष के लिए] कटौती अनुज्ञात की जाती है, वहां धारा 32 की [5][उपधारा (1) के खंड (iii)] के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी;

(v) [6][जहां खण्ड (ii) में वर्णित आस्ति का ऐसे कारबार में उपयोग] उस कारबार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान में उसका उपयोग बन्द हो जाने के पश्चात् किया जाता है, वहां धारा 32 की [7][उपधारा (1) के खण्ड (ii)] के अधीन अवक्षयण अनुज्ञेय होगा ।

[8][(2क) जहां निर्धारिती उपधारा (1) के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट किसी वैज्ञानिक अनुसंधान संगम या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था [7][या किसी पब्लिक सेक्टर कम्पनी] को ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो भारत की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विहित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन हाथ में लिया गया हो, प्रयुक्त किए जाने के लिए [9][कोई राशि 1 मार्च, 1984 के पूर्व संदत्त करता है], [10][जो ऐसी राशि है, जो इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ दी गई है कि उस राशि का उपयोग किसी भूमि या भवन के अर्जन या किसी भवन के सन्निर्माण के लिए नहीं किया जाएगा]—

---

[1] 1984 के अधिनियम सं० 21 की धारा 6 द्वारा (1-4-1984 से) अन्त:स्थापित ।

[2] विद्यमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया गया और स्पष्टीकरण 2 को 1984 के अधिनियम सं० 21 की धारा 6 द्वारा (1-4-1984 से) अन्त:स्थापित किया गया ।

[3] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1968 से) अन्त:स्थापित ।

[4] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 7 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) प्रतिस्थापित ।

[5] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 32 द्वारा (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित ।

[6] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1968 से) "जहां आस्ति का उपयोग" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम सं० 46 की धारा 32 द्वारा (1-4-1988 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1974 के अधिनियम सं० 26 की धारा 5 द्वारा (1-4-1974 से) अन्त:स्थापित ।

[9] 1984 के अधिनियम सं० 21 की धारा 6 द्वारा (1-4-1984 से) "कोई व्यय उपगत किया है" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[10] 1983 के अधिनियम सं० 21 की धारा 12 द्वारा (1-4-1989 से) अन्त:स्थापित ।

(क) इस प्रकार संदत्त राशि के एक सही एक बटा तीन के बराबर राशि कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी; और

(ख) उसी निर्धारण वर्ष या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उपधारा (1) के खण्ड (ii) के अधीन ऐसी राशि की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

[1]**[स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "पब्लिक सैक्टर कम्पनी" का वही अर्थ है जो धारा 32क की उपधारा (2ख) के नीचे स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) में है ।]

[2][(2कक) जहां निर्धारिती किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला [3][या [4][विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान] या विनिर्दिष्ट व्यक्ति] को कोई राशि इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ संदत्त करता है कि उक्त राशि का प्रयोग विहित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन हाथ में लिए गए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा, वहां—

(क) इस प्रकार संदत्त राशि के [5][एक सही एक बटा दो गुणा] के बराबर राशि कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी; और

(ख) ऐसी राशि की बाबत कोई कटौती आय-कर अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी :

[6][परंतु विहित प्राधिकारी, अनुमोदन करने के पूर्व, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की साध्यता के बारे में अपना समाधान करेगा और अपनी रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए [7][प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या] [8][प्रधान महानिदेशक या] महानिदेशक को प्रस्तुत करेगा]

[9][परंतु यह और कि जहां ऐसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति को किसी रकम का संदाय, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में किया जाता है, वहां इस उपधारा के अधीन कटौती इस प्रकार संदत्त रकम के बराबर होगी ।]

[10][**स्पष्टीकरण 1**—ऐसी कटौती से जिसके लिए निर्धारिती इस उपधारा में निर्दिष्ट अनुमोदित कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त किसी राशि की बाबत हकदार है, मात्र इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि के संदाय के पश्चात्,—

(क) ऐसी प्रयोगशाला या विनिर्दिष्ट व्यक्ति को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है; या

(ख) राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है ।]

[11][**स्पष्टीकरण 2**]—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "राष्ट्रीय प्रयोगशाला" से ऐसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला अभिप्रेत है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इलैक्ट्रानिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्त्वावधान में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है और जो विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में अनुमोदित की जाती है;

(ख) "विश्वविद्यालय" का वही अर्थ है जो धारा 47 के खंड (ix) के स्पष्टीकरण में है;

(ग) "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान" का वही अर्थ है जो "संस्थान" का प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (1961 का 59) की धारा 3 के खंड (छ) में है;]

[12][(घ) "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है ।]

[13][(2कख) (1) जहां कोई कंपनी, [4][जो जैव प्रौद्योगिकी के कारबार में लगी हुई है या [14][जो किसी ऐसी वस्तु या चीज के, जो ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज नहीं है, विनिर्माण या उत्पादन के किसी कारबार में लगी हुई है] वैज्ञानिक अनुसंधान पर अथवा आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर कोई व्यय उपगत करती है जो किसी भूमि या भवन की लागत के

---

[1] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 7 द्वारा (1-9-1980 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 9 द्वारा (1-4-1994 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 13 द्वारा (1-4-1995 से) अन्त:स्थापित ।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 23 द्वारा (1-4-2002 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 12 द्वारा (1-10-1996 से) प्रतिस्थापित ।
[7] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 15 द्वारा अंत:स्थापित ।
[10] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।
[11] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 7 द्वारा पुन:संख्यांकित ।
[12] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 23 द्वारा (1-4-2001 से) अंत:स्थापित ।
[13] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 5 द्वारा (1-4-1998 से) अंत:स्थापित ।
[14] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्रकार का व्यय न हो वहां इस प्रकार उपगत [1][व्यय के [2][एक सही एक बटा दो गुणा के बराबर] राशि] की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

[3][परंतु जहां वैज्ञानिक अनुसंधान (जो किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं है) या आंतरिक अनुसंधान या विकास सुविधा पर कोई व्यय 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में उपगत किया जाता है, वहां इस खंड के अधीन कटौती इस प्रकार उपगत व्यय के बराबर होगी ।]

[4][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, औषधियों और भेषजियों के संबंध में "वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय" के अंतर्गत क्लीनिक संबंधी औषधि परीक्षण करने, किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन किसी विनियामक प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने और पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) के अधीन किसी पेटेन्ट के लिए कोई आवेदन फाइल करने में उपगत व्यय भी है ।]

(2) खंड (1) में उल्लिखित व्यय की बाबत कोई कटौती इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(3) कोई भी कंपनी खण्ड (1) के अधीन कटौती के लिए तब तक हकदार नहीं होगी जब तक कि वह ऐसे अनुसंधान और विकास सुविधा में सहयोग के लिए [5][विहित प्राधिकारी के साथ करार नहीं करती है और लेखाओं के बनाए रखे जाने और उनकी संपरीक्षा किए जाने तथा रिपोर्टों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए प्रस्तुत करने संबंधी ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करती है ।]

(4) विहित प्राधिकारी, उक्त सुविधा के अनुमोदन के संबंध में अपनी रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, [6][प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या] [7][प्रधान महानिदेशक या] महानिदेशक को प्रस्तुत करेगा ।]

[8]* * * * *

[9][(6) उपधारा (1) के खंड (iiक) के उपखंड (इ) के अधीन अनुमोदित किसी कंपनी को खंड (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यय की बाबत, जो 31 मार्च, 2008 के पश्चात् उपगत किया गया है, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

[10][(2ख) (क) जहां निर्धारिती ने, ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो भारत की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विहित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन हाथ में लिया गया हो, [11][कोई व्यय 1 मार्च, 1984 के पूर्व उपगत किया है] (जो किसी भूमि या भवन या किसी भवन के निर्माण पर पूंजीगत व्यय की प्रकृति का नहीं है) वहां इस उपधारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उस विहित प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान उपगत व्यय के रूप में प्रमाणित व्यय की रकम के एक सही एक बटा चार के बराबर राशि कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(ख) जहां किसी व्यय की बाबत खण्ड (क) के अधीन किसी पूर्ववर्ष के लिए कटौती अनुज्ञात की जाती है वहां ऐसे व्यय की बाबत उसी पूर्ववर्ष के लिए या किसी अन्य पूर्ववर्ष के लिए उपधारा (1) के खण्ड (i) के अधीन या उपधारा (2) के खण्ड (iक) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(ग) जहां किसी ऐसे व्यय की बाबत, जो सम्पूर्णत: या भागत: आस्ति के रूप में है, इस उपधारा के अधीन किसी पूर्ववर्ष के लिए कटौती अनुज्ञात की जाती है, वहां उस आस्ति की बाबत उसी पूर्ववर्ष के लिए या किसी पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष के लिए धारा 32 की [12][उपधारा (1) के खंड (ii)] के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(घ) इस उपधारा के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वास्तव में उपगत व्यय के आधिक्य में की गई कटौती के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए गलत तौर पर की गई है यदि निर्धारित कार्यक्रम के पूरा होने के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात अवधि के एक वर्ष में उस प्राधिकारी से उसके पूरा होने का प्रमाणपत्र नहीं देता है और धारा 155 की उपधारा (5ख) के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे ।]

[13][(3) यदि इस धारा के अधीन कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई क्रियाकलाप वैज्ञानिक अनुसंधान है या था और यदि है या था तो किस परिमाण तक अथवा कोई आस्ति, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग में लाई जा रही है या लाई जा रही थी, तो बोर्ड उस प्रश्न को—

---

[1] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 16 द्वारा (1-4-2001 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 15 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 23 द्वारा (1-4-2001 से) अंत:स्थापित ।
[5] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 15 द्वारा लोप किया गया ।
[9] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।
[10] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 7 द्वारा (1-9-1980 से) अन्त:स्थापित ।
[11] 1984 के अधिनियम सं० 21 की धारा 6 द्वारा (1-4-1984 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[12] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम सं० 46 की धारा 32 द्वारा (1-4-1988 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[13] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) जब ऐसा प्रश्न उपधारा (1) के खंड (ii) और खंड (iii) के अधीन किसी क्रियाकलाप से संबंधित है तो केंद्रीय सरकार को विनिर्दिष्ट करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा;

(ख) जब ऐसा प्रश्न खंड (क) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप से भिन्न किसी क्रियाकलाप से संबंधित है तो विहित प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।]

(4) धारा 32 की उपधारा (2) के उपबन्ध, उपधारा (1) के खण्ड (iv) के अधीन अनुज्ञेय कटौतियों के संबंध में लागू होते हैं ।

[1][(5) जहां समामेलन किसी स्कीम में, समामेलित कम्पनी किसी ऐसी वास्तविकता जो वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत प्रकार के रूप की है, समामेलित कम्पनी की (जो एक भारतीय कम्पनी है) विक्रय या अन्यथा अन्तरण करती है वहां—

(i) समामेलन कम्पनी की उपधारा (2) के खण्ड (ii) या खण्ड (iii) के अधीन कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, और

(ii) इस धारा के उपबन्ध समामेलित कंपनी को यावत्शक्य ऐसे लागू होंगे जैसे वे समामेलक कंपनी को लागू होते यदि पश्चात्कथित ने उस आस्ति का वैसा विक्रय या अन्तरण न किया होता ।]

[2]**[35क. पेटेन्ट अधिकारों या प्रतिलिप्यधिकारों के अर्जन पर व्यय**—(1) कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त पेटेन्ट अधिकारों या प्रतिलिप्यधिकारों के (जो इसके पश्चात् इस धारा में अधिकारों के रूप में निर्दिष्ट है) अर्जन पर 1966 की फरवरी के 28वें दिन के पश्चात् [3][किन्तु 1 अप्रैल, 1998 के पूर्व] उपगत पूंजीगत प्रकार के किसी व्यय की बाबत, सुसंगत पूर्ववर्षों में हर एक वर्ष के लिए, ऐसे व्यय की रकम के समुचित प्रभाग के बराबर कटौती, इस धारा के उपबन्धों के अधीन और अनुसार अनुज्ञात की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "सुसंगत पूर्ववर्ष" से अभिप्रेत है उस पूर्ववर्ष से जिसमें ऐसा व्यय उपगत किया जाता है आरम्भ होने वाले चौदह पूर्ववर्ष, या जहां ऐसा व्यय कारबार के प्रारम्भ से पूर्व उपगत किया जाता है, वहां उस पूर्ववर्ष से जिसमें वह कारबार प्रारंभ हुआ, आरंभ होने वाले चौदह पूर्ववर्ष :

परन्तु जहां अधिकार उस पूर्ववर्ष से, जिसमें उनके अर्जन पर व्यय निर्धारिती द्वारा उपगत किया गया था, पूर्ववर्ती किसी वर्ष में प्रारम्भ हुए अर्थात् प्रभावी हुए, वहां यह खण्ड चौदह वर्षों के प्रति निर्देश के स्थान पर, उन पूरे वर्षों की संख्या को, जो निर्धारिती द्वारा अधिकार अर्जित किए जाने पर, उनके प्रारम्भ के बाद से व्यपगत हो गए हैं; कम कर के चौदह वर्ष के प्रतिनिर्देश और यदि चौदह वर्ष पूर्वोक्त रूप से व्यपगत हो गए हैं तो एक वर्ष के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित करके प्रभावी होगा ।

(ii) "समुचित प्रभाग" से वह प्रभाग अभिप्रेत है जिसका अंश एक है और जिसका हर, सुसंगत पूर्ववर्षों की संख्या है ।

(2) जहां अधिकारों की समाप्ति तत्पश्चात् पुन:प्रचलित हुए बिना हो जाती है या जहां संपूर्ण अधिकार या उनका कोई भाग विक्रीत कर दिया जाता है और विक्रय के आगम (जहां तक वे पूंजी राशियों के रूप में हैं) उनके अर्जन की अनुज्ञात रही लागत से अन्यून है, वहां उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती उस पूर्ववर्ष के बाबत, जिसमें, यथास्थिति, अधिकार समाप्त हो जाते हैं या संपूर्ण अधिकार या उनका कोई भाग विक्रीत कर दिया जाता है, अथवा किसी पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष की बाबत, अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(3) जहां अधिकारों की या तो समाप्ति तत्पश्चात् पुन:प्रचलित हुए बिना हो जाती है या उन्हें उसके समग्र रूप में विक्रीत कर दिया जाता है और विक्रय के आगम (जहां तक वे पूंजी राशियों के रूप में हैं) उनके अर्जन की अनुज्ञात रही लागत से न्यून है, वहां इतनी कटौती जितनी कि ऐसी अनुज्ञात रही लागत के बराबर हो, उस पूर्ववर्ष की बाबत जिसमें अधिकार, यथास्थिति, समाप्त हो जाते हैं या विक्रीत कर दिए जाते हैं, अनुज्ञात की जाएगी ।

(4) जहां संपूर्ण अधिकार या उसका कोई भाग विक्रीत किया जाता है और विक्रय के आगम (जहां तक कि वे पूंजी राशियों के रूप में है) उनके अर्जन की अनुज्ञात रही लागत की रकम से अधिक है, वहां ऐसे आधिक्य का उतना जितना कि अधिकारों के अर्जन की लागत तथा ऐसी अनुज्ञात रहीं लागत की रकम के अन्तर से अधिक नहीं है, उस पूर्ववर्ष के जिसमें संपूर्ण अधिकार या उनका कोई भाग विक्रीत किया जाता है, कारबार की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा ।

स्पष्टीकरण—जहां संपूर्ण अधिकार या उनका कोई भाग उस पूर्ववर्ष में विक्रीत किया जाता है जिसमें वह कारबार अस्तित्व में न रहा हो, वहां इस उपधारा के उपबन्ध इस प्रकार होंगे मानो वह कारबार उस पूर्ववर्ष में अस्तित्व में रहा हो ।

(5) जहां अधिकारों का कोई भाग विक्रीत किया जाता है और उपधारा (4) लागू नहीं होती वहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात की जाने वाली कटौती की रकम निम्न प्रकार से परिकलित की जाएगी—

(क) विक्रय के आगमों को (जहां तक वे पूंजी राशियों के रूप में है) अधिकारों के अर्जन की अनुज्ञात रही लागत की रकम में से घटाकर, और

---

[1] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 13 द्वारा (1-4-1967 से) अन्त:स्थापित ।

[2] 1966 के अधिनियम सं० 13 की धारा 10 द्वारा (1-4-1966 से) अन्त:स्थापित ।

[3] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 12 द्वारा अन्त:स्थापित ।

(ख) शेष को ऐसे सुसंगत पूर्ववर्षों की संख्या से, जो उस पूर्ववर्ष के जिसके दौरान अधिकार विक्रीत किए जाते हैं, आरम्भ में समाप्त नहीं हुए हैं विभाजित करके ।

[1][(6) जहां समामेलन की किसी स्कीम में समामेलक कंपनी अधिकारों को समामेलित कम्पनी की (जो एक भारतीय कम्पनी है) विक्रीत या अन्यथा अन्तरित करती है, वहां—

(i) उपधारा (3) और (4) के उपबन्ध समामेलक कम्पनी की दशा में लागू नहीं होंगे, और

(ii) इस धारा के उपबन्ध समामेलित कम्पनी को, यावत्शक्य ऐसे लागू होंगे जैसे वे समामेलक कम्पनी को लागू होते यदि पश्चात्कथित ने उन अधिकारों का वैसा विक्रय या अन्यथा अन्तरण न किया होता ।]

[2][(7) जहां, किसी निर्विलियन की स्कीम में, निर्विलीन कंपनी अधिकारों का परिणामी कंपनी को (जो भारतीय कंपनी है) विक्रय या अन्यथा अंतरण करती है, वहां—

(i) उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध निर्विलीन कंपनी की दशा में लागू नहीं होंगे; और

(ii) इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके, परिणामी कंपनी को ऐसे लागू होंगे जैसे वे निर्विलीन कंपनी को तब लागू होते यदि पश्चात्वर्ती ने अधिकारों का विक्रय या अन्यथा अंतरण नहीं किया होता ।]

[3][**35कख. व्यवहार ज्ञान पर व्यय**—(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां निर्धारिती ने [4][1 अप्रैल, 1998 को या उसके पूर्व आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष में] अपने कारबार के प्रयोजनों के लिए उपयोग के लिए किसी व्यवहार ज्ञान के अर्जन के लिए एकमुश्त प्रतिफल दिया है वहां इस प्रकार संदत्त रकम के एक बटा छह भाग की उस पूर्ववर्ष के लिए कारबार और अभिलाभ की संगणना में कटौती की जाएगी और अतिशेष रकम को उसके ठीक उत्तरवर्ती पांच पूर्ववर्षों में से प्रत्येक में बराबर किस्तों में कटौती की जाएगी ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यवहार ज्ञान धारा 32क की उपधारा (2ख) में निर्दिष्ट किसी प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय या संस्थान में विकसित हुआ है, वहां निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में संदत्त उक्त एकमुश्त प्रतिफल के एक बटा तीन भाग को उस पूर्ववर्ष के कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने में कटौती की जाएगी, और अतिशेष रकम की उसके ठीक उत्तरवर्ती दो पूर्ववर्षों में से प्रत्येक में बराबर किस्तों में कटौती की जाएगी ।

[5][(3) जहां किसी समामेलन या निर्विलियन की स्कीम के अधीन किसी उपक्रम का अंतरण होता है और समामेलक या निर्विलीन कंपनी इस धारा के अधीन कटौती की हकदार है, वहां, यथास्थिति, समामेलित कंपनी या परिणामी कंपनी ऐसे उपक्रम की बाबत इस धारा के अधीन उसी सीमा तक और अवशिष्ट अवधि की बाबत कटौती का दावा करने की हकदार होगी जितनी, यथास्थिति, समामेलक कंपनी या निर्विलीन कंपनी को अनुज्ञेय होता यदि ऐसा समामेलन या निर्विलियन न हुआ होता ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "व्यवहार ज्ञान" से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक जानकारी या तकनीक जिसकी माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में या खान, तेल के कुएं या खनिज निक्षेप के अन्य स्रोतों के कार्यकरण में सहायक होने की संभावना है (जिसके अन्तर्गत निक्षेपों के लिए तलाश, खोज या परीक्षण या उन तक पहुंच प्राप्त करना है) ।]

[6][**35कखक. दूर-संचार सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम के उपयोग का अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए व्यय**—(1) किसी व्यय के संबंध में, जो दूर-संचार सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम के उपयोग का कोई अधिकार अर्जित करने से पूर्व या तो कारबार के आरंभ से पूर्व या तत्पश्चात् किसी पूर्ववर्ष में किसी समय किया गया है और जिसके लिए स्पैक्ट्रम के उपयोग के अधिकार को अभिप्राप्त करने के लिए वास्तव में संदाय किया गया है, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए और उसके अनुसरण में प्रत्येक सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए, ऐसे व्यय की रकम के समुचित भिन्नांश के बराबर कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) धारा 35कखख की उपधारा (2) से उपधारा (8) में अंतर्विष्ट उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर, "स्पैक्ट्रम" शब्द प्रतिस्थापित किया गया हो ।

(3) जहां किसी पूर्ववर्ष में उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती ने किसी कटौती का दावा किया है और उसे मंजूर किया गया है तथा तत्पश्चात् इस धारा के किन्हीं उपबंधों के अनुपालन में असफलता हुई है, वहां,—

(क) ऐसी कटौती को गलत तौर पर मंजूर किया गया समझा जाएगा;

(ख) निर्धारण अधिकारी, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उक्त पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय को पुन:संगणित कर सकेगा और आवश्यक परिशुद्धि कर सकेगा;

---

[1] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 14 द्वारा (1-4-1967 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 17 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ग) धारा 154 के उपबंध यथाशाध्य लागू होंगे और उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि की गणना, उस पूर्ववर्ष के अंत से, जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्त की अनुपालना में असफलता हुई है, की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "सुसंगत पूर्ववर्ष" से अभिप्रेत है,—

(अ) किसी ऐसी दशा में, जिसमें दूर-संचार सेवाओं का प्रचालन करने के कारबार के प्रारंभ से पूर्व स्पैक्ट्रम फीस का वास्तव में संदाय किया जाता है, उस पूर्ववर्ष से जिसमें ऐसा कारबार प्रारंभ किया गया, आरंभ होने वाले पूर्ववर्ष;

(आ) किसी अन्य दशा में, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें स्पैक्ट्रम फीस का वास्तव में संदाय किया जाता है, आरंभ होने वाले पूर्ववर्ष,

और पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष या वह वर्ष जिनके दौरान ऐसा स्पैक्ट्रम, जिसके लिए फीस का संदाय किया जाता है, प्रवृत्त रहेगी;

(ii) "समुचित भिन्नांश" से वह भिन्नांश अभिप्रेत है जिसका अंश एक है और जिसका हर सुसंगत पूर्ववर्षों की कुल संख्या है;

(iii) "संदाय वास्तव में किया गया है" से उस पूर्ववर्ष का ध्यान रखे बिना जिसमें व्यय के लिए दायित्व निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अपनाई गई लेखा पद्धति के अनुसार उपगत किया गया था या ऐसी रीति में जो विहित की जाए,

संदेय व्यय का वास्तविक संदाय अभिप्रेत है ।]

[1][**35कखख. दूर संचार सेवाओं के प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए व्यय**—(1) [2][किसी पूर्ववर्ष के दौरान दूर-संचार सेवाओं के प्रचालन के कारबार के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् किसी समय दूर-संचार सेवाओं के प्रचालन के लिए किसी अधिकार का अर्जन करने के लिए] उपगत किसी व्यय के संबंध में, जो पूंजीगत व्यय के प्रकार का है और जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए संदाय वास्तव में किया गया है, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए और उनके अनुसार, सुसंगत पूर्ववर्षों में से प्रत्येक के लिए ऐसे व्यय की रकम के समुचित भाग के बराबर कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

[2][(i) "सुसंगत पूर्ववर्ष" से अभिप्रेत है,—

(अ) किसी ऐसी दशा में, जिसमें दूर-संचार सेवाओं का प्रचालन करने के कारबार के प्रारंभ से पूर्व अनुज्ञप्ति फीस का वास्तव में संदाय किया जाता है, उस पूर्ववर्ष से जिसमें ऐसा कारबार प्रारंभ किया गया, आरंभ होने वाले पूर्ववर्ष;

(आ) किसी अन्य दशा में, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें अनुज्ञप्ति फीस का वास्तव में संदाय किया जाता है, आरंभ होने वाले पूर्ववर्ष,

और पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष जिसके/जिनके दौरान ऐसी अनुज्ञप्ति, जिसके लिए फीस का संदाय किया जाता है, प्रवृत्त रहेगी;]

(ii) "समुचित भाग" से वह भाग अभिप्रेत है जिसका अंश एक है और जिसका हर सुसंगत पूर्ववर्षों की कुल संख्या है;

(iii) "संदाय वास्तव में किया गया है" से उस पूर्ववर्ष का ध्यान रखे बिना जिसमें व्यय के लिए दायित्व निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अपनाई गई लेखा पद्धति के अनुसार उपगत किया गया था, व्यय का वास्तविक संदाय अभिप्रेत है ।

(2) जहां अनुज्ञप्ति अंतरित की जाती है और अंतरण के आगम (जहां तक वे पूंजी राशियों के रूप में हैं) अननुज्ञात शेष उपगत व्यय से कम हैं वहां अननुज्ञात शेष ऐसे व्यय के बराबर कटौती, जिसमें से अंतरण के आगम घटा दिए गए है, उस पूर्ववर्ष की बाबत जिसमें अनुज्ञप्ति अन्तरित की जाती हैं, अनुज्ञात की जाएगी ।

(3) जहां सम्पूर्ण अनुज्ञप्ति या उसका कोई भाग अंतरित किया जाता है और अंतरण के आगम (जहां तक वे पूंजी राशियों के रूप में हैं) अननुज्ञात शेष उपगत व्यय की रकम से अधिक है वहां ऐसे आधिक्य का उतना भाग जितना अनुज्ञप्ति के प्राप्त किए जाने पर उपगत व्यय तथा अनुज्ञात शेष ऐसे व्यय की रकम के बीच के अंतरण से अधिक नहीं हैं, उस पूर्ववर्ष में, जिसमें अनुज्ञप्ति अंतरित की गई है, कारबार के लाभों और अभिलाभों के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा ।

स्पष्टीकरण—जहां अनुज्ञप्ति का उस पूर्ववर्ष में, जिसमें कारबार अस्तित्व में नहीं रहा है, अंतरण किया जाता है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो कारबार उस पूर्ववर्ष में अस्तित्व में हो ।

(4) जहां संपूर्ण अनुज्ञप्ति या उसका कोई भाग अंतरित किया जाता है और अंतरण के आगम (जहां तक वे पूंजी राशियों के रूप में है) अननुज्ञात शेष उपगत व्यय की रकम से कम हैं वहां ऐसे व्यय के लिए कोई कटौती उस पूर्ववर्ष के संबंध में, जिसमें अनुज्ञप्ति का अंतरण किया जाता है या किसी पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष या पूर्ववर्षों के संबंध में, उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

---

[1] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(5) जहां अनुज्ञप्ति का कोई भाग पूर्ववर्ष में अंतरित किया जाता है और उपधारा (3) लागू होती है वहां अननुज्ञात शेष उपगत व्यय के लिए उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात की जाने वाली कटौती की रकम निम्न प्रकार से परिकलित की जाएगी,—

(क) अंतरण के आगमों को (जहां तक वे पूंजी राशियों के रूप में हैं), अननुज्ञात शेष व्यय में से घटाकर; और

(ख) शेष को ऐसे सुसंगत पूर्ववर्षों की संख्या से, जो उस पूर्ववर्ष के, जिसके दौरान अनुज्ञप्ति अंतरित की जाती है, प्रारम्भ में समाप्त नहीं हुई है, विभाजित करके ।

(6) जहां समामेलन की किसी स्कीम में समामेलक कंपनी, समामेलित कंपनी को (जो भारतीय कंपनी है) अनुज्ञप्ति का विक्रय या अन्यथा अंतरण करती है, वहां,—

(i) उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध समामेलक कंपनी की दशा में लागू नहीं होंगे; और

(ii) इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके, समामेलित कंपनी को ऐसे लागू होंगे जैसे वे समामेलक कंपनी को लागू होते यदि पश्चात्वर्ती ने अनुज्ञप्ति का अंतरण नहीं किया होता ।]

[1][(7) जहां निर्विलयन की किसी स्कीम में, निर्विलीन कंपनी, परिणामी कंपनी को (जो भारतीय कंपनी है), अनुज्ञप्ति का विक्रय या अन्यथा अंतरण करती है, वहां :—

(i) उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध निर्विलीन कंपनी की दशा में लागू नहीं होंगे; और

(ii) इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके, परिणामी कंपनी को इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे निर्विलीन कंपनी को लागू होते, मानो पश्चात्वर्ती ने अनुज्ञप्ति अंतरित नहीं की हो ।]

[2][(8) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी पूर्ववर्ष के लिए कटौती का दावा किया जाता है और उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी व्यय के संबंध में अनुज्ञात किया जाता है वहां उसी वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष के लिए धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

[3][**35कग. पात्र परियोजनाओं और स्कीमों पर व्यय**—(1) जहां कोई निर्धारिती, किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी को अथवा राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित किसी संगम या संस्था को किसी पात्र परियोजना या स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए किसी राशि के संदाय के रूप में कोई व्यय उपगत करता है वहां निर्धारिती को, पूर्ववर्ष के दौरान उपगत ऐसे व्यय की रकम की कटौती, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञात की जाएगी :

परन्तु कोई कम्पनी, इस उपधारा के अधीन कटौती का दावा करने के लिए, यथापूर्वोक्त, किसी राशि के संदाय के रूप में अथवा पात्र परियोजना या स्कीम पर सीधे व्यय उपगत कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निर्धारिती अपनी आय की विवरणी के साथ—

(क) जहां संदाय उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी संगम या संस्था को किया जाता है वहां, यथास्थिति, ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी अथवा संगम या संस्था से;

(ख) किसी अन्य दशा में, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखापाल से,

ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति और ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करते हुए (जिनके अन्तर्गत पूर्ववर्ष के दौरान पात्र परियोजना या स्कीम के संबंध में कार्य की प्रगति से संबंधित विशिष्टियां हैं), जो विहित की जाएं, प्रमाणपत्र दे देता है ।

[4][**स्पष्टीकरण**—ऐसी कटौती से जिसके लिए निर्धारिती इस उपधारा में निर्दिष्ट पात्र परियोजना या स्कीम चलाने के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या संगम या संस्था को संदत्त किसी राशि की बाबत हकदार है, मात्र इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि के संदाय के पश्चात्,—

(क) ऐसे संगम या संस्था को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है; या

(ख) पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या संगम या संस्था द्वारा चलाई जा रही पात्र परियोजना या स्कीम को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है ।]

(3) जहां इस धारा के अधीन किसी कटौती का उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यय की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात कर दी जाती है वहां ऐसी कटौती इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन ऐसे व्यय की बाबत उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

---

[1] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 18 द्वारा (1-4-2000 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 18 द्वारा (1-4-1996 से) अंत:स्थापित ।

[3] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 6 द्वारा (1-4-2006 से) अंत:स्थापित ।

[1][(4) जहां कोई संगम या संस्था, उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित कर दी जाती है और तत्पश्चात्—

(i) उस समिति का यह समाधान हो जाता है कि परियोजना या स्कीम ऐसी सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार, जिनके अधीन रहते हुए अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, कार्यान्वित नहीं की जा रही है; या

(ii) ऐसे संगम या संस्था ने, जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया गया है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय समिति को ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है,

वहां, राष्ट्रीय समिति, संबंधित संगम या संस्था को, अनुमोदन वापस लेने की प्रस्थापना के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, किसी भी समय, ऐसे अनुमोदन को वापस ले सकेगी :

परंतु अनुमोदन वापस लेने वाले आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय समिति द्वारा उस निर्धारण अधिकारी को, जिसकी संबंधित संगम या संस्था पर अधिकारिता है, अग्रेषित की जाएगी ।

(5) जहां कोई परियोजना या स्कीम, स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित की गई है और तत्पश्चात्—

(i) राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाता है कि परियोजना या स्कीम ऐसी सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार, जिनके अधीन रहते हुए ऐसी परियोजना या स्कीम अधिसूचित की गई थी, कार्यान्वित नहीं की जा रही है; या

(ii) ऐसी पात्र परियोजना या स्कीम के संबंध में रिपोर्ट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत नहीं की गई है,

वहां ऐसी अधिसूचना उसी रीति से वापस ली जा सकेगी जिससे वह जारी की गई थी :

परंतु वापस लेने की प्रस्थापना के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर, यथास्थिति, संबंधित संगम, संस्था, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी को राष्ट्रीय समिति द्वारा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि उस अधिसूचना की प्रति, जिसके द्वारा पात्र परियोजना या स्कीम की, अधिसूचना वापस ली जाती है, उस निर्धारण अधिकारी को जिसकी, यथास्थिति, संबंधित संगम, संस्था, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी पर, जो ऐसी पात्र परियोजना या स्कीम चला रहा है, अधिकारिता है, अग्रेषित की जाएगी ।]

[2][(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां—

(i) किसी संगम या संस्था को अनुदत्त राष्ट्रीय समिति का अनुमोदन उपधारा (4) के अधीन वापस ले लिया जाता है या किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या किसी संगम या संस्था की दशा में पात्र परियोजना या स्कीम के लिए अधिसूचना उपधारा (5) के अधीन वापस ले ली जाती है; या

(ii) किसी कंपनी ने पात्र परियोजना या स्कीम पर प्रत्यक्ष रूप से उपगत किसी व्यय की बाबत उपधारा (1) के परंतुक के अधीन कटौती का दावा किया है और ऐसी परियोजना या स्कीम के लिए अनुमोदन राष्ट्रीय समिति द्वारा उपधारा (5) के अधीन वापस ले लिया जाता है,

वहां, यथास्थिति, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या संगम या संस्था द्वारा प्राप्त ऐसे संदाय की कुल रकम, जिसकी बाबत, ऐसी कंपनी या प्राधिकारी या संगम या संस्था ने उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है या किसी कंपनी द्वारा उपधारा (1) के परंतुक के अधीन कटौती का दावा किया गया है, ऐसे पूर्ववर्ष के लिए, यथास्थिति, ऐसी कंपनी या प्राधिकारी या संगम या संस्था की आय समझा जाएगा, जिसमें ऐसा अनुमोदन या अधिसूचना वापस ली जाती है और ऐसी आय पर उस वर्ष में प्रवृत्त अधिकतम मार्जिन दर पर कर प्रभारित किया जाएगा ।]

[3][(7) इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "राष्ट्रीय समिति" से केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों से गठित समिति अभिप्रेत है, जिन्हें सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त हुई है;

---

[1] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 16 द्वारा (1-4-2003 से) अंत:स्थापित ।

[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 17 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ख) "पात्र परियोजना या स्कीम" से जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि या उत्थान के लिए ऐसी परियोजना या स्कीम अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

[1][**35कघ. विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती**—(1) किसी निर्धारिती को उसके द्वारा किए गए किसी विनिर्दिष्ट कारबार के प्रयोजनों के लिए, पूर्णत: और अनन्यत: उपगत पूंजी प्रकृति के संपूर्ण किसी व्यय की बाबत उस पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें उसके द्वारा ऐसा व्यय उपगत किया गया है, कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु किसी विनिर्दिष्ट कारबार के प्रयोजनों के लिए पूर्णत: और अनन्यत: उपगत किसी व्यय को उस पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें वह अपने विनिर्दिष्ट कारबार का प्रचालन प्रारंभ करता है, कटौती के रूप-में अनुज्ञात किया जाएगा, यदि—

(क) उक्त व्यय उसके प्रचालनों के प्रारंभ से पूर्व उपगत किया जाता है, और

(ख) उक्त रकम उसके प्रचालनों के प्रारंभ की तारीख को निर्धारिती की लेखा बही में पूंजीकृत कर दी गई है ।

[2]* * * * *

(2) यह धारा ऐसे विनिर्दिष्ट कारबार को लागू होती है, जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(i) इसे पहले से विद्यमान किसी कारबार को विभाजित करके या पुनर्गठन करके स्थापित नहीं किया गया है;

(ii) इसे किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र का विनिर्दिष्ट कारबार में अंतरण करके स्थापित नहीं किया गया है;

(iii) जहां कारबार उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट प्रकृति का है, वहां ऐसा कारबार,—

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन भारत में बनाई गई या रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या ऐसी कंपनियों के संघ के या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या बोर्ड या निगम के स्वामित्वाधीन है;

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित और केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है;

(ग) [3][पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अपनी कुल पाइपलाइन क्षमता का ऐसा अनुपात] से अन्यून निर्धारिती या किसी सहयुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य वाहक आधार पर उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है; और

(घ) ऐसी किसी अन्य शर्त को पूरा करता है, जो विहित की जाए;

[4][(iv) जहां कारबार उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (xiv) में निर्दिष्ट प्रकृति का है, वहां ऐसा कारबार,—

(अ) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी के या ऐसी कंपनियों के किसी संघ के या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य निकाय के स्वामित्वाधीन है;

(आ) उपखंड (अ) में निर्दिष्ट अस्तित्व ने विकास या प्रचालन और अनुरक्षण के लिए या किसी नई अवसंरचना सुविधा के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य ससरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य कानूनी निकाय के साथ करार किया है ।]

[3][(3) जहां इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किसी निर्धारण वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट कारबार की बाबत किया गया है और अनुज्ञात किया गया है, वहां उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में [5][धारा 10कक और] "ग—कतिपय आय की बाबत कटौती" शीर्षक के अधीन अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन कोई कटौती, अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

(4) निर्धारिती को किसी पूर्ववर्ष में किसी अन्य धारा के अधीन या किसी अन्य पूर्ववर्ष में इस धारा के अधीन उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

---

[1] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 18 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।

(5) इस धारा के उपबंध उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कारबार को तभी लागू होंगे, यदि वह,—

(क) जहां विनिर्दिष्ट कारबार के वितरण के लिए क्रास-कंट्री प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने या उसके प्रचालन की प्रकृति का है, जिसके अंतर्गत भंडारण सुविधाएं भी हैं जो ऐसे नेटवर्क का आंतरिक भाग है, वहां 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् अपना कार्य आरंभ करता है; [1]***

[2][(कक) 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार केंद्रीय सरकार द्वारा यथावर्गीकृत दो-सितारा या उच्च प्रवर्ग के नए होटल के निर्माण और प्रचालन की प्रकृति का है;

(कख) 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् जहां विनिर्दिष्ट कारबार मरीजों के लिए कम-से-कम एक सौ बिस्तरों वाले नए अस्पताल के निर्माण और प्रचालन की प्रकृति का है;

(कग) 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गंदी बस्ती के पुनर्विकास या पुनर्वास के लिए विरचित किसी स्कीम के अधीन किसी आवास परियोजना के विकास और निर्माण की प्रकृति का है और जिसे बोर्ड द्वारा ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जो विहित किए जाएं, इस निमित्त अधिसूचित किया गया है, [3]***]

[4][(कघ) 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विरचित और बोर्ड द्वारा, ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त अधिसूचित किसी वहनीय आवास स्कीम के अधीन किसी आवास की परियोजना के विकास और निर्माण की प्रकृति में है;

(कङ) 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात्, उर्वरक के उत्पादन के लिए किसी नए संयंत्र में या किसी विद्यमान संयंत्र में नई प्रतिष्ठापित क्षमता में, [5]***]

[6][(कच) 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन अधिसूचित या अनुमोदित किसी अंतर्देशीय आधान डिपो या आधान माल भाड़ा स्टेशन की स्थापना और उसके प्रचालन की प्रकृति का है;

(कछ) 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार मधुमक्खी पालन और शहद तथा मधुमोम के उत्पादन की प्रकृति का है;

(कज) 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार चीनी के भंडारण के लिए किसी भांडागार सुविधा की स्थापना और उसके प्रचालन की प्रकृति का है; [7]***]

[8][(कझ) 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार लौह अयस्क के परिवहन के लिए अवपंक पाइपलाइन बिछाने और उसके प्रचालन की प्रकृति का है;

(कञ) 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार किसी अर्धचालक वेफर संविरचना विनिर्माण इकाई की स्थापना और उसके प्रचालन की प्रकृति का है और जो बोर्ड द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अधिसूचित किया गया है; [9]***]

[10][(कट) 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार विकास या प्रचालन और अनुरक्षण अथवा किसी अवसंरचना सुविधा के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण की प्रकृति का है; और]

(ख) [11][उपरोक्त खंडों में से किसी] के अधीन न आने वाले सभी अन्य मामलों में, 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् अपना कार्य आरंभ करता है ।

(6) उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति के कारबार को करने वाले निर्धारिती को 1 अप्रैल, 2010 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में उपधारा (1) के अधीन किसी कटौती के अतिरिक्त, किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष के दौरान उपगत पूंजी प्रकृति के व्यय की बाबत किसी रकम की और कटौती अनुज्ञात की जाएगी, यदि,—

---

[1] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 10 द्वारा लोप किया गया ।
[2] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 6 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 9 द्वारा लोप किया गया ।
[6] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 9 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[7] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 12 द्वारा लोप किया गया ।
[8] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 12 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[9] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 18 द्वारा लोप किया गया ।
[10] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।
[11] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट कारबार ने 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात्, प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय अपना कार्य करना आरंभ किया है; और

(ख) उस रकम के लिए कोई कटौती किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं की गई है या अनुज्ञेय नहीं है ।

[1][(6क) जहां निर्धारिती केंद्रीय सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत दो-सितारा या उससे ऊपर के प्रवर्ग के किसी होटल का निर्माण करता है और बाद में, होटल का स्वामी बने रहते हुए, उसका प्रचालन किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है, वहां निर्धारिती को उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कारबार करने वाला समझा जाएगा ।]

(7) धारा 80क की उपधारा (6) में अंतर्विष्ट उपबंध और धारा 80झक की उपधारा (7) और उपधारा (10) के उपबंध, जहां तक हो सके, विनिर्दिष्ट कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित माल या सेवाओं या आस्तियों की बाबत इस धारा को लागू होंगे ।

[2][(7क) ऐसी कोई आस्ति, जिसकी बाबत इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, केवल विनिर्दिष्ट कारबार के लिए उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसी आस्ति अर्जित या सन्निर्मित की जाती है, आरंभ होने वाले आठ वर्ष की अवधि के लिए उपयोग में लाई जाएगी ।

(7ख) जहां ऐसी कोई आस्ति, जिसकी बाबत इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, उपधारा (7क) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए, धारा 28 के खंड (vii) में निर्दिष्ट ढंग से भिन्न रूप में उपयोग में लाई जाती है, वहां एक या अधिक पूर्ववर्षों में इस प्रकार दावा की गई और अनुज्ञात की गई कटौती की कुल रकम को, जो धारा 32 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय अवक्षयण की रकम को घटाकर आए, निर्धारिती की उस पूर्ववर्ष की, जिसमें आस्ति इस प्रकार उपयोग में लाई जाती है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

(7ग) उपधारा (7ख) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसी किसी कंपनी को लागू नहीं होगी जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन, उपधारा (7क) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, रुग्ण औद्योगिक कंपनी हो गई है ।]

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) निर्धारिती के संबंध में, "सहयुक्त व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,—

(i) जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या एक या अधिक मध्यवर्तियों के माध्यम से निर्धारिती के प्रबंध या नियंत्रण या पूंजी में भाग लेता है;

(ii) जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारिती की पूंजी की मतदान शक्ति के छब्बीस प्रतिशत से अन्यून क्षमता वाले शेयर धारित करता है;

(iii) जो निदेशक बोर्ड या शासी बोर्ड के आधे से अधिक सदस्यों या निर्धारिती के शासी बोर्ड के एक या अधिक कार्यकारी निदेशकों या कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति करता है; या

(iv) जो निर्धारिती के कुल उधारों के दस प्रतिशत से अन्यून के लिए प्रत्याभूति देता है;

(ख) "शीत श्रृंखला सुविधा" से वैज्ञानिक रूप में नियंत्रित दशाओं के अधीन कृषि और वनोत्पाद, मांस और मांस उत्पादों, कुक्कुट पालन, समुद्री और डेयरी उत्पादों, या उद्यान कृषि, बागवानी, पुष्प कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य मदों के भंडारण या परिवहन की सुविधाओं की श्रृंखला अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत ऐसे उत्पादों के परिरक्षण के लिए आवश्यक प्रशीतन और अन्य सुविधाएं भी हैं;

[3][(खक) "अवसंरचना सुविधा" से,—

(i) कोई सड़क जिसके अंतर्गत पथकर सड़क भी है, कोई पुल या कोई रेल प्रणाली;

(ii) कोई राजमार्ग परियोजना, जिसके अंतर्गत ऐसी आवासन या अन्य ऐसे क्रियाकलाप, जो राजमार्ग परियोजना का अभिन्न भाग है;

(iii) कोई जल प्रदाय परियोजना, जल उपचार प्रणाली, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता और मलवाही प्रणाली या ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली;

(iv) कोई पत्तन, विमानपत्तन, भूमिगत जलमार्ग, भूमिगत पत्तन या समुद्र में नौपरिवहन संबंधी चैनल;

अभिप्रेत है;]

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 9 द्वारा संशोधित ।

[2] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ग) "विनिर्दिष्ट कारबार" से निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक का कारबार अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(i) किसी शीत श्रृंखला सुविधा की स्थापना और प्रचालन;

(ii) कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए भांडागार सुविधा की स्थापना और प्रचालन;

(iii) वितरण के लिए क्रास-कंट्री प्राकृतिक गैस या कच्चा या पेट्रोलियम तेल, पाइपलाइन नेटवर्क बिछाना और प्रचालन करना, जिसके अंतर्गत भंडारण सुविधाएं भी हैं, जो ऐसे नेटवर्क का आंतरिक भाग हैं;

[1][(iv) भारत में कहीं भी केंद्रीय सरकार द्वारा यथावर्गीकृत दो-सितारा या उच्च प्रवर्ग के [2][होटल] का सन्निर्माण और प्रचालन;

(v) भारत में कहीं भी, मरीजों के लिए कम से कम एक सौ बिस्तरों वाले [2][अस्पताल] का निर्माण और प्रचालन;

(vi) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गंदी बस्ती के पुनर्विकास या पुनर्वास के लिए विरचित और बोर्ड द्वारा ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त अधिसूचित की गई, किसी स्कीम के अधीन किसी आवास परियोजना का विकास और निर्माण;]

[3][(vii) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विरचित और बोर्ड द्वारा ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त अधिसूचित किसी वहनीय आवास स्कीम के अधीन किसी आवास की परियोजना का विकास और निर्माण;

(viii) भारत में उर्वरक का उत्पादन;]

[4][(ix) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन अधिसूचित या अनुमोदित किसी अंतर्देशीय आधान डिपो या आधान माल भाड़ा स्टेशन की स्थापना और प्रचालन;

(x) मधुमक्खी पालन और शहद तथा मधुमोम का उत्पादन;

(xi) चीनी के भंडारण के लिए किसी भांडागार सुविधा की स्थापना और प्रचालन;]

[5][(xii) लौह अयस्क के परिवहन के लिए अवपंक पाइपलाइन को बिछाना और उसका प्रचालन;

(xiii) बोर्ड द्वारा अधिसूचित अर्धचालक वेफर संविरचना विनिर्माण इकाई की, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, स्थापना और उसका प्रचालन;]

[6][(xiv) विकास का अनुरक्षण और प्रचालन या किसी नई अवसंरचना सुविधा का विकास, अनुरक्षण और प्रचालन;]

(घ) ऐसी किसी मशीनरी या संयंत्र को, जिसका निर्धारिती से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर उपयोग किया गया था, किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के रूप में नहीं माना जाएगा, यदि,—

(i) ऐसी मशीनरी या संयंत्र को निर्धारिती द्वारा प्रतिष्ठापन की तारीख से पूर्व किसी समय भारत में प्रयुक्त नहीं किया गया है;

(ii) ऐसी मशीनरी या संयंत्र को भारत के बाहर किसी देश से भारत में आयात किया गया है; और

(iii) निर्धारिती द्वारा मशीनरी या संयंत्र के प्रतिष्ठापन की तारीख से पूर्व की किसी अवधि के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी मशीनरी या संयंत्र की बाबत अवक्षयण मद्दे किसी कटौती को अनुज्ञात नहीं किया गया है या अनुज्ञेय नहीं है;

(ङ) जहां किसी विनिर्दिष्ट कारबार की दशा में, किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र या उसके किसी भाग को विनिर्दिष्ट कारबार में अंतरित किया जाता है और इस प्रकार अंतरित मशीनरी या संयंत्र या भाग का कुल मूल्य ऐसे कारबार में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होता है, वहां उपधारा (2) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए उसमें विनिर्दिष्ट शर्त का पालन किया गया समझा जाएगा;

---

[1] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 9 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[5] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।

(च) पूंजी प्रकृति के किसी व्यय में किसी भूमि के अर्जन या साख या वित्तीय लिखत पर उपगत कोई व्यय सम्मिलित नहीं होगा [1][जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को किसी एक दिवस में किसी बैंक पर आहरित किसी खाते में देय चेक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक प्रणाली का उपयोग करके संदाय करने से भिन्न ऐसा कोई संदाय या कुल संदाय किए जाते हैं, जो दस हजार रुपए से अधिक है ।]

[2]* * * * *

[3][**35गगक. ग्राम विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए संगमों और संस्थाओं को संदाय के रूप में व्यय**—[4][(1) जहां निर्धारिती—

(क) किसी ऐसे संगम या संस्था को, जिसका उद्देश्य ग्राम विकास कार्यक्रम चलाना है, विहित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ग्राम विकास के किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में प्रयोग के लिए; या

(ख) किसी संगम या संस्था को, जिसका उद्देश्य ग्राम विकास के किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना है, [5][या]

[5](ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त स्थापित और अधिसूचित [6][ग्रामीण विकास निधि को; या]]

[7][(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त स्थापित और अधिसूचित राष्ट्रीय नगर गरीबी उन्मूलन निधि को,] किसी राशि के संदाय के रूप में कोई व्यय उपगत करता है, वहां निर्धारिती को उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए पूर्ववर्ष के दौरान उपगत ऐसे व्यय की रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

[8][(2) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कटौती उक्त खंड में निर्दिष्ट किसी संगम या संस्था को किसी राशि के संदाय के रूप में किए गए व्यय की बाबत तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निर्धारिती ऐसे संगम या संस्था से इस आशय का प्रमाणपत्र दे देता है कि—

(क) ग्राम विकास कार्यक्रम विहित प्राधिकारी द्वारा 1 मार्च, 1983 के पहले अनुमोदित किया गया था; और

(ख) जहां ऐसा संदाय 28 फरवरी, 1983 के पश्चात् किया जाता है, वहां ऐसे कार्यक्रम में किसी भवन या अन्य संरचना (चाहे वह औषधालय, विद्यालय, प्रशिक्षण या कल्याण केन्द्र, कर्मशाला के रूप में उपयोग के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए हो) के सन्निर्माण के रूप में कार्य या किसी सड़क का बिछाया जाना या किसी कुएं या नलकूप का सन्निर्माण या वेद्यतन करना या किसी संयंत्र या मशीनरी का प्रतिष्ठापन अंतर्वलित है और ऐसा कार्य 1 मार्च, 1983 के पहले प्रारंभ कर दिया गया है ।

(2क) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कटौती किसी संगम या संस्था को किसी राशि का संदाय के रूप में व्यय की बाबत तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निर्धारिती ऐसे संगम या संस्था से इस आशय का प्रमाणपत्र दे देता है कि—

(क) विहित प्राधिकारी ने 1 मार्च, 1983 के पहले संस्था या संगम का अनुमोदन कर दिया था; और

(ख) किसी ग्राम विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों का प्रशिक्षण उस संस्था या संगम द्वारा 1 मार्च, 1983 के पहले प्रारम्भ कर दिया गया था;

[9][**स्पष्टीकरण**—ऐसी कटौती से जिसके लिए निर्धारिती उपधारा (1) में निर्दिष्ट ग्रामीण विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए संगम या संस्था को संदत्त किसी राशि की बाबत हकदार है, मात्र इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि के संदाय के पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम या संगम या संस्था को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है ।]

(2ख) किसी संगम या संस्था द्वारा उपधारा (2) या उपधारा (2क) में निर्दिष्ट प्रकृति का प्रमाणपत्र तभी दिया जाएगा जब ऐसा संगम या संस्था विहित प्राधिकारी से किसी प्रकृति का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकार प्राप्त कर लेती है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "ग्राम विकास कार्यक्रम" का वही अर्थ होगा जो धारा 35गग की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में है ।

(3) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यय की बाबत निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है वहां ऐसे व्यय की बाबत उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम की धारा 35ग या धारा 35गग या धारा 80छ या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कोई और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 13 द्वारा (1-4-2018 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 10 द्वारा (1-4-1989 से) धारा 35ख, 35ग और 35गग का लोप किया गया ।
[3] 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 7 द्वारा (1-6-1978 से) अन्त:स्थापित ।
[4] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 5 द्वारा (1-6-1979 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 7 द्वारा (1-4-2006 से) अंत:स्थापित ।

[1][**35गगख. प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के कार्यक्रम को चलाने के लिए संगमों या संस्थाओं को संदाय के रूप में व्यय**—[2][(1) जहां निर्धारिती—

(क) किसी ऐसे संगम या संस्था को, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वनरोपण का कार्यक्रम चलाना है, विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वनरोपण के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में उपयोग करने के लिए; या

(ख) किसी ऐसी निधि को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, वनरोपण के लिए,

किसी राशि के संदाय के रूप में [3][31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व कोई व्यय उपगत करता है] वहां निर्धारिती को, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस पूर्ववर्ष के दौरान उपगत ऐसे व्यय की रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।]

(2) उपधारा (1) [4][के खंड (क)] के अधीन कटौती किसी संगम या संस्था को संदाय के रूप में किए गए व्यय की बाबत तभी अनुज्ञात की जाएगी जब ऐसा संगम या संस्था विहित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त तत्समय अनुमोदित है :

परन्तु विहित प्राधिकारी ऐसा अनुमोदन एक बार में तीन वर्ष से अधिक के लिए नहीं देगा ।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यय की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है वहां ऐसे व्यय की बाबत उसी समय या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

[5][**35गगग. कृषि विस्तार परियोजना पर व्यय**—(1) जहां कोई निर्धारिती बोर्ड द्वारा उन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना पर कोई व्यय उपगत करता है, वहां ऐसे व्यय के डेढ़ गुना के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

[6][परंतु 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "डेढ़ गुना के बराबर राशि" शब्दों के स्थान पर "बराबर राशि" शब्द रख दिए गए हों ।]

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यय की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, वहां उस व्यय की बाबत कटौती इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

35गगघ. कौशल विकास परियोजना पर व्यय—(1) जहां कोई कंपनी, बोर्ड द्वारा, उन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त अधिसूचित किसी कौशल विकास परियोजना पर कोई व्यय (जो किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं है) उपगत करती है, वहां ऐसे व्यय के डेढ़ गुना के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

[7][परंतु 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार ही प्रभावी होंगे, मानो "डेढ़ गुणा के बराबर राशि" शब्दों के स्थान पर, "बराबर राशि" शब्द रख दिए गए हों :]

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यय की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, वहां उस व्यय की बाबत कटौती इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

[8][**35घ. कतिपय प्रारम्भिक व्ययों पर अपाकरण**—(1) जहां कोई निर्धारिती जो भारतीय कंपनी है या कंपनी से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत में निवास करता है, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कोई व्यय 1970 के मार्च के इकतीसवें दिन के पश्चात्—

(i) अपने कारबार के प्रारम्भ के पूर्व, अथवा

(ii) अपने कारबार के प्रारम्भ के पश्चात्, अपने [9][उपक्रम] के विस्तार के संबंध में या अपने नई [9][एकक] की स्थापना के संबंध में,

उपगत करता है वहां उस निर्धारिती को, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उतनी राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी जो, यथास्थिति, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें उसका कारबार प्रारम्भ होता है या उस पूर्ववर्ष से जिसमें [9][उपक्रम] का विस्तार पूरा

---

[1] 1982 के अधिनियम सं० 14 की धारा 9 द्वारा धारा 35गगख (1-6-1982 से) अन्त:स्थापित । 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 10 द्वारा (1-4-1989 से) लोप किया गया था और 1989 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 95 द्वारा पुन: अंत:स्थापित किया गया ।

[2] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 12 द्वारा (1-4-1991 से) प्रतिस्थापित ।

[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 17 द्वारा (1-4-2003 से) प्रतिस्थापित ।

[4] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 12 द्वारा (1-4-1991 से) अंत:स्थापित ।

[5] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।

[6] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 19 द्वारा अंत:स्थापित ।

[7] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 20 द्वारा अंत:स्थापित ।

[8] 1970 के अधिनियम सं० 32 की धारा 7 द्वारा (1-4-1971 से) अंत:स्थापित ।

[9] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

हो जाता है या नया [1][एकक] उत्पादन या कार्य करना प्रारंभ करता है, प्रारम्भ होने वाले दस क्रमवर्ती पूर्ववर्ष से हर एक के लिए उस व्यय के एक बटा दस के बराबर है :

[2][परन्तु जहां निर्धारिती ने 31 मार्च, 1998 के पश्चात् उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कोई व्यय उपगत किया है वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दस क्रमवर्ती पूर्ववर्ष में से हर एक के लिए उस व्यय के एक बटा दस के बराबर है" शब्दों के स्थान पर "पांच क्रमवर्ती पूर्ववर्षों में से हर एक के लिए उस व्यय के एक बटा पांच के बराबर है" शब्द रखे गए हों ।]

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यय निम्नलिखित खंडों में से एक या अधिक में विनिर्दिष्ट व्यय होगा, अर्थात्—

(क) निम्नलिखित के संबंध में व्यय—

(i) साध्यता रिपोर्ट तैयार करना;

(ii) परियोजना रिपोर्ट तैयार करना;

(iii) निर्धारिती के कारबार के लिए आवश्यक बाजार सर्वेक्षण या कोई अन्य सर्वेक्षण करना;

(iv) निर्धारिती के कारबार के संबंध में इंजीनियरी सेवाएं :

परन्तु यह तब जब कि इस खंड में निर्दिष्ट साध्यता रिपोर्ट या परियोजना रिपोर्ट तैयार करने या बाजार का सर्वेक्षण या कोई अन्य सर्वेक्षण या इंजीनियरिंग सेवाओं से संबंधित कार्य स्वयं निर्धारिती द्वारा किया गया है या किसी ऐसे समुत्थान द्वारा किया गया है जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त तत्समय अनुमोदित है;

(ख) निर्धारिती के कारबार की स्थापना या उसके संचालन से संबंधित किन्हीं प्रयोजनों के लिए निर्धारिती और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी करार का प्रारूप बनाने के लिए विधिक प्रभार;

(ग) जहां निर्धारिती कोई कंपनी है वहां निम्नलिखित व्यय भी है,—

(i) कम्पनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों के प्रारूप बनाने के लिए विधिक प्रभार;

(ii) संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद मुद्रण पर व्यय;

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए फीस;

(iv) कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों को लोक अभिदाय के लिए जारी करने के संबंध में व्यय जो निम्नांकन (हामीदारी) कमीशन, दलाली और प्रोस्पैक्टस का प्रारूप बनाने, उसे टाइप कराने या मुद्रित कराने और उसके विज्ञापन के लिए प्रभार है;

(घ) व्यय की अन्य ऐसी मदें (जो ऐसे व्यय नहीं हैं जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन किसी मोक या कटौती के पात्र हैं) जिन्हें विहित किया जाए ।

(3) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यय की कुल रकम,—

(क) परियोजना की लागत पर; या

(ख) उस दशा में जहां निर्धारिती भारतीय कंपनी है, उस कंपनी के विकल्प पर कम्पनी के कारबार में नियोजित पूंजी पर,

ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित रकम से अधिक है, वहां आधिक्य उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञेय कटौती की संगणना करने के प्रयोजनार्थ हिसाब में नहीं लिया जाएगा :

[2][परन्तु जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यय की कुल रकम 31 मार्च, 1998 के पश्चात् उपगत की जाती है वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "ढाई प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पांच प्रतिशत" शब्द रखे गए हों ।]

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में,—

(क) "परियोजना की लागत" से अभिप्रेत है,—

(i) उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट दशा में स्थिर आस्तियों की, जो भूमि, भवन, पट्टाधृति, संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग और रेलसाइडिंग है, वह वास्तविक लागत (जिसके अंतर्गत भूमि और भवनों के विकास पर व्यय भी हैं) जो उस वर्ष के अंतिम दिन जिसमें निर्धारिती का कारबार प्रारम्भ हुआ है, निर्धारिती की बहियों में दिखाई गई है;

---

[1] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 14 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ii) उपधारा (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में, ऐसी स्थिर आस्तियों की, जो भूमि, भवन, पट्टाधृति, संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग और रेल साइडिंग है, वह वास्तविक लागत (जिसके अंतर्गत भूमि और भवनों के विकास पर व्यय भी है), जो उस पूर्ववर्ष के अंतिम दिन जिसमें यथास्थिति, [1][उपक्रम] का विस्तार पूरा हो गया है या नए [1][एकक] ने उत्पादन करना या कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है, निर्धारिती की बहियों में दिखाई गई है, वहां तक जहां तक निर्धारिती के [1][उपक्रम] के विस्तार या नए [1][एकक] की स्थापना के संबंध में स्थिर आस्तियां अर्जित या विकसित की गई हैं;

(ख) "कंपनी के कारबार में नियोजित पूंजी" से अभिप्रेत है,—

(i) उपधारा (1) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट दशा में, पुरोधृत शेयर पूंजी, डिबेंचरों और दीर्घकालिक उधारों का वह कुल योग जो उस पूर्ववर्ष के अंतिम दिन है जिसमें कंपनी का कारोबार प्रारंभ किया गया है;

(ii) उपधारा (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में, पुरोधृत शेयर पूंजी, डिबेंचरों और दीर्घकालिक उधारों का योग जो उस पूर्ववर्ष के अंतिम दिन है, जिसमें, यथास्थिति, [1][उपक्रम] का विस्तार पूरा हो गया है या नई [1][एकक] ने उत्पादन करना या कार्य प्रारंभ कर दिया है, वहां तक जहां तक कि शेयर पूंजी, डिबेंचरों और दीर्घकालिक उधार कंपनी के [1][उपक्रम] के विस्तार या नई [1][एकक] की स्थापना के संबंध में पुरोधृत किए गए हैं;

(ग) "दीर्घकालिक उधार" से अभिप्रेत है—

(i) कंपनी द्वारा सरकार से या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से या भारतीय औद्योगिक प्रत्यय और विनिधान निगम से या किसी अन्य ऐसी वित्तीय संस्था से [2][जो धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) के अधीन कटौती के लिए पात्र है] या किसी बैंककारी संस्था से (जो ऊपर निर्दिष्ट वित्तीय संस्था न हो) उधार लिया गया धन; या

(ii) भारत से बाहर पूंजी, संयंत्र और मशीनरी के क्रय की बाबत किसी अन्य देश में उसके द्वारा उधार लिया गया धन या उपगत ऋण, उस दशा में जहां वे निबंधन जिन पर ऐसा धन उधार लिया गया है या ऋण उपगत किया गया है, सात वर्ष से अन्यून कालावधि के दौरान उसके प्रति संदाय का उपबंध करते हैं ।

(4) जहां निर्धारिती कंपनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न व्यक्ति है, वहां उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय न होगी जब तक कि निर्धारिती के उस वर्ष या उन वर्षों के, जिसमें या जिनमें उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय उपगत किया गया है, लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं कर दिए गए हैं और निर्धारिती उस प्रथम वर्ष की, जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, उपवर्णित हैं प्रस्तुत नहीं करता है ।

(5) जहां किसी ऐसी भारतीय कंपनी का, जो उपधारा (1) के अधीन कटौती का हकदार है, उपक्रम उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दस वर्ष की कालावधि के अवसान के पूर्व किसी अन्य भारतीय कंपनी को किसी समामेलन की स्कीम के अधीन अंतरित किया जाता है, वहां,—

(i) समामेलक कंपनी की दशा में, उस पूर्ववर्ष के लिए जिसमें समामेलन होता है, उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय होगी; तथा

(ii) इस धारा के उपबंध समामेलक कंपनी को, यथाशक्य, ऐसे लागू होंगे जैसे वे समामेलक कंपनी को तब लागू होते यदि समामेलन न हुआ होता ।

[3][(5क) जहां किसी ऐसी भारतीय कंपनी का, जो उपधारा (1) के अधीन कटौती की हकदार है, उपक्रम, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व किसी अन्य कंपनी को किसी निर्विलयन की स्कीम के अधीन अंतरित किया जाता है, वहां—

(i) निर्विलीन कंपनी की दशा में, उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें ऐसा निर्विलयन होता है, उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी; और

(ii) इस धारा के उपबंध, परिणामी कंपनी को, जहां तक हो सके, ऐसे लागू होंगे, जैसे वे निर्विलीन कंपनी को तब लागू होते यदि निर्विलयन नहीं हुआ होता ।]

(6) जहां उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी व्यय की बाबत निर्धारण वर्ष के लिए किसी कटौती का इस धारा के अधीन कोई दावा किया गया है और वह अनुज्ञात की गई है और वहां उस व्यय के आधार पर जिसकी बाबत कटौती अनुज्ञात की गई है उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती नहीं की जाएगी ।

---

[1] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 19 द्वारा अंत:स्थापित ।